

12th ANNUAL REPORT

2022-23

बारहवीं वार्षिक रिपोर्ट



सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
SOLAR ENERGY CORPORATION OF INDIA LIMITED



विजन

प्रचुर मात्रा में सौर विकिरण को नष्ट करके 'हरित भारत' का निर्माण करना और देश के ऊर्जा सुरक्षा हासिल करना

ध्येय (मिशन)

बड़े पैमाने पर सौर संस्थान और संयंत्र और सौर पार्कों के विकास में अग्रणी बनना और भारत के दूरस्थ कोनों तक पहुँचने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और व्यावसायीकरण करना सौर ऊर्जा के दोहन के लिए नई प्रौद्योगिकियों की खोज और उनके विकास में अग्रणी बनना।

उद्देश्य

- » सौर पार्कों सहित अल्ट्रा मेगा और बड़े पैमाने के सौर संयंत्रों का विकास
- » रूफटॉप सहित दोनों कनेक्टेड और ऑफ ग्रिड सौर प्रतिष्ठान का स्वामित्व, संचालन विकास और प्रबंधन
- » सौर ऊर्जा के माध्यम से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ऊर्जा पहुँचाने का कार्यक्रम शुरू करना
- » व्यावसायीकरण को अग्रणी बनाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाओं के माध्यम से सौर में नई प्रौद्योगिकियों का परीक्षण करना
- » जेएनएसएमएस लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में विद्युत का आदान-प्रदान, वितरण और व्यापार करना।
- » पारंपरिक और नवीकरणीय स्रोतों के साथ सौर ऊर्जा एकीकृत बिजली उत्पादन परियोजनाओं को बढ़ाना



Make it Possible



विषय-सूची

1. निदेशक मण्डल	03
2. अध्यक्ष का संदेश	04-05
3. एजीएम की सूचना	06-09
4. निदेशकों की रिपोर्ट	10-21
अनुबंध क — सांविधिक लेखा परीक्षक रिपोर्ट (स्टैंडअलोन और समेकित)	22-54
अनुबंध ख — नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	55-56
अनुबंध ग — निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट	57-72
अनुबंध घ — निगमित अभिशासन मानदंडों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाण-पत्र	73-73
अनुबंध ङ — सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	74-77
5. प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट	78-85
6. तुलन-पत्र (स्टैंडअलोन)	86-87
7. लाभ और हानि खाता (स्टैंडअलोन)	88-89
8. नकदी प्रवाह विवरण (स्टैंडअलोन)	90-92
9. इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (स्टैंडअलोन)	93-94
10. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ (स्टैंडअलोन)	95-169
11. तुलन-पत्र (समेकित)	170-171
12. लाभ और हानि खाता (समेकित)	172-173
13. नकदी प्रवाह विवरण (समेकित)	174-176
14. इक्विटी में परिवर्तन का विवरण (समेकित)	177-178
15. वित्तीय विवरणों की टिप्पणियाँ (समेकित)	179-1258
16. फॉर्म एओसी-1	259-261
17. बैंकरों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव के ब्यौरे तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगमित कार्यालय का पता	262







निदेशक मंडल



रामेश्वर प्रसाद गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक



पदम लाल नेगी
सरकारी नामित निदेशक



संजय शर्मा
निदेशक (सौर)



राजकुमार सुदाम बडोले
स्वतंत्र निदेशक





अध्यक्ष का संदेश

प्रिय शेयरधारक,

1. मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 में सेकी के हुए विकास और प्रगति, जो कंपनी के हो रहे विकास और विस्तार से उन्नति का एक और सोपान है, की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने में खुशी हो रही है।

2022-23 में निष्पादन

2. अनेक उपलब्धियों के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 सेकी के लिए एक उल्लेखनीय वर्ष रहा है जिसने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी भूमिका को और बढ़ा दिया है। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए अपने निविदा आमंत्रण और संविदा प्रक्षेप पथ पर चलते हुए, वित्तीय वर्ष के दौरान 1.70 गीगावाट की पवन परियोजनाएं, 1.17 गीगावाट की हाइब्रिड परियोजनाएं और 500 मेगावाट/1000 मेगावाटहर्ट्ज की ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) की स्टैंडअलोन बैटरी सहित परियोजनाओं की 3.37 गीगावाट की एक समग्र क्षमता प्रदान की गई थी। इससे सेकी की कुल उत्पादन क्षमता (31.03.2023 को) 56 गीगावाट तक पहुँच गई है। कई और निविदाओं पर काम चल रहा है।
3. भारत में स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की स्थापना के लिए देश की पहली निविदा के रूप में बीईएसएस निविदा उल्लेखनीय है, जो डिस्कॉम को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उपयोग में लेने के लिए ऊर्जा भंडारण क्षमताएं प्रदान करेगा।
4. विगत वर्षों में सेकी द्वारा टेंडर की गई परियोजनाओं के संबंध में, मुझे यह सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 2.51 गीगावाट की सौर परियोजनाओं, 0.97 गीगावाट की पवन परियोजनाओं और 1.24 गीगावाट की हाइब्रिड परियोजनाओं के द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की 4.72 गीगावाट की क्षमता को चालू कर दिया गया था। इसने डेवलपर-मोड में सेकी के पोर्टफोलियो के तहत संचयी स्थापित क्षमता को 18 गीगावाट से अधिक कर दिया है। तदनुसार, सेकी ने अक्षय ऊर्जा विद्युत बिक्री की मात्रा में पिछले वित्त वर्ष से 59% अधिक की बिक्री दर्ज की है, और बिक्री मात्रा 35 बिलियन इकाइयों को पार कर गई है।
5. सेकी ने अपनी परियोजनाओं के पोर्टफोलियो में उल्लेखनीय प्रगति भी दर्शाई है। राजनंदगाँव, छत्तीसगढ़ में 120 मेगावाटहर्ट्ज बैटरी स्टोरेज के साथ सेकी के 100 मेगावाट सौर परियोजना में निर्माण कार्य उन्नत चरणों में है, क्योंकि यह परियोजना सौर उत्पादन से इतर अवधि में अक्षय ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए सौर उत्पादन के साथ मिलकर बैटरी भंडारण प्रणालियों के बहुमुखी अनुप्रयोगों का निष्पादन करेगी। कई अन्य परियोजनाएं भी कार्यान्वयन के अधीन हैं।
6. कंपनी ने अपनी भौतिक उपलब्धियों के अनुरूप ही वित्तीय विकास प्राप्त किया है। वर्ष-दर-वर्ष 48.19% की वृद्धि के साथ संचालन से ₹ 10,795.07 करोड़ राजस्व की प्राप्ति हुई है, और वर्ष-दर-वर्ष 31.35% की वृद्धि के साथ कर पश्चात लाभ (पीएट) ₹ 315.65 करोड़ है।

भविष्य का दृष्टिकोण

7. जहां तक अक्षय ऊर्जा का संबंध है, सामान्य रूप से विश्व और विशेष रूप से हमारा देश एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर पर है। ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के गंभीर प्रभाव की चिंता के बारे में विभिन्न मंचों पर उजागर किया गया है। तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित करने का नया संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि नवीकरणीय ऊर्जा अब एक साइड शो नहीं है, अपितु, तेज गति से मुख्यधारा में आ रहा है। देश की एनडीसी 500 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता रखने की प्रतिबद्धता और भारत में हाल के जी-20 शिखर सम्मेलन



में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की प्रतिबद्धता अक्षय ऊर्जा क्षमता को वर्ष 2030 तक तय करने के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, सरकार को सभी हितधारकों के लिए एक वैधानिक अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ) लागू करने की और ऐसा करने के साथ-साथ कई एक नीतिगत उपाय करने की आवश्यकता होगी।

8. जहां तक सेकी का संबंध है, इसके लिए नए अवसर हैं, इसलिए, नई संभावनाएं उत्पन्न हुई हैं। साथ ही साथ नई चुनौतियाँ भी उत्पन्न हुई हैं। न केवल डिस्कॉम से, बल्कि नियमित उपभोक्ताओं से भी नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग के कारण सेकी के लिए कई गुना अवसर बढ़ना निश्चित है। साथ ही साथ, चुनौतियों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। काफी कुछ राज्यों के साथ अक्षय ऊर्जा की खरीद के लिए (यह क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए अच्छा है, लेकिन जहां तक सेकी व्यवसाय का संबंध है, यह एक चुनौती है), अपनी खुद की बोली लगाने के लिए मध्यस्थ के रूप में एमएनआरई द्वारा नामित 03 अन्य आरईआईए (अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियाँ), ग्रिड की स्थिरता के लिए अक्षय ऊर्जा पोजिंग चुनौती की बढ़ती हिस्सेदारी और इसलिए बढ़ती गति से ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता होती है और नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर्स सीधे सीएंडआई ग्राहकों को ऊर्जा की आपूर्ति कुछ चुनौतियाँ हैं, जिनका सामना हम कर रहे हैं और भविष्य में भी करेंगे।
9. सेकी इन चुनौतियों, जो न केवल अपने व्यावसायिक पोर्टफोलियो को बढ़ाने के लिए बल्कि भारत सरकार के लक्ष्य के साथ समग्र विद्युत ऊर्जा भंडार में अक्षय ऊर्जा की एक स्वस्थ और तेजी से विकास सुनिश्चित करने के लिए भी है, का समाधान खोजने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकी को डिस्कॉम की मांग-आधारित बिजली की आपूर्ति, 02 या अधिक राज्यों की मांग के पूरक को प्राप्त करने के लिए, विशेष रूप से सीएंडआई सेगमेंट की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी स्वयं की अक्षय परियोजना के पोर्टफोलियो में वृद्धि करने, नवीकरणीय ऊर्जा व्यापार और बाजार, ऊर्जा भंडारण में प्रवेश करने, सुविधाओं की खरीद चुनौतियों से निपटने और अवसरों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए जरूरतों के अनुरूप नए उत्पादों को डिजाइन करना होगा। हम इस वर्ष पंजाब और हरियाणा की मांग की आवश्यकता के अनुरूप पहले से ही निविदाएं और पंजाब और मध्य प्रदेश के मांग पूरक के संयोजन में एक निविदा ले कर आए हैं। मुझे विश्वास है कि कंपनी की अपनी जनशक्ति के कौशल और तकनीकी ज्ञान और अपने अधिकारियों के समर्पण के साथ, हम चुनौतियों को दूर करने और अवसरों का अधिकतम और क्षमता का फायदा उठाने में सक्षम होंगे।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

10. अपनी विविध पहलों के माध्यम से, सेकी ने क्षेत्र के अपने सहयोगियों और हितधारकों का विश्वास अर्जित कर अपने लिए एक प्रतिष्ठित स्थिति स्थापित की है। कंपनी सुदृढ़ कार्य नैतिकता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए समर्पित है और उच्चतम मानकों के कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं का पालन करती है। कंपनी लगातार सरकारी निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। कंपनी ने पीएम-केअर्स फंड में योगदान देने के अलावा स्वास्थ्यक्षा, सफाई और स्वच्छता, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता जैसे क्षेत्रों में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) की पहलें कर के समाज के लिए कुछ करने की अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से, ₹ 4.77 करोड़ की राशि खर्च की है।
11. विस्तार और नवाचार के मार्ग पर चलना जारी रखते हुए, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, राज्य सरकारों, केंद्रीय और राज्य नियामक आयोगों, केंद्रीय बिजली प्राधिकरण, वित्त पोषण संस्थानों, ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों, स्टेट नोडल एजेंसियों, प्रोजेक्ट डेवलपर्स, निवेशक, सम्मानित ग्राहक, कर्मचारी, और उन सभी हितधारकों, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन प्रदान किया है और कंपनी में अपना अटूट विश्वास व्यक्त किया है, उन सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

शुभकामनाओं सहित,
भवदीय,

हस्ता. / -

रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डीआईएन: 03388822

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 27.09.2023





12वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेकी) के सदस्यों की 12वीं वार्षिक आम बैठक 27 सितंबर, 2023 (बुधवार) को सायं 5.45 बजे सेकी के बोर्ड रूम, प्रथम तल एनबीसीसी ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 4, ईस्ट किडवर्ई नगर, नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य

मद संख्या 1

निदेशक मण्डल की रिपोर्ट और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित तुलन-पत्र और लाभ एवं हानि लेखा विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण (लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ) प्राप्त करना, उन पर विचार करना और उन्हें स्वीकार करना।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन(नों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करें :-

“संकल्प पारित किया जाता है कि शेयरधारकों को परिचालित और बैठक में प्रस्तुत लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरण) और निदेशकों की रिपोर्ट के साथ 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखा परीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ हानि लेखा विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण (लेखाकरण नीतियों और लेखाओं पर टिप्पणियों के साथ) प्राप्त किया गया और उसे स्वीकार किया गया।

मद संख्या 2

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में मैसर्स एस आर गोयल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पारिश्रमिक के निर्धारण पर विचार करना

सदस्यों से अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन (नों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करें:-

“संकल्प पारित किया जाता है कि मैसर्स एस.आर.गोयल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसे सी-एजी द्वारा पत्र संख्या सी.ए.वी./सीओवाई/सेंट्रल गवर्नमेंट.सेकी(0)/215 दिनांक 13/09/2023 के माध्यम से वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सांविधिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए (स्टैंडअलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों) का समेकित शुल्क ₹ 7,30,000/- तथा 10% तक जेब खर्च एवं यथालागू करों का भुगतान किया जाएगा।”

“यह भी संकल्प पारित किया जाता है कि मैसर्स एस.आर.गोयल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अनुबंध की शर्तों को अंतिम रूप देने, पारिश्रमिक में कोई परिवर्तन करने और इससे संबंधित आकस्मिक या आनुसांगिक कार्य हों, तो ऐसे अन्य कार्यों अथवा कृत्यों को करने के लिए प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया जाए और एतद्वारा अधिकृत किया जाता है।

विशेष कार्य

मद संख्या 3

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल में श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन(नों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करें:-

“संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक अधिसूचना(ओं) सहित या





उसके तात्कालिक प्रभावी पुनः अधिनियमन के अनुसार) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल में श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त करना है और एतद्वारा अनुमोदन किया जाता है, जिन्हें 15 जून, 2023 से दो वर्षों या अगले आदेश, जो भी पहले, तक सामान्य शर्तों और निबंधनों के तहत संविदा के आधार पर निदेशक मण्डल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है”

मद संख्या 4

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल में श्री जोशित रंजन सिकंदर की निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति

सदस्यों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त प्रस्ताव पर विचार करें और यदि उपयुक्त समझें तो निम्नलिखित संकल्प को संशोधन(नों) के साथ अथवा संशोधन के बगैर एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में पारित करें:-

“संकल्प पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम की धारा 152 के प्रावधानों और कंपनी अधिनियम के अन्य लागू प्रावधानों और कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 (किसी भी वैधानिक अधिसूचना(ओं) सहित या उसके तात्कालिक प्रभावी पुनः अधिनियमन के अनुसार) सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल में श्री जोशित रंजन सिकंदर के निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्ति के लिए शेयर धारकों का अनुमोदन प्राप्त करना है और एतद्वारा अनुमोदन किया जाता है, उन्हें 12 सितंबर, 2028 से अपनी सेवानिवृत्ति अर्थात् 30.04.2028 तक या अगले आदेश जो भी पहले हो, तक निदेशक मण्डल में निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया जाता है”

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 27.09.2023

नोट:

1. बैठक में शामिल होने और मत देने के लिए हकदार सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में शामिल होने और मत देने के लिए को खुद के बजाय उपस्थित होने और वोट करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न है।





प्रॉक्सी फॉर्म

मैं / हम.....सुपुत्र / सुपुत्री.....
निवासी जिला.....उपरोक्त कंपनी का / के सदस्य होने के नाते
एतद्वारा.....सुपुत्र / सुपुत्री.....
निवासी जिला को कंपनी की सुपुत्र / सुपुत्री.....
.....निवासी.....जिला.....
.....को कंपनी की 27 सितमबर, 2023 (बुधवार) को सायं 5.45 बजे होने वाली 12वीं आम सभा में या किसी
कारण से उसके स्थगन के बाद होने वाली आम सभा में मेरे / हमारे और मेरी / हमारी तरफ से मत देने हेतु अपने
प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करता / करती हूँ / करते हैं।

वर्ष 2023 के.....माह.....के दिन हस्ताक्षरित

हस्ताक्षर

नोट: प्रॉक्सी फॉर्म को अवश्य वापिस किया जाना चाहिए ताकि यह उक्त बैठक के आयोजन करने के समय से कम से कम 48 घंटे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में पहुँच जाए। प्रॉक्सी को कंपनी का शेयर धारक होने की आवश्यकता नहीं है।



नोटिस का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 3

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पत्र संख्या 123/19/2017-एनएसएम-भाग (2) दिनांक 15 जून, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि भारत के राष्ट्रपति ने श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, आईएस (गुजरात : 87) को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, पद पर सामान्य शर्तों और निबंधनों के तहत अनुबंध के आधार पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी दो वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया है। श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता ने सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार 15 जून, 2023 को ग्रहण किया है। तदनुसार, सेकी के निदेशक मण्डल ने 28 जून, 2023 सम्पन्न अपनी 81वीं बैठक में श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता की नियुक्ति को सामान्य शर्तों और निबंधनों के तहत दो वर्षों की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए नोट कर लिया है।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में एक निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया और कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 3 में उल्लिखित प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु सामान्य प्रस्ताव के रूप अनुशंसित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण:

मद संख्या 4

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कार्यालय आदेश संख्या की 123/11/2023-सेकी दिनांक 11 सितंबर, 2023 के माध्यम से सूचित किया है कि भारत के राष्ट्रपति ने श्री जोशित रंजन सिकिंदर को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक (वित्त) के रूप में 12 सितंबर, 2023 से अपनी अधिवर्षिता अर्थात 30.04.2028 या अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक नियुक्त किया है।

श्री जोशित रंजन सिकिंदर को अधिनियम की धारा 164 के संदर्भ में निदेशक के रूप में नियुक्त होने से अयोग्य घोषित नहीं किया गया और कंपनी के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है।

श्री जोशित रंजन सिकिंदर कंपनी के किसी अन्य निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों से संबंधित नहीं हैं। इसके अलावा, कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी, किसी भी तरह से उक्त संकल्प से संबंधित या इच्छुक नहीं है।

तदनुसार, नोटिस के मद संख्या 4 में उल्लिखित प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु सामान्य प्रस्ताव के रूप अनुशंसित किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

हस्ता/-
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 27.09.2023





निदेशकों की रिपोर्ट 2022-23

शेयरधारकों,

निदेशक मंडल को 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी के व्यवसाय और संचालन पर 12वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्त वर्ष 2022-23 महत्वपूर्ण वास्तविक और वित्तीय प्रगति का वर्ष रहा है। सेगमेंट-वार निष्पादन अगले खंडों में प्रस्तुत किया गया है।

1. कार्यनिष्पादन की उपलब्धियां

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक और वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- » कुल 3370 मेगावाट (पवन: 1700 मेगावाट, हाइब्रिड: 1170 मेगावाट, बीईएसएस : 500 मेगावाट) की क्षमता प्रदान करना।
- » सौर (2511.3 मेगावाट), पवन (973.5 मेगावाट) और हाइब्रिड (1238.8 मेगावाट) की कुल 4723.6 मेगावाट की क्षमता की परियोजनाएं प्रारंभ करना।
- » 35156 मिलियन यूनिट बिजली बिक्री के साथ पिछले वर्ष की तुलना में वार्षिक व्यापार वॉल्यूम में 59.18% की वृद्धि हुई।
- » सेकी द्वारा अभिनव निविदाएं, अर्थात् 500 मेगावाट/1000 मेगावाट की स्टैंडअलोन बीईएसएस (ईएसएस-1) जारी किया जाना।
- » विगत वर्ष की कुल आय ₹ 7,310.38 करोड़ की तुलना में 48.62% बढ़कर कुल आय ₹ 10,864.43 करोड़ हो गई।
- » विगत वर्ष के ₹ 319.92 करोड़ के कर पूर्व लाभ (पीबीटी) की तुलना में इस वर्ष ₹ 423.60 करोड़ होने से कर पूर्व लाभ (पीबीटी) में 32.41% की वृद्धि हुई है।
- » विगत वर्ष (कंपनी की निवल संपत्ति ₹ 2,376.31 करोड़) की तुलना में निवल संपत्ति में 124.08% की वृद्धि हुई है।

2. वित्तीय निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वित्तीय निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं, विगत वर्ष की तुलनात्मक स्थिति के साथ नीचे उल्लिखित हैं :

राशि (₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
शेयर पूंजी	1,354.00	354.00
निवल संपत्ति	2,376.31	1,060.46
कुल राजस्व	10,864.43	7,310.38
कर पूर्व(लाभ/हानि)	423.60	319.92
कर पश्चात (लाभ/हानि)	315.65	240.32

- » बिजली की परियोजना निगरानी शुल्क, परियोजना की बिजली बिक्री और अन्य आय के द्वारा 48.62% की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की आय ₹ 7,310.38 करोड़ की तुलना में कंपनी की आय ₹ 10,864.43 करोड़ है।
- » विगत वर्ष के ₹ 319.92 करोड़ के कर पूर्व लाभ की तुलना में कर पूर्व लाभ ₹ 423.60 करोड़ और विगत वर्ष के कर पश्चात लाभ ₹ 240.32 करोड़ की तुलना में कर पश्चात लाभ (पीएटी) ₹ 315.65 करोड़ है। इस प्रकार, क्रमशः पीबीटी और पीएटी में 32.41% और 31.35% की वृद्धि दर्ज की गई है।
- » कंपनी की निवल संपत्ति 124.08% की वृद्धि के साथ विगत वर्ष की ₹ 1,060.46 करोड़ की तुलना में ₹ 2,376.31 करोड़ रही।





3. लाभांश

निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी को 31.03.2023 तक की निवल संपत्ति का 5% या वर्ष 2022-23 के कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30%, जो भी काम हो, लाभांश के रूप में भुगतान करना होगा।

सचिव, डीआईपीएएम की अध्यक्षता 20 सितंबर 2022 को आयोजित सीपीएसईएस(सीएमसीसीडीसी) में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति की बैठक के कार्यवृत्त के संदर्भ में, समिति ने सेकी को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश के भुगतान से छूट दे दी।

4. शेयर पूंजी

31.03.2023 की ₹ 2,000 करोड़ की अधिकृत शेयर पूंजी (अर्थात प्रत्येक ₹ 1,000/- के 2,00,00,000 शेयर) की तुलना में कंपनी की जारी और भुगतान की गई पूंजी, 1,354 करोड़ (अर्थात प्रत्येक ₹ 1000/- के 1,35,40,000 इक्विटी शेयर) हैं। कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भारत के राष्ट्रपति में निहित है।

5. निधि और गैर-निधि आधारित सुविधा

वर्ष के दौरान, सेकी ने 178 मिलियन अमरीकी डॉलर(अमरीकी डॉलर 150 मिलियन का आईबीआरडी ऋण और 28 मिलियन अमरीकी डॉलर का सीटीएफ ऋण) का ऋण लेने के लिए विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है, जिसे 14 फरवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से आईबीआरडी ऋण आईडी 8944-इन और सीटीएफ ऋण संख्या टीएफ0ए9875 के साथ 80 मिलियन अमरीकी डॉलर (आईबीआरडी ऋण 67 मिलियन अमरीकी डॉलर और 13 मिलियन अमरीकी डॉलर का सीटीएफ ऋण) तक कम कर दिया गया है। ऋण का उपयोग बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) और फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट के साथ सोलर पॉवर पीवी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए किया जाएगा। कंपनी की पुस्तकों में 31 मार्च, 2023 को बकाया ऋण 367,500 अमरीकी डॉलर है।

कंपनी ने विभिन्न बैंकों से ₹ 1500 करोड़ की ऋण की स्वीकृति प्राप्त की है जिनमें एचडीएफसी बैंक से ₹ 555 करोड़ (300 करोड़ रुपये की गैर निधि आधारित सुविधा और विनिमय उपयोग के साथ ₹ 555 करोड़ की निधि आधारित सुविधा), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹ 520 करोड़ (₹ 500 करोड़ की गैर-निधि आधारित सुविधा और ₹ 20 करोड़ की निधि आधारित सुविधा), यस बैंक से ₹ 150.01 करोड़ (₹ 150 करोड़ की गैर-निधि आधारित सुविधा और ₹ 0.01 करोड़ की निधि आधारित सुविधा), आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 100 करोड़ (गैर-निधि आधारित ऋण सीमा और निधि आधारित ऋण के रूप में ₹ 1 करोड़) और एक्सिस बैंक से ₹ 174.99 करोड़ (गैर निधि आधारित सुविधा ₹ 99.99 करोड़ और ₹ 75 करोड़ विनिमय उपयोग के साथ निधि आधारित ऋण के रूप में) शामिल हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सभी वर्तमान और भविष्य की प्राप्तियों के दृष्टिबंधक के प्रति है।

6. व्यावसायिक गतिविधियाँ

I. राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत योजनाओं/निविदाओं का कार्यान्वयन

सेकी राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत सौर परियोजनाओं के विकास के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति में योगदान करते हुए, भारत भर में या राज्य विशेष में बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में सेकी आरई डेवलपर्स का चयन करने के लिए निविदाएं जारी करता है जो पैन-इंडिया/राज्य-विशेष के आधार पर पवन परियोजनाएं स्थापित करेंगे। सफल बोलीदाताओं का चयन एक टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। चयन पूरा होने पर, सेकी बिजली खरीद के लिए इन चयनित बोलीदाताओं के साथ 25-वर्षीय बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा खरीदी बिजली की बिक्री के लिए सेकी डिस्कॉम/खरीद करने की संस्थाओं के साथ भी 25-वर्षीय बैक टू बैक बिजली बिक्री समझौता (पीएसए) करता है।

समग्र रूप में, सेकी ने कुल 35676 मेगावाट की सौर पीवी परियोजनाएं स्थापित की हैं। इसमें वीजीएफ, सौर मैनुफैक्चरिंग से जुड़ी सौर और सीपीएसयू योजनाओं में पहले की निविदाओं के तहत क्षमताएं शामिल हैं। स्थापित क्षमता में से, 2511.3 मेगावाट क्षमता को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सफलतापूर्वक चालू किया गया, जिससे (31.03.2023 तक) कुल कमीशन क्षमता 12563 मेगावाट हो गई है।





बीकानेर, राजस्थान स्थित सेकी आईएसटीएस ट्रेन्च IX के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना

II. पवन ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन

सेकी पूरे भारत में बड़े पैमाने पर पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्य की पूर्ति में योगदान देता है। सेकी आरई डेवलपर्स का चयन करने के लिए निविदाएं जारी करता है जो पैन-इंडिया/राज्य-विशेष के आधार पर पवन परियोजनाएं स्थापित करेंगे। सफल बोलीदाताओं का चयन एक टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। चयन पूरा होने पर, सेकी बिजली खरीद के लिए इन चयनित बोलीदाताओं के साथ 25-वर्षीय बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा खरीदी बिजली की बिक्री के लिए सेकी डिस्कॉम/खरीद करने की संस्थाओं के साथ भी 25-वर्षीय बैक टू बैक बिजली बिक्री समझौता (पीएसए) करता है। इस क्षेत्र में एसईसीआई की पहल के सकारात्मक परिणाम मिले हैं, जिससे प्रतिस्पर्धी खरीद प्रक्रिया के माध्यम से पवन ऊर्जा शुल्कों को तर्कसंगत बनाया जा सका है। इससे उद्योग के भीतर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और कई राज्यों को लागत प्रभावी टैरिफ पर पवन ऊर्जा से लाभ उठाने की अवसर मिला है, जिससे पवन ऊर्जा के बड़े पैमाने पर अंतर-राज्य हस्तांतरण को बढ़ावा मिला है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान क्रमशः 1200 मेगावाट और 1700 मेगावाट पवन परियोजनाओं की क्षमता को निविदित और प्रदान किया है। देश में सेकी द्वारा प्रारम्भ की गई संचयी क्षमता पवन ऊर्जा क्षमता 15120.7 मेगावाट है, जिसमें से 973.5 मेगावाट परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप सेकी निविदाओं के माध्यम से कुल कमीशन क्षमता 4800.40 मेगावाट हो गई है।



सेकी पवन ट्रेन्च के तहत 300 मेगावाट की पवन परियोजना थूथुकुडी, तमिलनाडु में स्थित है



III. हाइब्रिड और ईएसएस परियोजनाओं के लिए निविदाओं का कार्यान्वयन:

सेकी ने नवोनमेषी निविदाएँ भी निकाली हैं, जैसे, सोलर-विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, पीक आवर्स के दौरान सुनिश्चित आपूर्ति के साथ आरई और निश्चित और लचीली आरई पावर के लिए डिस्कॉम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राउंड द क्लॉक (आरटीसी) आरई पावर, इन परियोजनाओं के लिए, सेकी अखिल भारतीय आधार पर परियोजनाओं की स्थापना के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से डेवलपर्स के चयन के लिए निविदाएं जारी करती है और 25-वर्षीय बैक-टू-बैक पीएसए के माध्यम से इच्छुक डिस्कॉम को ऐसी बिजली की आपूर्ति के लिए इन परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए 25-वर्षीय पीपीए पर हस्ताक्षर करती है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, सेकी ने हाइब्रिड क्षमता की 1170 मेगावाट और 500 मेगावाट/1000 मेगावाट एच स्टैंडअलोन बीईएसएस क्षमता प्रदान की है।

देश में सेकी द्वारा दी गई संचयी हाइब्रिड क्षमता 6770 मेगावाट है। सम्मानित क्षमता में से, 1440 मेगावाट परियोजनाओं को 31.03.2023 तक सफलतापूर्वक कमीशन किया गया है देश में 500 मेगावाट की बीईएसएस टेंडर अपनी तरह का पहला टेंडर है, यह "ऑन-डिमांड" आधार पर उपयोग की जाने वाली भंडारण सुविधाओं के साथ डिस्कॉम/खरीदने वाली संस्थाओं को प्रदान करेगा। परियोजनाओं को राजस्थान राज्य में, आईएसटीएस नेटवर्क के फतेहगढ़-III ग्रिड-सबस्टेशन के आसपास के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। खरीद संस्थाओं को उनकी ऊर्जा शिपिंग आवश्यकताओं के अनुसार, आरई पावर के माध्यम से दैनिक को चार्ज करने और निर्वहन करने के लिए भंडारण क्षमता की पेशकश की जाएगी।

IV. नई पहलें

तेजी से विकसित आरई क्षेत्र के अनुरूप, सेकी ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया, ग्रीनिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग, एनर्जी स्टोरेज आदि जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है और प्रासंगिक हितधारकों के साथ जुड़ रहा है।

- » **ग्रीन हाइड्रोजन :** ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीतियों के कार्यान्वयन के लिए, सेकी उर्वरक मंत्रालय के साथ बातचीत कर रही है। सेकी पहले से ही कार्य कर रही अपनी कार्यान्वयन योजनाओं के साथ ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में प्राथमिक एग्रीगेटर बनने की तैयारी कर रहा है।
- » **परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा की आपूर्ति:** परिवहन क्षेत्र, विशेषतः इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में बदलाव के लिए बहुत क्षमता प्रदान करता है। सेकी ने परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा के लिए एनसीआरटीसी और बीपीसीएल के साथ समझौता किया है।
- » **ऊर्जा भंडारण:** आरई अवसंरचना के बेहतर उपयोग के लिए भविष्य में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को भारतीय विद्युत क्षेत्र में एकीकरण करना होगा। इस उद्देश्य के साथ सेकी ने भारत में स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) की स्थापना के लिए अप्रैल, 2022 को सेकी ने अपनी तरह की पहली निविदा जारी की। यह डिस्कॉम को "ऑन डिमांड" आधार पर उपयोग किए जाने वाली भंडारण सुविधा प्रदान करेगा।
- » **अक्षय ऊर्जा के लिए बाजार-आधारित मॉडल का विकास:** सेकी, अक्षय ऊर्जा के लिए बाजार आधारित मॉडल के विकास की खोज कर रहा है जो संबंधित हितधारकों द्वारा विचार-विमर्श के तहत है।

V. ग्रिड कनेक्टेड रूफ-टॉप प्रोग्राम:

सेकी ने एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के तहत देश में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान रूफटॉप सोलर टेंडर के लिए 46.14 मेगावाट क्षमता का क्रियान्वयन किया गया है। हालांकि, क्रमशः वर्ष 2021-22 और 2022-23 में 7.44 मेगावाट और 38.70 मेगावाट की परियोजना क्षमता के प्रारंभ होने के लिए प्रमाणपत्र जारी किए गए। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, कोई भी क्षमता प्रारंभ नहीं की गई है।

VI. अक्षय ऊर्जा वृद्धि के लिए एमएनआरई की अन्य योजनाएं

सेकी नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की विभिन्न योजनाओं को लागू करने में शामिल है। इन पहलों के हिस्से के रूप में, सेकी ने परियोजना कार्यान्वयन की एजेंसियों को केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को संवितरण करने की जिम्मेदारी ली है। निधियों का संवितरण संबंधित योजनाओं में निर्धारित





पूर्व-परिभाषित निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने पर आधारित है। इन गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण इस खंड में दिया गया है।

- (क) **सौर पार्क योजना :** सौर परियोजना डेवलपर्स को एक प्लग एवं प्लेमॉडल में परियोजना स्थापित करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से एमएनआरई द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई थी। ऐसे सौर पार्कों में, सौर परियोजनाओं की स्थापना के लिए डेवलपर्स को विकसित भूमि, बिजली निकासी सुविधाओं और पानी सहित सभी अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान की जाती हैं। इस योजना के तहत, सेकी 37990 मेगावाट की क्षमता और ₹ 8000 करोड़ सीएफए के परिव्यय वाले 50 सौर पार्कों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, सेकी द्वारा ₹ 676.11 करोड़ का सीएफए विभिन्न सौर पार्क कार्यान्वयन एजेंसियों को वितरित किया गया है।

इसके अलावा, योजना प्रावधानों के अनुसार, सेकी की संयुक्त उद्यम कंपनियों के माध्यम से संबंधित राज्य की नामित एजेंसियों के साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश राज्यों में सौर पार्क कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

- (ख) **वीजीएफ योजना:** शुरुआत में निजी डेवलपर्स को सौर परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, एमएनआरई वीजीएफ योजनाएं लेकर आया था। सेकी ने इन योजनाओं के तहत निविदाएं जारी कीं, और बोली लगाने वालों ने अपनी आवश्यक वीजीएफ सहायता का हवाला दिया और न्यूनतम वीजीएफ को उद्धृत करने वाले बोली लगाने वाले को परियोजनाएं प्रदान की गईं। इन योजनाओं के तहत 5505 मेगावाट (क्षमता पहले ही धारा 6(1) के तहत शामिल कर ली गई है) की सौर परियोजनाएं स्थापित की गईं। सेकी ने योजना के तहत डेवलेपर्स को ₹ 351.70 करोड़ की वीजीएफ सहायता प्रदान की।

- (ग) **सीपीएसयू योजना :** इस योजना ने सरकारी उत्पादकों को राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा और सरकार के उद्देश्य के लिए पर्यावरण स्थिरता की सुविधा के लिए डब्ल्यूटीओ के अनुरूप तरीके से घरेलू सेल और मॉड्यूल का उपयोग करके सौर पीवी परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस योजना ने देश में घरेलू सेल और मॉड्यूल के लिए एक बाजार बनाने में मदद की। वर्तमान में सेकी योजना के चरण 2 (ट्रेंच I, II) को लागू कर रहा है। योजना के चरण 2 (ट्रेंच I, II) के तहत सेकी द्वारा 2026 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई और इसमें से वर्ष 2022-23 बके दौरान 1237.32 मेगावाट क्षमता (क्षमता पहले ही धारा 6(1) के तहत शामिल कर ली गई है) प्रारंभ कर दी गई। शेष क्षमता कार्यान्वयन के अधीन है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, चरण 1 के तहत सेकी द्वारा ₹ 33.75 करोड़ का सीएफए वितरित किया गया। चरण 2 के तहत सेकी द्वारा ₹ 1.75 करोड़ का सीएफए सरकार की एजेंसियों को वितरित किया गया है।

- (घ) **रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए योजना :** एमएनआरई द्वारा यह योजना रक्षा प्रतिष्ठानों में सौर परियोजनाएं स्थापित करने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए चालू की गई थी। सेकी को विशेष उपलब्धि की स्थिति में डेवलपर्स एजेंसियों को सीएफए वितरित करने का कार्य सेकी को दिया गया है। 31.03.2023 को 213.55 मेगावाट की परियोजनाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के तहत सेकी द्वारा ₹ 2.15 करोड़ सीएफए वितरित किया गया है।

VII. परियोजना विकास

तीसरे पक्ष के निवेश के माध्यम से बड़ी सौर और पवन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए निविदाएं जारी करने और योजनाएं कार्यान्वयन करने के साथ ही, सेकी अपने निवेश के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं बढ़ाने में शामिल है। साथ ही, सेकी अपनी परियोजना प्रबंधन परामर्श विशेषज्ञता सेवाएं सरकारी एजेंसियों और सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) को उनके अक्षय परियोजनाओं के लिए प्रदान करती है। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- (क) **पीएमसी के तहत परियोजनाएं :** पीएमसी के तहत 350 मेगावाट से ज्यादा की परियोजनाएं (संचयी) प्रारंभ कर दी गई हैं और 55 मेगावाट की परियोजनाएं वर्तमान में क्रियान्वयन अधीन हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान निष्पादन अधीन हैं कुछ बड़ी परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

- » सिंगरेनी कॉलरीज कंपनी (एससीसीएल) की ओर से तेलंगाना के विभिन्न स्थानों में एससीसीएल-सेकी 234 मेगावाट के लिए जमीन आधारित और प्लोटिंग सौर परियोजनाओं का विकास कर रहा है। इस में 31.03.2023 तक, 224 मेगावाट सौर पीवी परियोजना को प्रारंभ कर दिया गया है, 10 मेगावाट निष्पादन के अधीन है।





- » 03 साइटों पर संचयी 30 मेगावाट फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) को पीएमसी सेवाएं। परियोजना को स्थापित किया गया है और निष्पादन स्थिति में है।



5 मेगावाट एफएसपीवी तेलंगाना में एससीसीएल के सिंगरेनी थर्मल विद्युत संयंत्र में स्थित है

- » भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड के लिए 15 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना—अनुबंध किया गया था और वर्तमान में निष्पादन चरण में है।
 - » जेकेपीडीसीएल के लिए 5 मेगावाट की कृषि-सौर परियोजना, वित्त वर्ष 2022-23 में, परियोजना की स्थापना के लिए जारी निविदा के लिए ई-आरए और बाद में समझौता वार्ता की गई थी।
- (ख) **कैपेक्स परियोजनाएं**— सेकी वर्तमान में 21 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामी है और संचालित करता है। हालांकि, कंपनी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहती है। मौजूदा और चल रही परियोजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

1. परिचालन परियोजनाएं:

- » सेकी की 10 मेगावाट क्षमता की पहली सौर पीवी परियोजना को 31.03.2016 को राजस्थान के जोधपुर जिले, बाड़ी सिद में प्रारंभ किया गया था।
- » इसके अलावा, सेकी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट की रूफटॉप सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की है। परियोजना को जून, 2017 में कमीशन किया गया था और संचालन के अधीन है।
- » इसके अलावा, डीआरडीओ के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत कर्नाटक में डीआरडीओ कोलार परिसर में 10 मेगावाट की एक परियोजना स्थापित की गई हैं परियोजना को अक्टूबर 2020 में चालू किया गया था।

2. आगामी/ चल रही परियोजनाएं

- » सेकी राजनंदगांव छत्तीसगढ़ में 40 मेगावाट/120 मेगावाट हर्ट्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ 100 मेगावाट (एसी) सौर पीवी परियोजना (160 मेगावाट पीडीसी क्षमता) भी विकसित कर रहा है। देश में ग्रिड से जुड़ी सबसे बड़ी बीईएसएस परियोजनाओं में से एक परियोजना यह प्रदर्शित करेगी कि बीईएसएस जैसी बड़ी बैटरी भंडारण प्रणाली का उपयोग करके, शाम के चरम घंटों के दौरान स्वच्छ सौर ऊर्जा प्रदान करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जा सकता है। परियोजना वर्तमान में निष्पादन के अधीन है।
- » सेकी लक्षद्वीप द्वीप समूह में डीजल के प्रतिस्थापन की दिशा में काम कर रहा है। सेकी 1.4 मेगावाट हर्ट्ज बीईएसएस के साथ 1.7 मेगावाट सौर विकसित कर रहा है। वर्तमान में, परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है।
- » सेकी झारखंड के गेटालसुड, जलाशय, रांची में एक 100 मेगावाट फ्लोटिंग सौर परियोजना की स्थापना कर रहा है। प्रस्तावित परियोजना का भारत में बड़े पैमाने पर फ्लोटिंग सौर परियोजनाओं को निष्पादन करने का प्राथमिक उद्देश्य है।





राजनंदगांव, छत्तीसगढ़ में 100मेगावाट के साथ 40मेगावाट/120मेगावाट हर्टज बीईएसएस परियोजना

- » सेकी को एमएनआरई की सीपीएसयू योजना चरण-II, चरण-III के तहत विकसित की जाने वाली सौर परियोजनाओं की 1200 मेगावाट क्षमता आवंटित की गई है

VIII. विद्युत व्यापार

सेकी को विद्युत व्यापार के लिए अखिल भारतीय श्रेणी-I का व्यापार लाइसेंस प्राप्त है। यह सेकी निविदाओं के माध्यम से स्थापित की जा रही परियोजनाओं के लिए मध्यस्थ बिजली खरीददार है। यह अपनी योजनाओं के तहत सफल डेवलपर्स से बिजली खरीदता है और लंबी अवधि के पीपीए/पीएसए के माध्यम से खरीदने वाली संस्थाओं (यानी डिस्कॉम) को बेचता है।

वर्तमान में, सेकी देश में आरई बिजली का एक प्रमुख व्यापारी है। वर्तमान में इसने (31.03.2023 तक) 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों/भारतीय रेलवे के साथ कुल मिलाकर 48.352 गीगावाट कुल क्षमता के पीएसए पर हस्ताक्षर किए हैं।

वार्षिक व्यापार की मात्रा में पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 59.18% की वृद्धि हुई है, जिसमें 35156 मिलियन यूनिट बिजली का कारोबार हुआ है।

IX. नवाचार, पहल और आर एंड डी

स्थापना के बाद से, सेकी हमेशा इस तरह के विचारों पर कार्य करने और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में बाजार अनुसंधान और नवाचारों को निष्पादित करने में अपनी रचनात्मकता और अभिनव समाधानों के साथ, सेकी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न अभिनव उत्पादों को विकसित करने में सक्षम रहा है और उनमें से कई उत्पाद, जैसे आरटीसी, पीक पावर, हाइब्रिड प्लांट, बीईएस टैंडर, एफडीआरई, अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन और विभिन्न द्वीपों और केंद्र शासित आदि में ऐसे उदाहरण हैं जो बाजार की पहचान बन गए हैं। इसके अलावा, ऐसे उत्पादों की सफलता के लिए, नीति और नियामक समर्थन आवश्यक है। इस क्षेत्र में, सेकी विभिन्न नवीन नीति योगों और इसकी वकालत में लगातार योगदान दे रहा है ताकि नवीन अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को उद्योग में अच्छी तरह से शामिल किया जाए।

इस तरह की सभी निरंतर अभिनव पहल और प्रयास के लिए भी एक समर्पित तकनीकी वाणिज्यिक टीम और जनशक्ति की आवश्यकता होती है, जो इन नवीन परियोजनाओं में पूर्ण रूप से योगदान दे रहा है। जहां तक सेकी का सवाल है, ऐसी गतिविधियाँ दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों का हिस्सा हैं। इसके अधिकांश कर्मचारी, आईटी तकनीकी प्रभाग, टेंडरिंग डिवीजन, फाइनेंस डिवीजन, प्रोजेक्ट या उच्चतर प्रबंधन वैचारिक, कठिन समस्याओं के समाधान करने, नए उत्पाद तैयार करने और जांच करने आदि में शामिल हैं। इन प्रयासों में से कुछ उत्पाद राष्ट्रीय स्तर के काम करने के लिए पाए जाते हैं और उन्हें बाजार में लाया गया। उदाहरण ऊपर सूचीबद्ध हैं।

इसलिए, यदि 20% या उससे अधिक सेकी की जनशक्ति और प्रशासनिक शुल्क [कर्मचारी लाभ व्यय और अन्य खर्च (लाभ एवं हानि)] ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार, ऐसे सभी नवाचारों, पहल/आर एंड डी के लिए हरच होते हैं तो यह एक अपवाद नहीं हो सकता है। इसलिए, जनशक्ति और प्रशासनिक शुल्क का 20% [कर्मचारी लाभ व्यय और अन्य खर्च (पी एंड एल)], ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार, ऐसे नवाचारों, पहलों/अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए विनियोजित किया जाता है।

तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इसके लिए निर्धारित राशि निम्नलिखित है :-



क्र.सं. (क)	वित्त वर्ष (ख)	लेखापरीक्षित वित्त विवरणों के अनुसार कर्मचारी लाभ एवं अन्य व्यय (लाभ एवं हानि) (ग)	(ग) का 20%
1.	2022-2023	₹ 71.92 करोड़	₹ 14.38 करोड़

7. मानव संसाधन प्रबंधन

सेकी में मानव संसाधन प्रबंधन कार्य एक कर्मचारी के अनुकूल कार्य वातावरण का प्रचार करके कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ अपनी मानव पूंजी के संरेखण पर केंद्रित है, जो निरंतर कौशल संवर्धन और कर्मचारी के अनुकूल कार्य नीतियों से प्रभावित है। सेकी में मानव संसाधन, एक निर्णायक कार्य के रूप में उभरा है, जो इसे बढ़ाने और विकसित करने में मदद करके व्यवसाय के लिए अभिन्न अंग है। सेकी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसका कार्यबल समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधि है।

प्रमुख गतिविधियों में से एक विभिन्न स्तरों पर पदों के निर्माण द्वारा ऑर्गोग्राम की फिर से संरचना थी, जो संगठन के विकास के लिए आवश्यक विषय विशेषज्ञ को लाने में मदद करेगा। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। परियोजना साइटों पर कर्मचारी सुरक्षा की दिशा में विशेष ध्यान देने के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खरीद नीति, अनुबंध प्रबंधन, सुशासन, टीक्यूपी, पावर ट्रेडिंग, पावर एक्सचेंज और मर्चेंट पावर, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों के स्किलिंग के लिए आयोजित किया गया था। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सेकी ने आईआईटी, रुड़की से नागरिक संरचनात्मक अनुशासन में विशिष्ट 02 इंजीनियरों की भर्ती की। हमारे नए ज्वाइनीज़ के लिए 6 महीने का एक केंद्रित इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें आवश्यक कौशल सेट प्राप्त करने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया था जो कि उनकी नौकरियों को कुशलता से करने में मदद करेगा।

8. कर्मचारियों के विवरण

31.03.2023 को निगम में कुल कर्मचारी 111 थे। 111 कर्मचारियों में से, 10 कर्मचारी अनुसूचित जाति (एससी) से संबंधित हैं, 4 अनुसूचित जनजाति (एसटी) और 21 अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित हैं। हमारे पास दिव्यांग कर्मचारियों की संख्या 03 है। इसके अलावा, 20 महिला कर्मचारी (19 अधिकारी और 01 गैर-कार्यकारी) सेकी में काम कर रही हैं जो 31.3.2023 को निगम के कुल कार्यबल का 18% हिस्सा है।

9. राजभाषा

कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के प्रचार और कार्यान्वयन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ऑलिक) की तिमाही बैठकें नियमित रूप से कंपनी के कॉर्पोरेट कार्यालय में राजभाषा 'हिंदी' के उपयोग की प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की जाती हैं। वर्ष के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन समिति की कुल चार बैठकें आयोजित की गईं। राजभाषा 'हिंदी' के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, उस वर्ष के दौरान 04 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है।



नराकास, दिल्ली उपक्रम-2 द्वारा सेकी को वर्ष 2022-23 के लिए संयुक्त "राजभाषा उत्सव" के आयोजन हेतु "शील्ड पुरस्कार सम्मान" से सम्मानित किया गया।





राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए, पखवाड़े के दौरान, हिंदी आशुभाषण प्रतियोगिता, हिन्दी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, और हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रतियोगिता जैसी प्रतियोगिताओं को आयोजित किया गया था, जिसमें कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया है। विजेता और प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया था।

सेकी ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (टॉलिक) के तहत "राजभाषा उत्सव" का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। विभिन्न सीपीएसई के प्रतिभागियों ने उल्लेखनीय संख्या के साथ प्रतिभागिता की।

"राजभाषा उत्सव" के आयोजन के लिए वर्ष 2022-23 के लिए नराकास, दिल्ली उपक्रम 2 से "शील्ड पुरस्कार सम्मान" के साथ सेकी को भी सम्मानित किया गया है।

10. सूचना अधिनियम का अधिकार

कंपनी ने सेकी की वेबसाइट पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना का खुलासा किया जाना अनिवार्य कर दिया है। कंपनी भारत के नागरिकों को जानकारी प्रदान करती है और कंपनी के कामकाज में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी कार्य करती है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक नामित जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और अपीलीय प्राधिकृत अधिकारी है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, 120 आरटीआई आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से सभी पर विधिवत कार्रवाई की गई और उनका जवाब दिया गया।

11. यौन उत्पीड़न की रोकथाम

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी ने यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान, एक शिकायत प्राप्त हुई और आईसीसी द्वारा जांच के बाद आदेश जारी करके शिकायत को बंद कर दिया गया। वित्त वर्ष 2022-2023 के दौरान यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है।

12. सूचना प्रौद्योगिकी

आज के युग में, सूचना प्रौद्योगिकी, कंपनी की गतिविधियों की रीढ़ बनती है। सेकी ने अपनी प्रमुख प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाया है जो समय के साथ-साथ काफी बढ़ गई हैं। सेकी के आईटी परिदृश्य में केंद्रीकृत सर्वर सुविधा और उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ एक सुरक्षित और मजबूत डेटा/वॉयस नेटवर्क शामिल है। सर्वर रूम हाई स्पीड लैन कनेक्टिविटी के साथ नेटवर्क और इंटरनेट सुरक्षा उपकरणों से लैस है। सेकी के कार्यस्थल के डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना सहयोगी और उत्पादक उपकरणों और समृद्ध और एकीकृत अनुप्रयोगों वाले पारिस्थितिकी तंत्र के साथ एक व्यापक समाधान को तैनात करके अंतर्निहित बुद्धिमान सुरक्षा के साथ की जा रही है और इस प्रकार कर्मचारी की उत्पादकता और दक्षता में काफी अधिक वृद्धि करते हुए, इन्हें न केवल सेकी नेटवर्क के अंदर से ही नहीं बल्कि इंटरनेट से भी, विभिन्न प्रकार के कारकों के उपकरणों पर उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा का उपयोग ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच वर्चुअल मीटिंग के लिए भी किया जा रहा है। कंपनी की एक कॉर्पोरेट वेबसाइट (<http://www.seci.co.in>) और सुरक्षित ई-मेल कनेक्टिविटी है। कॉर्पोरेट की महत्वपूर्ण वेबसाइट सभी प्रकार के मोबाइल और डेस्कटॉप उपकरणों के साथ संगत है और इसमें उपयोगकर्ता की पसंद के अनुसार प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में गतिशील लिप्यंतरण की सुविधा है। क्लाउड सक्षम एसएपी ईआरपी सिस्टम जो कंपनी के प्रमुख व्यवसाय और बैंक ऑफिस कार्यों को एकीकृत करता है, को भी प्रतिस्थापित किया गया है। कंपनी ने क्लाउड सक्षम एनआईसी ई-ऑफिस और केएमएस (नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम) को इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और फाइलों की ट्रेकिंग और सरकार के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए भी प्रतिस्थापित किया है। कंपनी ट्विटर और फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों के माध्यम से अपनी गतिविधियों और प्रमुख उपलब्धियों को लगातार प्रदर्शित कर रही है।

13. संयुक्त उद्यम (जेवी)

कंपनी की छह संयुक्त उद्यम कंपनियाँ हैं, इन्हें मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सोलर पार्क और संबंधित अवसंरचना की स्थापना के लिए स्थापित किया गया है और इनके माध्यम से 11820 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के सोलर पार्क विकसित किए जा रहे हैं।

31.03.2023 को सौर पार्क के तहत कमीशन की गई पार्क क्षमता और परियोजना क्षमता को नीचे के रूप में नोट किया जा सकता है:





क्र. सं.	नाम	शेयर होल्डिंग पैटर्न (मेगावाट)	पार्क क्षमता (मेगावाट)	चालू की गए परियोजना क्षमता (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश सोलर पॉवर कॉरपोरेशन प्रा. लिमिटेड	सेकी (50%) एपीजीईएनसीओ (41%) एवं एनआरईडीसीएपी (9%)	3900*	3050
2	कर्नाटक सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सेकी (50%) एव केआरईडीएल (50%)	2000	2050**
3	लखनऊ सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	सेकी (50%) एवं यूपीएनईडीए (50%)	365	240
4	रिन्यूएबल पावर ऑफ केरल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सेकी (50%) एवं केएसईबी (50%)	105	100
5	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	सेकी (50%) एवं एमपीयूवीएनएल (50%)	5450	1000
6	हिमाचल रिनयुवएबिलस लिमिटेड	सेकी (50%) एवं एचपीएसईबीएल (50%)	-	-
	कुल		11820	6440

*सौर पार्क की उक्त क्षमता योजना के तहत एमएनआरई द्वारा अनुमोदित है

**अतिरिक्त भूमि की उपलब्धता के कारण केआरईडीएल लिमिटेड द्वारा 50 मेगावाट सौर पार्क में स्थापित किया गया था।

संयुक्त उद्यम कंपनियों के खातों को समेकन की इक्विटी पद्धति से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के खातों के साथ समेकित किया जाता है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम के शुद्ध लाभ का 50% हिस्सा होने के कारण कर के बाद लाभ (पीएटी) ₹ 6,971.56 लाख की राशि पर विचार किया गया है।

14. सतर्कता

सेकी में संगठन के कामकाज में पारदर्शिता, दक्षता और सत्यनिष्ठा और सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रथाओं को अपनाने के लिए सतर्कता विभाग है। इसका इरादा संगठन में उच्चतम नैतिक मानकों को बढ़ावा देना है।

सतर्कता विभाग के प्रभारी मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), सीवीसी द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संगठन और मुख्य सतर्कता आयोग (सीवीसी) के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है।

संगठन के भीतर किसी भी नैतिक मुद्दे को उठाने के लिए कंपनी में कर्मचारियों के लिए व्हिसल-ब्लोअर नीति भी है कंपनी में एक शिकायत पोर्टल है ताकि कर्मचारियों द्वारा शिकायतें करने के लिए एक केंद्रीकृत रिपोर्टिंग और एक मंच हो। ज्यादा पारदर्शी और शिकायतों की विस्तृत जानकारी के लिए उत्तम तंत्र के लिए एक व्यापक शिकायत निवारण नीति तैयार की गई है।

सतर्कता विभाग, सतर्कता से संबंधित मामलों में शीर्ष प्रबंधन के लिए एक सलाहकार की भूमिका निभाता है। विभाग निविदाओं और अनुबंधों की निवारक जांच, कार्यों के निष्पादन और अन्य कार्यों के साथ-साथ शिकायतों की जांच के माध्यम से निर्धारित दिशा निर्देशों/प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। निवारक उपाय के रूप में, सतर्कता अनुभाग ने साइट निरीक्षण करने और कार्यों और फाइलों की जांच करने जैसी गतिविधियां भी की हैं। प्रतिक्रियाशील और दंडात्मक प्रतिक्रिया के साथ, विभाग संगठन में प्रणाली में सुधार के लिए निवारक और सुधारात्मक उपाय करता है।

सत्यनिष्ठा संधि के प्रावधान और केंद्रीय सतर्कता आयोग के प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार, बोली लगाने वालों की शिकायतों की जांच करने और संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को अपनी रिपोर्ट देने और सत्यनिष्ठा संधि के अनुपालन की निगरानी करने के लिए 02 स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) भी नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कदम उठाकर संगठन के कामकाज में एक निष्पक्ष, निडर और पारदर्शी वातावरण को बढ़ावा देने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है।





सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 (वॉ) 31 अक्टूबर 2022 से 6 नवंबर, 2022 तक मनाया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2022 का विषय था **“भ्रष्टाचार मुक्त भारत”-“विकसित भारत”**। अभियान के दौरान, अधिकतम सार्वजनिक भागीदारी लाने और सार्वजनिक शासन में पारदर्शिता और अखंडता की आवश्यकता के बारे में जनता को संवेदनशील बनाने के लिए सेकी में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं। अन्य घटनाओं, जैसे कि सेकी कर्मचारियों के लिए सतर्कता प्रशिक्षण कार्यशाला और सेकी के विक्रेताओं/धकेदारों के साथ बातचीत भी की गई थी।

15. धारा 186 के तहत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण

कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या अन्य निगमित निकाय को कोई ऋण नहीं दिया है। कंपनी ने पारेषण कंपनियों, कर अधिकारियों, विकासकर्ताओं और अन्य के पक्ष में गारंटी/साख पत्र जारी करने के लिए बैंकों को क्षतिपूर्ति/काउंटर गारंटी दी है। 31.03.2023 को बकाया गारंटी (गारंटियां) ₹ 1,055.68 करोड़ की हैं। अनुमोदित निवेश नीति के अनुसार, कंपनी ने सेकी के अधिशेष निधि का निवेश किया है। भुगतान सुरक्षा तंत्र निधियां, वीजीएफ/अनुदान आदि के लिए एमएनआरई से प्राप्त निधियों को बैंकों के ब्याज वाले खातों में रखा गया है। भुगतान सुरक्षा तंत्र, भुगतान सुरक्षा जमा और निष्पादन गारंटी जमा से संबंधित धनराशि को भी 'एएए' रेटेड सीपीस्यू बॉन्ड में निवेश किया गया है।

16. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी विनिमय आय और व्यय से संबंधित विवरण

कंपनी ने कोई विदेशी मुद्रा आय अर्जित नहीं की है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का व्यय ₹ 0.40 करोड़, मुख्य रूप से आधिकारिक दौरे और यात्रा, प्रशिक्षण, व्यापार प्रचार, सदस्यता और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए रहा।

17. लेखा परीक्षा

मैसर्स एस. आर. गोयल एंड कंपनी को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। 2022-23 के लिए स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरणों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट **अनुबंध-क** में दी गई है। सीएंडएजी की टिप्पणियां **अनुबंध-ख** में दी गई हैं।

18. निगमित अभिशासन प्रणाली

कंपनी सरकार द्वारा निर्धारित मिशन को प्राप्त करने के लिए दीर्घकालिक स्थिर विकास प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, निष्पक्षता, व्यावसायिकता और जवाबदेही के आधार पर ठोस कॉर्पोरेट प्रथाओं के लिए प्रतिबद्ध है।

निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा बनने वाली कॉर्पोरेट गवर्नंस पर एक रिपोर्ट **अनुबंध-ग** में दी गई है। इसके अलावा, पेशेवर सचिव, मैसर्स विकास गोरा और एसोसिएट्स, कंपनी सचिवों से प्राप्त निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन का प्रमाण पत्र **अनुबंध-घ** में दिया गया है।

19. वार्षिक विवरण का उद्घरण

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में सेकी की वार्षिक विवरण की प्रति (एमजीटी-7) को निम्नलिखित URL:- <https://www.seci.co.in/financial/annual-return> पर सेकी के वेब पोर्टल में रखा गया है।

20. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

बोर्ड ने अपने व्यवसाय के सुव्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है, जिसमें व्यावसायिक नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता और समय से विश्वसनीय वित्तीय खुलासे तैयार करना शामिल है।

21. आचार संहिता

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन में, कंपनी ने आचार संहिता और नैतिकता ('संहिता') तैयार की है जो बोर्ड के सभी सदस्यों और बोर्ड से एक स्तर नीचे के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों पर लागू होती है। 'संहिता' के अनुपालन के संबंध में पुष्टि बोर्ड के सभी सदस्यों और बोर्ड से एक स्तर नीचे के वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिकों से प्राप्त की गई है।





22. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

वस्तुगत विचलन यदि कोई हो, से संबंधित समुचित स्पष्टीकरण के साथ लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;

उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन किया गया है और उनका निरंतर अनुपालन किया गया है तथा अधिनिर्णय लिए गए और अनुमान लगाए गए, जो औचित्य पूर्ण और विवेकपूर्ण थे ताकि 31 मार्च, 2023 को कंपनी के कार्यकलापों की सही और निष्पक्ष स्थिति और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लाभ एवं हानि विवरण को सही एवं उचित रूप से दर्शाया जा सके।

कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त ध्यान रखा गया; और

वार्षिक लेखा व्यवसायरत कम्पनी (गोइंग कंसर्न) के आधार पर तैयार किए गए हैं।

कंपनी द्वारा उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का पालन किया गया और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं।

सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गईं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं।

23. सचिवीय लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 के प्रावधानों और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के अनुसरण में, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा करने हेतु मैसर्स आशु गुप्ता एण्ड कं., कम्पनी सचिव की नियुक्ति का अनुमोदन कर दिया है। सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति **अनुबंध-ड.** के रूप में संलग्न है।

24. आभार

निदेशक, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के निरंतर समर्थन और मार्गदर्शन के लिए अपनी गहन कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हैं। निदेशक, सभी हितधारकों, केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों, नीति आयोग, केंद्रीय और राज्य विद्युत (उत्पादन, पारेषण और वितरण) कंपनियों, ग्रिड ऑपरेटरों, केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोगों, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य नोडल एजेंसियों, बहु-पक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों आदि द्वारा सेकी को दिये गये उनके निरंतर समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक, सेकी की व्यावसायिक गतिविधियों में सभी ग्राहकों, निवेशकों, वित्त-पोषण एजेंसियों, उधारदाताओं और हितधारकों द्वारा व्यक्त किए विश्वास और भरोसे के लिए उनकी सराहना करते हैं।

अंत में, निदेशक सभी स्तरों पर कर्मचारियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों और मूल्यवान योगदान, जो कंपनी के निरंतर विकास और उत्कृष्टता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ("कम्पनी") जिसमें 31 मार्च 2023 तक के तुलन-पत्र, लाभ व हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और संबंधित वर्ष को समाप्त नकदी प्रवाह के विवरण, और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना (इसके बाद 'स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण' के रूप में संदर्भित) का सार शामिल है, के साथ संलग्न स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है।

हमारी राय में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित अनुसार सूचना देते हैं और 31 मार्च 2023 को कंपनी की स्थिति तथा अन्य व्यापक आय सहित उनके लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लि, इसके नकदी प्रवाह पर कंपनी भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप क सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा-परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा की है। इन लेखापरीक्षा मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों का उल्लेख आगे हमारी रिपोर्ट के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण खंड की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियों में किया गया है। हम भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) द्वारा नैतिक अपेक्षाओं सहित जारी 'नैतिक आचार संहिता' के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, जो अधिनियम, 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के लिए प्रासंगिक हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमने स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

मामले पर बल

हम स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) **नोट संख्या 19.1** 28.03.2022 को सेकी द्वारा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से प्राप्त 1,000 करोड़ के इक्विटी समर्थन में से, वर्ष के दौरान कंपनी की पहले सब्सक्राइब की गई अदत्त शेयर पूंजी के विरुद्ध शेयरों के आवंटन के संबंध में।



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

ख) नोट संख्या 73 के साथ पठित नोट संख्या 50.2.2:

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)/राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी) में (31 मामलों) में दायर याचिका और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में आई7 मामलों से संबंधित कंपनी के खिलाफ बन्ध के आदेश के खिलाफ कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 'असाधारण वस्तुओं' के तहत 'कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को मुआवजे' के रूप में ब्याज राशि (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) सहित ₹ 25,600.53 लाख के खर्च को बुक किया है। इसके अलावा सीईआरसी/एरसीआरसी के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूला जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 25,600.53 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) को 'असाधारण वस्तुओं' के तहत कानून में बदलाव के कारण डिस्कॉम से "मुआवजा" मद के तहत आय के रूप दर्ज किया है।

व्यय और आय बिजली की खरीद और बिक्री के कारण होती है क्योंकि मुआवजे का सीधा संबंध टैरिफ से होता है। दावे के अनुसार इसे एक असाधारण वस्तु के रूप में माना गया है डेवलपर्स द्वारा और डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि महत्वपूर्ण है और व्यवसाय के परिचालन चक्र के दौरान असामान्य है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी/एरसीआरसी के आदेशों के अनुसार कानून में बदलाव के कारण पावर डेवलपर्स को ₹ 21,132.74 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 24,519.57 लाख) का भुगतान किया है और तदनुसार, आदेश के अनुसार, डिस्कॉम से बैंक-टू-बैंक आधार पर इसकी मांग की है।

ग) **नोट संख्या 65 :** सौर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से एकमुश्त आधार पर भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश को भुगतान किए गए ₹ 2120.71 लाख के भुगतान के संबंध में।

घ) **नोट संख्या 58 :** कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4), धारा 177 और धारा 178 और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना, कार्यात्मक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन का पूरी तरह से अनुपालन नहीं होने के संबंध में।

अन्य मामले

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में शामिल 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक इंड एस वित्तीय विवरणों का ऑडिट पूर्ववर्ती ऑडिटर द्वारा किया गया है, जिनके तुलनात्मक वित्तीय विवरणों पर 28 जुलाई 2022 की रिपोर्ट में एक अपरिवर्तित राय व्यक्त की गई है।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य सूचना में निगमित अभिशासन रिपोर्ट शामिल है (लेकिन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और उन पर हमारी लेखा परीक्षक रिपोर्ट शामिल नहीं है), जिसे हमने इस लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (इसके बाद सीजी रिपोर्ट के रूप में उल्लेख किया गया है) की तारीख से पूर्व प्राप्त की है और इस सूचना में अनुबंधों सहित निदेशक की रिपोर्ट, प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण और अन्य कंपनी से सम्बंधित सूचना (जिसे इसके बाद अन्य रिपोर्ट के रूप में उल्लेख किया गया है) शामिल है। इस लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें अन्य सूचना उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम इस पर किसी प्रकार का कोई आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं और व्यक्त नहीं करेंगे।

स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा-परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी पहचान की गई अन्य सूचना, जब यह उपलब्ध होती है, को पढ़ने की है और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार किया जाता है कि क्या





अन्य सूचना स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा-परीक्षा के दौरान या अन्यथा प्राप्त हमारी जानकारी भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है। हमारे निष्पादित कार्य के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य सूचना में कोई सामग्री गलत है, हमें उस तथ्य को सूचित करना अपेक्षित है। इस सम्बंध में हमें कुछ नहीं कहना है।

प्रबंधन की जिम्मेदारी और स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण का दायित्व सौंपे गए प्रभारी

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में उल्लिखित मामलों के लिए इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, कुल सम्पूर्ण आय, इक्विटी में परिवर्तन और यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी के नकद प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड रखने तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और कपट का पता लगाने; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और प्रयोग करने; निर्णय लेने और अनुमान लगाने जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव करने के लिए जिम्मेदार हैं, जो लेखा रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक हैं, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं तथा सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त हैं, भी शामिल हैं।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए जिम्मेदार होता है ताकि लाभप्रद बने रहने, लागू अनुसार खुलासा करने, लाभप्रद बने रहने से संबंधित मामलों और लाभप्रद लेखांकन के आधार का प्रयोग कर सकें, जब तक कि प्रबंधन या कंपनी को बंद करने या संचालन को रोकने का इरादा रखता हो, या प्रचलन बंद करना चाहता हो, या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा के लिए लेखा-परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण पूरी तरह से सामग्री का गलत विवरण, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, से मुक्त है तथा लेखा-परीक्षक की एक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसए के अनुसार की गई लेखा-परीक्षा हमेशा किसी सामग्री के गलत विवरण, जहां-कहीं यह मौजूद हो, का पता लगा पाएगी। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकता है और इसे सामग्री माना जा सकता है, यदि यह व्यक्तिगत या समग्र रूप में हो, तो इनसे इन स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा-परीक्षा के भाग के रूप में, हम व्यावसायिक निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा-परीक्षा में व्यावसायिक संदेह को बनाए रखते हैं। हम:

- » स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों की पहचान और उनका आकलन भी करते हैं, चाहे यह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाते और निष्पादित करते हैं, और लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। किसी धोखाधड़ी के कारण सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणाम स्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक होता है, क्योंकि



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक करने, गलत विवरण देना, या आंतरिक नियंत्रण की अनदेखी करना शामिल हो सकता है।

- » हम लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाने के लिए, लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावकारिता है।
- » हम प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।
- » लेखांकन की वर्तमान चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की वर्तमान चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने ऑडिटर की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य के आधार पर हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- » हम स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, जिसमें खुलासे भी शामिल होते हैं, और क्या स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेन-देन और घटनाओं का इस तरह प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

भौतिकता स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकारी उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) अपने लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम कंपनी के प्रशासन के साथ अन्य मामलों सहित नियोजित कार्यक्षेत्र और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों पर बातचीत करते हैं जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमी भी शामिल है जिसकी हमने अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचान की है।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह विवरण भी प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ सभी संबंधों और अन्य मामलों पर बातचीत करते हैं जिनका हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा पर तर्कसंगत प्रभाव पड़ सकता हो।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार, केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (आदेश) द्वारा यथा अपेक्षित हमने उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण **अनुलग्नक 'क'** में दिया है।
2. अधिनियम की धारा 143(5) द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी के बही खातों और रिकार्डों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा हमने उचित समझा और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उपनिर्देशों पर एक विवरण **अनुबंध 'ख'** में दिया गया है:





3. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम रिपोर्ट करते हैं कि :

- क) हमने सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांग और प्राप्त किए हैं जो हमारी उत्कृष्ट जानकारी और विश्वास में हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
- ख) हमारी राय में, कानून द्वारा अपेक्षित अनुसार कंपनी द्वारा उचित बही खाते रखे गए हैं, यह उन बही खातों की हमारी जांच से प्रकट होता है।
- ग) स्टैंडअलोन तुलन-पत्र, लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के विवरण बही खातों के अनुरूप हैं।
- घ) हमारी राय में, उपर्युक्त स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
- ड.) भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, अधिनियम की धारा 164 के उप-खंड (2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- च) कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों के प्रचालन की प्रभावकारिता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता के संबंध में **अनुबंध 'ग'** में दी गई हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।
- छ) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना सं. जीएसआर 463(ई) के अनुसार अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 यथा अपेक्षित के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल होने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार :
 - i. कंपनी ने अपने स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 50.2 देखें।
 - ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं थी, जिसके लिए कोई प्रत्याशित सामग्री हानि हुई हो।
 - iii. कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष को हस्तांतरित किए जाने वाली राशि में कोई देरी नहीं हुई है।
 - iv. क) प्रबंधन ने सूचित किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में प्रकट किया गया है, कोई भी निधि अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दिया है या निवेश नहीं किया गया है (या तो उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या धन के प्रकार से) कंपनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था में, जिसमें विदेशी इकाई (“मध्यस्थ”) शामिल हैं, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देंगे या निवेश करेंगे कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचान की गई (‘अंतिम लाभार्थी’) या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान की गई हो।



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

- ख) प्रबंधन ने सूचित किया है, जैसा कि खातों के लिए नोट में प्रकट किया गया है, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई धन प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें विदेशी संस्था ('फंडिंग पार्टियां') शामिल हैं। यह समझ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से फंडिंग पार्टी ('अंतिम लाभार्थियों') की ओर से उधार देगी या निवेश करेगी या प्रदान करेगी अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या पसंद।
- ग) ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में तर्कसंगत और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ड) के उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन, जैसा कि ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किया गया है, में कोई भी सामग्री गलत है अ. कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान घोषित और भुगतान किया गया लाभांश अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में है।
- घ) अंतिम लाभांश पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित किया गया था, हालांकि, लाभांश छूट प्राप्त हुई थी। इसलिए, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश का भुगतान नहीं किया गया (नोट संख्या 19 देखें)।
- ई) कंपनी पर 1 अप्रैल 2023, से अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की बही बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को रिकॉर्ड करने की सुविधा लागू है, और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMS07148

हस्ता./-
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ‘क’

हमारी समसंख्यक दिनांक की रिपोर्ट के ‘अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट’ शीर्षक के अंतर्गत पैरा 1 में संदर्भित अनुबंध।

हमारे द्वारा मांगी गई और कंपनी द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और ऑडिट की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांचे गए खाते और रिकॉर्ड की पुस्तकों और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम कहते हैं कि:

- i. (क) (क) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) कंपनी ने अमूर्त संपत्ति का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(ख) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। कंपनी की सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगति नहीं देखी गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के स्वामित्व में कोई अचल संपत्ति नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(i)(ग) पर रिपोर्ट करने की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(घ) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार सहित) और अमूर्त संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ.) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988, (2016 में यथासंशोधित) और उसके तहत बने नियम के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

- ii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास कोई भौतिक वस्तु-सूची नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ii)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी की इनवेंटरी पर लागू नहीं होती है।

(ख) जैसा कि स्टैंडअलोन इंड एस स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के नोट 50.2.3 में खुलासा किया गया है, कंपनी को कंपनी के प्राप्य/बही बकाया की प्रतिभूति के आधार पर वर्ष के दौरान बैंकों से कुल पाँच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों में साथ दाखिल किए गए मासिक विवरण खातों की पुस्तकों के अनुरूप हैं।

- iii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने इस अवधि के दौरान किसी अन्य संस्था को ऋण या गारंटी या सुरक्षा के रूप में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3 (iii) के अनुसार कंपनी पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता लागू नहीं होती है।

(ख) कोई निवेश नहीं किया गया है, गारंटी प्रदान की गई है, सुरक्षा दी गई है, तदनुसार आदेश के खंड 3(iii)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।





एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

- (ग) कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी कंपनी को ऋण नहीं दिया है जो मांग पर चुकाई जा सकती है और इसलिए पैरा 3(iii)(ग) की आवश्यकता लागू नहीं है।
- (घ) जैसा कि ऊपर खंड 3(iii)(ग) में बताया गया है, ऐसा कोई भी ऋण मांग पर चुकाने योग्य नहीं है।
- (ङ.) जैसा कि ऊपर खंड 3(iii)(घ) में बताया गया है, ऐसी कोई राशि नहीं है जो अतिदेय हो। तदनुसार, आदेश के खंड 3(iii)(ङ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (च) कंपनी ने ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है जो या तो मांग पर चुकौती योग्य हो या चुकौती की कोई शर्तें या अवधि निर्दिष्ट किए बिना इसलिए पैरा 3 (iii)(च) की आवश्यकता लागू नहीं होती है।
- iv. कंपनी ने किए गए ऋणों और किए गए निवेश और गारंटी और सुरक्षा के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के लागू होने के प्रावधानों का अनुपालन किया है।
- v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई जमा स्वीकार नहीं किया है और न ही ऐसी कोई राशि स्वीकार की है, जिसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके तहत बनाए गए नियमों के लागू होने की सीमा तक के अर्थ में जमा माना जाता है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(v) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत यथा संशोधित, कंपनी (लागत रिकॉर्ड और लेखा परीक्षा) के साथ पठित नियम, 2014 के तहत कंपनी द्वारा लागत रिकॉर्ड का रखरखाव, बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है।
- vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाते की किताबों की हमारी जांच के आधार पर कंपनी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर सहित, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक देय राशि सहित लागू होने वाले अविवादित राशि, सांविधिक उसके देय होने की तारीख से 6 माह से ज्यादा अवधि तक बकाया के रूप में देय नहीं थी।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार 31 मार्च 2023 की समाप्ति पर, भविष्य निधि, कर्मचारियों के राज्य बीमा, आयकर, माल और सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, बिक्री कर, सेवा कर के संबंध में कोई अविवादित राशि देय नहीं है। 31 मार्च, 2022 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया बकाया थे।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खाते की किताबों की हमारी जांच के आधार पर, 31 मार्च 2023 तक आयकर, वस्तु एवं सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर और उपकर जो किसी विवाद के कारण जमा नहीं किया गया है, उप-खंड (क) में उल्लिखित कोई वैधानिक बकाया नहीं है।
- viii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के तहत आकलन में, खाते की पुस्तकों में विगत वर्ष के दौरान पूर्व में दर्ज न किए गए किसी भी लेन-देन को आय के रूप में जानकारी नहीं दी गई है या खुलासा नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(viii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।





- ix. (क) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान ऋणों या अन्य उधारों के पुनर्भुगतान या किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।
- (ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है।
- (ग) हमारी राय में, और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी भी शर्त पर ऋण नहीं लिया जाता है।
- (घ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण, और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, और कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई किसी भी धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
- (ङ) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय वक्तव्यों की एक समग्र जांच पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्व या उसे पूरा करने के लिए किसी भी इकाई या व्यक्ति से कोई फंड नहीं लिया है।
- (च) कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में धारित प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(ix)(च) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- x. (क) कंपनी ने आरंभिक सार्वजनिक निर्गम या अतिरिक्त सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण कागजातों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- (ख) वर्ष के दौरान, कंपनी ने भारत के राष्ट्रपति को एक करोड़ इक्विटी शेयरों का वरीयता आवंटन किया है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के स्टैंडअलोन इंड एस इंड एस वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि ऐसा आवंटन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62 के अनुसार था।
- xi. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
- (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तारीख तक फॉर्म एडीटी – 4 में कोई रिपोर्ट दर्ज करने की आवश्यकता नहीं थी।
- (ग) जैसा कि प्रबंधन ने हमें बताया, कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।
- xii. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xii)(क) से 3(xii)(ग) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

- xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी यथा लागू लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं और ऐसे लेनदेन का विवरण लागू लेखांकन मानकों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों में प्रकट किया गया है।
- xiv. (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास अपने व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली है।
(ख) लेखापरीक्षा की अवधि के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तारीख तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों पर हमारे द्वारा विचार किया गया है।
- xv. कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(xv) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xvi. (क) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(क) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(ख) कंपनी ने वर्ष के दौरान गैर-बैंकिंग वित्तीय/आवास वित्त गतिविधियों का संचालन नहीं किया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ख) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(ग) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(ग) में रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
(घ) कंपनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर निवेश कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xvi)(घ) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xvii. कंपनी ने हमारे ऑडिट द्वारा कवर किए गए वित्तीय वर्ष और तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकद घाटा नहीं उठाया है।
- xviii. वर्ष के दौरान कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं दिया गया है और तदनुसार आदेश के खंड 3(xviii) पर रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।
- xix. स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 78 में प्रकट किए गए वित्तीय अनुपातों के आधार पर, देरी होने और वित्तीय संपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियां और वित्तीय देनदारियों का भुगतान, स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय वक्तव्यों के साथ अन्य जानकारी, बोर्ड का हमारा ज्ञान निदेशकों और प्रबंधन की योजना और मान्यताओं का समर्थन करने वाले सबूतों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो जाता है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई सामग्री अनिश्चितता मौजूद है कि कंपनी अपनी देनदारियों तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर जब भी वे देय होते हैं, तब विद्यमान होते हैं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों जब वे देय होते हैं का कंपनी के द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।





"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

- xx. (क) चल रही अन्य परियोजनाओं के संबंध में, अधिनियम की धारा 135 की उप धारा 5 के दूसरे प्रावधान के अनुपालन में, अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक कोई अव्ययित राशि नहीं है। स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 69 में इस मामले का खुलासा किया गया है।
- (ख) चल रही परियोजनाओं के संबंध में कोई अव्ययित राशि नहीं है, जिसे अधिनियम की धारा 135 की उप धारा (6) के प्रावधान के अनुपालन में एक विशेष खाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के नोट 69 में इस मामले का खुलासा किया गया है।

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMS07148

हस्ता./—
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के “अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट” खंड के तहत पैरा 2 में संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी संशोधित निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का जवाब	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। एसएपी एवं ईआरपी को पेरोल/मानव संसाधन प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, अनुबंध और खरीद के लिए लागू किया गया है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का उपयोग लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए किया गया है। की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं।	शून्य
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या उधारों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य



क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का जवाब	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) की नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था। विचलन के कोई मामले नहीं हैं।	शून्य

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMS07148

हस्ता./—
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के शीर्ष “अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं” के तहत पैराग्राफ 2(छ) में संदर्भित का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के संयोजन में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार **सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** (‘कंपनी’) के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के आन्तरिक नियंत्रण के आधार पर आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण एवं उनकी पहचान करना, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित उसके कार्यकलापों के व्यवस्थित और दक्षतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली रूप से कार्यशील पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वयन करना, और उन्हें बनाए रखना शामिल है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखांकन पर जारी मानकों और आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों (“मार्गदर्शक नोट”) की लेखापरीक्षा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित उचित समझे गए आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के यथा सीमा तक लागू और (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया) के द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन कर इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि हम इस बात का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त कर सकें कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम किए थे और क्या उक्त वित्तीय नियंत्रण समस्त सारवान् पहलुओं के बारे में प्रभावकारी साबित हुए थे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रिया शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का आकलन जिससे कोई सारवान् दुष्प्रभाव उत्पन्न होता हो, और आकलित जोखिम के आधार पर आन्तरिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के निर्णय/विवेक पर आधारित हैं, जिसमें कपट अथवा गलती के कारण स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों की सारवान् गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।





वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों और तर्कसंगत ब्योरे के साथ कंपनी के लेनदेनों और परिसंपत्तियों के विन्यास को शुद्धता और न्यायपूर्णता के साथ प्रतिबिम्बित करती हों, (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति संबंधी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया है, और यह कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण का पता लगाने, उसके निवारण, इस्तेमाल, अथवा निपटान के बारे में, जो स्टैंडअलोन इंड एसएस वित्तीय विवरणों पर सारवान् प्रभाव डाल सकते हैं, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन देना शामिल है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

प्रबंधकीय साठ-गांठ या वित्तीय नियंत्रणों का अनुचित रूप से पालन नहीं किए जाने की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या कपट के कारण ऐसी सारवान गलत बयानी हो सकती है, जो पकड़ी ना जा सके। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अध्यधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त भी हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रभावित हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी में, सभी सारवान् पहलुओं के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग पर में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 की समाप्ति पर प्रभावशाली तरीके से कार्यरत थे।

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 10 अगस्त, 2023

यूडीआईएन: 23077201BGXMS07148

हस्ता./-

ए.के. अटोलिया

(भागीदार)

सदस्यता सं. : 077201





वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वार्षिक खातों का ऑडिट (सीआईएन : यू40106डीएल2011जीओ1225263) भारत के सीएजी, कंपनी अधिनियम 2013, धारा 143(5) द्वारा जारी दिशानिर्देशों/उप दिशानिर्देशों के तहत किया है और प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी दिशानिर्देशों और उप दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMS07148

हस्ता./-
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों के लिए समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

उपयुक्त राय

हमने **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** ("इसके बाद" कंपनी "के रूप में संदर्भित") और इसके संयुक्त उद्यमों (कंपनी और इसके संयुक्त उद्यमों को एक साथ "समूह" के रूप में संदर्भित) के वित्तीय विवरणों के साथ-साथ **समेकित इंड एस** का लेखा-जोखा किया है, जिसमें शामिल हैं 31 मार्च, 2023 को **समेकित बैलेंस शीट**, लाभ और हानि का **समेकित विवरण** (अन्य व्यापक आय के विवरण सहित), इक्विटी में परिवर्तन का **समेकित विवरण** और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का **समेकित विवरण** और नोट्स 'इसके बाद' "समेकित इंड एस वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और उपयुक्त राय पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के वित्तीय विवरणों पर प्रभाव को छोड़कर और अलग वित्तीय जानकारी पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार नीचे दिए गए मामलों पर बल अनुभाग में संदर्भित संयुक्त उपक्रमों में से, पूर्वोक्त **समेकित इंड एस वित्तीय विवरण** कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लिए 31 मार्च, 2023 को समूह के मामलों की **समेकित स्थिति**, अन्य व्यापक आय सहित उनके **समेकित लाभ**, इक्विटी में उनके **समेकित परिवर्तन** और वर्ष के लिए उनके **समेकित नकदी प्रवाह** के भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप है। आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और एक सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

उपयुक्त राय के लिए आधार

1. आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड (एपीएसपीसीपीएल) में:

31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए एपीएसपीसीपीएल का निवल लाभ ₹ **9,215.30 लाख**, जिसमें से ₹ 4,607.65 लाख **सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड** के शेयर को **समेकित वित्तीय विवरणों** में माना गया है।

क) "नोट संख्या 41 (ii) के संदर्भ में: पीजीसीआईएल के साथ समझौते के अनुसार, एनपी कुंटा पार्क (1500 मेगावाट) के 100 मेगावाट के लिए एपीएसपीसीपीएल के पास 31.03.2023 तक ₹ 649.06 लाख की देनदारी है। द्विपक्षीय पारेषण शुल्क के लिए हालांकि, कंपनी ने आकस्मिक देनदारियों के तहत दिखाया। इसने न तो व्यय और न ही संबंधित देयता को मान्यता दी। जिससे देनदारियों को कम करके दिखाया गया है, और मुनाफे को ₹ 649.06 लाख से अधिक बताया गया है। साथ ही, इसका कर निहितार्थ है।

ख) जीएसटी इनपुट का दावा भवनों और बुनियादी ढांचे (अचल संपत्ति) पर किया जाता है, जबकि जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, ऐसा इनपुट क्रेडिट सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के तहत करदाता को उपलब्ध नहीं है। जीएसटी इनपुट की सीमा तक, गैर-वर्तमान संपत्तियों के तहत सीडब्ल्यूआईपी को कम करके दिखाया गया है और वर्तमान संपत्तियों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है।

ग) संबंधित पार्टी से प्राप्य व्यापार



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

नोट संख्या 38 के संदर्भ सहित एपीजीईएनसीओ कंपनी में 41% इक्विटी रखने वाली सम्बद्ध पार्टी है। एपीजीईएनसीओ को सौर ऊर्जा के विकास के लिए पीओ के अनुसार एकमुश्त विकास शुल्क, एलएडीएफ, लीज रेंटल, परिचालन और रखरखाव शुल्क, और विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान करना चाहिए।

रिपोर्टिंग तिथि पर ₹ 21,354.04 लाख की राशि (नोट संख्या 38 (ड़) देखें) पुस्तकों में मान्यता प्राप्त व्यापार प्राप्तियों के रूप में बकाया है। प्रबंधन ने इसे अविवादित एवं संदेहास्पद के स्थान पर अविवादित एवं अच्छा माना है।

उपरोक्त के अलावा, उनसे बकाया ब्याज, ₹ 18,426 लाख बहियों में मान्यता प्राप्त नहीं है। (नोट संख्या 44 (ड़) देखें)

हमने अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (एसए) के मानकों के अनुसार समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों का अपना ऑडिट किया। इसके अलावा अपनी जिम्मेदारियों को उन मानकों के तहत अपनी रिपोर्ट के ‘समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी’ खंड में वर्णित किया गया है। हम उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ जो अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत नियम के तहत समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक है भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ‘आचार संहिता’ के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं, और हमने कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरण पर हमारी उपयुक्त ऑडिट राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले पर जोर

हम समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:

- क) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार से सेकी द्वारा 28.03.2022 को प्राप्त ₹ 1000 करोड़ के इक्विटी समर्थन में से, वर्ष के दौरान कंपनी की पहले सब्सक्राइब की गई अदत्त शेयरपूंजी के प्रति शेयरों के आवंटन के संबंध में नोट सं 19.1।
- ख) नोट सं 73 के साथ पठित नोट सं 49.2.2 कंपनी के खिलाफ सीईआरसी के आदेश के खिलाफ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)/राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) में (31 मामलों) में सीईआरसी के आदेश के विरुद्ध दायर याचिका और विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (एपीटीईएल) में 17 मामलों से संबंधित है।

कंपनी ने “असाधारण मदों” के तहत कानून में बदलाव के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में एसपीडी को मुआवजे के रूप में ब्याज सहित राशि ₹ 25,600.53 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) का खर्च बुक किया है। इसके अलावा सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूला जाना है, इसलिए कंपनी ने ‘असाधारण मदों’ के तहत कानून में बदलाव के कारण वित्त वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 25,600.53 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) को “डिस्कॉम से मुआवजा” मद के तहत आय के रूप में दर्ज किया है।

व्यय और आय बिजली की खरीद और बिक्री के कारण होती है क्योंकि मुआवजे का सीधा संबंध टैरिफ से होता है। चूंकि डेवलपर्स द्वारा डिस्कॉम से वसूली योग्य दावे की राशि महत्वपूर्ण है और व्यवसाय के परिचालन चक्र के दौरान असामान्य है इसलिए इसे एक असाधारण मद के रूप में माना गया है।

सीईआरसी/एसईआरसी के आदेशों के अनुसार कानून में बदलाव के कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, पावर डेवलपर्स को ₹ 21,132.74 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 24,519.57 लाख) का भुगतान किया है और आदेशों के अनुसार तदनुसार डिस्कॉम से बैंक-टू-बैंक आधार पर इसकी मांग की।

- ग. सौर परियोजना की स्थापना के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर आंध्र प्रदेश को सम्पूर्ण भुगतान के रूप में किए गए ₹ 21 20.71 लाख के भुगतान के संबंध में एकमुश्त आधार पर नोट संख्या 65।





घ. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(4), धारा 177 और धारा 178 और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक निदेशक मंडलए कार्यात्मक निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या, की अपेक्षित संरचना, लेखापरीक्षा समिति के गठन और नामांकन और पारिश्रमिक समिति के गठन का पूरी तरह से अनुपालन नहीं होने के संबंध में नोट संख्या 58।

भौतिकता सहित 'दूसरे ऑडिटर के काम का उपयोग' पर ऑडिटिंग मानक (एसए 600) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित मामलों पर पुनः ध्यान आकर्षित करते हैं।

1. आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड में

लीज देयता

संदर्भ नोट संख्या 48 (ख), कंपनी ने लीज के आधार पर सरकार द्वारा आवंटित भूमि के संबंध में लीज रेंटल देनदारी के लिए लीज प्रावधान किया है। प्रकटीकरण संख्या 36 के अनुसार, मूल आवंटन की तिथि से अनुमान के आधार पर लीज देयता सृजित की गई। हालांकि, संबंधित जीओ नंबर 35 दिनांक 18.11.2019 लीज रेंटल लगाने की प्रभावी तिथि के बारे में स्पष्ट नहीं है। प्रकटीकरण सं. 48 (घ) में वर्णित सीमा तक लीज रेंटल देयता सृजित नहीं की जाती है।

2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड में

वन भूमि के डायवर्जन के संबंध में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए नोट 24(1) एवं अनुबंध समाप्ति के लिए नोट 24(2)

नोट 24 अन्य प्रकटीकरण

क. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 15.02.2021 को आदेश पारित कर कुछ लोक कल्याणकारी परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से हिमाचल प्रदेश सरकार को वन भूमि के डायवर्जन की अनुमति प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एचपीएसईबी लिमिटेड के पक्ष में भूमि के हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रगति पर है। एचपीएसईबी लिमिटेड को भूमि के हस्तांतरण के बाद, एचपीएसईबी लिमिटेड और हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड के बीच परियोजना उद्देश्यों के लिए भूमि उपलब्ध कराने के लिए एक पट्टा समझौता किया जाएगा। भूमि के परिवर्तन, वनीकरण और अन्य उद्देश्यों के लिए, एचपी वन विभाग, काजा, ने डिमांड नोट संख्या 630, दिनांक 29 अगस्त 2018 को भूमि की लागत के लिए ₹ 39.10 लाख और क्षतिपूर्क वनीकरण के लिए ₹ 9.16 लाख और विभागीय और आकस्मिक शुल्क के लिए ₹ 2.06 लाख सहित ₹ 50.32 लाख के भुगतान की मांग की। डिमांड नोट में बताई गई उक्त राशि का भुगतान हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा 24 मई 2019 को आयोजित अपनी 11वीं बैठक में बोर्ड के अनुमोदन से किया गया था।

ख. हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एचआरएल) को काजा हिमाचल प्रदेश में ₹17.71 करोड़ लागत पर 1-मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ 2-मेगावाट फोटोवोल्टिक सोलर पावर प्लांट का डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग/निष्पादन के लिए (अवार्ड पत्र दिनांक 30 नवंबर 2019), का कार्य दिया गया और प्लांट के संचालन और रखरखाव के लिए ₹ 1.00 करोड़ की लागत पर अनुबंध (5 वर्षों के लिए अवार्ड पत्र दिनांक 30 नवंबर 2019) द्वारा ठेकेदार मैसर्स सन सोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को कार्य दिया गया।



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

उक्त अनुबंध के लिए, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से लंबित मंजूरी के कारण, साइट पर अनुबंध के निष्पादन की आरंभ तिथि 8 मार्च 2021 है। कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए जाने के 18 महीने व्यतीत हो गए, इसके बावजूद दिए गए अनुबंध के सोलर हिस्से को सितंबर 2022 तक और बीईएसएस के हिस्से को मई 2023 तक पूरा करने की प्रतिबद्धता के बावजूद ठेकेदार ने इसे निष्पादित करने के इरादे को साबित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

बोर्ड ने 25 नवंबर 2022 को आयोजित अपनी 27वीं बैठक में प्रगति की समीक्षा की ठेकेदार द्वारा परियोजना को निष्पादित करने में अपनी असमर्थता पाई और बैंक गारंटी के नकदीकरण को मंजूरी दे दी और अनुबंध की विशेष शर्तों के खंड 3 के अनुसार अनुबंध की निर्धारणधसमाप्ति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। तदनुसार, 28 नवंबर 2022 को, एचआरएल ने बैंक गारंटी भुनाई और ₹ 51,95,579/- की राशि प्राप्त की। कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध दिनांक 09 दिसम्बर 2022 को ठेकेदार द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर दिया गया नोटिस जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय/वाणिज्यिक देनदारी छूट के अधीन अनुबंध को समाप्त करने की सहमति दी गई। ठेकेदार के जवाब पर विचार करते हुए, 23 दिसंबर 2022 के आदेशों के माध्यम से अनुबंध समाप्त कर दिया गया और फर्म को भविष्य में होने वाली एचआरएल की निविदाओं में भाग लेने से भी वंचित धृतिबंधित कर दिया गया। अनुबंध की समाप्ति के खिलाफ, ठेकेदार ने हिमाचल प्रदेश के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ 22 दिसंबर 2022 को मौजूदा वाली यथास्थिति की बहाली के लिए प्रार्थना की गई, जिसके लिए एचआरएल को अभी उत्तर देना है।

माननीय उच्च न्यायालय में मेसर्स सनसोर्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड की रिट याचिका के लंबित रहने जिसके एक वर्ष के भीतर निपटारे की उम्मीद है, उपरोक्त उल्लिखित बैंक गारंटी की राशि को तुलन पत्र में वर्तमान देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

3. कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (संयुक्त उद्यम) में

कंपनी ने 28 साल की अवधि के लिए लीज पर किसानों से भूमि का अधिग्रहण किया है। तदनुसार, कंपनी किसानों को वार्षिक लीज रेंट के रूप में प्रति एकड़ ₹ 21,000/- का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सामान्य टीडीएस प्रावधानों के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम की धारा 194 एल के तहत लागू दरों पर टीडीएस काटने और सरकार को टीडीएस की कटौती और प्रेषण के बाद किसानों को शुद्ध राशि का भुगतान के लिए उत्तरदायी होगी। लेकिन जैसा कि किसानों ने इससे असहमति जताई और मांग की कि बिना किसी कटौती के पूरे वार्षिक लीज रेंट ₹ 21,000 प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना है, तो कंपनी ने मामला ऊर्जा विभाग के समक्ष उठाया

विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या: ईएन 481 एनसीए 2018 के माध्यम से कहा गया था कि “उपायुक्त, तुमकुर जिले द्वारा निर्धारित वार्षिक लीज रेंट के अनुसार एसपीडी द्वारा भुगतान किए गए ₹ 21,000/- प्रति एकड़ भूमि पट्टे शुल्क में से बिना किसी टीडीएस राशि की कटौती के और किसानों के व्यापक हित में किसानों के साथ किए गए पट्टा समझौतों के पूरी राशि का भुगतान किया जाए। यह किसानों को अनुचित लाभ का मामला नहीं है, बल्कि किसानों के लाभ को कम नहीं करने का निर्णय है। केएसपीडीसीएल को कोई नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि राशि विकासकर्ताओं से प्राप्त हुई है।”

समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है लेकिन समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है।





समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष को व्यक्त नहीं करते हैं।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य जानकारी को पढ़ना है और ऐसा करते समय, इस पर विचार करना है कि क्या अन्य जानकारी समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों, या इसमें प्राप्त हमारे ज्ञान के साथ भौतिक रूप से असंगत है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऑडिट या अन्यथा वास्तविक रूप से गलत बताया गया है। यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में गलत विवरण दिया गया है, हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन और अभिशासन के प्रभारी लोगों की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का निदेशक मंडल इन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार जिम्मेदार है समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी और समेकित नकदी में समेकित परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह का दायित्व, पढ़ें कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं चयन और उचित लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों और पर्याप्त आंतरिक का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव वित्तीय नियंत्रण, जो समेकित इंड एस की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे। वित्तीय विवरण जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलतबयानी से मुक्त होते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, जिनका उपयोग समेकित इंडस्ट्रीज की तैयारी के उद्देश्य से किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, कंपनी के निदेशकों द्वारा एस वित्तीय विवरण।

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखा मानक)नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड एस) सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह के समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी और समेकित नकदी में समेकित परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी देना दायित्व सहित समेकित वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित समेकित वित्तीय निष्पादन, इक्विटी और समेकित नकदी में समेकित परिवर्तन की सही और निष्पक्ष जानकारी के लिए इन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है। समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल समूह की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए जिम्मेदार हैं उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग निर्णय और अनुमान लगाना जो हैं उचित और विवेकपूर्ण और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड, जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और भौतिक गलत विवरण से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, जिनका उपयोग उपरोक्तानुसार कंपनी के निदेशकों द्वारा समेकित इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से किया गया है।

समेकित इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित प्रबंधन और निदेशक



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

मंडल एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने के लिए समूह की क्षमता का आकलन करने, लागू होने पर, वर्तमान संस्था से संबंधित मामलों और उपयोग का खुलासा करने के लिए जिम्मेदार हैं। लेखांकन का वर्तमान संस्था का आधार, जब तक कि प्रबंधन या तो इसे समाप्त करने का इरादा न रखता हो समूह या संचालन बंद कर दे या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए समूह में शामिल कंपनियों के संबंधित निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं

समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक ऑडिटर की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा एक गलतबयानी का पता लगाएगा जब यह अस्तित्व में हो। गलतबयानी धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, इन समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के लिए गए निर्णय उनसे आर्थिक रूप से प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है।

एसएस के अनुसार ऑडिट के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर गोपनीयता बनाए रखते हैं। हम :

- » समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों के भौतिक मिथ्या विवरण के जोखिमों की पहचान और मूल्यांकन, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हो – धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि से उत्पन्न होने वाली गलतबयानी की तुलना में अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना शामिल हो सकती है।
- » परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि कंपनी के पास समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं या नहीं।
- » उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।
- » लेखांकन के चल रहे प्रतिष्ठान के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष और, प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई अनिश्चितता सामग्री मौजूद है जो समूह की एक चालू संस्था के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में समेकित इंड एसएस वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो हमारी राय को संशोधित करने के लिए। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण समूह चालू संस्था के रूप में जारी रहना बंद कर सकता है।



- » प्रकटीकरण सहित समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या समेकित इंड एस वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति को प्राप्त करता है।
- » समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह के भीतर संस्थाओं या व्यावसायिक गतिविधियों की वित्तीय जानकारी के संबंध में पर्याप्त उपयुक्त ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करें। समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में शामिल ऐसी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए हम जिम्मेदार हैं, जिनके हम स्वतंत्र लेखापरीक्षक हैं। समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में शामिल अन्य संस्थाओं के लिए, जिनकी अन्य लेखापरीक्षाओं द्वारा लेखापरीक्षा की गई है, ऐसे अन्य लेखापरीक्षक उनके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा के निर्देशन, पर्यवेक्षण और प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार रहते हैं।

भौतिकता समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, यह संभव बनाता है कि समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) आपके लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और अपने काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) समेकित वित्तीय विवरणों में किसी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में कंपनी के शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण कमियां शामिल हैं जिन्हें हम अपने लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन के प्रभारी हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उनके साथ उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों पर विचार कर सकते हैं।

शासन से प्रभारित लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थे और इसलिए प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियम मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को रोकता नहीं है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम ऐसे संचार के जनहित लाभों को समाप्त करने के लिए उचित रूप से अपेक्षित होंगे।

अन्य मामले

- क) 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक इंड एस वित्तीय विवरणों को समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में शामिल किया गया है, जिनका ऑडिट एससीवी एंड कंपनी एलएलपी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया गया है, जिनकी ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 28 जुलाई 2022 ने तुलनात्मक समेकित इंडस्ट्रीज पर संशोधित राय व्यक्त की है।
- ख) हमने समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में शामिल पांच संयुक्त उद्यम कंपनियों (यानी आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड, कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, केरल नवीकरणीय ऊर्जा निगम लिमिटेड, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड) के वित्तीय विवरणों का ऑडिट नहीं किया,



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

जिनके उस तारीख को समाप्त विगत वर्ष के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में कर के बाद ₹ 13,935.74 लाख शुद्ध लाभ को दर्शाते हैं और ₹ 13,935.74 लाख की कुल व्यापक आयए जैसा कि समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में माना गया है। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं का लेखा परीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की गई है और समेकित इंड एस वित्तीय विवरण पर हमारी राय जहाँ तक यह इन संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है केवल अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

- ग) समेकित इंड एस वित्तीय विवरण में ₹ 25.77 लाख के कर के बाद शुद्ध लाभ और उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 25.77 लाख की कुल व्यापक आय शामिल है, एक संयुक्त उद्यम के संबंध में जिसका वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी का ऑडिट नहीं किया गया है। ये अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी प्रबंधन द्वारा प्रमाणित की गई हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत की गई हैं।

हमारी राय, जहाँ तक यह संयुक्त उद्यम के संबंध में शामिल राशियों और खुलासे से संबंधित है और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट जहाँ तक यह पूर्वोक्त से संबंधित है, पूरी तरह से इस पर आधारित है अलेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और अन्य अलेखापरीक्षित वित्तीय जानकारी। हमारी राय में और प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ये वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं हैं।

घ) हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड में

मूल कंपनी से वसूली योग्य संबंधित पार्टी प्रकटीकरण राशि के लिए नोट 16 और वित्तीय विवरणों के 24 (1) नोट देखें – "अन्य प्रकटीकरण" "भूमि के परिवर्तन, वनीकरण और अन्य उद्देश्यों के लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग, काजा, मांग नोट संख्या। 630, दिनांक 29 अगस्त, 2018 को ₹ 50.32 लाख का भुगतान मांगा गया, जिसमें ₹ 39.10 लाख का भुगतान गैर-वानिकी उद्देश्य के लिए भूमि के उपयोग के लिए, ₹ 9.15 लाख प्रतिपूरक वनीकरण के लिए और ₹ 2.06 लाख विभागीय और आकस्मिक शुल्क के रूप में वर्णित है। डिमांड नोट। चूंकि वन विभाग के साथ निगमन से पहले भी सभी मंजूरी एचपीएसईबी के माध्यम से थी, उक्त राशि का भुगतान हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड द्वारा 24 मई 2019 को आयोजित बोर्ड की 11वीं बैठक में अनुमोदन के साथ किया गया था। एचपीएसईबीएल का नाम। कंपनी ने ₹ 11.22 लाख "विकास के तहत भूमि" और रुपये के रूप में मूल कंपनी को पूंजीगत अग्रिम के रूप में ₹ 39.10 लाख जो सीधे वन विभाग को भुगतान किया जाता है और एचपीएसईबीएल से प्राप्त प्रमाण पत्र दिनांक 25.06.2021 के अनुसार एचपीएसईबीएल की पुस्तकों में इसका हिसाब नहीं दिया गया है।

इसके अलावा वर्ष के दौरान हाईटेशन विद्युत लाइल बिल को शिफ्ट करने के लिए एचपीएसईबी, काजा को ₹ 32.28 लाख का भुगतान किया गया है। संविदा के काम के लिए एचपीएसईबी, काजा द्वारा ₹ 23.49 लाख का बिल भेजा गया है, वित्तीय विवरण में पूंजीगत कार्य प्रगति (नोट सं. 3) में जमा किया गया है और बकाया विगत वर्ष की राशि ₹ 8.79 लाख गैर-वर्तमान संपत्तियों (नोट सं. 4) में दर्शित है को 04.04.2022 का वापिस कर दिया गया है।

उपरोक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों पर हमारी राय और नीचे अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए कार्य पर हमारी निर्भरता और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और वित्तीय विवरणों प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय जानकारी के संबंध में उपरोक्त मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।





अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143(5) की आवश्यकता है, कंपनी के खातों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर जैसा कि हमने उचित समझा और संयुक्त उद्यमों के अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर एक विवरण **अनुबंध 'क'** में देते हैं।
2. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा आवश्यक है, हमारे ऑडिट के आधार पर और अलग-अलग वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और संयुक्त उद्यमों की अन्य वित्तीय जानकारी के आधार पर, जैसा कि अन्य मामलों के पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, जहां तक लागू हो, हम रिपोर्ट करते हैं कि
 - (क) हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के लिए पूर्वोक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - (ख) हमारी राय में, उपरोक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कानून द्वारा आवश्यक खाते की उचित पुस्तकों को कंपनी द्वारा रखा गया है, जहां तक यह उन पुस्तकों की हमारी परीक्षा और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट से प्रकट होता है,
 - (ग) समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और इस रिपोर्ट द्वारा निपटाए गए नकदी प्रवाह के समेकित विवरण समेकित इंड एस वित्तीय विवरण तैयार करने का उद्देश्य के लिए बनाए गए खाते की पुस्तकों के अनुरूप हैं।
 - (घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित इंड एस वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - (ङ.) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 जून 2015 जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) को कंपनी के अनुसार, अधिनियम की उप धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।
 - (च) समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, **"अनुलग्नक ख"** में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।
 - (छ) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार, अधिनियम की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होती है। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197(16) के प्रावधानों की आवश्यकता के अनुसार रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं होती है।
 - i) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) यथासंशोधित नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - i. कंपनी ने अपने समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है – कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के लिए नोट 49.2 देखें।



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

- ii. डेरिवेटिव अनुबंधों सहित दीर्घावधि अनुबंधों पर कंपनी और इसके संयुक्त उद्यम को कोई भौतिक अनुमानित नुकसान नहीं हुआ।
- iii. ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी और इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- iv. (क) कंपनी के प्रबंधन ने हमें जानकारी दी है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, जैसा कि खातों के नोट्स में प्रकट किया गया, कंपनी या उसकी संयुक्त उद्यम कंपनियों में से किसी भी कंपनी द्वारा कोई भी निधि (न तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त या किसी भी प्रकार की निधि) लिखित रूप में या अन्य तरीके से यह मानकर, विदेशी इकाई ("मध्यस्थ") सहित या किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अग्रिम या ऋण के रूप में नहीं दी गई है या वहाँ निवेश की गई है, कि मध्यस्थ, कंपनी या ऐसी किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनी ("अंतिम लाभार्थी") के द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से चिन्हित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी देगा, प्रतिभूति देगा या ऐसा की कुछ प्रदान करेगा।
- (ख) कंपनी के प्रबंधन ने हमें जानकारी दी है कि, उनके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, खातों के नोटों में प्रकट किए गए अनुसार, कंपनी या इसकी किसी भी संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्था से प्राप्त नहीं किया गया है, जिसमें शामिल हैं विदेशी इकाई ("फंडिंग पार्टियां"), इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में या अन्यथा, कंपनी या इसकी कोई संयुक्त उद्यम कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार या निवेश करेगी, या फंडिंग पार्टी ("अंतिम लाभार्थी") की ओर से या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें।
- (ग) लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें हमारे द्वारा निष्पादित परिस्थितियों में उचित और उचित माना गया है, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है या अन्य लेखा परीक्षकों ने हमें विश्वास दिलाया है कि उप-खंड (i) और (ii) के तहत अभ्यावेदन ऊपर (क) और (ख) के तहत प्रदान किए गए नियम 11 (ई) के अनुसार, किसी भी तरह की सामग्री गलत है।
- v) पिछले वर्ष के लिए अंतिम लाभांश प्रस्तावित किया गया था, हालांकि, लाभांश छूट प्राप्त हुई थी। इसलिए, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई लाभांश भुगतान नहीं किया गया (नोट संख्या 19 इ देखें), हालांकि, इसके संयुक्त उद्यमों के वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, संयुक्त उद्यम अधिनियम की धारा 123 के अनुपालन में हैं।
- vi) अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जिसमें ऑडिट ट्रेल (लॉग संपादित रिकॉर्ड करने की सुविधा है का उपयोग करके खाते की बही बनाए रखने के लिए कंपनी में कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3 (1) का प्रावधान, 1 अप्रैल 2023 से लागू है और तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 (छ) के तहत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए रिपोर्टिंग लागू नहीं है।





"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी / सहायक / एसोसिएट / संयुक्त उद्यम	खंड सं-सीएआरओ रिपोर्ट की जो योग्य या प्रतिकूल है
1	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	U40300AP2014PTC109375	संयुक्त उद्यम	पैरा 3 खंड I(iii) पैरा 3 क्लॉज VII (ii)
2	हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड	U40106HP2016PLC006347	संयुक्त उद्यम	पैरा 3 क्लॉज I (क)
3	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	U40102MP2015PLC034450	संयुक्त उद्यम	पैरा 3 क्लॉज I (क)(क) पैरा 3 क्लॉज I (ख)

कंपनी अधिनियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट, इन कंपनियों की ऑडिट रिपोर्ट (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश 2020 हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट की तारीख तक जारी नहीं की गई है

क्र. सं.	नाम	सीआईएन	होल्डिंग कंपनी / सहायक / एसोसिएट / संयुक्त उद्यम
1	लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	U40300UP2015PLC072134	संयुक्त उद्यम

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMSP9359

हस्ता./-
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वार्षिक खातों का ऑडिट किया है (CIN: U40106DL2011GO1225263) 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के सीएजी द्वारा जारी निर्देशों/उप निर्देशों के अनुसार और प्रमाणित करते हैं कि हमने सभी निर्देशों और उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMS07148

हस्ता./-
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के लिए अनुलग्नक "क"

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों पर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सदस्यों को समसंख्यक दिनांक की हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" खंड के तहत पैरा 1 में संदर्भित।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी संशोधित निर्देशों पर रिपोर्ट।

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का जवाब	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभावों के साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखा लेनदेन को संसाधित करने के लिए एक प्रणाली है। एसएपी एवं ईआरपी को पेरोल/मानव संसाधन प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, अनुबंध और खरीद के लिए लागू किया गया है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का उपयोग लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए किया गया है। की गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, खातों की सत्यनिष्ठा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि सभी लेखांकन लेनदेन आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किए जा रहे हैं।	शून्य
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए उधार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बढ़े खाते में डालने के मामले में मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है? यदि हां, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब लगाया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण चुकाने में कंपनी की असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन या उधार/ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बढ़े खाते में डालने का कोई मामला नहीं है।	शून्य



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर - 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

क्र. सं.	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश	निर्देशों पर की गई कार्रवाई पर लेखा परीक्षकों का जवाब	वित्तीय विवरण पर प्रभाव
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) की नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	हाँ, केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली निधियों (अनुदान/सब्सिडी आदि) का संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था। विचलन के कोई मामले नहीं हैं।	शून्य

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMSP9359

हस्ता./-
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुबंध “ख”

समसंख्यक तारीख की हमारी रिपोर्ट के शीर्ष “अन्य कानूनी और नियामक अपेक्षाओं” के तहत पैराग्राफ 2(छ) में
संदर्भित का अनुबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों
के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के
संयोजन में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (‘कंपनी’) के समेकित
इंड एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान “आईसीआई” द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के ऊपर आन्तरिक वित्तीय
नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आन्तरिक नियंत्रणों के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए,
कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंडों के सम्बंध में आन्तरिक नियंत्रणों के आधार पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के
संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उसे बना, रखने के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों
में, कंपनी की नीतियों का अनुपालन, उसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, कपट और त्रुटियों का निवारण एवं उनकी पहचान
करना, लेखाकरण रिकार्डों की परिशुद्धता एवं पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित विश्वसनीय
वित्तीय सूचना की समय पर तैयारी सहित उसके कार्यकलापों के व्यवस्थित और दक्षतापूर्वक संचालन सुनिश्चित करने
के लिए प्रभावशाली रूप से कार्यशील पर्याप्त आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा बनाना, उनका कार्यान्वयन करना,
और उन्हें बना, रखना शामिल है जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अपेक्षित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के आन्तरिक वित्तीय
नियंत्रणों पर राय व्यक्त करना है। आईसीआई द्वारा लेखांकन पर जारी मानकों और आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों
(“मार्गदर्शक नोट”) की लेखापरीक्षा पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विहित उचित समझे गए
आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के यथा सीमा तक लागू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया
के द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार, हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन किया है। इन मानकों और मार्गदर्शक नोट
में यह अपेक्षा की गई है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन कर इस प्रकार लेखापरीक्षा करें ताकि हम इस बात का
तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त कर सकें कि क्या कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के
संदर्भ में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और कायम, थे और क्या उक्त वित्तीय नियंत्रण समस्त सारवान् पहलुओं
के बारे में प्रभावकारी साबित हुए थे। हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ
में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा
साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादक प्रक्रिया, शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ
में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ
में आन्तरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, ऐसे जोखिम का आकलन जिससे कोई सारवान् दुष्प्रभाव उत्पन्न



एस आर गोयल एण्ड कम्पनी

चार्टर्ड अकाउंटेंट

“एसआरजी हाउस” प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

होता हो, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा तैयार कर प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता कापरीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के विवेक/निर्णय पर आधारित हैं, जिसमें कपट अथवा गलती के कारण वित्तीय विवरणों में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों की सारवान् गलत बयानी के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के बारे में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसे सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाह्य प्रयोजनों के लिए स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के बारे में युक्तियुक्त आश्वासन प्रदान करने के लिए तैयार किया जाता है। किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ऐसी नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, जो (1) रिकार्डों के अनुरक्षण से संबंधित हों और तर्कसंगत ब्यौरे के साथ कंपनी के लेनदेनों और परिसंपत्तियों के विन्यासको शुद्धता और न्यायपूर्णता के साथ प्रतिबिम्बित करती हों, (2) युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हों कि सामान्यतः स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों को तैयार करने की अनुमति संबंधी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया गया है, और यह कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों के प्राधिकारों के अनुसार ही किए जा रहे हैं, और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण का पता लगाने, उसके निवारण, इस्तेमाल, अथवा निपटान के बारे में, जो स्टैंडअलोन इंड एस वित्तीय विवरणों पर सारवान् प्रभाव डाल सकते हैं, के बारे में युक्तिसंगत आश्वासन देना शामिल है।

समेकित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

प्रबंधकीय सांठ-गांठ या वित्तीय नियंत्रणों का अनुचित रूप से पालन नहीं किए जाने की संभावना सहित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, त्रुटि या कपट के कारण ऐसी सारवान् गलत बयानी हो सकती है, जो पकड़ी ना जा सके। इसके अलावा, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर मौजूद आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, स्थितियों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त भी हो सकते हैं अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं का अनुपालन प्रभावित हो सकता है।

राय

हमारी राय में, हमारी सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर जारी मार्गदर्शक नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर कंपनी में, सभी सारवान् पहलुओं के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग पर में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2023 की समाप्ति पर प्रभावशाली तरीके से कार्यरत थे।





"एसआरजी हाउस" प्लॉट नंबर 2, एम.आई.रोड,
गणपति प्लाजा के सामने, जयपुर – 302 001
फ़ोन : 0141-4041300, 4041301, 2362363, 2362365
ई-मेल: info@srgoyal.com * ajay@srgoyal.com *
वेबसाइट: www.srgoyal.com

अन्य मामले

कंपनी के इन समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर इसके संयुक्त उद्यमों, जो भारत में निगमित कंपनियां हैं, से संबंधित अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत हमारी रिपोर्ट, भारत में निगमित ऐसी कंपनियों के लेखा परीक्षकों की संगत रिपोर्ट पर आधारित है।

इसके एक संयुक्त उद्यम के लिए, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट हमारी ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक जारी नहीं की गई है, हम उसके लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के अस्तित्व पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं और क्या 31 मार्च, 2023 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते एस.आर. गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन: 001537C

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10 अगस्त, 2023
यूडीआईएन: 23077201BGXMSP9359

हस्ता./—
ए.के. अटोलिया
(भागीदार)
सदस्यता सं. : 077201





31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ख) के अधीन भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन विहित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार, 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक, कंपनी अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विहित लेखाकरण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम की धारा 143 के अधीन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है/हैं। अपनी दिनांक 10.08.2023 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने बताया है कि उनके द्वारा ऐसा ही किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की संपूरक लेखा परीक्षा कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(क) के अधीन की है।

इस संपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कामकाजी कागज देखे बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षक एवं कंपनी कार्मिकों तथा कुछ लेखा करण अभिलेखों की चयनित जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरे संज्ञान में कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं आया है जो कंपनी अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अधीन सांविधिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या संपूरक टिप्पणी की जा सके।

भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से,

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7/09/23

(साई अहलादिनी पंडा)
प्रधान लेखा परीक्षक
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)



31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के तहत भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक/लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह उनके द्वारा 10.08.2023 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरण की अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत एक पूरक लेखा परीक्षा की है। हमने उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन), कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, आंध्र प्रदेश सोलर पावर कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड एवं रीवा अल्ट्रामेगा सोलर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा की है लेकिन हमने हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड, लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की पूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। वैधानिक लेखा परीक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना इस पूरक लेखा परीक्षा को स्वतंत्र रूप से किया गया है और मुख्य रूप से वैधानिक लेखा परीक्षकों और कंपनी कर्मियों की जांच के लिए और कुछ लेखांकन रिकॉर्डों के एक चयनात्मक परीक्षण के लिए सीमित है।

मेरे पूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कुछ भी ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है जो मेरी जानकारी में आया है जो अधिनियम की धारा 143 (6)(ख) के अधीन वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या पूरक टिप्पणी देनी हो।

भारत के नियंत्रक और लेखा परीक्षक के लिए
और उनकी ओर से,



स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 7/09/23

(साई अहलादिनी पंडा)
प्रधान लेखा परीक्षक
(पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग)





निगमित अभिशासन पर रिपोर्ट

कंपनी, जेएनएनएसएम के अधीन निर्धारित सतत एवं दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विवेक, खुलेपन, न्यायपूर्ण, व्यावसायिक और उत्तरदायित्व पर आधारित श्रेष्ठ निगमित अभिशासन पद्धतियां लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

1. निगमित अभिशासन की संहिता पर कम्पनी का दृष्टिकोण

कम्पनी श्रेष्ठ निगमित अभिशासन में दृढ़ विश्वास रखती है तथा उसके अनुसार आचरण करती है। कम्पनी की नीतियों की झलक पारदर्शिता, व्यावसायिकता तथा उत्तरदायित्व के मूल्यों से परिलक्षित होती है। कम्पनी इन पहलुओं की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयासरत है, जिससे वह अपने कर्मचारियों, ग्राहकों, हितधारकों तथा समस्त समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्यों का सृजन करती है।

नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सेकी प्रतिस्पर्धी, ग्राहक-हितों के लिए अनुकूल और विकास प्रेरक संगठन बनने के लिए वचनबद्ध है।

2. निदेशक-मंडल

सेकी का निदेशक मंडल नेतृत्व प्रदान करने, नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने, प्रबंधन के स्वतंत्र विषयगत निर्णय लेने और कम्पनी पर नियंत्रण रखने के साथ-साथ शेयरधारकों के प्रति उत्तरदायी रहता है।

2.1 निदेशक मंडल का गठन

सेकी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशकों, जिनमें प्रबंध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं और गैर-कार्यकारी निदेशकों, जिनमें सरकार के नामित और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान (इस रिपोर्ट की तारीख तक) निदेशक मंडल का गठन निम्नानुसार है:

2.1.1 पूर्णकालिक कार्यकारी (कार्यात्मक) निदेशक

1. श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.6.2023 से)
2. श्री अजय यादव, प्रबंध निदेशक (31.05.2023 से 15.06.2023 तक)
3. श्रीमती सुमन शर्मा, प्रबंध निदेशक (19.05.2023 तक)
4. श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त) (31.05.2023 तक)
5. श्री शैलेश कुमार मिश्रा, निदेशक (विद्युत प्रणाली) (04.02.2023 तक)
6. श्री संजय शर्मा, निदेशक (सौर)

2.1.2 अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकारी नामिति)

1. श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, अध्यक्ष, (01.11.2022 से 15.06.2023 तक)
2. श्री इंदू शेखर चतुर्वेदी, अध्यक्ष (31.10.2022 तक)
3. श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, सरकार नामिति (27.02.2023 तक)
4. श्री पदम लाल नेगी, सरकार नामिति (27.02.2023 से)

2.1.3 अंशकालिक गैर-सरकारी स्वतंत्र निदेशक

1. श्रीमती रश्मि सिंह (07.05.2023 तक)
2. श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले (28.04.2022 से)





स्वतंत्र निदेशक ने एक घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149(6) के तहत उल्लेखित स्वतंत्र निदेशकों हेतु आवश्यक मानदंडों को पूरा करते हैं और कंपनी अधिनियम 2013 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं। बोर्ड की राय में, स्वतंत्र निदेशक अधिनियम में निर्दिष्ट शर्तों और इसके तहत बनाए गए नियमों को पूरा करते हैं और निदेशक प्रबंधन से स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र निदेशक को कंपनी के संचालन और कामकाज से उचित रूप से परिचित कराया गया था। स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी अधिनियम, 2013 और निर्धारित डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

2.2 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित की गई बोर्ड की बैठकों का ब्योरा

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड की 6 बैठकें आयोजित की गईं जिनका ब्योरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	बोर्ड बैठको की संख्या	बोर्ड बैठकों की तारीख
1.	75वीं बोर्ड बैठक	28.04.2022
2.	76वीं बोर्ड बैठक	28.07.2022
3.	77वीं बोर्ड बैठक	28.09.2022
4.	78वीं बोर्ड बैठक	07.12.2022
5.	79वीं बोर्ड बैठक	09.12.2022
6.	80वीं बोर्ड बैठक	29.03.2023

निदेशक मंडल के पास निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों में निर्धारित सूचना सहित सभी संगत सूचनाएं कंपनी में उपलब्ध हैं।

2.3 बोर्ड बैठकों और वार्षिक आम सभा में निदेशकों और अन्य कंपनियों में अन्य निदेशकों/समिति सदस्यों/अध्यक्षों की उपस्थिति का रिकार्ड

वर्ष 2022-23 (31 मार्च 2023 तक) के दौरान आयोजित बोर्ड बैठकों और 28 सितंबर, 2022 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति और अन्य कंपनियों में अन्य निदेशकों/समिति सदस्यों/अध्यक्षों की उपस्थिति निम्नानुसार है :-

निदेशक का नाम एवं पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में निदेशक का ब्योरा	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली एजीएम में उपस्थिति (28.09.2022)
	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष	
श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (15.6.2023 से)	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री भूपिंदर सिंह भल्ला, अध्यक्ष, (01.11.2022 से 15.06.2023 तक)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री इंदू शेखर चतुर्वेदी, अध्यक्ष (31.10.2022 तक)	3	3	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री अजय यादव, प्रबंध निदेशक (31.05.2023 से 15.06.2023 तक)	0	0	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं



निदेशक का नाम एवं पदनाम	बोर्ड बैठकों की संख्या		अन्य कंपनियों में निदेशक का ब्यौरा	अन्य कंपनियों की समितियों में सदस्यता		पिछली एजीएम में उपस्थिति (28.09.2022)
	निदेशक के कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थिति		सदस्य	अध्यक्ष	
श्रीमती सुमन शर्मा, प्रबन्ध निदेशक (19.05.2023 तक)	6	6	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री पदम लाल नेगी, सरकार नामिती निदेशक (27.02.2023 से)	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	लागू नहीं
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन, सरकार नामिती निदेशक (27.02.2023 तक)	5	2	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री सी. कन्नन, निदेशक (वित्त) (31.05.2023 तक)	6	6	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री शैलेश कुमार मिश्रा, निदेशक (विद्युत प्रणाली) (05.02.2023 तक)	5	5	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री संजय शर्मा, निदेशक (सौर)	6	6	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्रीमती रश्मि सिंह (07.05.2023 तक)	6	6	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित
श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	6	4	शून्य	शून्य	शून्य	उपस्थित

3. लेखापरीक्षा समिति

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के बोर्ड की विधिवत् गठित एक लेखापरीक्षा समिति है। लेखापरीक्षा की वर्तमान संरचना इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.07.2022 से 28.06.2023 तक)
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)
3.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)
4.	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	सदस्य (20.01.2023 तक)
5.	श्री सी. कन्नन	सदस्य (28.07.2022 तक)
6.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (20.01.2023 से)

लेखापरीक्षा समिति के कार्यवृत्त को बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया।





3.1 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित लेखा परीक्षा समिति बैठकों का ब्यौरा

वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गई थीं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की संख्या	लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की तारीख
1.	33वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	30.05.2022
2.	34वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	21.07.2022
3.	35वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	22.09.2022
4.	36वीं लेखापरीक्षा समिति बैठक	20.01.2023

3.2 लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों द्वारा बैठकों में भाग लेने सम्बंधी ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में भाग लेने वालों की संख्या
1.	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.07.2022 से 28.06.2023 तक)	2	2
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)	4	4
3.	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	सदस्य (20.01.2023 तक)	3	3
4.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)	0	0
5.	श्री सी. कन्नन	सदस्य (28.07.2022 तक)	4	दो सदस्यों के रूप में एवं दो विशेष आमंत्रितों के रूप में
6.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (20.01.2023 से)	1	1

4. सेकी की समितियों का विवरण

4.1.1 सीएसआर समिति

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास बोर्ड की विधिवत गठित सीएसआर समिति है। सीएसआर समिति का वर्तमान गठन इस प्रकार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2023 से)
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)
3.	श्री सी. कन्नन	सदस्य (31.05.2023 तक)
4.	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	सदस्य (28.06.2023 से)
5.	श्री शैलेश कुमार मिश्रा, निदेशक	सदस्य (04.02.2023 तक)
6.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (22.02.2023 से)





4.1.2 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठक का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, सीएसआर समिति की दो बैठकें आयोजित की गईं जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	सीएसआर समिति की बैठकों की तारीख
1.	सीएसआर समिति की 8वीं बैठक	03.11.2022
2.	सीएसआर समिति की 9वीं बैठक	09.03.2023

4.1.3 सीएसआर समिति की बैठकों में सीएसआर समिति के सदस्यों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता	अध्यक्ष (28.06.2023 से)	0	0
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)	2	2
3.	श्री सी. कन्नन	सदस्य (31.05.2023 तक)	2	2
4.	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	सदस्य (28.06.2023 से)	0	0
5.	श्री शैलेश कुमार मिश्रा	सदस्य (04.02.2023 तक)	1	1
6.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (22.02.2023 से)	1	1

4.1.4 वर्ष के दौरान व्यय की गई सीएसआर निधि का ब्यौरा

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

सेकी की सीएसआर नीति का फोकस समाज के कमजोर, बहुत पिछड़े, हाशिए पर रहे वर्ग के उत्थान के उद्देश्य से, राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों जैसे, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास आदि पर होता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान सेकी ने सीएसआर गतिविधियों में ₹ 477.35 लाख की राशि खर्च की। कंपनी ने राशि सीएसआर के लिए चिन्हित की गई गतिविधियों पर खर्च की। वर्ष के दौरान व्यय की गई सी एस आर निधि का विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधि

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना (या) चिन्हित गतिविधि	सेक्टर व्यय (सीएसआर परियोजना कार्य का क्षेत्र)	वास्तविक (₹) लाखों में
1.	लेह/एलएएचडीसी में 27 सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संचालित डिजिलैब के लिए सहयोग	शिक्षा	88.597
2.	लेह/एलएएचडीसी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए प्रबलित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए गोल्डन माइल शिक्षण को सहयोग	शिक्षा	32.153
3.	हुब्बाली कर्नाटक में आवासीय लामा शिविर के उन्नयन और नवीकरण के लिए में श्री ग्रामीण विकास को सहयोग	शिक्षा	49.695
4.	लेह/एलएएचडीसी के सरकारी संस्थानों और अन्य संस्थानों/ एजेंसियों को सौर वॉटर हीटर प्रदान करने के लिए एलआरईडीए को सहयोग	पर्यावरणीय स्थिरता	25.080





क्र. सं.	सीएसआर परियोजना (या) चिह्नित गतिविधि	सेक्टर व्यय (सीएसआर परियोजना कार्य का क्षेत्र)	वास्तविक (₹) लाखों में
5.	पोषण और बुनियादी ढांचा सहयोग के लिए रामकृष्ण मिशन, ग्वालियर को सहयोग	पोषण और पर्यावरण स्थिरता	32.979
6.	अमेठी में सोलर स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉलेशन के लिए धर्मेश सेवा संस्कार को सहयोग	पर्यावरणीय स्थिरता	35.500
7.	दिल्ली में विभिन्न सरकारी संस्थानों में सेनेटरी नैपकिन के साथ सैनिटरी नैपकिन इनसिनरेटर, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना के लिए एचएलएल लाइफ केयर को सहयोग	स्वास्थ्य देखभाल	33.658
8.	झारखंड में गुमला जिले (एक आकांक्षात्मक जिला) में स्थायी सिंचाई प्रणाली और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई के लिए आई एस डी जी अनुसंधान फाउंडेशन को सहयोग	पर्यावरणीय स्थिरता	76.900
9.	महाराष्ट्र के नासिक जिले के सुरगाना ब्लॉक में स्थायी सिंचाई प्रणाली और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई के लिए सेवावरधिनी न्यास को सहयोग	पर्यावरणीय स्थिरता	27.483
10.	परम सेंटर की स्थापना के लिए जनसेवा न्यास को सहयोग	शिक्षा	70.830
11.	पीएम सुरक्षा निधि में योगदान	पी एम सुरक्षा निधि	4.475
	जोड़		477.35

सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर रिपोर्ट के अनुबंध 1 में दी गई है

4.2.1 पारिश्रमिक समिति

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास बोर्ड की विधिवत गठित पारिश्रमिक समिति है। पारिश्रमिक समिति का गठन निम्नानुसार है:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	निदेशक का नाम पदनाम
1.	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.07.2022 से 28.06.2023 तक)
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)
3.	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	सदस्य (27.02.2023 तक)
4.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)
5.	श्री सी. कन्नन	सदस्य (28.07.2022 तक)
6.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (28.06.2023 से)

4.2.2 पारिश्रमिक समिति की बैठकों का विवरण

वर्ष 2022-23 के दौरान, पारिश्रमिक समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	पारिश्रमिक समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
1	पारिश्रमिक समिति की 7वीं बैठक	30.08.2022





4.2.3 पारिश्रमिक समिति के सदस्यों द्वारा जिन बैठकों में भाग लिया उनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि के दौरान सम्पन्न बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थिति रही
1.	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	अध्यक्ष (28.06.2023 से) सदस्य (28.07.2022 से 28.06.2023 तक)	1	1
2.	श्रीमती रश्मि सिंह	अध्यक्ष (07.05.2023 तक)	1	1
3.	श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन	सदस्य (27.02.2023 तक)	1	1
4.	श्री पदम लाल नेगी	सदस्य (28.06.2023 से)	0	0
5.	श्री सी. कन्नन	सदस्य (28.07.2022 तक)	0	0
6.	श्री संजय शर्मा	सदस्य (28.06.2023 से)	0	0

4.3.1 पारिश्रमिक नीति

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक सीपीएसई है, जिसमें बोर्ड के सभी सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के माध्यम से की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ अपने सम्बंधित नियुक्ति आदेशों के माध्यम से पूर्णकालिक निदेशकों का पारिश्रमिक भी तय करता है। कंपनी के अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है।

स्वतंत्र निदेशक सहित सभी बोर्ड सदस्यों के निष्पादन का मूल्यांकन प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

4.4.1 परियोजना समिति

सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 21 फरवरी 2017 को बोर्ड की एक परियोजना समिति का गठन किया है। परियोजना समिति का वर्तमान गठन निम्नानुसार है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (28.06.2023 से)	अध्यक्ष
2.	निदेशक (सौर)	सदस्य
3.	महाप्रबंधक (वित्त) (28.06.2023 से)	सदस्य

4.4.2 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान आयोजित परियोजना समिति की बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष 2022-23 के दौरान, परियोजना समिति की सात बैठकें आयोजित की गई थी जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
1.	परियोजना समिति की 26वीं बैठक	22.04.2022
2.	परियोजना समिति की 27वीं बैठक	30.05.2022
3.	परियोजना समिति की 28वीं बैठक	22.06.2022





क्र. सं.	परियोजना समिति की बैठकों की संख्या	बैठक की तारीख
4.	परियोजना समिति की 29वीं बैठक	23.08.2022
5.	परियोजना समिति की 30वीं बैठक	27.10.2022
6.	परियोजना समिति की 31वीं बैठक	23.12.2022
7.	परियोजना समिति की 32वीं बैठक	13.02.2023

4.4.3 परियोजना समिति के सदस्यों द्वारा जिस बैठक में भाग लिया उसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	अवधि के दौरान आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिनमें भाग लिया
1.	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, (28.06.2023 से)	अध्यक्ष	0	0
2.	प्रबंध निदेशक श्रीमति सुमन शर्मा (19.05.23 तक)	अध्यक्ष	7	7
3.	निदेशक (वित्त) सी.कन्नन (31.05.2023 तक)	सदस्य	7	7
4.	निदेशक (पीएस) श्री शैलेश कुमार मिश्रा (04.02.2023 तक)	सदस्य	6	6
5.	निदेशक (सौर) श्री संजय शर्मा (22.04.022 से)	सदस्य	7	7
6.	महाप्रबंधक (वित्त) श्री शैलेश कुमार गुप्ता (28.06.2023 से)	सदस्य	0	0

5. आम सभा की बैठकें

सेकी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकों का विवरण अर्थात् तारीख, समय और स्थान निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	एजीएम	दिनांक	समय	स्थिति
2019 - 20	9 th	31.12.2020	1615 बजे	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. डी-3 5वां तल, विंग-बी, प्रियस प्लेटिनम, जिला केंद्र, साकेत नई दिल्ली-110017
2020 - 21	10 th	30.09.2021	1145 बजे	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. प्रथम तल, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर-4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
2021 - 22	11 th	28.09.2022	1130 बजे	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. प्रथम तल, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर-4, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023



6. प्रकटीकरण :

(i) संबंधित पक्ष के साथ संव्यवहार

इंड (एएस) द्वारा यथापेक्षित संबंधित पक्षों के साथ किये गए संव्यवहार का प्रकटीकरण का वर्णन कम्पनी के वित्तीय विवरण के लेखाओं की टिप्पणियों में दिया गया है।

(ii) निदेशकों का पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान गैर-कार्यकारी निदेशकों (उनकी सेवा अवधि में) का कम्पनी के साथ कोई वित्तीय संबंध या व्यवहार नहीं हुआ। भारत के राष्ट्रपति के नामित के रूप में एक शेयर को छोड़कर किसी भी गैर-कार्यकारी निदेशक के पास कम्पनी के कोई शेयर/परिवर्तनीय लेखपत्र नहीं हैं।

निदेशकों को दिए गए पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है।

निदेशकों का पारिश्रमिक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को भुगतान किए गए पारिश्रमिक का विवरण
क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डिप्युटीडी/प्रबंधक का नाम				
	नाम	सुमन शर्मा	सी. कन्नन	शैलेश कुमार मिश्रा	मनोज माथुर	संजय शर्मा
	पदनाम	प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त)	निदेशक (वि.व्य.)	निदेशक सौर	निदेशक सौर
1	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	35,96,928	91,43,118	82,62,843	25,53,390	62,99,266
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	1,34,678	59,931	1,69,168	-	23,213
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में अनुलाभ					
2	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-	-	-
3	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-
4	कमीशन	-	-	-	-	-
	— लाभ के % के रूप में	-	-	-	-	-
	— अन्य निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल (क)	37,31,606	92,03,049	84,32,011	25,53,390	63,22,479
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा					

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि (₹)
1	स्वतंत्र निदेशक	श्रीमती रश्मि सिंह	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित रहने की शुल्क	बोर्ड और समिति की 13 बैठकों में उपस्थित रही	2,60,000.00
	कमीशन		-
	अन्य, स्पष्ट करें		-
	कुल (1)		





क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशक का नाम	कुल राशि (₹)
2	स्वतंत्र निदेशक	श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले	
	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित रहने की शुल्क	बोर्ड और समिति की 8 बैठकों में उपस्थित रहे	1,60,000.00
	कमीशन		-
	अन्य, स्पष्ट करें		-
	कुल (1+2)		4,20,000.00
3	अन्य गैर कार्यपालक निदेशक		-
	बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित रहने की शुल्क		-
	कमीशन		-
	अन्य, स्पष्ट करें		-
	कुल 2		-
	कुल (ख) = (1+2)		
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक		
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा		

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों से इतर प्रमुख प्रबंधीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का नाम	कुल राशि (₹)
	नाम	सुनील कुमार मेहलावत	
	पदनाम	कंपनी सचिव	
1	सकल वेतन		
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	27,93,188.00	27,93,188.00
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	36,837.00	36,837.00
	ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत वेतन के बदले में अनुलाभ		
2	स्टॉक ऑप्शन		
3	स्वेट इक्विटी		
	कमीशन		
4	— लाभ के % के रूप में		
	— अन्य निर्दिष्ट करें		
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें		
	कुल	28,30,025.00	28,30,025.00

(iii) कम्पनी पर अनुपालन न करने के लिए लगाए गए दंड और निन्दा

कम्पनी द्वारा अनुपालन न किये जाने पर किसी वैधानिक/नियामक प्राधिकरण द्वारा कम्पनी पर दंड लगाने और निन्दा किये जाने या किन्हीं अन्य प्रकार के कोई मामले घटित नहीं हुए।





(iv) लेखांकन पद्धति

कम्पनी ने वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में वर्णित लेखा मानकों का अनुपालन किया है। कम्पनी ने जिन महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों को निरंतर अपनाया है, उनका विवरण, लेखाओं की टिप्पणियों के अनुबंध में दिया गया है।

(v) निगमित अभिशासन के संबंध में डीपीई के दिशानिर्देशों की अपेक्षाओं के अनुपालन का विवरण

सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन के अनुपालन पर डीपीई के दिशा-निर्देशों की सभी आवश्यक अपेक्षाओं का कम्पनी; निगम के अधिकार क्षेत्र के तहत) ने विधिवत पालन किया है।

(vi) आचार संहिता का अनुपालन

विधिवत् स्वीकृत आचार संहिता बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों को जारी किए गए हैं और इसके अनुपालन की अभिपुष्टि उनसे प्राप्त हुई है।

(vii) जोखिम प्रबंधन

सेकी में एक विधिवत स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति लागू है जो सेकी में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन के लिए प्रक्रिया निर्धारित करती है। यह एक सक्षम तंत्र है जो कि संभावित जोखिमों के बारे में अग्रिम जानकारी देकर, जोखिम का आकलन करने के लिए एक व्यवस्थित तरीका प्रदान करते हुए, ऐसे जोखिमों के नकारात्मक प्रभावको कम करने के लिए निवारक/न्यूनीकरण उपायों का सुझाव देकर प्रभावी निर्णय लेने और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित चलाने में प्रबंधन की सहायता करता है।

(viii) लागू कानूनों का अनुपालन

सेकी के निदेशक मंडल ने लागू कानूनों और डीपीई दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर ध्यान दिया है, संबंधित विभागों से प्राप्त करने के बाद निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

(ix) लागू सचिवालयी मानकों का अनुपालन

कंपनी लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन करती है।

(x) सेकी की वार्षिक विवरणी सेकी के वेब पोर्टल के निम्नलिखित यूआरएल पर दी गई है :-

<https://www.seci.co.in/financial/annual-return>

7. मंडल-सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

यह आवश्यकता के आधार पर है।





वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर रिपोर्ट

सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप

अप्रैल, 2022 के 1 तारीख से

शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा

1. कंपनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एसईसीआई की सीएसआर नीति सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने का प्रावधान करती है जो गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचती है। आपकी कंपनी द्वारा शुरू की गई सीएसआर परियोजनाओं में कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और उसके तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट गतिविधियां शामिल हैं, जो बड़े पैमाने पर समुदाय के लाभ के लिए शुरू की गई हैं। वर्ष 2022-23 के दौरान, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप, सीएसआर गतिविधियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पोषण को विषय के रूप में अपनाया गया था। हमारी सीएसआर गतिविधियाँ देश भर में विभिन्न स्थानों पर फैली हुई हैं।

2. सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पद का पदनाम/प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या में भाग लिया गया
1.	श्रीमती रश्मी सिंह	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	2	2
2.	श्री सी. कन्नन	सदस्य/निदेशक वित्त	2	2
3.	श्री शैलेश कुमार मिश्रा (04.02.2023 तक)	सदस्य/निदेशक पी.एस	2	1
4.	श्री संजय शर्मा (22.02.2023 से)	सदस्य/निदेशक सौर	2	1

3. वेब-लिंक प्रदान करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का कंपनी की वेबसाइट पर खुलासा किया गया है।

<https://www.seci.co.in/about/csr-and-sustainability-policy-of-seci>

4. यदि लागू हो तो कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उपनियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण प्रदान करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

लागू नहीं

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में सेट ओ के लिए उपलब्ध राशि का विवरण और वित्तीय वर्ष के लिए सेट ओ के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ओ के लिए उपलब्ध राशि (₹)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (₹)
1	2021-22	22.00	22.00





6. धारा 135(5) के अनुसार कंपनी का औसत शुद्ध लाभ – 2,49,67,57,000
7. (क) धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: 4,99,35,000
(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष: शून्य
(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो: 22,00,000
(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7ए+7बी-7सी)। : 4,77,35,000
8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या अव्ययित सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (₹)	खर्च न की गई राशि (₹ में)				
	धारा 135(6) के अनुसार अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची टप्प के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि
4,77,35,000	---	---	---	---	---

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (₹ में)	धारा 135(6) के अनुसार परियोजना के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिले						नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	लेह में 27 सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संचालित डिजीलैब्स के लिए सहायता	शिक्षा	हाँ	लद्दाख	लेह	2 साल	26059695	8859695	शून्य	नहीं	17000 फीट नींव	सीएसआर0000 2404
	TOTAL						26059695	8859695				

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चल रही परियोजनाओं के अलावा अन्य खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका – कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिले			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
1.	सरकार के लिए प्रबलित शिक्षक प्रशिक्षण। LAHDC में स्कूल शिक्षक	शिक्षा	हाँ	लद्दाख	लेह	3215300	नहीं	गोल्डन मेल लर्निंग	सीएसआर 00026841
2.	हुबली, कर्नाटक में आवासीय लामा शिविर का उन्नयन और नवीनीकरण	शिक्षा	नहीं	कर्नाटक	उत्तर कन्नड	4969500	नहीं	श्री श्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम ट्रस्ट	सीएसआर 00001258
3.	गरीब और जरूरतमंद छात्रों के पोषण और शिक्षा में सहायता करें	पोषण	नहीं	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	3297900	नहीं	रामकृष्ण मिशन	सीएसआर 00006101
4.	सौर स्ट्रीट लाइट स्थापना के लिए सहायता	परिस्थितिकी	नहीं	उत्तर प्रदेश	अमेठी	3550000	नहीं	धर्मेन्द्र सेवा संस्थान	सीएसआर 00040949
5	सैनितरी नैपकिन भस्मक, सैनितरी नैपकिन के साथ सैनितरी नैपकिन वेंडिंग मशीनों की स्थापना के लिए सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	हाँ	दिल्ली	दिल्ली	3365800	नहीं	एचएलएल प्रबंधन अकादमी	सीएसआर 00004546
6	झारखंड में गुमला (आकांक्षी जिला) में टिकाऊ सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई को समर्थन	परिस्थितिकी	नहीं	झारखंड	गुमला	7690000	नहीं	आईएसडीजी रिसर्च फाउंडेशन	सीएसआर 00033785
7	नासिक, महाराष्ट्र में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि सुधार कार्यक्रम के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई को समर्थन	परिस्थितिकी	नहीं	महाराष्ट्र	नासिक	2748300	नहीं	सेवा वर्धिनी	सीएसआर 00000860





(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से आइटम	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/ नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आवंटित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का तरीका प्रत्यक्ष (हाँ/ नहीं)	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिले			नाम	सीएसआर पंजीकरण सं.
8	परम केंद्र के निर्माण हेतु सहायता	परिस्थितिकी	नहीं	कर्नाटक	बैंगलूर	7083000	नहीं	जनसेवा ट्रस्ट	सीएसआर 0006302
9	लेह/एलएचडीसी में सौर जल तापन प्रणाली के लिए सहायता	परिस्थितिकी	हाँ	लद्दाख	लेह	2508000	नहीं	लद्दाख नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी	सीएसआर 00046801
10	पीएम केयर्स फंड में योगदान	स्वास्थ्य देखभाल	नहीं	पैन इंडिया		447505	हाँ		
	कुल					38875305			

- (घ) प्रशासनिक ओवरहेड्स में खर्च की गई राशि : शून्य
- (च) प्रभाव आकलन पर खर्च की गई राशि, यदि लागू हो : शून्य
- (छ) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि : 4,77,35,000 (8बी+8सी+8डी+8ई)
- (ज) सेट ओ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र. सं.	विशिष्ट	राशि (₹ में)
(i)	धारा 135(5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	4,99,35,000
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	4,77,35,000
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	0
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों का अधिशेष, यदि कोई हो	22,00,000
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में सेट ओ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0

9- (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	गत वित्त वर्ष	धारा 135 (6) (इंच) के तहत अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि(में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी फंड में हस्तांतरित राशि, यदि कोई हो	निधि का नाम	मात्रा (₹ में)	स्थानांतरण की तिथि	आगामी वित्तीय वर्षों में व्यय की जाने वाली शेष राशि। (में)
								शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चल रही परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में खर्च की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	प्रोजेक्ट आईडी	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति-पूर्ण/चालू।
1.	2022-23/01	लेह के 27 सरकारी स्कूलों में सौर ऊर्जा संचालित इगिलैब के लिए सहायता	2022-23	2 साल	26059695	8859695	26059695	समाप्त
	कुल				26059695	8859695	26059695	



10. पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से बनाई गई या अर्जित संपत्ति से संबंधित विवरण (संपत्ति-वार विवरण) प्रस्तुत करें।

(1) परियोजना "मुंडगोड, हुबली में आवासीय लामा शिविर का नवीनीकरण और उन्नयन" के तहत बनाई गई संपत्ति

(1)	"मुंडगोड, हुबली में आवासीय लामा शिविर का नवीनीकरण और उन्नयन" परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	31.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 43,58,300
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	एसएसआरडीपी, उदयपुरा, बैंगलोर
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	पीसी, प्रिंटर आदि
(2)	"आर के एम ग्वालियर" में सौर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा , परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	31.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 7,97,000
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	रामकृष्ण मिशन, थाटीपुर ग्वालियर 474011
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	सौर स्ट्रीट लाइट, रामकृष्ण मिशन, थाटीपुर, ग्वालियर 474011
(3)	"अमेठी में सौर स्ट्रीट लाइट ऊर्जा, परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	30.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 32,50,000
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	धर्मेन्द्र सेवा संस्थान 153, क्षेम सदन शेखपुरा, सदर, जौनपुर-222002
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	यूपी के अमेठी में 125 सोलर लाइटें-227405
(4)	परियोजना "सेनिटरी नैपकिन की स्थापना" के तहत बनाई गई संपत्ति सरकारी अस्पतालों में भस्मक, सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीनें दिल्ली"	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	31.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 25,62,618
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	एचएलएल प्रबंधन अकादमी केरल 695003
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	वेंडिंग मशीन और अस्पतालों में भस्मक दिल्ली 110001
(5)	"सौर आधारित सिंचाई परियोजना" परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति गुमला, झारखंड"	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	29.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 67,20,914
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	कृषक समूह बिशुनपुर गुमला, झारखंड- 835231





घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	सबमर्सिबल पंप प्रणाली डेटा के साथ नियंत्रक के साथ मॉड्यूल, मोटर और पंप अंत एमएस संरचना और सहित बिशुनपुर में सहायक उपकरण, गुमला, झारखंड-835231
(6)	“सौर आधारित सिंचाई परियोजना” परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति नासिक, महाराष्ट्र”	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	31.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 25,10,000
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पूंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	किसान समूह
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	सबमर्सिबल पंप प्रणाली नासिक में नियंत्रक के साथ महाराष्ट्र 422211
(7)	परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति “की स्थापना के लिए सहायता”। परम केंद्र”	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	31.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 70,83,000
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पूंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	जनसेवा ट्रस्ट, चेन्ननहल्ली मगदी मेन रोड, एसएच85, बेंगलुरु-562130
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	परम प्रोजेक्ट जनसेवा ट्रस्ट, चेन्ननहल्ली, बेंगलुरु 562130
(8)	“एलआरडीए के माध्यम से लेह में सोलर वॉटर हीटर परियोजना के तहत बनाई गई संपत्ति”	
क	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण की तिथि।	31.03.2023
ख	पूंजीगत संपत्ति के निर्माण या अधिग्रहण के लिए खर्च की गई सीएसआर की राशि।	₹ 25,08,000
ग	इकाई या सार्वजनिक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण जिसके अधीन है पूंजीकृत पूंजीगत संपत्ति का नाम, उनका पता आदि।	एलआरडीए, फे, लेह, 194101
घ	सृजित या अर्जित की गई पूंजीगत संपत्ति (संपत्तियों) का विवरण प्रदान करें (सहित) पूंजीगत संपत्ति का पूरा पता और स्थान)	सौर वाटर हीटर, लेह 194101

11. यदि कंपनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें

लागू नहीं

हस्ता /—
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)

हस्ता /—
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

हस्ता /—
(अधिनियम की धारा 380 की उपधारा (1) के खंड (घ) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति) जहाँ भी लागू हो





निगमित अभिशासन पर प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
छठवाँ ताल, प्लेट बी, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक,
टॉवर -2, ईस्ट किडवर्ई नगर
नई दिल्ली 110023

मैंने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (डीपीई दिशानिर्देश) के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार 31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद कंपनी कहा गया) द्वारा निगमित अभिशासन की अनुपालन शर्तों की जांच की है।

निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन करना प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जांच निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह जांच न तो लेखा परीक्षा है और न ही निगम के वित्तीय विवरणों पर राय की अभिव्यक्ति है।

मेरी राय और मेरी सर्वोत्तम सूचना और संबंधित रिकॉर्डों तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर, मैं एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने निम्नलिखित के अलावा डीपीई दिशानिर्देशों में यथानिर्धारित निगमित अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है:

- जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निगमित अभिशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है, बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, परंतु, कंपनी में निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी, चूंकि, 01.04.2022 से 27.04.2022 तक की अवधि के लिए केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और 28.04.2022 से 31.03.2023 तक दो स्वतंत्र निदेशक थे तदनुसार—
 - » 01.04.2022 से 27.07.2022 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 निगमित अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 के अनुरूप नहीं है।
 - » 01.04.2022 से 27.07.2022 की अवधि के लिए नामांकन और पारिश्रमिक समिति की संरचना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और निगमित अभिशासन पर जारी डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुरूप नहीं है।

हालांकि, प्रबंधन द्वारा दिए गए उत्तर के अनुसार, कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, सभी निदेशकों का नामांकन/की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, संरचना की आवश्यकता के अनुपालन के लिए निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक(ओं) की नियुक्ति के लिए कंपनी ने समीक्षा अवधि के दौरान एमएनआरई को अनुरोध पत्र संख्या सेकी/सीएस/इंड.निदे./161/2018/54411 दिनांक 09.03.2023 और सेकी/सीएस/123/VI/2020/55010 दिनांक 12.04.2023 भेजे हैं।

मैं यह भी उल्लेख करता हूँ कि इस तरह का अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के रूप में और न ही कंपनी के प्रबंधन कार्यों में दक्षता या प्रभावशीलता वृद्धि का आश्वासन है।

कृते विकास गेरा एंड एसोसिएट्स
कंपनी सचिव
हस्ता/—
(विकास गेरा)

एफसीएस नंबर 5248
सीपी नंबर 4500

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 01 अगस्त, 2023

यूडीआईएन : F005248E000719159





फार्म सं. एमआर-3 सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (नियुक्ति एवं कार्मिक पारिश्रमिक)

नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसार)

सेवा में,

सदस्य,

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

छठवां तल, प्लेट बी, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक

टावर-2, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023

मैंने सोलर एनर्जी कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद “कंपनी” कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन एवं उचित कॉर्पोरेट अभिशासन प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार की गई है जिसने मुझे कॉर्पोरेट संचालनों/सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन करने तथा इस पर मेरी अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार प्रदान किया।

मेरे द्वारा कंपनी की बहियों, दस्तावेजों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों तथा फाइल की गई रिटर्नों और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य रिकार्डों के सत्यापन तथा सचिवीय लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी उसके कार्यालयों, एजेंटों तथा प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, हम एतद्वारा सूचित करते हैं कि हमारी राय में **31 मार्च, 2023** को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कंपनी ने नीचे दिए गए समीक्षाधीन अवधि के दौरान और सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन प्रतिनिधित्व के आधार पर, कंपनी ने उपरोक्त उल्लिखित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का काफी हद तक अनुपालन किया है:

मैंने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कंपनी द्वारा कायम की गई बहियों, दस्तावेजों कार्य वृत्त पुस्तकों, फार्मों तथा फाइल की गई रिटर्नों तथा अन्य रिकार्डों की जांच की है:

- कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा इसके अधीन बनाए गए नियम,
 - प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) एवं उसके तहत बनाए गए नियम (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)
 - डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 और उसके तहत बनाए गए विनियम और उपनियम
 - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा विदेशी वाणिज्यिक उधार की सीमा तक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम;
 - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश – (लेखापरीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)
- क) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011;
- ख) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का मुद्दा) विनियम, 2018;
- (घ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ और स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021;





- (ड.) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गमन और सूचीकरण) विनियम, 2008;
- (च) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (एक मुद्दे और शेयर हस्तांतरण एजेंटों के रजिस्ट्रार) कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ व्यवहार के संबंध में विनियम, 1993;
- (छ) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध करना) विनियम, 2021; तथा
- (ज) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूतियों का बाय-बैक) विनियम, 2018;
- (vi) कंपनी पर लागू अन्य कानून, अर्थात्:
 - (i) बोनस संदाय अधिनियम, 1965
 - (ii) उपदान संदाय अधिनियम, 1972
 - (iii) कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
 - (iv) शिक्षा अधिनियम, 1961
 - (v) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
 - (vi) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899

मैंने निम्नलिखित के लागू उप-नियमों के अनुपालन की भी जांच की है

- (i) कंपनी ने भारतीय कंपनी सचिव (द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया) द्वारा बोर्ड, समिति (यां) और बैठकों से संबंधित जारी सचिवालयी मानकों (एस एस-1 एवं एस एस -2) का अनुपालन
- (ii) सेबी (लिस्टिंग ऑब्लिंगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियम, 2015 के साथ पठित कंपनी द्वारा किए गए लिस्टिंग एग्रीमेंट्स; **(ऑडिट अवधि के दौरान कंपनी पर लागू नहीं)**
- (iii) भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन पर लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के दिशानिर्देश, समीक्षाधीन अवधि के दौरान और सूचना, स्पष्टीकरण और प्रबंधन अभ्यावेदन के आधार पर, कंपनी ने ऊपर वर्णित अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का काफी हद तक अनुपालन किया है, सिवाय इसके कि:
 1. जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के तहत आवश्यक है, कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए लेकिन, कंपनी में निदेशक मंडल की अपेक्षित संरचना नहीं थी, और 01.04.2022 से 27.04.2022 तक की अवधि में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था और 28.04.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि में केवल दो स्वतंत्र निदेशक थे और तदनुसार
 - » 01.04.2022 से 27.07.2022 की अवधि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1 में ऑडिट समिति की संरचना का उल्लेख नहीं किया गया था।
 - » नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर 01.04.2022 से 27.07.2022 तक डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 5.1 के अनुसार उल्लिखित नहीं था।

हालाँकि, प्रबंधन के उत्तर के अनुसार, कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एमएनआरई) के प्रशासनिक नियंत्रण में है, सभी निदेशक सरकार द्वारा नामित/नियुक्त किये जाते हैं, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी ने संरचना आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक(कों) की नियुक्ति के लिए अनुरोध पत्र सं सेकी/सीएस/इंड.निदे./161/2018/54411 दिनांक 09.03.2023 और सेकी/सीएस/123/VI/2020/55010 दिनांक 12.04.2023 एमएनआरई को भेजे हैं।





हम आगे रिपोर्ट करते हैं

कंपनी के निदेशक मंडल का गठन यहां—ऊपर उल्लिखित रिपोर्टिंग को छोड़कर कार्यकारी निदेशकों, नामित निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उचित संतुलन के साथ किया गया है। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किए गए निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए थे।

बोर्ड की बैठकों को पहले से निर्धारित करने के लिए सभी निदेशकों को सूचना/लघु सूचना दी जाती है, कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां और कार्यसूची अग्रिम रूप से भेजी जाती हैं और बैठक से पहले कार्यसूची मदों पर और जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने और सार्थक भागीदारी के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

बोर्ड की बैठकों में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं और बोर्ड के सदस्यों द्वारा उठाई गई असहमति दर्ज की जाती है।

कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र के आधार पर हमारी राय है कि प्रबंधन के पास कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप कंपनी में पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं जो लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करती हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कोई विशेष घटना/कार्रवाई नहीं हुई थी, जिसका कंपनी के मामलों पर बड़ा असर पड़ा हो।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त संदर्भित कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों आदि के अनुसरण में कंपनी के मामलों पर प्रमुख प्रभाव डालने वाली कोई अन्य विशिष्ट घटना/कार्रवाई निम्नलिखित को छोड़कर नहीं थी:

1. निदेशक मंडल ने 20 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में ₹ 1000 अंकित मूल्य के एक करोड़ इक्विटी शेयर जारी कर ₹ 1000 करोड़ का संसाधन जुटाने का प्रस्ताव पारित किया है। इसके बाद कंपनी को 28 मार्च, 2022 को ₹ 1000 करोड़ का शेयर आवेदन धन प्राप्त हुआ है और 28 अप्रैल, 2022 को ₹ 1000 के अंकित मूल्य के एक करोड़ इक्विटी शेयरों का आवंटन भारत के राष्ट्रपति को किया।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2023

(आशु गुप्ता)
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या: 4123
सीपी संख्या: 6646
यूडीआईएन: F004123E000782230
पीआर समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या 730/2020

नोट: इस रिपोर्ट को हमारे समसंख्यक दिनांक के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।





सेवा में,
सदस्य,
सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
छठवां तल, प्लेट बी, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक
टावर-2, ईस्ट किदवई नगर,
नई दिल्ली-110023

समसंख्यक तारीख की मेरी रिपोर्ट, इस पत्र के साथ पढ़ी जाए।

1. सचिवालयी रिकॉर्ड बनाए रखना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन सचिवालयी रिकॉर्डों पर अपनी राय प्रकट करने की है।
2. मैंने उन लेखापरीक्षा पद्धतियों और प्रक्रियाओं का अनुसरण किया है, जो सचिवालयी रिकॉर्डों के तथ्यों की सत्यता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थीं। सत्यापन यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया की सचिवालयी रिकॉर्डों में सही तथ्य दिए गए हैं। मुझे विश्वास है कि मैंने जिन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अपनाया है वे मेरी राय का उपयुक्त आधार हैं।
3. मैंने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्डों और लेखा बहियों की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।
4. जहां आवश्यक था मैंने कानूनों, नियमों, विनियमों, के अनुपालन और घटनाक्रमों के घटित होने आदि के संबंध में प्रबंधन से सत्यापन कराया है।
5. कॉरपोरेट और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन करने की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरी जांच, परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन करने तक सीमित थी।
6. सचिवालयी लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही कंपनी की उस दक्षता और प्रभावकारिता का आश्वासन है, जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के कार्यों का संचालन किया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 10.08.2023

(आशु गुप्ता)
पेशेवर कंपनी सचिव
एफसीएस संख्या: 4123
सीपी संख्या: 6646
यूडीआईएन: F004123E000782230
पीआर समीक्षा प्रमाण पत्र संख्या 730/2020





प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट 2022-23

I. उद्योग संरचना और विकास

क. नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की वृद्धि

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) की "नवीकरणीय 2022" रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान का वैश्विक ऊर्जा संकट अक्षय ऊर्जा को अपनाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारण होगा, जिससे अनुमानतः आगामी 5 वर्षों में विगत दो दशकों¹ के बराबर की अक्षय ऊर्जा बढ़ जाएगी। वैश्विक बाजार में स्वयं को अग्रणी प्रतिस्पर्धी स्थापित करते हुए भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। सराहनीय वृद्धि के मुख्य कारण हैं, केंद्र सरकार की नीतियों का प्रभावी कार्यान्वयन, प्रौद्योगिकीय प्रगति और अक्षय ऊर्जा डोमेन में पर्याप्त विदेशी निवेश। भारत में सोलर परियोजनाओं की प्रतिस्थापना क्षमता में 443.4% की रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2017 के 12288.83 मेगावाट प्रतिस्थापना क्षमता की तुलना में 31.03.2023 को 66780.34 मेगावाट हो गई इसी तरह, देश में 31.03.2017 की 32279.77 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापित क्षमता की तुलना में 31.03.2023 को 42633.13 मेगावाट हो गई, जिससे 32.07%² की वृद्धि दर्ज हुई वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने 15273.93 मेगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाया है। 31.03.2023 को संचयी अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता 125159.81 मेगावाट³ थी।

ख. नवीकरणीय ऊर्जा व्यावसायिक पर्यावरण जोखिम

» उच्च आयात निर्भरता

अक्षय ऊर्जा, मुख्यतः अन्य देशों से घटक आपूर्ति पर निर्भरता और डॉलर से रुपये की परिवर्तन दरों में उतार-चढ़ाव के कारण बाजार वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील है। कुछ भौगोलिक क्षेत्रों पर उच्च आयात निर्भरता इस क्षेत्र हमको अंतर्राष्ट्रीय मूल्य विविधताओं के प्रति संवेदनशील बनाती है, जिससे परियोजना में देरी हो सकती है।

इस जोखिम को कम करने के लिए, सरकार सक्रिय रूप से आयात निर्भरता को कम करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए घटकों के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उपाय कर रही है। इनमें से कुछ पहल पीवी कोशिकाओं और मॉड्यूल, घरेलू सामग्री की आवश्यकता, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं –

» डिस्कॉम से भुगतान में देरी

सेकी के राजस्व की प्राथमिक हिस्सेदारी डिस्कॉम को बिजली बिक्री के कारोबार से है। जिसमें कुछ डिस्कॉम से भुगतान में देरी होने का खतरा है। इससे सेकी की कार्यशील पूंजी का प्रबंधन करने के साथ ही डेवलपर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

अक्षय ऊर्जा में निवेश के जोखिम को काम करने के लिए, प्रमुख भुगतान सुरक्षा तंत्र जैसे, साख पत्र(एलसीज), भुगतान सुरक्षा निधि, और त्रिपक्षीय समझौतों (टीपीएज) के तहत सुरक्षा, सेकी के पीएसएज का हिस्सा हैं। इन उपायों को यह सुनिश्चित करने के लिए रखा गया है कि परियोजना डेवलपर्स समय पर भुगतान प्राप्त करें। हाल ही में इन उपायों को देर से भुगतान अधिभार नियमों की अधिसूचना से और मजबूत किया गया था।

¹ Source: <https://www.iea.org/news/renewable-power-s-growth-is-being-turbocharged-as-countries-look-to-strengthen-energy-security>

² Source: https://cea.nic.in/wp-content/uploads/executive/2023/04/Executive_Summary_Mar_2023_merged.pdf

³ Source: https://cea.nic.in/wp-content/uploads/executive/2023/04/Executive_Summary_Mar_2023_merged.pdf





» अक्षय ऊर्जा संचरण बाधा

ट्रांसमिशन लाइनों और सबस्टेशनों के विकास की तुलना में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की छूट की लघु अवधि के परिणामस्वरूप बिना तालमेल की प्रगति हो सकती है, जिससे पावर इंजेक्शन में देरी होती है।

क्षमता बढ़ाने की एक स्थिर गति बनाए रखने के लिए, अक्षय संसाधनों के साथ प्रचुर मात्रा में क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए व्यापक संचरण योजनाओं को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। यह दृष्टिकोण उत्पन्न बिजली का निर्बाध एकीकरण और समय पर उपयोग सुनिश्चित करता है। ट्रांसमिशन और परियोजना विकास में तालमेल की जाने के लिए इस मुद्दे को मंत्रालय के माध्यम से निर्धारित किया जाता है।

ग. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास के लिए सेकी की गतिविधियाँ

- » **अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के लिए महत्वपूर्ण निविदा:** देश की अक्षय ऊर्जा क्षमता के अतिरिक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सेकी ने एमएनआरई की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, अखिल भारतीय स्तर पर सौर, पवन और हाइब्रिड परियोजनाओं के विकास के लिए एक बड़े पैमाने पर निविदा कार्यक्रम पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है, बदले में इन परियोजनाओं से विभिन्न डिस्कॉम खरीद संस्थाओं को बिजली की आपूर्ति की जाती है।
- » **गतिशील बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निविदा डिजाइन में नवाचार:** सेकी अभिनव परियोजना विन्यास, जैसे, हाइब्रिड, राउंड द क्लॉक अक्षय ऊर्जा, फर्म और डिस्पैचोबल अक्षय ऊर्जा (एफडीआरई) आदि के द्वारा बाजार में बिक्री वृद्धि बढ़ाता रहा है।
- » **बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्र के निवेश लाना:** वर्तमान में, 56 गीगावाट से अधिक क्षमता की परियोजनाओं को सेकी द्वारा चालू किया गया है, और इसने बड़े बाजार निवेशों को आकर्षित किया है। इन परियोजनाओं को अन्य निवेशकों के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है और इनमें से अधिकांश में, सेकी मध्यम है। इसमें से, 18 गीगावाट से अधिक क्षमता को चालू किया गया है और शेष परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।
- » **बिजली खरीद मध्यस्थ:** सेकी द्वारा जारी किए गए अधिकांश निविदाओं के तहत, सेकी परियोजना डेवलपर्स और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों (डिस्कॉम) के बीच बिजली खरीद मध्यस्थ है और क्रमशः इनके साथ 25-वर्षीय पावर खरीद समझौते (पीपीएस) और बिजली बिक्री समझौते (पीएसएस) करता है। इस मॉडल के तहत, सेकी डेवलपर्स को भुगतान सुरक्षा प्रदान करता है और डिस्कॉम से भुगतान एकत्र करने का उपक्रम करता है। सेकी के भुगतान सुरक्षा तंत्र ने समझौतों का भुगतान बैंकिंग के माध्यम से करने में मदद की है, परिणामस्वरूप निविदाओं में इसकी बहुत अच्छी भागीदारी है और दरों में कमी होती है।

II. सेकी के व्यावसायिक वातावरण का विश्लेषण :





(क) शक्ति

» खरीद में पारदर्शिता

सेकी की निविदा प्रक्रियाएं विशेष रूप से एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से आयोजित की जाती हैं। वास्तविक समय की बोली और रिवर्स नीलामी तंत्र अत्यधिक पारदर्शी हैं, जो मिलीभगत या अनुचित प्रथाओं के लिए बहुत कम संभावनाएं रहने देते हैं।

इसके अतिरिक्त, सेकी जब भी संभव हो अपनी खरीद की जरूरतों के लिए सेकी सरकार के ई-मार्केटप्लेस (जेम) पोर्टल का उपयोग करने का प्रयास करता है।

» दीर्घकालिक ऑफ-टेक का आश्वासन

सेकी के बिजली खरीद समझौते अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स को दीर्घकालिक रूप से ऑफ-टेक आश्वासन प्रदान करते हैं। यह अक्षय ऊर्जा डेवलपर्स के लिए राजस्व धाराओं को सुरक्षित करता है और सरकार के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों और प्रतिबद्धताओं का भी समर्थन करता है।

» स्वस्थ भुगतान इतिहास

सेकी ने डेवलपर्स को समय पर भुगतान करने और पीएसए प्रावधानों का पालन करने का एक ट्रैक-रिकॉर्ड स्थापित किया है। 31.03.2023 को, डेवलपर्स को भुगतान में डिफॉल्ट का कोई उदाहरण नहीं देखा गया है। यह, एएए (आईसीआरए) की कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के साथ मिलकर, सेकी को एक बैंकबल बिजनेस पार्टनर बनाता है।

» नवीकरणीय ऊर्जा निविदाओं में नवाचार

सेकी अभिनव परियोजना विन्यास, जैसे, ऊर्जा भंडारण के साथ बिना सोलर-पवन हाइब्रिड, राउंड दी क्लॉक बिजली आपूर्ति एवं पीक आवर में बिजली आपूर्ति के आश्वासन के साथ अक्षय ऊर्जा आपूर्ति निविदा के विकास की सुविधा एफडीआरई इत्यादि ही प्रदान कर रहा है।

» प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी, आज के युग में, एक संगठन की प्रक्रियाओं की बैकबोन बनाती है। सेकी ने एनआईसी के ई-ऑफिस एप्लिकेशन और एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लिकेशन को दिन-प्रतिदिन के व्यापार और बैंक-ऑफिस प्रक्रियाओं जैसे कि पावर ट्रेडिंग, फाइनेंस, इनवॉइसिंग, क्रयिंग, प्रोजेक्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स, कर्मचारी, जैसे प्रबंधन और एकीकृत एमआईआईटी में प्रसारित किया गया है, कर्मचारी ध्रुवबंधक स्व-सेवाएं केएमएस सेंट्रल रिपॉजिटरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पेपरलेस ई-फाइल प्रबंधन इत्यादि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से प्रक्रियाओं को अधिक कुशल, उत्पादक और लाभदायक बनाने के लिए बढ़ाता है।

(ख) कमजोरियां

» पावर ट्रेडिंग में काम मार्जिन

पावर ट्रेडिंग सेकी का सीईआरसी द्वारा अनुमोदित 0.07/कि.वा.ह. के एक निश्चित मार्जिन के साथ प्राथमिक राजस्व स्रोत है (98% से अधिक शेयर) के साथ। यह सौर और पवन ऊर्जा के लिए 2.50/क.वा.ह. के औसत टैरिफ को देखते हुए लगभग 2.8% तक बनाता है। वर्तमान में सेकी अपने संचालन लाभप्रदता के बहुत कम मार्जिन के साथ कर रहा है।

» निजी परियोजनाओं के कम पोर्टफोलियो

निविदाओं और योजनाओं की देखरेख करने के अलावा, सेकी अपने निजी निवेश का उपयोग करके अक्षय परियोजनाओं की स्थापना में भी लगी हुई है। लेकिन इस क्षेत्र के अन्य खिलाड़ियों की तुलना में, सेकी के निजी निवेश का पोर्टफोलियो कम है। सेकी वर्तमान में 21 मेगावाट की कुल क्षमता के साथ अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं का स्वामी है और संचालित करता है। हालांकि सेकी अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अपने पदचिह्न का विस्तार करना चाहता है।





» कुशल/विशेषज्ञ जनशक्ति का अभाव

जैसा कि भारतीय आक्सी ऊर्जा सेक्टर के प्रौद्योगिकी नवाचारों और नियामक परिदृश्य में लगातार तेजी से विकसित हो रहा है, यह स्रोत कुशलधविशेष जनशक्ति के लिए चुनौतीपूर्ण है। सेकी की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशलता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सेकी के उपलब्ध मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करते हैं।

(ग) अवसर

» विशाल अक्षय ऊर्जा

देश विविध अक्षय ऊर्जा स्रोतों से समृद्ध है, जो टिकाऊ और स्वच्छ बिजली उत्पादन के लिए अवसर प्रदान करता है। देश की अक्षय ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्रमशः 100 मीटर और 120 मीटर की दूरी पर देश में क्रमशः 302.25 गीगावाट और 695.50 गीगावाट की अनुमानित सकल पवन ऊर्जा क्षमता के साथ, लगभग 750 गीगावाट की सौर क्षमता, 21 गीगावाट से अधिक की कम हाइड्रो क्षमता और बायोमास से 42 गीगावाट से अधिक, एक विशाल है देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अक्षय संसाधनों में दोहन की गुंजाइश है।⁴

» वित्त वर्ष 2030 तक अक्षय ऊर्जा के लिए स्वस्थ रोडमैप

सीईए द्वारा प्रकाशित ऑप्टीमल जनरेशन मिक्स रिपोर्ट, 2023 के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2029–30 तक लगभग 55.5% बिजली उत्पादन स्थापित क्षमता अक्षय ऊर्जा स्रोतों से होगी (अर्थात 777.14 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता में से 431.28 गीगावाट)। रिपोर्ट में यह भी अनुमान है कि बीईएसएस क्षमता 41.65/208.25 गीगावाट/गीगावाट एच की क्षमता उसी वर्ष तक स्थापित की जाएगी। ये निष्कर्ष भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विस्तार के लिए सकारात्मक पारिस्थितिकी तंत्र और मजबूत रोडमैप की ओर इशारा करते हैं।

» अनुकूल नीतियां

भारत औद्योगिक विस्तार को बढ़ावा देकर और रोजगार के अवसरों को उत्पन्न करके अपनी आर्थिक विकास दर को बढ़ाने का इरादा रखता है। इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, सरकार ने विभिन्न अंतरालों में विभिन्न आर्थिक सहायताएं प्रदान की हैं। आर्थिक विकास के साथ ऊर्जा की मांग में वृद्धि होगी जिसे अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। यह परिदृश्य घरेलू बाजार के अंदर सेकी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए एक विशाल क्षमता प्रस्तुत करता है।

» अनिवार्य आरपीओ

2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के 500 गीगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने वर्ष 2030 तक लक्ष्य आरपीओ प्रक्षेपवक्र को निर्धारित किया है। निर्दिष्ट आरपीओ लक्ष्यों को सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों की संस्थाओं, वैधानिक संस्थाओं (जिसमें डिस्कॉम, ओपन एक्सेस उपभोक्ता और कैप्टिव पावर उत्पादकों को शामिल करना है) द्वारा प्राप्त किया जाना है और उन्हें समान रूप से पालन किया जाना है। आरपीओ लक्ष्यों के अनुसार अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उनकी बिजली का न्यूनतम हिस्सा खरीदने के लिए बाध्य हैं। वित्तवर्ष, 23 के लिए, सरकार ने ते किया है कि डिस्कॉम क्षेत्र में खपत कुल ऊर्जा का 24.61% अक्षय ऊर्जा (आरई) स्रोतों से होना होगा। यह सेकी के लिए ने अवसर प्रदान करता है क्योंकि स्पष्ट दृश्यता के द्वारा अक्षय ऊर्जा की मांग बढ़ सकती है।

» अनुकूल लागत-अर्थशास्त्र

पिछले 4–5 वर्षों के दौरान, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, विशेषतः सौर और पवन ऊर्जा का उत्पादन टैरिफ, पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के साथ समता के बिंदु पर काफी काम हुआ है। सेकी की निविदाओं के माध्यम से पाए गए टैरिफ या तो कई डिस्कॉम की औसत बिजली खरीद लागत के बराबर या उससे कम हैं। परिणामस्वरूप, सेकी के माध्यम से अक्षय ऊर्जा खरीद डिस्कॉम और थोक उपभोक्ताओं के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव है।

⁴ Source: MNRE Annual Report 2021-22





इसके अलावा विभिन्न भू-राजनीतिक कारणों के कारण, हाल के दिनों में, वैश्विक ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। जबकि इसकी तुलना में सेकी निविदाओं के तहत खोजे गए टैरिफ पीपीए (सामान्य रूप से 25 वर्ष) तक स्थायी रहता है।

» उभरता विदेशी बाजार

वर्तमान वैश्विक भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण, ऊर्जा सुरक्षा ने कई देशों के लिए नए सिरों से महत्व प्राप्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, नवीनीकरण निकट भविष्य में वैश्विक बिजली क्षमता के 90% से अधिक के लिए निर्धारित किया जाता है। इससे सेकी को विदेशी बाजारों में ऊर्जा की मांग को पूरा करने का अवसर मिलता है।⁴

» वाणिज्यिक और औद्योगिक (सी एंड आई) खंड का उद्घाटन

सी एंड आई सेगमेंट में अखिल भारतीय ऊर्जा की मांग का लगभग 40 से 45 प्रतिशत हिस्सा होता है और यह उम्मीद की जाती है कि इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा अक्षय ऊर्जा के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसी समय, वैश्विक संगठनों ने अपनी मूल्य श्रृंखला में स्थायी प्रक्रियाओं को शामिल करना शुरू कर दिया है। यहां तक कि छोटी इकाइयाँ जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को पूरा करती हैं, वे अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए हरित ऊर्जा का चयन कर रही हैं। यह सेकी के लिए सी एंड आई सेक्टर का पता लगाने के अवसरों को खोलता है।

ख. बाधाएं

» बहु अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसिया

वर्तमान में भारतीय अक्षय ऊर्जा सेक्टर में कई अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां (आरईआईएज) हैं, जिसमें पुनः निविदाओं को बाहर लाने का जनादेश है। इसके साथ समान समय सीमा के आसपास कई निविदाओं के सक्रिय होने का खतरा है जो किसी भी दी गई निविदा में प्राप्त बोलियों की संख्या को प्रभावित कर सकता है।

» ट्रांसमिशन प्रभार, आईएसटीएस की समाप्ति

ट्रांसमिशन प्रभार वेवर्स जून 2025 से मौजूद रहेगा। इसके बाद यह उम्मीद की जाती है कि अंतर राज्य निविदाओं के लिए बिजली की भूमि की लागत उच्च होने के कारण, अधिक राज्य विशिष्ट निविदाओं की ओर एक बदलाव होगा।

III. खंड-वार संचालन कार्य

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भौतिक निष्पादन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- » कुल 3370 मेगावाट (पवन: 1700 मेगावाट, हाइब्रिड: 1170 मेगावाट, बीईईएस 500 मेगावाट) की क्षमता का अवार्ड।
- » कुल 4723.6 मेगावाट सौर (25113 मेगावाट) पवन परियोजनाएं (973.5 मेगावाट) और हाइब्रिड (1238.8 मेगावाट) की मेगावाट की क्षमता प्रारंभ किया जाना। विगत वर्ष की तुलना में वार्षिक ट्रेडिंग वॉल्यूम में 59.18% की वृद्धि के साथ 35156 मिलियन यूनिट बिजली का कारोबार किया जा रहा है।
- » सेकी द्वारा अभिनव निविदाओं का अवार्ड किया जाना अर्थात 500 मेगावाट/1000 मेगावाट हर्ट्ज स्टैंडअलोन बीईईएसएस (ईएसएस-1)

IV. सेकी के व्यावसायिक विकास के लिए आउटलुक

» त्वरित निविदा, प्रौद्योगिकी अनुकूलन और सहज ग्रिड-एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना

केंद्रीय बिजली खरीद एजेंसी के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के अलावा कई निवेशकों और उपभोक्ताओं के लिए एक प्राथमिकता के रूप में उभरा है, क्योंकि ये ज्यादातर पैन-इंडिया के आधार पर हैं और निवेशकों और ऑफ-टेकर्स दोनों देश में सर्वश्रेष्ठ साइटों से बिजली उत्पन्न करने/खरीदने का लचीलापन।

⁴ Source: IEA report "Renewable 2022"





अक्षय ऊर्जा और डिस्कॉम की मांग पैटर्न में आंतराधिकता के मुद्दों को देखते हुए, नवीकरणीय ऊर्जा शक्ति की मांग जो आधार लोड आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है और पीक-टाइम आवश्यकताओं को बढ़ा सकता है। सेकी हाइब्रिड और राउंड द क्लॉक (आरटीसी) मोड, साथ ही स्टैंडअलोन एनर्जी स्टोरेज में डिमांड पैटर्न के अनुरूप टेंडर्स को बाहर लाया।

सेकी ने भारत में 500 मेगावाट / 1000 मेगावाट हर्ट्ज स्टैंडअलोन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) स्थापित करने के लिए देश में पहली तरह की टेंडर से अवार्ड किया। यह "ऑन-डिमांड" आधार पर उपयोग की जाने वाली भंडारण सुविधाओं के साथ डिस्कम प्रदान करेगा।

» निजी परियोजनाओं के पोर्टफोलियो को आनुपातिक आधार पर बढ़ाना

वर्तमान में सेकी के पास 21 गीगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं हैं, जो परिचालन के अधीन हैं। हालांकि कंपनी को आने वाले वर्षों में निजी परियोजनाओं के पोर्टफोलियो बढ़ाने की उम्मीद है। जो परियोजनाएं, जो वर्तमान में पाइपलाइन में हैं, वे हैं—

- » राजनंदगाँव छत्तीसगढ़ में 40 मेगावाट / 120 मेगावाट हर्ट्ज बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के साथ
- » 100 मेगावाट (एसी) सोलर पीवी (160 मेगावाट डीसी क्षमता) लक्षद्वीप द्वीप समूहों में 1.4 मेगावाट हर्ट्ज बीईएसएस के साथ 1.7 मेगावाट सौर गेटलसूड जलाशय,
- » रांची में 100 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर परियोजना
- » एमएनआरई की सीपीएसयू फेज II ट्रेन्च III के तहत सौर परियोजनाओं की 1200 मेगावाट क्षमता

» ऊर्जा भंडारण क्षमताओं की तैनाती

भारतीय अक्षय ऊर्जा सेक्टर में ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के निरंतर विस्तार में सेकी से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। सेकी डेवलपर ईपीसी मोड में बड़े पैमाने पर ऊर्जा भंडारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वयं को उस स्थिति में कर रहा है।

» बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की बिक्री

सेकी शुरू में बिजली एक्सचेंजों के माध्यम से लघु अवधि और मध्यावधि ऑररजा बाजारों में ऊर्जा बिक्री की संभावनाएं तलाश रहा है।

» सीएंडआई सेगमेंट के लिए आपूर्ति करना

सीएंडआई उपभोक्ताओं में अक्षय ऊर्जा के लिए एक विशाल क्षमता है जो वर्तमान में लगभग अप्रयुक्त है। सेकी इन उपभोक्ताओं की अक्षय ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सक्षम बनाने के लिए इस उपभोक्ता को अपनाना चाहता है।

» सरकारी एजेंसियों / पीएसयू के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने का विस्तार करना

सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलों के परिणामस्वरूप, वर्तमान में सरकारी एजेंसियां पीएसयू की संख्या में वृद्धि हो रही है, जो अपने निजी उपयोग के लिए अपनी स्वयं की परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आगे आ रही हैं। सेकी इन सरकारी एजेंसियां पीएसयू को परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेकी इन सरकारी एजेंसियां पीएसयू को प्रदान की जा रही पीएमसी सेवाओं की मात्रा का विस्तार करना चाहता है।

» संबद्ध क्षेत्रों में विविधता

हरित हाइड्रोजन और हरित विद्युत वाहन सेगमेंट जैसे कई नए व्यावसायिक क्षेत्रों को खोला जा रहा है। सेकी हरित हाइड्रोजन क्षेत्र में मुख्य एग्रीगेटर के रूप में उभरने के लिए तैयार है और इसकी कार्यान्वयन योजनाएं पहले से ही विकसित की जा रही हैं।

» विशेषज्ञ जनशक्ति का प्रवेश

जैसा कि भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र निरंतर प्रौद्योगिकी प्रगति और नियामक परिवर्तनों से गुजर रहा है, तब कुशल और विशेषज्ञ कर्मियों की सेवाओं की सर्वोपरि महत्ता है। आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुशल





और सेकी के मौजूदा कर्मचारियों को कुशल बनाने और प्रशिक्षित करने और विशेषज्ञ कुशल जनशक्ति को शामिल करने की आवश्यकता है।

V. जोखिम प्रबंधन

हमेशा बदलते वैश्विक परिदृश्य में, संगठन एक बेहद गतिशील, अनिश्चित और जटिल क्षेत्र के भीतर काम कर रहे हैं। यह कंपनियों को जोखिमों की प्रकृति का सक्रिय रूप से आकलन करने और प्रभावी ढंग से उन्हें प्रबंधित करने और उन्हें कम करने के उपायों को लागू करने के लिए एक सुव्यवस्थित दृष्टिकोण स्थापित करने की आवश्यकता बनाता है।

सेकी में अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के आधार पर एक जोखिम प्रबंधन ढांचा है। नीति के अनुसार, विभागों से प्राप्त तिमाही जोखिम रिपोर्ट को प्रबंधन, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जोखिम रिपोर्ट में अनुभव किए गए विभिन्न जोखिमों की जानकारी, उनकी जोखिम रेटिंग और किए गए शमन उपाय शामिल हैं। प्राप्त फीडबैक, यदि कोई हो, आगे की कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष को भेज दिया जाता है। सेकी में जोखिम रजिस्टर बना रखा है, जिसमें विगतकाल में अनुभव किए गए जोखिमों का संकलन है। जोखिम रजिस्टर भविष्य के जोखिमों से निपटने की जोखिम रणनीति को अपनाने में सहायक होगा।

V. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता

नियामक और वैधानिक अनुपालन के साथ-साथ उच्चतम स्तर का कॉर्पोरेट प्रशासन प्रदान करने के प्रयोजन से कंपनी व्यवसाय के सुचारु और कुशलता से चलने के लिए मजबूत आंतरिक प्रणालियां और प्रक्रियाएं बना रही है। मानक बोली दस्तावेजों की तैयारी, निर्णय लेने की प्रक्रिया में वित्तीय सहमति और मानक संचालन प्रक्रियाएं परियोजना-कार्यान्वयन प्रक्रिया को प्रभावी बनाती हैं। कंपनी प्रक्रिया के मानकीकरण की ओर बढ़ रही है, तथा कंपनी में खरीद नीति और जोखिम प्रबंधन नीति का पालन किया जा रहा है।

आंतरिक ऑडिट, अनुभवी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के माध्यम से, आवधिक आधार पर किया जाता है। ऑडिट कमेटी की बैठकें भी नियमित अंतराल पर आयोजित की जाती हैं।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली कंपनी के आकार के अनुरूप हैं।

VI. परिचालन निष्पादन के सापेक्ष वित्तीय निष्पादन

निदेशकों की रिपोर्ट में सेकी के प्रत्यक्ष निष्पादन का विस्तृत विवरण है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए स्टैंडअलोन वार्षिक खातों की प्रमुख विशेषताओं का, यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया गया है:

बिजली व्यवसाय, परियोजना प्रबंधन शुल्क, स्वयं की परियोजनाओं की बिजली बिक्री और अन्य आय के माध्यम से कंपनी की कुल आय 48.62% की वृद्धि दर्ज करते हुए विगत वर्ष की आय ₹ 7,310.38 करोड़ की तुलना में इस वर्ष की आय ₹ 10,864.43 करोड़ रही।

वर्ष के लिए बिजली की खरीद में 49.36% की वृद्धि दर्ज करते हुए विगत वर्ष की खरीद ₹ 6,990.45 करोड़ की तुलना में इस वर्ष की खरीद ₹ 10,440.83 करोड़ रही।

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) विगत वर्ष के ₹ 319.92 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 423.60 करोड़ रहा तथा कर पश्चात लाभ (पैट) विगत वर्ष के ₹ 240.32 करोड़ की तुलना में इस वर्ष ₹ 315.65 करोड़ रहा के बाद लाभ ₹ करोड़ के पिछले वर्ष के आंकड़े के मुकाबले। इस प्रकार क्रमशः पीबीटी और पीएटी में 32.41% और 31.35% की वृद्धि हुई।

VII. मानव संसाधन और औद्योगिक संबंध

सेकी में मानव संसाधन प्रबंधन फंक्शन एक कर्मचारी के अनुकूल कार्य वातावरण का प्रचार करके कंपनी के रणनीतिक लक्ष्यों के साथ अपनी मानव पूंजी के संरेखण पर केंद्रित है, जो निरंतर कौशल संवर्धन और कर्मचारी के अनुकूल कार्य नीतियों से प्रभावित है। सेकी में मानव संसाधन, एक निर्णायक कार्य के रूप में उभरा है, जो इसे विकसित करने और विकसित करने में मदद करके व्यवसाय के लिए अभिन्न अंग है। सेकी ने हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि उसका कार्यबल समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधि है।



प्रमुख गतिविधियों में से एक विभिन्न स्तरों पर पदों के निर्माण द्वारा ऑर्गोग्राम की फिर से संरचना थी, जो संगठन के विकास के लिए आवश्यक विषय विशेषज्ञ को लाने में मदद करेगा। वर्ष के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों से अवगत कराया गया। परियोजना साइटों पर कर्मचारी सुरक्षा की दिशा में विशेष ध्यान देने के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। खरीद नीति, अनुबंध प्रबंधन, सुशासन, कुल गुणवत्ता प्रक्रिया, पावर ट्रेडिंग, पावर एक्सचेंज और मर्चेन्ट पावर, इमोशनल इंटेलिजेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों के स्किलिंग के लिए आयोजित किया गया था। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, सेकी ने आईआईटी रुड़की से 02 इंजीनियरों की भर्ती की, जो नागरिक संरचनात्मक अनुशासन में विशिष्ट है। हमारे नए जोइनीज के लिए 6-महीने का एक केंद्रित इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें आवश्यक कौशल सेट प्राप्त करने में मदद करने के लिए आयोजित किया गया था जो कि उनकी नौकरियों को कुशलता से करने में मदद करेगा।

निगम में कुल कर्मचारी, 31.03.2023 को 111 नंबर थे। 111 कर्मचारियों में से, 10 कर्मचारी अनुसूचित जातियों (एससी) से संबंधित हैं, 4 अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और 21 से अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) से संबंधित हैं।

इसके अलावा, 33 कर्मचारियों को अगले उच्च पदों पर पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, 20 महिला कर्मचारी (19 अधिकारी और 01 गैर-कार्यकारी) सेकी में काम कर रहे हैं, जो कि 31.03.2023 को निगम के कुल कार्यबल का 18% हिस्सा है। सेकी में समग्र औद्योगिक संबंध की स्थिति सौहार्दपूर्ण और अच्छी बनी रही।

VIII. पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, विदेशी विनिमय संरक्षण

पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण

वित्त वर्ष 2022-23 में, सेकी ने 35156 एमयू का नवीकरणीय ऊर्जा का कारोबार किया है, जो 32.7 मिलियन टन कार्बन डाईऑक्साइड (CO₂) उत्सर्जन की बचत में कमी आई है।

विदेशी मुद्रा आय और व्यय

कंपनी ने विदेशी मुद्रा की कोई आय नहीं की है। इस अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा का खर्च मुख्यतः आधिकारिक दौरे और यात्रा, प्रशिक्षण, व्यवसाय प्रचार और सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए ₹ 0.40 करोड़ रुपये है।

IX. कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी

सेकी की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी की पहल को सामाजिक रूप से लाभकारी परियोजनाओं, जो राष्ट्रीय विकास के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण हैं कि आवश्यकता के मुद्दों को प्राथमिकता दे कर और लाभार्थियों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ किया जाता है। कंपनी की सीएसआर निधियों को संबंधित जिला प्रशासन के समन्वय के साथ खर्च किया जाता है ताकि गरीबों और जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया जाए। कंपनी अधिनियम के तहत अपेक्षित प्रमाणन रखने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं को निष्पादित किया जाता है।

इसके अलावा, सेकी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री सुरक्षा निधि में योगदान के अलावा सीएसआर गतिविधियों, स्वास्थ्य, स्वच्छता और सफाई, शिक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता के क्षेत्र में विभिन्न सीएसआर परियोजनाओं के लिए ₹ 477.35 लाख की राशि खर्च की है। वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर गतिविधियों में कंपनी का सबसे अधिक खर्च हुआ। हम आश्वस्त हैं कि कंपनी के व्यवसाय और लाभ में वृद्धि के अनुरूप ही सीएसआर गतिविधियों में भी इसका योगदान उसी अनुपात में बढ़ रहा है।





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन तुलन पत्र

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	8,013.68	8,632.71
उपयोग का अधिकार	3	19,585.35	20,356.91
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4	25,344.78	1,941.37
अमूर्त परिसंपत्ति	5	790.46	1,072.39
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	6	-	-
संयुक्त उद्यमों में निवेश	7	476.00	476.00
वित्तीय परिसंपत्तियां			
ऋण और अग्रिम	8	69.54	79.23
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	9	90,904.04	87,842.98
बांड में निवेश	10	86,482.28	-
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	11	9,166.30	10,716.35
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		2,40,832.43	1,31,117.94
वर्तमान परिसंपत्तियां			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्त	12	1,73,944.27	97,243.86
नकद और नकदी समतुल्य	13	1,32,321.32	1,30,262.23
नकद और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	14	80,995.13	1,21,926.45
ऋण एवं अग्रिम	15	1,657.84	1,649.79
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	16	1,19,126.75	1,20,512.99
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	731.53	1,414.99
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	18	31.29	457.84
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		5,08,808.13	4,73,468.15
कुल परिसंपत्तियां		7,49,640.56	6,04,586.09
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
शेयर पूँजी इक्विटी	19	1,35,400.00	35,400.00
अन्य इक्विटी	20	1,02,231.41	1,70,645.99
कुल इक्विटी		2,37,631.41	2,06,045.99
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	21	301.86	-
पट्टे की देनदारियाँ	22	164.20	161.18
अन्य वित्तीय देयताएं	23	98,980.13	91,551.66
प्रावधान	24	1,004.79	910.55
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	416.85	418.00
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	26	5,287.96	7,236.50



₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		1,06,155.79	1,00,277.89
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	27	-	-
पट्टे की देनदारियाँ	28	12.66	12.06
व्यापार देयताएं	29		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा ऋणदाताओं के कुल बकाया देय		44,451.09	44,349.95
अन्य वित्तीय देयताएं	30	3,36,333.84	2,16,066.62
प्रावधान	31	872.53	802.36
अन्य वर्तमान देयताएं	32	8,161.55	8,227.86
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	33	-	-
कुल वर्तमान देयताएं		3,89,831.67	2,69,458.85
आस्थगित राजस्व	34	16,021.69	28,803.36
कुल इक्विटी और देयताएं		7,49,640.56	6,04,586.09
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

टिप्पणी 1 से 84 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का स्टैंडअलोन विवरण

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व	35	10,79,507.14	7,28,484.79
अन्य आय	36	6,935.84	2,552.88
कुल आय		10,86,442.98	7,31,037.67
व्यय			
सौर विद्युत की खरीद	37	10,34,325.70	6,90,665.87
कर्मचारी हितलाभ व्यय	38	3,196.87	2,853.56
वित्तीय लागत	39	815.16	408.36
मूल्यहास एवं परिशोधन	40	1,750.27	1,683.09
अन्य व्यय	41	3,994.95	3,434.58
कुल व्यय		10,44,082.95	6,99,045.46
कर और असाधारण मदोंसे पूर्व लाभ		42,360.03	31,992.21
असाधारण मदें			
कानून में परिवर्तन के कारण एसपीडी को मुआवजा (संदर्भ टिप्पणी सं. 72)		25,600.53	64,196.25
कानून में परिवर्तन के कारण डिस्काम को मुआवजा (संदर्भ टिप्पणी सं. 72)		(25,600.53)	(64,196.25)
कर पूर्व लाभ व्यय		42,360.03	31,992.21
कर व्यय			
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		10,796.21	7,899.69
पिछले वर्ष		6.89	18.74
आस्थगित कर		(8.03)	41.62
कुल कर व्यय		10,795.07	7,960.05
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		31,564.96	24,032.16
अन्य सम्पूर्ण आय			
वे मदें जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)			
ओसीआई को अंतरित परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः हिसाब लगाना		27.34	(17.73)





₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आयकर सम्बंधित वे मदें जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		(6.88)	4.46
वर्ष हेतु कुल सम्पूर्ण आय (वर्ष हेतु लाभ(हानि) एवं अन्य सम्पूर्ण आय शामिल)		31,585.42	24,018.89
ifr bfDoVh 'k;j vk;			
मूल (₹)		233.12	658.49
तनुकृत (₹)		233.12	658.49
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

टिप्पणी 1 से 84 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गौयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षीदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडअलोन नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	42,360.03	31,992.21
जोड़े : अन्य सम्पूर्ण आय / (व्यय)	27.34	(17.73)
	42,387.37	31,974.48
निम्न के लिए समायोजन :		
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	1,750.27	1,683.09
वित्तीय लागत – पट्टा देयताएं	15.68	15.33
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के निपटान पर हानि	0.10	(7.93)
बड़े खाते डाले खर्च	2.83	34.34
वित्त लागत – ऋण पर ब्याज	359.06	8.11
अन्य को प्रावधान	3.47	3.47
हानि हेतु प्रावधान	8.18	85.60
निष्पादन गारंटी जमा पर डिस्काउंट की अनवाइंडिंग और धारण राशि	342.90	321.98
आस्थगित राजस्व व्यय प्रतिभूति जमा प्राप्यों की अभिस्वीकृति	0.76	0.76
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा की अभिस्वीकृति	(759.88)	(760.94)
प्रतिभूति जमा प्राप्यों पर डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	(0.39)	(0.35)
आस्थगित पेट्रोल व्यय	(3.56)	2.66
आस्थगित आय से अभिज्ञात सरकारी अनुदान	(17.99)	(17.99)
लाभांश आय	(948.75)	(881.45)
ब्याज आय	(5,186.19)	(859.96)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	37,953.85	31,601.20



₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समायोजन हेतु :		
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	(76,708.59)	(11,947.92)
नकद एवं नकदी समतुल्य, ऋण एवं अग्रिम एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	1,20,219.13	(93,369.76)
परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	13.51	12.78
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	683.46	(955.63)
व्यापार देयताओं, प्रावधानों एवं अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी	1,13,596.22	89,189.85
प्रचालनों से सृजित/(उपयोग) नकदी	1,95,757.58	14,530.52
अदा किया गया प्रत्यक्ष कर	(10,376.55)	(7,764.06)
परिचालन गतिविधियों से/में निवल नकदी प्रवाह – क	1,85,381.03	6,766.46
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पूँजीगत अग्रिमों में(वृद्धि)/कमी	1,536.54	(8,201.50)
मियादी जमाओं में निवेश	(80,957.80)	(1,00,031.64)
संयुक्त उद्यमों में निवेश	(86,482.28)	-
लाभांश आय	948.75	881.45
ब्याज की आय	5,186.19	859.96
पूँजीगत निर्माणाधीन कार्यों में निवेश	(23,406.24)	(1,639.62)
विकासाधीन अमूर्त आस्तियों में निवेश	-	-
मियादी आस्तियों का निस्तारण	5.24	15.50
मियादी आस्तियों की खरीद	(83.09)	(75.04)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह दृख	(1,83,252.69)	(1,08,190.89)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूँजी इक्विटी जारी करने से राशि	1,00,000.00	-
लंबित आवंटन शेयर आवेदन राशि	(1,00,000.00)	1,00,000.00
दीर्घावधि ऋणों की प्राप्ति	301.86	-





₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रदत्त पट्टा देयता	(12.06)	(11.49)
प्रदत्त ब्याज	(359.06)	(8.11)
प्रदत्त लाभांश —	-	(5,331.24)
लाभांश पर कर	-	-
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह — ग	(69.26)	94,649.16
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल (कमी/वृद्धि) (क+ख+ग)	2,059.08	(6,775.27)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष (अधोलिखित नोट सं. 1 एवं 2 देखें)	1,30,262.23	1,37,037.50
वर्षांत में नकदी और नकदी समकक्ष (अधोलिखित नोट सं. 1 एवं 2 देखें)	1,32,321.31	1,30,262.23

टिप्पणी :

- नकद और नकद समकक्षों में चालू खातों, बचत खातों, ऑटो-स्वीप सावधि जमा, 3 महीने तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा और उस पर अर्जित ब्याज में बैंकों के साथ शेष राशि शामिल है।
- नोट 13 के अनुसार नकद और नकद समकक्षों का समाधान।
- जहां भी आवश्यक समझा गया पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- उधार सुविधाओं के लिए नोट संख्या 51 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का स्टैंडअलोन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधिभूल से इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालूरिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में पुनरुक्तित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 को शेष
35,400	-	35,400	1,00,000	1,35,400

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्वावधिभूल से इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालूरिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में पुनरुक्तित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
35,400	-	35,400		35,400

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	लंबित आवंटन की शेयर आवेदन राशि	रिजर्व और अधिशेष कुल प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2022 को शेष	1,00,000.00	70,645.99	1,70,645.99
पूर्व अवधि त्रुटियाँ .			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनरुक्तित शेष राशि			
वर्ष के लिए लाभ		31,564.96	31,564.96
अन्य सम्पूर्ण आय		20.46	20.46
वर्ष के दौरान शयरों का आवंटन	(1,00,000.00)		(1,00,000.00)
कुल सम्पूर्ण आय	-	1,02,231.41	1,02,231.41
शेष आय मद्/से अंतरित			
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	-		-
अंतिम लाभांश – वित्तीय वर्ष 2020-21 (नोट संख्या 19 देखें)		-	-
31 मार्च 2023 को शेष	-	1,02,231.41	1,02,231.41





31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	लंबित आवंटन की शेयर आवेदन राशि	रिजर्व और अधिशेष	कुल
		कुल प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2021 को शेष	-	51,958.34	51,958.34
पूर्व अवधि त्रुटियाँ			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में पुनर्कथित शेष राशि			
वर्ष के लिए लाभ	-	24,032.16	24,032.16
अन्य सम्पूर्ण आय	-	(13.27)	(13.27)
कुल सम्पूर्ण आय	-	75,977.23	75,977.23
प्रतिधारित आय को/से अंतरण		-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	1,00,000.00	-	1,00,000.00
अंतिम लाभांश – वित्तीय वर्ष 2020–21 (नोट संख्या 19 देखें)		(5,331.24)	(5,331.24)
31 मार्च 2022 को शेष	1,00,000.00	70,645.99	1,70,645.99

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

कंपनी की जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

स्टैंडअलोन वित्तीय वक्तव्यों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 1:

क. रिपोर्टिंग इकाई

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में अधिवासित कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है (सीआईएन: U40106DL2011GOI225263)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता 6वीं मंजिल, प्लेट बी, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर-2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली -110023 है। कंपनी मुख्य रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कई योजनाओं के कार्यान्वयन में लगी हुई है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजनाएं शामिल हैं। (जेएनएनएसएम), पवन ऊर्जा परियोजनाएं, सौर पार्क योजनाएं और ग्रिड-कनेक्टेड सोलर रूफटॉप योजनाओं के साथ-साथ कई अन्य विशिष्ट योजनाएं। कंपनी सोलर, विंड, हाईब्रिड और फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट्स की नीलामी में भी लगी हुई है। कंपनी के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से अक्षय ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है। कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने में भी शामिल है। कंपनी अक्षय ऊर्जा बिजली के उत्पादन और बिक्री में भी लगी हुई है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (से हद तक अधिसूचित और लागू), विद्युत अधिनियम 2003 लागू हद तक।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 10.08.2023 को आयोजित बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (लेखांकन नीति बिंदु संख्या 18 अर्थात "वित्तीय उपकरण")। उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर आगे वित्तीय विवरणों के नोट्स में चर्चा की गई है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में बदल दिया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया है।

4. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

कंपनी वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करती है।





एक संपत्ति वर्तमान है जब यह है:

- » सामान्य परिचालन चक्र में प्राप्त होने की उम्मीद या बेचने या उपभोग करने का इरादा;
- » व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित;
- » रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीनों के भीतर वसूली की उम्मीद; या
- » नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी देयता को निपटाने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व वर्तमान है जब:

- » इसके सामान्य परिचालन चक्र में तय होने की उम्मीद है;
- » यह मुख्य रूप से व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में व्यापार के उद्देश्य के लिए देय है;
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान किया जाना है; या
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्तियों/देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

वित्तीय विवरणों की तैयारी में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है। कंपनी ने इंड एस 16 और इंड एस 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करके इंड एस 101 के तहत विकल्प का उपयोग करने के लिए चुना है और पिछले जीएएपी का उपयोग करना जारी रखा है। इंड एस के तहत ट्रांजिशन की तारीख यानी 1 अप्रैल 2016 पर इंड एस के तहत मानी गई लागत के रूप में राशि। इसलिए, 1 अप्रैल 2016 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की अग्रणीत राशि, यानी कंपनी की तारीख इंडस्ट्रीज एस में संक्रमण के, इंड एस में संक्रमण पर बनाए रखा गया था।

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

1.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे और मद की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वस्तुओं को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है।

बाद में माप लागत घटा संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि हानियों पर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो संपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है और इसके लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से पहचाना जाता है।

मुआवजे, पुनर्वास और कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य खर्चों के लिए अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

उपयोग में लाई गई संपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान प्रभावित होना बाकी है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण





किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करने वाले स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की वस्तुओं को अधिग्रहण पर पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रूप में ले जाया जाता है और खपत पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लीजहोल्ड भूमि पर परिसंपत्तियों के निर्माण को भवन/सुधार के रूप में तब पूंजीकृत किया जाता है जब निर्माण वास्तविक लागत पर पूरा किया जाता है और लीज की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

1.2. बाद की लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभव है कि लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के हिस्से को बदलने की लागत को मद की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि भाग के भीतर सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। बदले गए हिस्से की वहन राशि की पहचान रद्द कर दी गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

1.3. मान्यता समाप्त

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है, और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

1.4. अवमूल्यन और परिशोधन

कंपनी के बिजली उत्पादन इकाइयों के संपत्ति संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर टैरिफके निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची ८ के अनुसार लाभ और हानि के विवरण के लिए लगाया जाता है।

सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद बिजली व्यवसाय के उत्पादन से संबंधित भवनों का मूल्यह्रास किया जाता है। आरओयू संपत्तियों को लीज अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के बाद ऊपर निर्दिष्ट संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि/विलोपन पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/उस तिथि तक प्रभारित किया जाता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है/निपटान कर दी जाती है। जहां विनियम में उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कर्तव्यों में परिवर्तन या इसी तरह के कारकों के कारण लंबी अवधि की देनदारियों में वृद्धि/कमी के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, ऐसी संपत्ति की अपरिशोधित शेष राशि को संभावित रूप से चार्ज किया जाता है। मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों के बाद निर्धारित शेष उपयोगी जीवन।

भौतिकता के कारण अधिग्रहण के वर्ष में व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000 या उससे कम की लागत वाली संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।





1.5. पट्टे

1) कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत भूमि, भवन और सौर ऊर्जा संयंत्र के पट्टे शामिल हैं। कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध की शुरुआत में अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार बताता है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (प) अनुबंध में पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (पप) कंपनी के पास इसके उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं। पट्टे की अवधि के माध्यम से संपत्ति और (पपप) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी एक उपयोग के अधिकार ("आरओयू") और सभी पट्टे व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित पट्टा देयता को पहचानती है जिसमें यह एक पट्टेदार है, बारह महीने की अवधि के पट्टों को छोड़कर या कम (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है। प्रारंभ तिथि पर, पट्टे की देनदारी के माप में शामिल पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान शामिल होते हैं, जो किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को प्राप्त करने योग्य और चर पट्टे के भुगतान को शामिल करते हैं, जो एक सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, शुरू में सूचकांक या दर का उपयोग करके प्रारंभ तिथि पर मापा जाता है। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत सोलर पावर प्लांट के मामले में, चर लीज भुगतान पूरी तरह से पहचानी गई संपत्ति से आउटपुट की मात्रा पर निर्भर है, इन भुगतानों को लीज देनदारी और उपयोग के अधिकार संपत्ति के निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना है। कंपनी इन परिवर्ती पट्टा भुगतानों को लाभ या हानि में प्रभावित करेगी जब वे देय हो जाएंगे। (बिंदु 10 देखें)।

2) कंपनी पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए कंपनी पट्टेदार है को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टादाता है, तो यह हेड लीज और सबलीज में अलग-अलग अपने हितों के लिए खाता है। उपठेके को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली आरओयू संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टों के लिए, प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान किराये की आय को सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

2. पूंजी कार्य-प्रगति

स्व-निर्मित संपत्ति की लागत में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, संपत्ति को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई अन्य लागत और प्रबंधन और उधार लागत के अनुसार संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें शामिल हैं।

3. अमूर्त संपत्ति और विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

3.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है अगर और केवल अगर यह संभव है कि भविष्य में संभावित आर्थिक लाभ जो परिसंपत्ति के लिए जिम्मेदार हैं, कंपनी के लिए प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।





कंपनी द्वारा अधिगृहीत की जाने वाली अमूर्त संपत्तियां, जिनके सीमित उपयोगी जीवन हैं, लागत पर पहचानी जाती हैं। इसके बाद का माप लागत घटा संचित परिशोधन और संचित हानि हानियों पर किया जाता है। लागत में किसी प्रत्यक्ष रूप से आरोपणीय आकस्मिक खर्च शामिल है जो संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है। किए गए व्यय जो अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में ले जाया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

3.2. मान्यता समाप्त

एक अमूर्त संपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। अमूर्त संपत्ति की एक मद के निपटान पर लाभ और हानि अमूर्त संपत्ति की अग्रणीत राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

3.3. ऋणमुक्ति

अमूर्त संपत्ति का उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या 5 साल, जो भी कम हो, पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

4. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में (क) इंड एस 109 – 'वित्तीय उपकरण' (ख) इंड एस 116 – 'लीज' और (ग) के अनुसार मान्यता प्राप्त पट्टा देयता के संबंध में वित्त शुल्क प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज व्यय शामिल है।) विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर इस हद तक कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार उधार लागत को ऐसी संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती। अर्हक संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं।

जब कंपनी विशेष रूप से योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेती है, तो उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब कंपनी आम तौर पर धन उधार लेती है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से उनका उपयोग करती है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण सामान्य उधार की भारित औसत लागत के आधार पर गणना की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया है और अधिग्रहण, अर्हक संपत्ति को निर्माण/अन्वेषण या के लिए उपयोग किया जाता है।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब पात्र संपत्तियों को उनके इच्छित उपयोगों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई धन उधार लेने के संबंध में खर्च करती है।

उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जो कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

5. सूची

इन्वेंटरी का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर होता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। खरीदी गई वस्तु-सूची की लागत छूट और छूट घटाकर निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है।





6. नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

7. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान प्राप्त होने पर शुरू में आस्थगित आय के रूप में पहचाने जाते हैं और/या उचित आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें प्राप्त किया जाएगा और कंपनी अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगी। किसी परिसंपत्ति की लागत के लिए कंपनी की क्षतिपूर्ति करने वाले अनुदानों को संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। अनुदान जो कंपनी को किए गए खर्चों की भरपाई करते हैं, उस अवधि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें संबंधित लागतें खर्च की जाती हैं और संबंधित खर्चों से कटौती की जाती है।

अप्रयुक्त अनुदान में से निधि निवेश पर अर्जित ब्याज को अनुदान माना जाता है।

8. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यदि किसी पिछली घटना के परिणाम स्वरूप, कंपनी के पास वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, जिसका अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को निपटाने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से वसूल किए जाने की उम्मीद है, प्राप्य को एक संपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह वास्तव में निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है – किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया गया है—

आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का अनुमान मजबूती से नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि विकास वित्तीय विवरणों में उचित रूप से परिलक्षित होता है।

9. राजस्व

कंपनी का राजस्व बिजली की बिक्री, परामर्श, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं और अन्य आय से उत्पन्न होता है।





9.1. आउटपुट के आधार पर बिजली की बिक्री/वैरिबल लीज रसीदों से प्राप्त राजस्व।

जाता है। बिजली/वैरिबल लीज रसीदों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिजली बिक्री समझौतों (पीएसए) के नियमों और शर्तों के आधार पर और खरीद उपयोगिताओं के साथ सहमत दरों के अनुसार पहचाना जाता है। इकाइयों (केडब्ल्यूएच) की पहचान संयुक्त मीटर रीडिंग/स्टेट एनर्जी अकाउंटिंग (जेएमआर)/ (एसईए) के आधार पर राज्य के अंदर बिजली बिक्री के मामले में और रीजनल एनर्जी अकाउंटिंग (आरईए) के आधार पर अंतर-राज्यीय बिजली बिक्री के मामले में की जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग पर दिनांक बिजली की बिक्री से राजस्व/परिवर्तनीय पट्टे की रसीदों में लाभार्थियों को की गई बिक्री शामिल है लेकिन बिल नहीं किया गया है अर्थात् बिल न किया गया राजस्व।

व्यापार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बिक्री लेनदेन को नियमित अंतराल पर समेटा जाता है। लाभार्थियों को छूट की अनुमति दी जाती है क्योंकि प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहनों को राजस्व की राशि से घटाया जाता है।

9.2. सेवाओं से राजस्व

परामर्श, परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रदान की गई अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट है या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। कंपनी राजस्व को पहचानती है जब (या के रूप में) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आम तौर पर तब होता है जब (या के रूप में) सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

अनुबंध संशोधनों का हिसाब तब लगाया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत में जोड़, विलोपन या परिवर्तन को मंजूरी दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएँ जो अलग नहीं हैं, उनका संचयी कैचअप आधार पर हिसाब लगाया जाता है, जबकि जो अलग हैं, उन्हें संभावित रूप से या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर तय की जाती है, या मौजूदा की समाप्ति के रूप में माना जाता है। स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर कीमत न होने पर अनुबंध और नए अनुबंध का निर्माण।

9.2.1. ग्रिड/ऑफ ग्रिड – रूफटॉप परियोजनाओं/सौर ऊर्जा परियोजनाओं/पवन ऊर्जा परियोजनाओं/हाइब्रिड परियोजनाओं/फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं के मामले में राजस्व मान्यता।

प्रचार, अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, क्षेत्र के दौरे, निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन आदि के लिए छत परियोजनाओं के संबंध में एमएनआरई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का 3%/2% प्रदान करता है। छत परियोजनाओं के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से राजस्व – ग्रिड/ऑफ ग्रिड को प्रगति के चरण और परियोजनाओं/योजनाओं की संबंधित शर्तों से संबंधित व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है। विशेष योजना के मामले में, जहां राजस्व को मान्यता दी गई है और योजना को बंद कर दिया गया है/क्षमता को बाद में चालू कर दिया गया है, पहले मान्यता प्राप्त राजस्व के किसी भी प्रभाव को तदनुसार उलट दिया गया है।

प्रचार, अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और फील्ड यात्राओं के लिए किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर मान्यता प्राप्त राजस्व से घटा दिया जाता है और शुद्ध आय का खुलासा किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान किया गया व्यय नीति के अनुरूप मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में अधिक है, तो उसे बाद के वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व में से समायोजित किया जाता है।

रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के तहत डेवलपर से प्राप्त/प्राप्ति योग्य सेवा शुल्क (यदि कोई हो तो देय प्रोत्साहन का शुद्ध) को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है जिसमें परियोजना क्षमता स्वीकृत की जाती है।





हालांकि, सेवा शुल्क बेंचमार्क लागत में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किए जाते हैं। कमीशनिंग / वास्तविक क्षमता कमीशन के समय लागू (यदि कोई हो)।

एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के तहत फंड हैंडलिंग शुल्क वितरित धन के अनुपात में आय के रूप में पहचाने जाते हैं।

सोलर/विंड/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट्स के संबंध में सक्सेस फीस सोलर/विंड/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर डेवलपर्स से ली जा रही है। तकनीकी अनुमानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों/सेवाओं के पूरा होने के आधार पर एलओए/एलओआई जारी करने के समय प्रोद्भवन के आधार पर कुल सफलता शुल्क का 90% आय के रूप में पहचाना जाता है और शेष 10% सोलर की स्थापना के समय मान्यता प्राप्त है। विंड/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट्स।

निर्माण सुविधा से जुड़े सोलर पीवी पावर प्लांट के संबंध में सफलता शुल्क सौर ऊर्जा डेवलपर्स से लिया जा रहा है।

तकनीकी अनुमान और परियोजना की लंबी अवधि के अनुसार, बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के समय अर्जित आधार पर कुल सफलता शुल्क का 40%, वित्तीय समापन (एफसी) पर 50% और शेष 10% की आय को मान्यता दी गई है सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के समय मान्यता प्राप्त है।

9.3. राजस्व मान्यता – अन्य परिचालन आय और अन्य आय

अन्य परिचालन आय और अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश, विलंबित भुगतान के लिए ग्राहकों से प्राप्त अधिभार, निविदा शुल्क, स्क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि।

प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए, बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होने पर ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

स्क्रेप का हिसाब तब लगाया जाता है जब उसे बेचा जाता है। लाभ की हानि के लिए बीमा दावों को स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है। वसूली की निश्चितता के आधार पर अन्य बीमा दावों का हिसाब लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, ईआईआर का उपयोग करके ब्याज आय दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत के लिए अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती है। ईआईआर की गणना करते समय, कंपनी वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाती है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करती है।

लाभ-हानि विवरण में ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है। बिजली की बिक्री के लिए देर से भुगतान/अतिदेय विविध देनदारों पर ब्याज/अधिभार को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों के साथ-साथ वारंटी दावों पर वसूली योग्य ब्याज/अधिभार, सेवा शुल्कों के देर से भुगतान पर ब्याज शुल्क, परिनिर्धारित नुकसान, प्रदर्शन बैंक गारंटी की जब्ती, देर से जमा करने पर देरी शुल्क, बैंक गारंटी और निविदा शुल्क जहां वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता है उपार्जित के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए, प्राप्ति/स्वीकृति पर हिसाब लगाया जाता है।





लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी पहचाना जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ कंपनी को प्रवाहित होंगे और लाभांश की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है।

10. आउटपुट के आधार पर बिजली की खरीद/परिवर्तनीय पट्टा भुगतान

सौर ऊर्जा के साथ निष्पादित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की शर्तों के अनुसार संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखा/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर आउटपुट के आधार पर बिजली की खरीद/चर पट्टा भुगतान का हिसाब लगाया जाता है। डेवलपर्स (एसपीडी)। खरीदी गई इकाइयों का व्यापार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलान किया जाता है। डिस्कॉम को बिल की गई इकाइयों से अधिक खरीदी गई इकाइयों की वसूली एसपीडी से की जाती है। (बिंदु 1.5 देखें)। शुरुआती भुगतान प्रोत्साहन के रूप में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त छूट को खरीद की राशि से घटा दिया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ, अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हैं।

11.1. अल्पावधि लाभ

जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में बिना छूट वाली राशि पर अल्पावधि कर्मचारी लाभ को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणाम स्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए कंपनी का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है और दायित्व का अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है, तो प्रदर्शन संबंधी वेतन के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है।

11.2. परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान योजनाएँ वे योजनाएँ हैं जिनमें एक इकाई अलग-अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। वर्ष के दौरान प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में कंपनी के भुगतान/देय योगदान को उपार्जन के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। कंपनी की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद अन्य सेवानिवृत्ति योजना:

मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30: से अधिक नहीं की राशि की सीमा तक रोजगार के बाद के लाभों के लिए कंपनी का दायित्व है। तदनुसार, कंपनी भविष्य निधि, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, पोस्ट- के लिए नियोक्ता के योगदान पर विचार करने के बाद देयता प्रदान करती है। सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। उसी को लाभ और हानि के विवरण में आरोपित किया जाता है।

11.3. परिभाषित लाभ योजनाएँ

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक पोस्ट-रोजगार लाभ योजना है।

ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के प्रति कंपनी की देनदारी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।





परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग से भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में अपनी सेवा के बदले में अर्जित की है उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। किसी भी अपरिचित पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना संपत्ति का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियां कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती हैं और जो उसी मुद्रा में अंकित हैं जिसमें लाभों का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक योग्य एक्जुअरी द्वारा वार्षिक रूप से गणना की जाती है। जब गणना के परिणाम स्वरूप कंपनी के लिए देयता होती है, तो देयता के वर्तमान मूल्य को कर्मचारी लाभ के प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी बीमांकिक लाभ या हानि को ओसीआई में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

11.4. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

कंपनी के अवकाश नकदीकरण के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का गठन करते हैं। अवकाश नकदीकरण का निर्धारण वर्ष के अंत में उपलब्ध अवकाश पात्रता और अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में कंपनी का शुद्ध दायित्व भविष्य के लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले में अर्जित किया है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित संपत्ति का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों की प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथि कंपनी के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है। किसी बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ या हानि में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, भले ही वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।

11.5. प्रति नियुक्ति

कंपनी के साथ प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के छुट्टी नकदीकरण और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में देयता को मूल संगठनों की प्रतिनियुक्ति के नियमों और शर्तों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

12. विदेशी मुद्रा लेनदेन और अनुवाद

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिस दिन लेन-देन पहली बार मान्यता के लिए योग्य होता है।

मौद्रिक आस्तियों और विदेशी मुद्राओं में निहित देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापा जाता है।

13. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, कर दरों को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है और जैसा कि रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होता है, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन।





आस्थगित कर को बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती है। आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियां ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देनदारियों और संपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय इसके कि यह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

एक आस्थगित कर संपत्ति को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम किया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएगा।

14. गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षति

कंपनी की गैर-वित्तीय संपत्तियों की अग्रणी राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंडस्ट्रीज एएस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है।

एक हानि क्षति को मान्यता दी जाती है यदि किसी परिसंपत्ति की अग्रणी राशि इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। किसी भी संकेत के लिए कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पूर्व की अवधि में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का आकलन किया जाता है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि उलट दी जाती है। हानि क्षति को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है कि परिसंपत्ति की अग्रणी राशि उस अग्रणी राशि से अधिक न हो जो मूल्यह्रास या परिशोधन को घटाकर निर्धारित की गई होती, यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि की पहचान नहीं की गई होती।

15. सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां

सामग्री की पिछली अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनरु प्रस्तुत करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि सबसे पहले प्रस्तुत की गई अवधि से पहले हुई है, तो पेश की गई शुरुआती अवधि के लिए संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से बताया गया है।

16. प्रति शेयर आय

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर मिश्रित आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ या हानि को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जो प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय प्राप्त करने के लिए मानी जाती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी हो सकती है। सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया गया।

17. कैश फ्लो स्टेटमेंट

कैश फ्लो इंड एएस 7 स्टेटमेंट 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।





18. वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

18.1. वित्तीय संपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय संपत्तियों के मामले में सभी वित्तीय संपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, लेन-देन की लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण या मुद्दे के कारण होती है।

बाद का माप

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'ऋण लिखत' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- (क) संपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- (ख) संपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान बकाया मूल राशि पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय संपत्तियों को बाद में EIR पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एक 'ऋण लिखत' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- (क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्तियों को बेचने, और दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है
- (ख) संपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को शुरू में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी लाभ और हानि में ब्याज आय, हानि नुकसान और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानती है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, पूर्व में ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में सूचित किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण लिखतों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल। हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता की असंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में पहचाने गए सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।





इक्विटी निवेश

संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत पर मापा जाता है।

मान्यता समाप्त

एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, एक वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्ति की कंपनी का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी कंपनी की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है):

- » संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- » कंपनी ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना पूर्ण रूप से प्राप्त नकदी प्रवाह का भुगतान करने का दायित्व मान लिया है; और या तो
- (क) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या
- (ख) कंपनी ने संपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

इंडस्ट्रीज एएस 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- (क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, उदाहरण के लिए, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्त्य और बैंक शेष।
- (ख) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के रूप में मापी जाती हैं।
- (ग) इंड एएस 116 के तहत लीज प्राप्त्य।
- (घ) इंड एएस 115 के तहत व्यापार प्राप्त्य।
- (ड.) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।
- (च) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

अन्य वित्तीय संपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि हानि की पहचान के लिए, कंपनी यह निर्धारित करती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ा है, तो 12 महीने की ईसीएल का उपयोग हानि हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि आरंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो प्रतिष्ठान 12-महीने की ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ता को पहचानने के लिए वापस लौट जाता है।

18.2. वित्तीय देनदारियों

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और उधार लेने के मामले में प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लेनदेन लागतों को घटाकर पहचाना जाता है। कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध शामिल हैं।

बाद का माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:





परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में मूट पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के साथ-साथ अमान्य कर दिया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्त लागत में शामिल है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार देय और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां (एफवीटीपीएल)

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, उचित मूल्य लाभ/हानि जो स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण होता है, ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ/हानि को बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकती है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय दायित्व निर्दिष्ट नहीं किया है।

मान्यता समाप्त

एक वित्तीय दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अमान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

19. ऑपरेटिंग सेगमेंट

इंडस्ट्रीज एस 108 के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान कंपनी के प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है ताकि सेगमेंट को संसाधन आवंटित किए जा सकें और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एस स्टेटमेंट 108 के अर्थ में कंपनी का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' है। आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं।

सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले सेगमेंट परिणामों में सीधे सेगमेंट के साथ-साथ उचित आधार पर आवंटित किए जा सकने वाले आइटम शामिल हैं। अनाबंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल हैं।

सेगमेंट के लिए सीधे जिम्मेदार आय को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त संपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि के दौरान की गई कुल लागत है।





सेगमेंट संपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति, व्यापार और अन्य प्राप्य, इन्वेंट्री और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या यथोचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधित सेगमेंट के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग की सीमा के आधार पर सेगमेंट को आवंटित किए गए हैं। सेगमेंट एसेट्स में निवेश, इनकम टैक्स एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल एडवांस, कॉरपोरेट एसेट्स और अन्य मौजूदा एसेट्स शामिल नहीं हैं जिन्हें यथोचित रूप से सेगमेंट में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड की देनदारियों में एक खंड के संबंध में सभी परिचालन देनदारियां शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। सेगमेंट देनदारियों में इक्विटी, आयकर देनदारियां, ऋण और उधार और अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से सेगमेंट में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

20. लाभांश

कंपनी के शेयरधारकों को भुगतान किए गए/देय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

21. संवितरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)

सेकी एमएनआरई की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और संबंधित स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएफए के संवितरण में शामिल है।

एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को अन्य वित्तीय चालू देयता के तहत दिखाया जाता है और इन निधियों पर अर्जित ब्याज भी संबंधित सीएफए में जमा किया जाता है।

सीएफए का संवितरण संबंधित पक्षों को प्राप्त मील के पथर के अनुसार और संबंधित स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार भी किया जाता है।

22. भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ)

750 मेगावाट 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, डेवलपर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा कोष (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 4 फरवरी 2019 के अपने आदेश द्वारा वीजीएफ योजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण से प्राप्त धन, इस कोष पर अर्जित ब्याज, शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहन (यदि पूर्व भुगतान के लिए उपयोग की गई राशि का पीएसएफ से भुगतान किया गया है) और सरकार से अनुदान इस निधि में जमा किया जाएगा और लगाया जाएगा विकासकर्ताओं/विद्युत उत्पादकों द्वारा देय प्रति इकाई शुल्क (यदि कोई हो) भी इस कोष में जमा किया जायेगा।

आदेश के अनुसार निधि का उपयोग किया जाएगा:

- (क) खरीद उपयोगिताओं से भुगतान प्राप्त करने में देरी के मामले में सौर परियोजना डेवलपर्स को समय पर भुगतान करने के लिए।
- (ख) पीएसए/पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय परिकल्पित लंबी अवधि की खुली पहुंच, पारेषण शुल्क आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से साख पत्र/बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बल्क के अनुसार लागू शुल्क लागू विनियमों के अनुरूप सीटीयू/एसटीयू के साथ पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट (बीपीटीए) पर हस्ताक्षर किए गए।
- (ग) नीति/नियामक मुद्दों/निर्णयों और पारेषण-निकासी/ओपन एक्सेस बाधाओं आदि के कारण खरीदार से टैरिफ की कम वसूली के मामले में सहमत पीपीए दर से डेवलपर्स को अंतर भुगतान करना।
- (घ) लागू विनियमों के अनुसार, अल्पावधि ओपन एक्सेस शुल्क के कारण भुगतान करने के लिए।





(ड.) पीपीए/पीएसए/वीजीएफ प्रतिभूतिकरण की परिचालन संबंधी कठिनाइयों से उत्पन्न मुद्दों सहित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमेबाजी और मध्यस्थता पुरस्कार आदि के कारण किसी भी शुल्क के लिए।

विभिन्न एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत देय टैरिफ को हस्ताक्षरित पीपीए से कम कर दिया गया है। टैरिफ में कमी के कारण सौर ऊर्जा की खरीद में कमी की कोई भी राशि सीधे पीएसएफ में जमा की जा रही है।

राज्य ऊर्जा लेखा (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के कारण बिजली की बिक्री और खरीद की इकाइयों में उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को खातों में ठीक से निपटाया जाता है। खरीदी गई इकाइयों की तुलना में बेची गई इकाइयों की अधिकता के मामले में, अंतर को भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में जमा किया जाता है।

ट्रांसमिशन कंपनियों को किए गए भुगतान और एसईसीआई द्वारा डीआईएससीओएम/खरीद उपयोगिताओं से ट्रांसमिशन शुल्क के लिए प्राप्त भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को पीएसएफ में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ योजनाओं पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार निष्पादन गारंटी जमा पर प्राप्त विस्तार धन/अर्जित ब्याज भी जमा किया जाएगा।

सोलर पार्क कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) से प्राप्त विलंब शुल्क भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट जीएफएस योजनाओं पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाएगा।

पीएसएफ खाते में पड़े फंड को चालू देनदारियों के तहत वित्तीय देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

23. बैंक गारंटी नकदीकरण/विकासकर्ता द्वारा बीजी नकदीकरण (विंड/हाइब्रिड/सोलर/फ्लोटिंग सोलर) के एवज में जमा की गई धनराशि (मानक बोली दिशानिर्देश— गैर वीजीएफ योजनाएं)

विंड/हाइब्रिड/सोलर/फ्लोटिंग सोलर (स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइंस— नॉन वीजीएफ स्कीम्स) के तहत बैंक गारंटी के नकदीकरण/विकासकर्ता द्वारा बीजी नकदीकरण के एवज में जमा की गई धनराशि को ब्याज वाले खाते में अलग से रखा जा रहा है। इसके अलावा, इन निधियों पर अर्जित ब्याज भी उसी खाते में जमा किया जाता है, जो एमएनआरई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के लंबित होने के कारण होता है।

24. ट्रांसमिशन प्रभार

बिजली की खरीद/बिक्री के एक हिस्से के रूप में, पारेषण शुल्क प्रकृति में प्रतिपूर्ति योग्य हैं जो कि खरीद उपयोगिता से वसूल किए जाते हैं और कंपनी की ओर से कोई देयता नहीं होने पर एसएलडीसी को देय होते हैं। बायिंग यूटिलिटीज से वसूली योग्य बिल न किए गए पारेषण शुल्कों के लिए प्रावधान को मान्यता दी गई है और अन्य चालू वित्तीय संपत्तियों के तहत दिखाया गया है और एसएलडीसी को देय तदनुसारी अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

क. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन और संपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरणों के साथ-साथ आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के संबंध में रिपोर्ट किए गए मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। बैलेंस शीट की तारीख। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।

अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है। वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है।



1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों जैसे कि उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी विकास और प्राप्त करने के लिए आवश्यक रखरखाव व्यय के स्तर सहित कई कारकों पर आधारित है। परिसंपत्ति से अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करती है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित की जाती है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि

संयंत्र और उपकरणों की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से अपेक्षित बाजार दृष्टिकोण और बिजली संयंत्रों से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के संबंध में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

3. पोस्ट-रोजगार लाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और वापसी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास से संबंधित धारणाएँ, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। कंपनी का मानना है कि इसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

4. राजस्व

कंपनी टैरिफ दरों के आधार पर बिजली की बिक्री से राजस्व रिकॉर्ड करती है, जैसा कि संबंधित समझौतों में निर्दिष्ट है और इंड एस 115 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार है। ऐसे मामलों में जहां इकाइयों का पता लगाया जाना बाकी है, अनंतिम इकाइयों को मान्यता के उद्देश्य से माना जाना है।

5. बिक्री के लिए धारित संपत्ति

इंड एस 105 'बिक्री और बंद संचालन के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियाँ' के तहत बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष के भीतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए निर्णय लिया है कि क्या उनकी अग्रणी राशि मुख्य रूप से जारी रखने के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी।

6. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। तत्पश्चात् यदि परिस्थितियाँ अप्रत्याशित घटनाक्रमों को बदलती हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

7. गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि परीक्षण

संयुक्त उद्यमों में निवेश की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से निवेश प्राप्तकर्ता कंपनी के संचालन से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप हानि हो सकती है।





टिप्पणी 2 : गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इमारतें	81.31	-	-	81.31	28.44	4.74	-	33.18	48.13	52.87
संयंत्र एवं मशीनरी	10,786.37	-	-	10,786.37	2,590.27	583.35	-	3,173.62	7,612.75	8,196.10
कम्प्यूटर एंडयूज़र डिवाइस	168.90	43.82	(6.66)	206.06	107.62	36.73	(4.05)	140.30	65.76	61.28
कम्प्यूटरसर्वर एवं नेटवर्क	10.64	-	-	10.64	6.66	0.81	-	7.47	3.17	3.98
फर्निचर एवं फिक्सचर-ऑफिस	153.91	8.28	(2.48)	159.71	21.13	15.41	(0.93)	35.61	124.10	132.78
मोटर कार	51.61	-	(15.66)	35.95	17.12	4.80	(14.88)	7.04	28.91	34.49
कार्यालय उपकरण	260.98	24.10	(1.94)	283.14	109.77	44.05	(1.54)	152.28	130.86	151.21
कुल	11,513.72	76.20	(26.74)	11,563.18	2,881.01	689.89	(21.40)	3,549.50	8,013.68	8,632.71

31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2021 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के लिए	कटौती / समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इमारतें	81.31	-	-	81.31	23.70	4.74	-	28.44	52.87	57.61
संयंत्र एवं मशीनरी	10,763.05	-	23.32	10,786.37	2,006.47	583.80	-	2,590.27	8,196.10	8,756.58
कम्प्यूटर एंडयूज़र डिवाइस	144.24	27.83	(3.17)	168.90	76.80	32.48	(1.66)	107.62	61.28	67.44
कम्प्यूटरसर्वर एवं नेटवर्क	10.64	-	-	10.64	5.49	1.17	-	6.66	3.98	5.15
फर्निचर एवं फिक्सचर-ऑफिस	154.97	0.37	(1.43)	153.91	6.56	14.70	(0.13)	21.13	132.78	148.41
मोटर कार	93.25	-	(41.64)	51.61	49.83	5.78	(38.49)	17.12	34.49	43.42
कार्यालय उपकरण	236.90	26.02	(1.94)	260.98	69.32	40.78	(0.33)	109.77	151.21	167.58
कुल	11,484.36	54.22	(24.86)	11,513.72	2,238.17	683.45	(40.61)	2,881.01	8,632.71	9,246.19

टिप्पणियां : 2.1 लीज़होल्ड भूमि पर ₹ 81.31 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 81.31 लाख) का भवन निर्माण किया जाता है।





टिप्पणी 3: गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-उपयोग का अधिकार

31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	पुनः वर्गीकरण	परि-वर्धन	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2023 को	01 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उपयोग का अधिकार—आवासीय फ्लैट	1,734.06	-	-	-	1,734.06	134.13	58.65	-	192.78	1,541.28	1,599.93
उपयोग का अधिकार — भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (परिवर्तन) (ट्रांजिशन) पर	332.17	-	-	-	332.17	38.88	12.95	-	51.83	280.34	293.29
उपयोग का अधिकार — एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,181.48	-	-	-	19,181.48	717.79	699.96	-	1,417.75	17,763.73	18,463.69
कुल	21,247.71	-	-	-	21,247.71	890.80	771.56	-	1,662.36	19,585.35	20,356.91

31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2021 को	पुनः वर्गीकरण	परि-वर्धन	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2022 को	01 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपयोग का अधिकार—आवासीय फ्लैट	1,734.06	-	-	-	1,734.06	76.36	57.77	-	134.13	1,599.93	1,657.70
उपयोग का अधिकार — भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (परिवर्तन) (ट्रांजिशन) पर	332.17	-	-	-	332.17	25.93	12.95	-	38.88	293.29	306.24
उपयोग का अधिकार — एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,223.03	-	-	(41.55)	19,181.48	78.78	639.01	-	717.79	18,463.69	19,144.25
कुल	21,289.26	-	-	(41.55)	21,247.71	181.07	709.73	-	890.80	20,356.91	21,108.19





टिप्पणी 4: गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां-प्रगति अधीन कार्यशील पूंजी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 के दिन					31 मार्च, 2022 के दिन				
	1 अप्रैल, 2022 के दिन	परिवर्धन (एडीशन)	कटौती (समा-योजन)	पूँजीगत	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2021 के दिन	परिवर्धन (एडीशन)	कटौती (समा-योजन)	पूँजीगत	31 मार्च, 2022 तक
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब सीपीएसयू के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना)										
पंजीकरण प्रभार	139.24	-	(2.83)	-	136.41	132.16	7.08	-	-	139.24
विज्ञापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य पेशेवर प्रभार	79.91	-	-	-	79.91	79.91	-	-	-	79.91
लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य पेशेवर प्रभार	118.20	-	-	-	118.20	82.74	35.46	-	-	118.20
उप संविदा व्यय	133.03	1,411.64	-	-	1,544.67	-	133.03	-	-	133.03
100 मेगावाट छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य पेशेवर प्रभार	6.53	-	-	-	6.53	6.23	0.30	-	-	6.53
पंजीकरण प्रभार	47.20	-	-	-	47.20	-	47.20	-	-	47.20
साइट व्यय	1.26	9.27	-	-	10.53	0.71	0.55	-	-	1.26
उप संविदा व्यय	-	21,556.03	-	-	21,556.03	-	-	-	-	-
ऋण संबंधी व्यय	-	230.95	-	-	230.95	-	-	-	-	-
1200 मेगावाट सीपीएसयू फेज II सरकारी उत्पादक योजना	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य पेशेवर प्रभार	1,416.00	-	-	-	1,416.00	-	1,416.00	-	-	1,416.00
50 मेगावाट लेह	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
साइट व्यय	-	35.69	-	-	35.69	-	-	-	-	-
100 मेगावाट झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ऋण संबंधी व्यय	-	162.66	-	-	162.66	-	-	-	-	-
कुल	1,941.37	23,406.24	(2.83)	-	25,344.78	301.75	1,639.62	-	-	1,941.37

नोट:

- लक्षद्वीप परियोजना के तहत ₹ 1411.64 लाख (विगत वर्ष ₹ 133.03 लाख) की वृद्धि उप-अनुबंध व्यय के कारण है।
- 100 वाट छत्तीसगढ़ परियोजना के तहत ₹ 21556 लाख (विगत वर्ष ₹ शून्य) की वृद्धि उप-अनुबंध व्यय के कारण है।
- 100 वाट झारखंड परियोजना के तहत ₹ 230.95 लाख (विगत वर्ष ₹ शून्य) की वृद्धि ऋण पूंजीकरण लागत के कारण है।
- 100 वाट झारखंड परियोजना के तहत ₹ 162.66 लाख (विगत वर्ष ₹ शून्य) की वृद्धि ऋण पूंजीकरण लागत के कारण है।
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए नोट संख्या 50.3 (प्रतिबद्धताएं) देखें।





कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल।

(क) प्रगतिशील परियोजनाएं

₹ लाख

विवरण	कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023					
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब 300 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत सौर परियोजना)	-	4.25	-	212.07	216.32
100MW छत्तीसगढ़	21,796.25	48.05	6.37	0.57	21,851.24
लक्षद्वीप परियोजना	1,411.64	168.49	35.46	47.28	1,662.87
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण ii सरकारी उत्पादक योजना	-	1,416.00	-	-	1,416.00
100 मेगावाट झारखंड	162.66	-	-	-	162.66
50 मेगावाट लेह	35.69	-	-	-	35.69
कुल					25,344.78
31 मार्च, 2023					
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब 200 मेगावाट पवन सौर हाइब्रिड परियोजना)	7.08	-	-	212.07	219.15
100 मेगावाट छत्तीसगढ़	48.05	6.37	0.57	-	54.99
लक्षद्वीप परियोजना	168.49	35.46	47.28	-	251.23
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण ii सरकारी उत्पादक योजना	1,416.00	-	-	-	1,416.00
कुल					1,941.37

(ख) अस्थाई रूप में निलंबित परियोजनाएं

₹ लाख

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) पूंजीगत कार्य-प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, सीडब्ल्यूआईपी समापन अनुसूची निम्नानुसार है :





₹ लाख

विवरण	परियोजना की अनुमानित लागत	वास्तविक लागत	परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित संशोधित	पूर्ण होने की अवधि				जोड़
					1 वर्ष से काम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को									
लक्षद्वीप परियोजना	1,743.20	1,662.87	07-11-2021	30-09-2023	1,662.87	-	-	-	1662.87
50 मेगावाट लेह	37,200.00	35.69	09-02-2023	09-02-2024	35.69	-	-	-	35.69
31 मार्च, 2022 के दिन									
लक्षद्वीप परियोजना	1,683.23	251.23	07-11-2021	30-11-2022	251.23	-	-	-	251.23

टिप्पणी 5 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां—अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	परिवर्धन	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,490.40	6.89	-	1,497.29	418.01	288.82	-	706.83	790.46	1,072.39
कुल	1,490.40	6.89	-	1,497.29	418.01	288.82	-	706.83	790.46	1,072.39

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2021 को	परिवर्धन	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,467.69	22.71	-	1,490.40	128.10	289.91	-	418.01	1,072.39	1,339.59
कुल	1,467.69	22.71	-	1,490.40	128.10	289.91	-	418.01	1,072.39	1,339.59

टिप्पणी 6 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां—विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को					31 मार्च 2022 को				
	1 अप्रैल 2022 को	परिवर्धन	कटौती/समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2021 को	परिवर्धन	कटौती/समायोजन	पूंजीगत	31 मार्च 2022 तक
मोबाइल आधारित उपस्थिति तंत्र	-	-	-	-	-	1.89	-	-	(1.89)	-
कुल	-	-	-	-	-	1.89	-	-	(1.89)	-





Intangible Assets under Development ageing schedule.

(क) प्रगति अधीन परियोजना

₹ लाख

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	2-3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को					
शून्य	-	-	-	-	-

(ख) अस्थाई रूप में निलंबित परियोजना

₹ लाख

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	2-3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनके पूरे होने में देरी हुई है या मूल योजना से अधिक लागत हो गई है, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां अनुसूची शून्य है



नोट 7: गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां—

संयुक्त उद्यमों में निवेश इक्विटी उपकरणों में निवेश (लागत पर)

संयुक्त उद्यम के इक्विटी शेयर (बिना उद्धृत)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	अंकित मूल्य (₹)	(₹) शेयरों की संख्या	मूल्य (₹ लाख)	अंकित मूल्य (₹)	(₹) शेयरों की संख्या	मूल्य (₹ लाख)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	10	50,000	5	10	50,000	5
हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड	1,000	22,100	221	1,000	22,100	221
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	5,00,000	50	10	5,00,000	50
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	5,00,000	50	10	5,00,000	50
रिन्युएबिल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	1,000	5,000	50	1,000	5,000	50
रीवा अल्ट्रा मेगा सॉलर लिमिटेड	1,000	10,000	100	1,000	10,000	100
कुल			476.00			476.00
उद्धृत निवेश की सकल राशि			शून्य			शून्य
गैर-उद्धृत निवेश की सकल राशि			476.00			476.00
निवेश पर हानि की सकल राशि			शून्य			शून्य

7.1. संयुक्त उद्यम (ओं) में निवेश का मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या के अनुसार किया जाता है। 1.ग.18.1

7.2. संयुक्त उद्यम में सभी निवेश अउद्धृत निवेश हैं और निवेश के मूल्य में स्थायी कमी, यदि कोई हो, को घटाकर मूल्यांकित किया जाता है।

नोट 8: गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति – ऋण और अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम— सुरक्षित	69.54	79.23
जोड़	69.54	79.23

नोट 9: गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति – अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
डिस्कॉम से प्राप्य (देखें नोट 73)	90,896.66	87,836.99
सुरक्षा जमा प्राप्य	7.38	5.99
जोड़	90,904.04	87,842.98





नोट 10 : गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति – बॉण्ड में निवेश

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बॉण्ड में उद्धृत निवेश (परिशोधन लागत पर मान्य)		
सीपीएसयू बॉण्ड	86,482.28	-
कुल	86,482.28	-

10.1 सेकी की अनुमोदित नीति के अनुसार, ₹ 86,482.28 लाख की राशि (31.03.2022 को शून्य) 'एएए' मूल्यांकित बॉण्ड में निवेश किया जाता है। इस निधि में ₹ 19721.60 लाख निष्पादन गारंटी जमा (पीजीडी), ₹ 5701.50 लाख प्रतिभूति जमा भुगतान (पीएसडी) और ₹ 61059.18 लाख भुगतान प्रतिभूति निधि (पीएसएफ) शामिल हैं।

नोट 11 : अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम		
पूँजीगत अग्रिम	8,810.57	10,347.11
अन्य अग्रिम	324.67	337.32
अन्य		
आस्थगित राजस्व व्यय – सुरक्षा जमा	12.95	13.71
आस्थगित राजस्व व्यय – कर्मचारियों को वाहन अग्रिम	18.11	18.21
कुल	9,166.30	10,716.35

11.1 पूँजीगत अग्रिम में छत्तीसगढ़ में स्थित 100 मेगावाट परियोजना के लिए भुगतान किए गए ₹ 6196.30 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 8,215.36 लाख) और ₹ 2,120.71 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 2120.71 लाख) आंध्र प्रदेश में 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना) के लिए रामगिरी गांव और मुथुवाकुंटला गांव (नोट संख्या 65 देखें) भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर को भुगतान शामिल हैं।

नोट 12 : वर्तमान वित्तीय संपत्ति – व्यापार प्राप्य

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	56,746.27	33,781.95
व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है – असुरक्षित	1,17,198.00	63,461.91
	1,73,944.27	97,243.86
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैय तथा	-	-
कम: अपेक्षित ऋण हानियों के लिए भत्ता (हानि)	-	-
व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	241.42	257.87
कम: अपेक्षित ऋण हानियों के लिए भत्ता (हानि)	(241.42)	(257.87)
कुल	1,73,944.27	97,243.86

12.1. व्यापार प्राप्य में संबंधित पक्षों से संबंधित ₹ 1,430.62 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 1,507.17 लाख) शामिल हैं





नोट 13 : वर्तमान वित्तीय संपत्ति – नकद और नकद समतुल्य

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक में शेष राशि (उपार्जित ब्याज सहित)		
चालू खाता	47,903.71	87,729.46
बचत खाता	71,715.99	8,207.67
सीसी/ओडी खाते	12,701.62	34,325.10
कुल	1,32,321.32	1,30,262.23

13.1 चालू खातों में ऑटो स्वीप फिक्स्ड डिपॉजिट और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल हैं:

13.2. वर्तमान वित्तीय संपत्ति – नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सरकारी अनुदान / निधि	37,596.12	4,834.25
भुगतान सुरक्षा तंत्र (विस्तार राशि सहित) (देखें नोट 64)	28,098.12	78,632.18
निष्पादन गारंटी जमा	1,828.47	200.00
अन्य	64,798.61	46,595.80
जोड़	1,32,321.32	1,30,262.23

नोट 14: वर्तमान वित्तीय संपत्तियां – नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक के पास शेष राशि (उपार्जित ब्याज सहित)		
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा, 12 महीने के भीतर परिपक्व	80,957.80	1,21,889.18
गैर-चालू जमाओं के अलावा बैंक के साथ चिह्नित सावधि जमा	37.33	37.27
कुल	80,995.13	1,21,926.45

14.1. बैंक में शेष राशि (उपार्जित ब्याज सहित) में सावधि जमा शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सरकारी अनुदान/निधि	-	-
भुगतान सुरक्षा तंत्र (एक्सटेंशन धन शामिल है) (नोट 62 देखें)	37.33	544.81
निष्पादन गारंटी जमा	-	21,350.00
अन्य	80,957.80	1,00,031.64
कुल	80,995.13	1,21,926.45

14.1.1. पीजीडी जमा पर अर्जित ब्याज भुगतान सुरक्षा तंत्र में शामिल



नोट-15. वर्तमान वित्तीय संपत्तियां – ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – सुरक्षित	29.66	30.95
अग्रिम – असुरक्षित	16.73	4.96
दूसरों को अग्रिम		
असुरक्षित	1,531.77	1,531.77
वसूली योग्य राशि		
सम्बन्धित दल	-	-
अन्य	79.68	82.11
कुल	1,657.84	1,649.79

नोट 16: वर्तमान संपत्तियां – अन्य वित्तीय वर्तमान संपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बिल न किया गया राजस्व	1,00,308.22	74,136.34
अनबिल्ट ट्रांसमिशन चार्ज	365.72	334.65
डिस्कॉम से वसूली योग्य (नोट संख्या 73 देखें)	18,450.59	33,537.14
एमएनआरई से प्राप्य अनुदान (नोट संख्या 32.2 देखें)	-	12,500.00
सुरक्षा जमा प्राप्य	2.22	4.86
कुल	1,19,126.75	1,20,512.99

- 16.1. ₹ 1,00,308.22 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 74,136.34 लाख) के बिना बिल वाले राजस्व में बिजली की बिक्री के लिए ₹ 1,00,283.85 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 74,105.26 लाख) का राजस्व शामिल है, लेकिन पीएसए की शर्तों के अनुसार, 31 मार्च 2023 तक चालान नहीं जारी किए गए थे और राजस्व ₹ 24.37 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 31.08 लाख) ट्रेडिंग मार्जिन साझा करने के लिए लेकिन चालान 31 मार्च 2023 तक नहीं जारी किए गए थे।
- 16.2. अनबिल्ट ट्रांसमिशन चार्ज में ट्रांसमिशन चार्ज से संबंधित ₹ 365.72 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 334.65 लाख) शामिल हैं, जिसके लिए चालान 31 मार्च 2023 तक नहीं जारी किए गए थे।





नोट 17: वर्तमान संपत्तियां – अन्य वर्तमान संपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम		
सम्बन्धित दल		
असुरक्षित	4.71	4.71
कर्मचारी		
असुरक्षित	3.29	17.28
अन्य		
असुरक्षित	0.50	30.50
राजस्व/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	20.47	19.05
इनकम टैक्स रिफंड	475.05	999.41
प्रीपेड खर्चे	34.13	31.96
अन्य	193.38	312.08
कुल	731.53	1,414.99

नोट 18: वर्तमान कर संपत्ति

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान कर देयताएं	(10,796.21)	(7,899.69)
एडवांस टैक्स	8,153.00	6,108.00
खरीद पर टीसीएस का भुगतान	-	188.44
टीडीएस प्राप्य	2,674.50	2,061.09
कुल	31.29	457.84

18.1 आयकर पर महत्वपूर्ण लेखा नीति के बिंदु संख्या 13 का संदर्भ लें।

नोट 19: इक्विटी शेयर कैपिटल

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकार दिया गया		
₹ 1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 को ₹1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर)	2,00,000	2,00,000
जारी और सब्सक्राइब किया गया		
₹ 1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य के 1,35,40,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 को प्रत्येक ₹1000 के बराबर मूल्य के 60,00,000 इक्विटी शेयर)	1,35,400	60,000
पूरा भुगतान किया		
1,35,40,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000 प्रत्येक (35,40,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य 31 मार्च 2022 तक)	1,35,400	35,400





(क) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	35,40,000	35,400	35,40,000	35,400
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,00,00,000	1,00,000	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,35,40,000	1,35,400	35,40,000	35,400

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार:

कंपनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मतदान अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग करने योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक भी उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयर की संख्या	प्रतिशत	शेयर की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,35,40,000	100%	35,40,000	100%

घ: प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरण:

वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
President of India and their Nominees*	1,35,40,000	100%	-

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामांकित व्यक्ति*	35,40,000	100%	-

* 6 शेयरों की संख्या भारत के राष्ट्रपति के नामितियों के पास है

(च) लाभांश :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) इक्विटी शेयर – वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश- ₹ शून्य (31 मार्च 2021: ₹ 150.60) प्रति पूर्ण भुगतान शेयर। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डीआईपीएम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से छूट के मद्देनजर प्रस्तावित लाभांश ₹ 7209.65 लाख का भुगतान नहीं किया गया।	-	5,331.24
(ii) इक्विटी शेयर – रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई डीआईपीएम से प्राप्त वित्त वर्ष 2022-23 के लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का भुगतान नहीं संस्तुत किया गया है।	-	7,209.65





टिप्पणियाँ :

- 19.1 कंपनी के निगमन के समय, मेमोरेण्डम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ग्राहकों ने ₹ 1000 प्रत्येक के 60,00,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली थी, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक ₹ 1000 प्रत्येक के 35,40,000 इक्विटी शेयर आवंटित और ग्राहकों द्वारा भुगतान किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक कई चरणों में ₹ 1000 अंकित मूल्य के 35,40,000 शेयर आवंटित और भुगतान किए गए थे और ₹ 24,600 लाख की इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक ₹ 1000 अंकित मूल्य के 24,60,000 इक्विटी शेयर) के इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान न की गई शेष राशि से संबंधित मामले को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई के साथ) उठाया जाएगा या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1,00,000 लाख रुपये 28.03.2022 को प्राप्त राशि के इंप्यूजन के समायोजन के माध्यम से लिया जाएगा जिसके लिए शेयर 28.04.2023 को आवंटित कर दिए गए।
- 19.2 निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को 2022-23 वर्ष के लिए 31.03.23 को निवल मूल्य का 5% या कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% जो भी अधिक हो भुगतान करना होगा। हालांकि, वर्ष 2022-23 डीआईपीएम के लाभांश के भुगतान की छूट के कारण वर्ष 2022-23 के लाभांश के भुगतान की संस्तुति नहीं की है।

नोट 20: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिधारित आय	1,02,231.41	70,645.99
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट	-	1,00,000.00
कुल	1,02,231.41	1,70,645.99

प्रतिधारित आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	70,645.99	51,958.34
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	31,564.96	24,032.16
कम: भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	-	(5,331.24)
घटाएं: भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर कर	-	-
कम: भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	-	-
घटाएं: भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर कर	-	-
प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय के संदर्भ में		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ / (हानि), कर का शुद्ध	20.46	(13.27)
जमा शेष	1,02,231.41	70,645.99



नोट 21: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआरडी)—भारत सरकार द्वारा गारंटी दी हुई		
आईबीआरडी (देखें नोट सं. 74)	219.93	-
सीटीएफ (देखें नोट सं. 74)	81.93	-
कुल	301.86	-

नोट 22: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयता — (इंड एस 116 के रूप में इंडस्ट्रीज के लिए नोट संख्या 43 देखें)	164.20	161.18
कुल	164.20	161.18

नोट 23: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिधारण धन	4,023.14	14.16
निष्पादन गारंटी जमा	4,060.33	3,700.51
एसपीडी को देय — (नोट संख्या 73 देखें)	90,896.66	87,836.99
कुल	98,980.13	91,551.66

23.1 ₹ 4,060.33 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 3,700.51 लाख) की निष्पादन गारंटी जमा में आरएफएस की शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) द्वारा जमा की गई जमा राशि शामिल है।

23.2 सेकी द्वारा बनाई गई क्रमशः ऋ 3,873.57 लाख और ऋ 149.57 लाख की छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप परियोजनाओं की अवधारण राशि ₹ 4,023.14 लाख के प्रतिधारण धन (₹ 14.16 लाख 31 मार्च 2022 तक) में अवधारण शामिल है।

नोट 24: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,004.79	910.55
कुल	1,004.79	910.55

24.1 'कर्मचारी लाभ' पर आईएनडी एस 19 के अनुसार प्रकटीकरण नोट संख्या 44 में किया गया है।

नोट 25: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर देयताएँ	416.85	418.00
कुल	416.85	418.00





नोट 25.1 गैर-वर्तमान देनदारियां – आस्थगित कर देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष की शुरुआत में आस्थगित कर देनदारियां	418.00	380.84
जोड़ा : पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	29.15	109.02
घटाया : कर्मचारी लाभ के कारण	33.62	52.38
घटाया : दूसरों के कारण	(3.32)	19.48
वर्ष के समापन पर आस्थगित कर देनदारियां	416.85	418.00

नोट 26: अन्य गैर-वर्तमान देयताएं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	229.21	681.00
अप्राप्त सफलता शुल्क	5,058.75	6,555.50
कुल	5,287.96	7,236.50

26.1. लेखांकन नीति (बिंदु संख्या 1.ग.9.2.1 देखें) के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क में ₹ 229.21 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 681.00 लाख) की अग्रिम राशि शामिल है।

26.2. लेखांकन नीति (बिंदु संख्या 1.ब.9.2.1 देखें, नोट सं. 75 देखें) अनुसार, ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त अघोषित सफलता शुल्क में ₹ 5,058.75 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 6,555.50 लाख) में ₹ 4,568.00 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 5,992.00 लाख) उत्पादन सुविधा निविदा के साथ सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र लिंक की अग्रिम राशि शामिल हैं।

नोट 27: वर्तमान वित्तीय देनदारियां—उधार

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से	-	-
सुरक्षित	-	-
कैश क्रेडिट/ओडी	-	-
असुरक्षित	-	-
कैश क्रेडिट/ओडी	-	-
	-	-

27.1 बैंकों से नकद ऋण/ओडी, वर्तमान और भविष्य सहित कंपनी के प्राप्तियों/ध्वही ऋणों पर प्रथम पारी पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित है। खातों में ₹ 12,701.62 लाख (31 मार्च 2022 को: ₹ 34,325.10 लाख) का डेबिट बैलेंस है। राशि को वर्तमान वित्तीय संपत्तियों – नकद और नकद समकक्षों में दिखाया गया है (नोट संख्या 13 देखें)। अनाहरित उधार सुविधाओं के लिए नोट संख्या 51 देखें।

नोट 28: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
लीज लायबिलिटी—लैंड 10MW राजस्थान (नोट नंबर 43 देखें)	12.66	12.06
कुल	12.66	12.06





नोट 29: वर्तमान वित्तीय देनदारियां – व्यापार

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार देनदारियां		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट संख्या 56 देखें)	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	44,451.09	44,349.95
कुल	44,451.09	44,349.95

नोट 30: वर्तमान देनदारियां – अन्य वित्तीय देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
एमएनआरई से अनुदान प्राप्त हुआ	-	123.80
पूँजीगत व्यय के विरुद्ध देय	3,276.65	18.26
व्यय के विरुद्ध देय	350.70	313.28
भुगतान सुरक्षा निधि (नोट 62 देखें)	1,50,013.49	1,27,089.40
भुगतान सुरक्षा जमा – आईएसटीएस सोलर	6,917.61	1,773.89
बिल न किए गए देय – सौर/पवन/हाइब्रिड	97,987.49	71,829.42
बैंक गारंटी नकदीकरण – विंड/फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना (नोट संख्या 71 देखें)	33,210.52	3,919.72
सुरक्षा जमा देय	411.48	408.58
वितरण के लिए सब्सिडी	36,063.63	4,040.26
एसपीडी को देय (नोट संख्या 73 देखें)	6,904.23	5,496.11
प्रतिधारण धन	179.46	411.26
उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआर डी एवं सीटीएफ)	0.74	-
उपार्जित वायदा प्रभार लेकिन देय नहीं विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआर डी एवं सीटीएफ)	20.69	-
अन्य देय	997.15	642.64
कुल	3,36,333.84	2,16,066.62

30.1 कंपनी द्वारा जारी विभिन्न आरएफएस की शर्तों के अनुसार, देय प्रतिभूति जमा में पार्टियों द्वारा जमा की गई राशि के लिए ₹ 411.48 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 408.58 लाख) शामिल हैं।

30.2 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड बिजली में बिना बिल जारी किए देय में बिजली की खरीद के लिए ₹ 97,987.49 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 71,829.42 लाख) शामिल हैं, लेकिन आरएफएस की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक चालान नहीं जारी किए गए थे।

30.3 संवितरण के लिए सब्सिडी ₹ 36,063.63 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 4,040.26 लाख) आगे संवितरण के लिए एमएनआरई से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता के लिए है (लेखा नीति 1.ग.21 देखें)। इसमें वर्ष के दौरान जमा किए गए शुद्ध ब्याज (एमएनआरई को वापस लौटाया गया ब्याज घटाकर अर्जित ब्याज) के कारण ₹ 854.34 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 133.80 लाख) शामिल है, जो एमएनआरई को देय है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत धन के प्रवाह की संशोधित प्रक्रिया के अनुरूप, एमएनआरई द्वारा विभिन्न अतिरिक्त योजनाओं के लिए सेकी को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) के रूप में नामित किया गया है।





30.4 अन्य देयों में ₹ 373.62 लाख (विगत वर्ष ₹ 164.37 लाख) ब्याज सहित विवाद समाधान शुल्क (नोट 71 देखें) शामिल है।

30.5 अन्य देय में संचरण प्रभार से संबंधित ₹ 361.01 लाख (विगत वर्ष ₹ 330.92 लाख) का भुगतान नहीं किया गया ट्रांसमिशन शुल्क शामिल है, जिसके लिए 31 मार्च 2023 तक चालान प्राप्त नहीं हुए थे।

नोट 31: वर्तमान देनदारियां – प्रावधान

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	824.86	758.16
अन्य प्रावधान	47.67	44.20
कुल	872.53	802.36

31.1 'कर्मचारी लाभ' पर आईएनडी एस 19 के अनुसार प्रकटीकरण नोट संख्या 44 में किया गया है।

नोट 32: वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	1,620.51	4,513.70
दूसरों से अग्रिम	41.25	637.81
सुरक्षा जमा राशि	76.24	76.24
वैधानिक बकाया	1,112.71	540.96
अप्राप्त फंड हैंडलिंग शुल्क – एमएनआरई	0.65	9.43
अप्राप्त सफलता शुल्क	1,835.50	773.50
अन्य देय	3,474.69	1,676.22
कुल	8,161.55	8,227.86

32.1 लेखांकन नीति के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम में प्राप्त अग्रिम सफलता शुल्क के लिए ₹ 1,620.51 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 1,712.70 लाख) शामिल हैं (बिंदु संख्या 1.ग.9.2.1 देखें)।

32.2 अरुणाचल प्रदेश में गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अग्रिम धन के लिए दूसरों से प्राप्त अग्रिम में ₹ 41.25 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 637.81) शामिल हैं।

32.3 अन्य देय में मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई ₹ शून्य (पिछले वर्ष ₹ 648.00 लाख) की राशि शामिल है, जिसे विवाद के तहत प्राप्त धन के रूप में दर्ज किया गया था और इसे एपीटीईएल आदेश के अनुसार 28.02.2023 को पार्टी के खाते में वापस कर दिया गया है। राशि को ब्याज वाले खाते में रखा गया था और 31 मार्च, 2023 तक उस पर अर्जित ब्याज ₹ 120.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 89.75 लाख) है। ₹ 120.88 लाख का अर्जित ब्याज पार्टी को वापस नहीं किया गया है क्योंकि आदेश में ब्याज के भुगतान के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी। (नोट संख्या 67 देखें)।

32.4 अन्य देय में रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से प्राप्त ₹ 462.41 लाख की राशि शामिल है। (नोट संख्या 63 देखें)

32.5 लेखांकन नीति के अनुसार, ₹ 1,835.50 लाख की अनारक्षित सफलता शुल्क (31 मार्च 2022 तक, ₹ 773.50 लाख) में ₹ 1,392.00 (31 मार्च 2022 तक, ₹ 760.00 लाख) विनिर्माण सुविधा से जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए प्राप्त सफलता शुल्क के रूप में अग्रिम निविदा शामिल है। (बिंदु क्रमांक 1.सी.9.2.1 देखें) नोट क्रमांक 75 देखें।



नोट 33: वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान कर दयताएँ	-	-
अग्रिम कर	-	-
प्राप्य टीडीएस	-	-
कुल	-	-

नोट 34: आस्थगित राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित आय—रूफटॉप हेतु अनुदान	344.34	362.33
आस्थगित राजस्व आय—प्रतिधारित राशि	505.61	9.41
आस्थगित राजस्व आय—निष्पादन गारंटी जमा	15,171.74	15,931.62
आस्थगित आय—लेह परियोजना हेतु अनुदान	-	12,500.00
कुल	16,021.69	28,803.36

34.1 आस्थगित आय— एमएनआरई से रूफटॉप हेतु प्राप्त सरकारी अनुदान ₹ 344.34 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 362.33 लाख) का अनुदान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट के सौर पावर संयंत्र स्थापना के लिए है।

34.2 आस्थगित आय— एमएनआरई से लेह परियोजना हेतु प्राप्त सरकारी अनुदान ₹ शून्य (31 मार्च 2022 को ₹ 12,500 लाख) का अनुदान फियांग, लेह में 50 MWH के बैटरी स्टोरेज सहित 20 मेगावाट के सौर पावर संयंत्र स्थापना के लिए है। इसके अलावा 14.07.2022 को एमएनआरई से ₹ 12,500 लाख मिले और यह राशि 26.09.2022 को एमएनआरई को वापिस कर दी गई क्योंकि अप्रत्याशित भूस्खलन के कारण वहां परियोजना में देरी हुई।

नोट 35: परिचालन से राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली की बिक्री	7,03,077.94	6,19,945.74
बिजली की बिक्री (लीज रेंटल के रूप में प्राप्त)	3,69,166.62	93,869.13
सेवाओं की बिक्री	6,261.98	11,092.31
अन्य परिचालन आय	1,000.60	3,577.61
कुल	10,79,507.14	7,28,484.79

टिप्पणियाँ:

35.1 बिजली की बिक्री कुल ₹ 4,283.67 लाख की छूट है (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,835.08 लाख)।

35.1.1. बिजली की बिक्री में ₹ 1,00,283.85 लाख (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 74,105.25 लाख) की अनंतिम बिना बिल वाली बिक्री शामिल है, जिसके लिए पीएसए की शर्तों के अनुसार बाद के महीने में बिल बनाए जा रहे हैं।





35.2. सेवाओं की बिक्री में निम्न शामिल हैं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शी आय	435.67	1,481.08
परियोजना निगरानी शुल्क	4,590.05	8,894.53
अन्य	1,236.26	716.70
कुल	6,261.98	11,092.31

35.2.1 पीटीसी के साथ की अनुबंध के संबंध में ₹ 24.37 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 31.08 लाख) 0.07 पैसा प्रति यूनिट व्यापार मार्जिन 25.50% (कर सहित) अन्य अस्थाई बिलरहित राजस्व की हिस्सेदारी, जिसके लिए आगामी माह में बिल जारी किया जा रहा है।

35.3. अन्य परिचालन आय में निम्न शामिल हैं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा शुल्क	644.16	1,656.61
रूफटॉप अन्य प्राप्तियां (नोट 65 देखें)	1.78	1.31
आस्थगित आय—सरकारी अनुदान	17.99	17.99
विभिन्न	336.67	1,901.70
कुल	1,000.60	3,577.61

नोट 36: अन्य आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	5,186.19	859.96
आस्थगित राजस्व आय — निष्पादन गारंटी जमा	759.88	760.94
आस्थगित राजस्व आय — देय प्रतिधारित राशि	18.03	22.56
प्राप्य जमा प्रतिभूति पर छूट त्यागना	0.39	0.35
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	948.75	881.45
अन्य — गैर परिचालन आय	22.60	27.62
कुल	6,935.84	2,552.88

36.1. ब्याज आय में मियादी जमा पर ब्याज/ऑटोस्वीप मियादी जमा संग्रहण एवं कर्मचारियों को वाहन अग्रिम ₹ 5186.19 लाख (31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 859.19 लाख)



नोट 37: सौर ऊर्जा की खरीद

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सौर ऊर्जा की खरीद	6,75,335.52	5,99,635.93
सौर ऊर्जा की खरीद (लीज रेंटल के रूप में भुगतान)	3,58,990.18	91,029.94
कुल	10,34,325.70	6,90,665.87

37.1 बिजली की खरीद में कुल ₹ 15,584.78 लाख की छूट है (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,694.24 लाख)।

37.2 बिजली की खरीद में ₹ 97,987.49 लाख (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 71,829.42 लाख) की अनंतिम बिल न की गई खरीद शामिल है, जिसके लिए पीपीए की शर्तों के अनुसार अगले महीने में बिल प्राप्त किए जा रहे हैं।

नोट 38: कर्मचारी लाभ व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	2,783.47	2,452.11
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	389.58	348.61
कर्मचारी कल्याण	23.82	52.84
द्वारा	3,196.87	2,853.56

38.1 वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ और निधियों में योगदान में पीआरपी के लिए प्रावधान शामिल है। (नोट संख्या 59 देखें।)

38.2 आईएनडी एस 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण नोट संख्या 44 में किया गया है।

नोट 39: वित्त लागत

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज	359.06	8.11
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट को समाप्त करना	324.39	299.32
देय प्रतिधारण धन पर छूट को समाप्त करना	18.51	22.66
लीज देयता पर वित्त लागत (आईएनडी एस 116)	15.68	15.33
बीजीएलसी प्रभार	96.76	62.18
आस्थगित राजस्व व्यय सुरक्षा जमा प्राप्य से मान्यता प्राप्यताएँ	0.76	0.76
कुल	815.16	408.36

39.1 कंपनी ने आईसीआईआई बैंक से 10,000 लाख रुपये, यस बैंक से ₹ 15,000 लाख, एक्सिस बैंक से ₹ 17,499 लाख, एचडीएफसी बैंक से ₹ 50,000 लाख, भारतीय स्टेट बैंक से ₹ 50,000 लाख की गैर-नीधि आधारित क्रेडिट सीमा स्वीकृत की है।





नोट 40: मूल्यहास, परिशोधन और क्षति व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर – (नोट 2 देखें)	689.89	683.45
उपयोग के अधिकार पर – (नोट 3 देखें)	771.56	709.73
अमूर्त संपत्ति पर – (नोट 5 देखें)	288.82	289.91
कुल	1,750.27	1,683.09

नोट 41: अन्य व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन और प्रचार	553.84	236.18
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	8.57	7.87
बैंक प्रभार	0.99	1.20
बीमा व्यय	0.90	0.66
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	692.81	620.11
लाइसेंस शुल्क	40.00	40.00
संपत्ति की बिक्री पर हानि/बढ़े खाते में डाला गया	1.91	1.41
बैठक व्यय	171.62	28.91
सदस्यता शुल्क	16.82	6.30
विविध व्यय	91.26	103.96
कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव	61.19	71.13
मुद्रण, डाक और स्टेशनरी	18.91	52.05
व्यावसायिक पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.60	7.16
किराया	7.44	27.29
भवन की मरम्मत और रखरखाव	196.65	163.49
सेकी स्थापना दिवस व्यय	227.87	142.69
सुरक्षा और जनशक्ति व्यय	506.85	555.82
प्रायोजन व्यय	37.88	1.18
समर्थन सेवा शुल्क	1.29	2.86
टेलीफोन, मोबाइल व्यय और इंटरनेट व्यय	74.56	67.98
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	3.08	52.36
यात्रा और परिवहन व्यय	231.06	153.49
पानी, बिजली और बिजली शुल्क	104.96	97.22



विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वाहन किराया/चलाना और रखरखाव व्यय	88.89	105.53
संचालन और रखरखाव खर्च	138.21	118.93
अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान (हानि)	8.18	85.60
दान	0.28	-
प्रावधान अन्य	3.47	3.47
एसएपी-ओ एंड एम लागत	227.51	232.69
उप कुल	3,517.60	2,987.54
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नोट संख्या 68 देखें)	477.35	447.04
कुल	3,994.95	3,434.58

41.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों के रूप में		
ऑडिट फीस	7.79	7.08
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.78	0.79
कुल	8.57	7.87

नोट 42: भारतीय लेखा मानक-12 आय कर के अनुसार प्रकटीकरण

क) आयकर व्यय

(i) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	10,796.21	7,899.69
चालू पिछले वर्ष के लिए समायोजन	6.89	18.74
कुल वर्तमानकर व्यय	10,803.10	7,918.43
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(8.03)	41.62
कुल आस्थगित कर व्यय	(8.03)	41.62
कुल आस्थगित कर व्यय	10,795.07	7,960.05





(ii) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय / (लाभ)	निवलकर	कर पूर्व	कर व्यय / (लाभ)	निवलकर
परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमाकिक लाभ / (हानि)।	27.34	(6.88)	20.46	(17.73)	4.46	(13.27)

(iii) कर व्यय और लेखा लाभ का भारत की घरेलू कर दर से गुणा करने पर मिलान

₹ लाख

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर पूर्व लाभ	42,360.03	31,992.21
कंपनी की घरेलू कर दर 25.168: (पीवाई 25.168%) का उपयोग कर कर	10,661.17	8,051.80
का कर प्रभाव:		
जोड़ें/(कम करें): पिछले वर्ष का कर	6.89	18.74
जोड़ें / (कम): आस्थगित कर व्यय	(8.03)	41.62
जोड़ें: आयकर में व्यय की अनुमति नहीं है (शुद्ध)	139.57	74.26
कम: छूट प्राप्त आय	(4.53)	(226.37)
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर	10,795.07	7,960.05

43. भारतीय लेखा मानक-116 'लीज' के अनुसार प्रकटीकरण

1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंडएस 116 लीज को अपनाया और 1 अप्रैल, 2019 को संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मौजूदा सभी लीज अनुबंधों के लिए मानक लागू किया।

31 मार्च, 2023 तक:

संपत्ति उपयोग के अधिकार के वहन मूल्य में परिवर्तन

₹ लाख

विवरण	संपत्ति उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	विद्युत खरीद अनुबंध	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	20,063.62	293.29	-	20,356.91
पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
हटाए गए	-	-	-	-
ऋणमुक्ति	758.61	12.95	-	771.56
31 मार्च, 2023 तक शेष	19,305.01	280.34	-	19,585.35





(ii) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख

विवरण	संपत्ति उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	विद्युत खरीद अनुबंध	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	20,801.95	306.24	-	21,108.19
पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
हटाए गए	(41.55)	-	-	(41.55)
ऋण मुक्ति	696.78	12.95	-	709.73
31 मार्च, 2022 तक शेष	20,063.62	293.29	-	20,356.91

लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के तहत उपयोग संपत्ति के अधिकार पर कुल मूल्यह्रास व्यय शामिल है।

वर्तमान और गैर-वर्तमान को निम्नलिखित दर्शाया गया है

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के अंत में लीज देयता	176.86	173.24
वर्तमान पट्टा देयता	12.66	12.06
गैर-वर्तमान पट्टा देयता	164.20	161.18

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टादेयता में निम्नलिखित उतार-चढ़ाव रहा:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	173.24	169.40
परिवर्धन:		
अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत	15.68	15.33
हटाना:		
लीज देयता का भुगतान	12.06	11.49
जमा शेष	176.86	173.24

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक गैर-बढ़ागत नकदी प्रवाह		
एक वर्ष से कम	12.66	12.06
एक से पांच साल	73.47	69.98
पांच साल से ज्यादा	401.49	417.65
वर्ष के अंत में कुल बिना छूट वाली लीज देनदारी	487.62	499.69
वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	176.86	173.24





लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयताओं पर ब्याज	15.68	15.33
ऋणमुक्ति	771.56	709.73
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पट्टे की देनदारियों के माप में शामिल नहीं है (पीपीए के तहत सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर प्लांट)	3,58,990.18	91,029.94
संपत्ति के उपयोग के उप-पट्टे के अधिकार से आय	-	-
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय	7.44	27.29
लघु अवधि के पट्टों को छोड़कर कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

विभिन्न बिजली खरीद समझौतों/बिजली बिक्री समझौतों (पीपीए/पीएसए) के अनुसार व्यवस्था को पट्टे के रूप में माना जाता है जहां सौर ऊर्जा डेवलपर्स को भुगतान/डिस्कॉम से प्राप्तियां पूरी तरह से सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न उत्पादन पर निर्भर करती हैं। आईएनडी एस 116 की शुरुआत के दौरान कंपनी ने व्यावहारिक उपाय का विकल्प चुना है और तदनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है। 1 अप्रैल 2019 के बाद दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को लीज के रूप में माना जाता है और परिवर्तनीय भुगतान/रसीदों को लीज रेंटल के रूप में प्रकट किया जाता है (पीपीए को लीज के रूप में माना जाता है/पीएसए को लीज के रूप में माना जाता है)।

सेकी ने डीआरडीओ परिसर, कोलार कर्नाटक में 10 मेगावाट सौर परियोजना की स्थापना के लिए DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त एमओयू के अनुसरण में, डीआरडीओ ने उपयोग के अधिकार के आधार पर लीज भूमि के लिए 11.02.2019 को लाइसेंस डीडव्हेल्लैंड यूज परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, डीआरडीओ ने पीपीए की 25 वर्षों की पूरी अवधि के लिए निर्धारित ₹ 1 (प्रति माह) के मामूली पट्टे पर 50 एकड़ भूमि प्रदान की है, जिसे पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। लीज रेंट बिजली की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से देय है। परियोजना 23.10.2020 को कमीशन की गई है। सेकी ने उपरोक्त लीज भुगतान को आरओयू एसेट के रूप में मान्यता नहीं दी है क्योंकि लीज भुगतान बहुत ही कम है।

44. इंडस्ट्रीज एस-19 के अनुसार प्रकटीकरण, कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजनाएँ:

भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि में योगदान का भुगतान करती है। मान्यता प्राप्त व्यय राशि (प्रशासन शुल्क सहित) और लाभ और हानि खाते पर प्रभारित शुल्क इस प्रकार है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ईपीएफओ को प्रदत्त/देय राशि	166.18	148.46
प्रतिनियुक्त अधिकारियों के मूल संगठन को प्रदत्त राशि	-	-
घटाया: अनुदान/पूंजीगत में अंतरित	-	-
लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्य राशि	166.18	148.46

पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना जो 1 जून 2012 से प्रभावी है, को एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के अनुसार, सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट मासिक आधार पर एलआईसी को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है।



परिभाषित लाभ योजना

उपदान:

कंपनी के पास परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का हकदार है, जो अधिवर्षिता पर अधिकतम ₹ 20 लाख है। इस्तीफा, समाप्ति, अक्षमता या मृत्यु पर। उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना (पीआरएमएस):

कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना तैयार की है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा खर्चों की देयता प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर शुद्ध परिभाषित संपत्ति/देयता की स्थिति निर्धारित करती है

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन:				
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष की शुरुआत	276.17	207.23	101.04	71.38
अधिग्रहण समायोजन	2.59	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	46.96	47.26	17.90	14.34
ब्याज लागत	19.33	14.34	7.07	4.93
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(8.78)	-	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानिद्ध	(20.02)	7.34	(7.32)	10.39
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष के अंत	316.25	276.17	118.69	101.04

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	316.25	276.18	118.69	101.04
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
शुद्ध देयता	316.25	276.18	118.69	101.04
बैलेंस शीट में राशि:				
वर्तमान में देयता	26.27	12.58	0.79	1.16
गैर मौजूदा देनदारिया	289.98	263.59	117.90	99.88
शुद्ध देयता	316.25	276.18	118.69	101.04





बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्तमान सेवा लागत	46.96	47.26	17.90	14.34
शुद्ध ब्याज	19.33	14.34	7.07	4.94
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	66.29	61.60	24.97	19.28

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ब्याज व्यय / (आय)	19.33	14.34	7.07	4.94
शुद्ध ब्याज	19.33	14.34	7.07	4.94

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
बीमांकिक लाभ / (हानि) दायित्व पर	20.02	(7.34)	7.32	(10.39)
शुद्ध ब्याज को छोड़कर प्लान एसेट्स पर रिटर्न	-	-	-	-
(ओसीआई) में मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक लाभ / (हानि)	20.02	(7.34)	7.32	(10.39)

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
बीमांकिक जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली (लाभ) / हानि	-	-	-	-
बीमांकिक वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली (लाभ) / हानि	(16.40)	(2.94)	-	-
बीमांकिक अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न (लाभ) / हानि	(3.62)	10.28	(1.31)	29.15
कुल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(20.02)	7.34	(1.31)	29.15



शुद्ध ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर आय

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	-	-	-	-
शुद्ध ब्याज में शामिल ब्याज आय	-	-	-	-
शुद्ध ब्याज को छोड़कर योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	-	-	-	-

योजना संपत्तियों से कम परिभाषित लाभ दायित्व के साथ वित्त पोषित योजनाओं की जानकारी:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्व	-	-	-	-
योजना की संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
शुद्ध देयता	-	-	-	-

बीमांकिक अनुमान:

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएँ नीचे दी गई हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
छूट की दर	7.38%	7.00%	7.38%	7.00%
मृत्यु दर	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)
अपेक्षित औसत शेष सेवाएं (वर्षों में)	24.40	24.97	24.40	24.97
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी संघर्षण दर: (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.95	19.23	18.95	19.23





संवेदनशीलता का विश्लेषण :

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.50% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

मान्यता	धारणा में परिवर्तन	दायित्व ग्रेच्युटी के पीवी में परिवर्तन	धारणा में परिवर्तन	दायित्व पीआरएमबी के पीवी में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(19.84)	0.50% की वृद्धि	(9.89)
	0.50% की कमी	21.93	0.50% की कमी	10.10
पीआरएमबी के मामले में वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	14.56	0.50% की वृद्धि	10.14
	0.50% की कमी	(15.61)	0.50% की कमी	(9.99)

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

₹ लाख

वर्ष	राशि	
	ग्रेच्युटी	पीआरएमबी
0 से 1 वर्ष	26.27	0.79
1 से 2 वर्ष	5.60	2.90
1 से 2 वर्ष	19.38	2.32
3 से 4 वर्ष	16.08	1.11
4 से 5 वर्ष	4.97	1.24
5 से 6 वर्ष	20.92	3.26
6 वर्ष बाद	223.03	97.58

अर्जित अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण योजना बनाई है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित पत्तियों के नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

आधा वेतन अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए हाफ पे लीव इनकैंशमेंट बेनिफिट प्लान परिभाषित किया है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर शुद्ध परिभाषित संपत्ति/देयता की स्थिति निर्धारित करती है:





₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन:				
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष की शुरुआत	373.54	304.24	146.11	109.35
अधिग्रहण समायोजन	-	-	0.52	-
वर्तमान सेवा लागत	65.48	63.74	26.49	27.08
ब्याज लागत	26.15	21.05	10.23	7.57
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(57.76)	(44.70)	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.50	29.21	(17.49)	2.11
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष के अंत	413.91	373.54	165.86	146.11

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	413.91	373.54	165.86	146.11
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
शुद्ध देयता	413.91	373.54	165.86	146.11
तुलन पत्र में राशि:				
वर्तमान में दायित्व	22.41	21.56	15.66	6.22
गैर मौजूदा देनदारियाँ	391.50	351.98	150.20	139.89
शुद्ध देयता	413.91	373.54	165.86	146.11

लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्तमान सेवा लागत	65.48	63.74	26.49	27.08
शुद्ध ब्याज	26.15	21.05	10.23	7.57
अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ) या हानि	6.50	29.21	(17.49)	2.11
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	98.13	114.00	19.23	36.76





शुद्ध ब्याज में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ब्याज व्यय / (ब्याज आय)	26.15	21.05	10.23	7.57
शुद्ध ब्याज	26.15	21.05	10.23	7.57

बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
बीमांकिक (लाभ)/जन सांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानि	0.16	-	0.06	-
बीमांकिक (लाभ)/वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियाँ	(22.62)	(4.17)	(8.48)	(1.54)
बीमांकिक (लाभ)/योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियाँ	28.96	33.38	(9.06)	3.65
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.50	29.21	(17.48)	2.11

अवकाश नकदीकरण के लिए लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएँ नीचे दी गई हैं:

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
छूट की दर	7.38%	7.00%	7.38%	7.00%
नश्वरता	100% of IALM (2012-14)		100% of IALM (2012-14)	
अपेक्षित औसत शेष सेवाएं	24.40	24.97	24.39	24.97
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी संघर्षण दर: (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.95	19.23	18.95	19.23

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.5% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

मान्यता	अवधारणा में परिवर्तन	दायित्व अर्जित अवकाश देयता के पीवी में परिवर्तन	अवधारणा में परिवर्तन	अर्ध वेतन अवकाश की पीवी दायित्व में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(27.48)	0.50% की वृद्धि	(24.73)
	0.50% की कमी	29.92	0.50% की कमी	27.11
पीआरएमबी के मामले में वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	30.33	0.50% की वृद्धि	27.31
	0.50% की कमी	(27.69)	0.50% की कमी	(24.88)



परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

₹ लाख

वर्ष	राशि	
	अर्जित अवकाश देयता	अर्ध वेतन छुटी देयताएं
0 से 1 वर्ष	22.41	15.67
1 से 2 वर्ष	8.33	3.42
से 3 वर्ष	24.14	10.41
3 से 4 वर्ष	26.49	9.17
4 से 5 वर्ष	6.63	2.53
5 से 6 वर्ष	32.97	11.61
6 वर्ष बाद	292.94	113.07

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता लाभ

कर्मचारियों के वेतनमान (औद्योगिक डीए पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों में मूल वेतन और डीए के 30% तक सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं जिसमें पीएफ, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को इस संबंध में अपनी स्वयं की योजनाएं बनानी हैं। ग्रेच्युटी और पीआरएमएस के लिए प्रावधान एक्चुरियल वैल्यूएशंस के आधार पर किया जाता है क्योंकि देयता का निधियन नहीं किया जाता है। हालांकि सभी कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान कथित डीपीई सीमा तक ही सीमित होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	2022 को समाप्त वर्ष के लिए	2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित अंशदान योजना – भविष्य निधि	157.56	139.93
2	परिभाषित अंशदान योजना – पेंशन	131.30	116.61
3	परिभाषित लाभ योजना– ग्रेच्युटी	46.28	69.28
4	परिभाषित लाभ योजना – पीआरएमएस	17.64	30.57
5	सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लाभ	-	-
	कुल	352.77	356.39

जोखिम अनावरण

इसकी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कई जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे विस्तृत हैं:

(क) संपत्ति की अस्थिरता:

कंपनी के पास अपने दायित्वों के संबंध में कोई योजना संपत्ति नहीं है। इसलिए यह इस संबंध में किसी भी जोखिम के संपर्क में नहीं है।

(ख) छूट दर में परिवर्तन:

छूट दर में कमी से योजना देनदारियों में वृद्धि होगी, हालांकि यह आंशिक रूप से योजनाओं की बॉन्ड होल्डिंग्स के मूल्य में वृद्धि से ऑफसेट होगी।

(ग) मुद्रास्फीति जोखिम:

पेंशन योजनाओं में पेंशनों को भुगतान मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है, इसलिए यह कम भौतिक जोखिम है।





(घ) जीवन प्रत्याशा:

पेंशन योजना के दायित्व सदस्य के जीवन के लिए लाभ प्रदान करने के लिए हैं, इसलिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजनाओं की देनदारियों में वृद्धि होगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति बढ़ने से जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि निवेश की स्थिति एक परिसंपत्ति-देयता मिलान (एएलएम) ढांचे के भीतर प्रबंधित की जाती है जिसे कर्मचारी लाभ योजनाओं के तहत दायित्वों के अनुरूप दीर्घकालिक निवेश प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। इस ढांचे के भीतर, कंपनी का एएलएम उद्देश्य परिपक्वता के साथ लंबी अवधि की निश्चित ब्याज प्रतिभूतियों में निवेश करके पेंशन दायित्वों के लिए संपत्ति का मिलान करना है जो कि देय होने पर और उपयुक्त मुद्रा में लाभ भुगतान से मेल खाती है। कंपनी सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेश की अवधि और अपेक्षित प्रतिफल कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी बहिर्वाह से कैसे मेल खाते हैं। कंपनी ने पिछली अवधियों से अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को नहीं बदला है। निवेश अच्छी तरह से विविध हैं, जैसे कि किसी एकल निवेश की विफलता का संपत्ति के समग्र स्तर पर भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

45. सरकारी अनुदान के लिए इंडस्ट्रीज एस 20 लेखांकन के अनुसार प्रकटीकरण और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण:

उपलब्धि से जुड़ी प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारतें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 1 मेगावाट पी क्षमता के ग्रिड से जुड़े छत सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एमएनआरई से ₹ 450 लाख प्राप्त हुए थे। ₹ 450 लाख में से ₹ 105.66 लाख का परिशोधन 31 मार्च 2023 तक किया जा चुका है। (लेखा नीति संख्या 1.सी.7 देखें।)

46. इंड एस 21 के तहत प्रकटीकरण 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'

लाभ/(हानि) में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर की राशि ₹ 0.40 लाख है (31 मार्च 2022 ₹ 0.10 लाख)।

47. लेखा मानक 24 के अनुसार प्रकटीकरण 'संबद्ध पक्षकारों का प्रकटीकरण'

क) संबंधित पक्षकारों की सूची

i) संयुक्त उद्यम:

1. आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
3. कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
4. लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
5. रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड
6. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्रीमती सुमन शर्मा	प्रबंध निदेशक
श्री सी. कन्नन	निदेशक (वित्त)
श्री शैलेश कुमार मिश्रा*	निदेशक (विद्युत प्रणाली)
श्री संजय शर्मा	निदेशक (सौर)
श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी**	अध्यक्ष
श्री भूपिंदर सिंह भल्ला***	अध्यक्ष
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन****	सरकार नामांकित निदेशक
श्री पदम लाल नेगी*****	सरकार नामांकित निदेशक





श्रीमती रश्मि सिंह

स्वतंत्र निदेशक

श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले*****

स्वतंत्र निदेशक

श्री सुनील कुमार

कंपनी सचिव

* 5 फरवरी, 2023

** 31 अक्टूबर, 2022 तक

*** 01 नवंबर, 2022 से

**** 27 फरवरी, 2023 तक

***** 27 फरवरी, 2023 से

***** 28 अप्रैल, 2022 से

iii) रोजगार पश्चात हित लाभ योजना:

1. सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

iv) एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयरों को धारण करके नियंत्रित किया जाता है (नोट संख्या 19 देखें)। इंड एस 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन हैं, उनमें एनटीपीसी लिमिटेड, आर्इसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड आदि शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। कंपनी ने अन्य लेनदेन जैसे टेलीफोन व्यय, जमा, सफलता शुल्क, निविदा शुल्क आदि नीचे उल्लिखित संस्थाओं और अन्य विभिन्न सरकारी संस्थाओं के साथ प्रवेश किया है। ये लेनदेन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से महत्वहीन हैं और इसलिए इनका खुलासा नहीं किया जाता है।

ख. संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:

संयुक्त उपक्रम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद		
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए कार्य/सेवाओं के लिए अनुबंध	-	-
कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कार्य/सेवाओं के लिए अनुबंध	-	-
माल की बिक्री/खरीद	-	-
ii) कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	-
iii) प्राप्त लाभांश	948.75	881.45
iv) किए गए इक्विटी अंशदान	-	-
v) दिए गए ऋण	-	-
vi) प्राप्त गारंटी	-	-





₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान	131.30	116.61
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को मुआवजा		
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	336.84	270.44
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अन्य लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स	36.80	28.94
अन्य लाभ	18.85	41.40
कुल	523.79	457.39

एक ही सरकार के नियंत्रण में संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

₹ लाख

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	बिजली, पानी और रखरखाव शुल्क	268.66	241.47
2	एनटीपीसी लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत जारी अनुदान	3,225.00	-
		निविदा शुल्क प्राप्त हुआ	-	18.00
		सौर ऊर्जा की खरीद	8,033.26	794.34
		सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	-	40.26
		परियोजना निगरानी शुल्क प्राप्त हुआ	-	18.88
3	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	निविदा शुल्क प्राप्त	18.00	53.99
		परियोजना निगरानी शुल्क प्राप्त	767.00	1,121.00
		सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	35,976.40	-
4	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	सौर ऊर्जा की बिक्री-स्वयं की परियोजना	1,243.19	1,333.32
5	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	-	16.99
		सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान जारी	-	12,800.00
		चिकित्सा पश्चात लाभ न्यास	2.19	2.17
6	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	परामर्श आय	80.04	1,071.05
		अनुदान - सीपीएसयू - सरकार निर्माता योजना	-	2,737.00





क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
7	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	डीडीयूजीजेवाई के तहत भुगतान जारी	757.82	-
8	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	निविदा दस्तावेज व्यय	-	5.90
		सफलता शुल्क प्राप्त	-	1,416.00
9	मुख्य निर्माण अभियंता (आर एंड डी)(पीटी-डीआरडीओ)	बिजली की बिक्री - खुद की परियोजनाएं डीआरडीओ	717.79	697.93
		ऊर्जा शुल्क	-	15.06
		एसएलडीसी प्रभार	5.68	1.26
10	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	10,935.50	5,083.98
			62,030.53	27,468.60

ग. संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूली योग्य राशि		
संयुक्त उद्यमों से	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	709.63	1,539.49
संबंधित पक्षों के संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान		
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	207.84	232.06
देय राशि		
संयुक्त उद्यमों के लिए .	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को .	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	271.84	283.68

घ. व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन

₹ लाख

विवरण	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सोलर पार्क के लिए ग्रांट जारी			
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	252.00	-
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	10,935.50	5,083.98





इ प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण या अग्रिम के संबंध में प्रकटीकरण दिया जाता है:

(क) मांग पर प्रतिदेय;

(ख) निर्दिष्ट किए बिना चुकौती की कोई शर्तें या अवधि

विवरण	वर्तमान अवधि		पिछली अवधि	
	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans	Amount of loan or advance in the nature of loan outstanding	Percentage to the total Loans and Advances in the nature of loans
प्रमोटर	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
निदेशक	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
केएमपी	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
सम्बन्धित दल	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
कुल	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं

48. इंड एस-27 के अनुसार प्रकटीकरण, अलग वित्तीय विवरण

48.1 तैयार किए गए वित्तीय विवरण अलग वित्तीय विवरण हैं।

48.2 संयुक्त उद्यमों में महत्वपूर्ण निवेश इस प्रकार हैं:-

संयुक्त उद्यमों में निवेश

विवरण	व्यवसाय का स्थान/ निगमन का देश	स्वामित्व हित		प्रधान गतिविधियाँ
		31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को	
आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	आंध्र प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश, भारत	50%	50%	सोलर पार्कों का विकास और सेटिंग
कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	कर्नाटक, भारत	50%	50%	अनुसंधान और
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	मध्य प्रदेश, भारत	50%	50%	विकास परियोजनाओं
लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	उत्तर प्रदेश, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड	केरल, भारत	50%	50%	सौर पार्कों का विकास

संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को प्छलग वित्तीय विवरण पर इंड एस 27 के प्रावधानों के अनुसार लागत पर मापा जाता है।



49. भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (₹ में)	233.12	658.49
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	1,000.00	1,000.00
(ii) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (₹ लाख)		
संचालन से	31,564.96	24,032.16
(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (हर के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)	1,35,40,000	36,49,589

50. भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' प्रावधानों में बदलाव के अनुसार प्रकटीकरण

50.1 प्रावधानों में बदलाव

विवरण	संदिग्ध ऋणों और अन्य के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में राशि	302.07	213.75
वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.65	89.07
वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली राशि	(16.38)	-
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन	(8.26)	(0.75)
वर्ष के अंत में राशि	289.08	302.07

50.2 आकस्मिक देयताएं

50.2.1 वाणिज्यिक और आवासीय स्थान के लिए एनबीसीसी के साथ कंपनी की बुकिंग के संबंध में, एनबीसीसी ने 31 मार्च 2023 तक कंपनी द्वारा भुगतान की गई दस किस्तों पर ₹ 518.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 518.64 लाख) की राशि के भुगतान अनुसूची में सेवा कर का उल्लेख किया है। हालांकि, एनबीसीसी द्वारा अभी तक इसकी मांग नहीं की गई है। जब भी एनबीसीसी द्वारा इसकी मांग की जाएगी लागू सेवा कर ध्वजीएसटी दरों पर इसका भुगतान एनबीसीसी को किया जाएगा। इसके अलावा, एनबीसीसी को 31.03.2023 तक भुगतान की गई राशि को खातों की बहियों में आवासीय इकाई और वाणिज्यिक इकाई के लिए आरओयू संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

50.2.2 31 मार्च 2023 तक, पावर डेवलपर्स द्वारा कानून के दावों में बदलाव से संबंधित माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी)/राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (आरईआरसी) के समक्ष 31 याचिकाएं लंबित हैं। इसके अलावा कुछ डेवलपर्स (17) ने कानून में बदलाव के दावों के संबंध में सीईआरसी के आदेश को समीक्षा के लिए माननीय एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी है। कानून के दावे में बदलाव से संबंधित माननीय एपीटीईएल के एक आदेश को डिस्कॉम और सेकी द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। आज की तारीख में मामला आगे की सुनवाई के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। दावे की राशि आकस्मिक है क्योंकि दावे की राशि विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है जो अभी तक डेवलपर्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और माननीय सीईआरसी/एपीटीईएल के आदेश पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, इसे संबंधित क्रय उपयोगिताओं से बैंक टू बैंक आधार पर वसूल किया जाएगा। इसके अलावा कुछ डिस्कॉम ने कानून के दावों में बदलाव के संबंध में माननीय एपीटीईएल के समक्ष याचिकाएं दायर की हैं लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। एसईसीआई द्वारा बताई गई समाधान राशि पर माननीय एपीटीईएल के किसी भी विपरीत निर्णय को भविष्य की वार्षिकियों से तुरंत समायोजित किया जाएगा और अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) को सेकी द्वारा इस संबंध में संबंधित पावर डेवलपर्स द्वारा प्रस्तुत किए गए उपक्रम के आधार पर ब्याज के साथ वसूल किया जाएगा। (नोट क्रमांक 73 देखें)।





50.2.3 कंपनी ने पारेषण कंपनियों, बैंट प्राधिकरणों, परियोजना विकासकर्ता(ओं) और पीपीए धारक के पक्ष में विभिन्न बैंक गारंटी/साख पत्र जारी करने के विरुद्ध बैंक(रों) के पक्ष में प्रति क्षतिपूर्ति प्रदान की है। ₹ 1,05,567.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 72.283.39 लाख) की संचयी राशि के लिए उपलब्ध सीमाओं का बैंकवार विवरण और गैर निधि आधारित सीमा का उपयोग नीचे दिया गया है:

₹ लाख

बैंक का नाम	गैर निधि आधारित स्वीकृत सीमा*	31.03.2023 को उपयोग की गई सीमा
एचडीएफसी बैंक	50,000.00	30,887.63
आईसीआईसीआई बैंक	10,000.00	9,449.19
यस बैंक	15,000.00	14,340.64
एक्सिस बैंक	17,499.00	14,785.04
भारतीय स्टेट बैंक	50,000.00	36,105.14
कुल	1,42,499.00	1,05,567.64

*फंड आधारित क्रेडिट सुविधा के साथ विनिमेय सीमाएँ शामिल हैं।

50.2.4 कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक ₹ 1,578.37 लाख (31 मार्च, 2022 तक – ₹ 1,576.59 लाख) की राशि की वसूली एमएनआरई के तहत रूफटॉप योजनाओं के संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के गैर/आंशिक अनुपालन के लिए एलडी/जुमाने के रूप में की है। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इन एलडी प्रभारों को लगातार सेकी की आय के रूप में मान्यता दी गई है। आय निर्धारण पर वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर, आगे के निर्देशों/सलाह के लिए दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019, 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022 और 6 जून, 2022 के पत्र के माध्यम से इसे एमएनआरई को भेजा गया है।

50.2.5 मैसर्स एमबीपी सोलर ने पीपीए में प्रदान किए गए मध्यस्थता खंड को लागू किया है और ₹ 13,381.93 लाख के दावे के साथ याचिका को मध्यस्थता पैनल में स्थानांतरित कर दिया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है जिसके खिलाफ सेकी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और मामला विचाराधीन है। इसके अलावा, यदि कोई वित्तीय प्रभाव होता है तो उसे पीएसएम निधियों से दिनांक 4 फरवरी 2019 के पीएसएम दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा। इसलिए, खाते की बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

50.2.6 सेकी ने 2000 मेगावाट योजना के तहत मैसर्स कृष्णा विंड फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित परियोजना को चालू करने में देरी के लिए ₹ 300 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का रद्द कर दिया है। एसपीडी द्वारा रद्द करनेकी कार्यवाहीको सीईआरसी में चुनौती दी गई है। हालांकि सीईआरसी ने बीजी को लागू करने के फैसले को बरकरार रखा है। कंपनी ने एपीटीईएल के पास इस आदेश को चुनौती दी है। रद्द करनेकी राशि को पीएसएम फंड में अलग से रखा गया है और एपीटीईएल के आदेश के परिणाम से सेकीपर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

50.2.7 सेकी ने 2000 मेगावाट योजना के तहत मैसर्स तलेटुटई सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित परियोजना को चालू करने में देरी के लिए ₹ 1500 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का रद्द कर दिया है। एसपीडी द्वारा रद्द करनेकी कार्यवाहीको सीईआरसी में चुनौती दी गई है। हालांकि सीईआरसी ने बीजी को लागू करने के फैसले को बरकरार रखा है। कंपनी ने एपीटीईएल के पास इस आदेश को चुनौती दी है। रद्द करनेकी राशि को पीएसएम फंड में अलग से रखा गया है और एपीटीईएल के आदेश के परिणाम से सेकीपर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

50.2.8 सेकी ने 2000 मेगावाट योजना के तहत मैसर्स परमपूज्य सोलर एनर्जी को आवंटित परियोजना को चालू करने में देरी के लिए ₹ 600 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का रद्द कर दिया है। एसपीडी द्वारा रद्द करनेकी कार्यवाहीको सीईआरसी में चुनौती दी गई है। सीईआरसी का आदेश अभी लंबित है। रद्द करनेकी राशि को पीएसएम फंड में अलग से रखा गया है और सीईआरसी के आदेश के परिणाम से सेकीपर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।

50.2.9 सेकी ने 04.11.2016 और 01.12.2016 को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एक बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे विभिन्न डेवलपर्स से खरीदा जाना है। कमीशनिंग में देरी के मद्देनजर, एमएसईडीसीएल ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (MERC) में एक याचिका दायर की है जिसमें सेकी द्वारा कम आपूर्ति के कारण हुए नुकसान के रूप में ₹ 13,172





लाख के मुआवजे की है और सौर परियोजनाओं की दरके लिए सीओडी से 31.03.2019 ₹ 1,374 लाख की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। सेकी ने इस विषय पर MERC के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी लेकिन MERC ने 14.09.2020 को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अपना आदेश पारित किया, जहाँ इसने अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा। सेकी ने इस आदेश को। APTEL के समक्ष चुनौती दी। इसके अलावा, एमईआरसी ने 12.02.2021 को गुण-दोष के आधार पर अपना अंतिम आदेश पारित किया, जिसे एसईसीआई द्वारा एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी गई। दोनों अपील एपीटीईएल के समक्ष लंबित हैं।

- 50.2.10 डीईआरसी ने माननीय एपीटीईएल के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के खिलाफ 0.07 पैसे प्रति यूनिट के सेकी ट्रेडिंग मार्जिन के भुगतान के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की है। एसईसीआई द्वारा जवाब दे दिया गया है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। यदि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो 31 मार्च, 2023 को ₹ 2,535.43 लाख की आय उलट जाएगी।
- 50.2.11 सेकी ने आईएसटीएस सोलर ट्रेच-आई स्कीम के तहत मेसर्स अरीना सौर प्रा.लि. को आवंटित परियोजनाओं के गैर-कमीशनिंग के कारण ₹ 5,000 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी को भुना लिया है। गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा एपीटीईएल में चुनौती दी गई है, एपीटीईएल का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को अलग रखा गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
- 50.2.12 सेकी ने विंड ट्रेच-II योजना के तहत मेसर्स हेरोडा विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, खातियू विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, विगोडी विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं रवापर पवन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित परियोजनाओं के गैर-कमीशनिंग के कारण ₹ 3,718 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी को भुना लिया है। गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है, सीईआरसी का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को अलग रखा गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
- 50.2.13 सेकी ने विंड ट्रेच-II योजना के तहत मेसर्स रिनयू पावर प्राइवेट लिमिटेड, को आवंटित परियोजना के गैर-कमीशनिंग के कारण ₹ 1,098.40 लाख की प्राप्ति की है गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है। सीईआरसी ने सेकी के पक्ष में आदेश कर दिया। आदेश को एसपीडी द्वारा एपीटीईएल में चुनौती दी गई है, एपीटीईएल का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को अलग रखा गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
- 50.2.14 सेकी ने विंड ट्रेच-VII योजना के तहत पीपीए पर हस्ताक्षर न करने के कारण मेसर्स बेतम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 1200 लाख की प्राप्ति की है। गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है। सीईआरसी ने सेकी के पक्ष में आदेश कर दिया। आदेश को एसपीडी द्वारा एपीटीईएल में चुनौती दी गई है, एपीटीईएल का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को आय में शामिल कर लिया गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव होगा।
- 50.2.15 सेकी द्वारा निर्माण सुविधा से सम्बद्ध निविदा द्वारा आवंटित सौर पावर प्लांट को निरस्त करने और डिस्कॉम् द्वारा 7000 मेगावाट की बिजली खरीद को रद्द करने के लिए दूसरे वर्ष एक दौरान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। मामला सुनवाई के लिए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित है। यदि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय दे दिया गया तो यह निविदा रद्द करनी पड़ेगी और परिणामतः पीपीए और पीएसए रद्द हो जाएंगे। सेकी को योजना के लिए संग्रहीत ₹ 9600 लाख वापिस करने होंगे।

50.3. प्रतिबद्धताएँ

- 50.3.1 पूंजी खाते (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति) पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि ₹ 98,527.04 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,14,456.76 लाख) है इसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्ति संयंत्र उपकरण*	98,527.04	1,14,456.76
अमूर्त परिसंपत्ति	-	-

* पूंजीगत प्रतिबद्धता है 100 मेगावाट छत्तीसगढ़ परियोजना के लिए प्रदत्त ₹ 6,196.30 लाख निवल पूंजीगत अग्रिम।

- 50.3.2 कंपनी का 31 मार्च 2023 के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों सहित, जिसके लिए किसी भी सामग्री के लिए नुकसान हुआ हो, कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है।





51. आईएनडी एस-107 "वित्तीय लिखतों" के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार भुगतान और अन्य भुगतान शामिल हैं। मुख्यतः वित्तीय देनदारियों का उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्त सुविधा प्रदान करना है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, निवेश, अपने संचालन से प्राप्त सीधे प्राप्त जमा शामिल हैं।

कंपनी अपने वित्तीय लिखतों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिम का पालन करती है:

1. क्रेडिट जोखिम
2. तरलता जोखिम
3. बाजार जोखिम

1. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्षीय अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, नकद और नकद समकक्षों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी का एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। इन भुगतान सुरक्षा तंत्रों ने कंपनी को उस वर्ष अच्छी तरह से सहयोग दिया है। कंपनी ने पिछले वर्ष में व्यापार प्राप्तियों के संबंध में किसी भी विशेष हानि का अनुभव नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट जोखिम की कोई एकाग्रता नहीं है।

अन्य वित्तीय साधन एवं नकद और नकद समकक्ष

कंपनी में ₹ 1,32,321.32 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 1,30,262.23 लाख) के नकद और नकद समकक्ष हैं। नकद और नकद समकक्षों को उच्च रेटिंग वाले बैंकों में रखा जाता है।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 80,995.13 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 1,21,926.45 लाख) जमा किए, कंपनी केवल उच्च रेटेड बैंकों/संस्थानों में जमा करती है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय संपत्ति जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है		
संयुक्त उपक्रमों में गैर-वर्तमान निवेश*	-	-
बॉण्ड में गैर-वर्तमान निवेश	86,482.28	
गैर-वर्तमान ऋण एवं अग्रिम	69.54	79.23
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति	90,904.04	87,842.98
नकद और नकद समकक्ष	1,32,321.32	1,30,262.23
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	80,995.13	1,21,926.45
वर्तमान ऋण एवं अग्रिम	1,657.84	1,649.79
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति	1,19,126.75	1,20,512.99
वित्तीय संपत्ति जिसके लिए जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	1,73,944.27	97,243.86
कुल	6,85,501.17	5,59,517.53

*यहां संयुक्त उपक्रमों में गैर-वर्तमान निवेशों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।





अपेक्षित ऋण या हानि के लिए प्रावधान

(क) वित्तीय संपत्ति जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है

कंपनी की ऐसी संपत्ति है जहां काउंटर-पार्टियों में दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए किसी हानि भत्ते मान्यता नहीं दी गई है।

(ख) वित्तीय संपत्ति जिसके लिए जीवनकाल के अपेक्षित क्रेडिट का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है

हानि कंपनी जीवनकाल के अपेक्षित क्रेडिट हानि और सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ता प्रदान करती है।

व्यापार देय अवधि अनुसूची

₹ लाख

बैंक का नाम	भुगतान की दे तिथि के बाद निम्न अवधि में बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – उत्तम समझे जाते हैं	1,28,052.90	38,353.94	5,637.60	196.53	671.57	1031.33	1,73,943.87
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य-जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	104.14	104.14
(iv) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-उत्तम समझे जाते हैं	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	137.68	137.68
घटाया-क्रेडिट हानि छूट	-	-	-	-	-	(241.42)	(241.42)
कुल व्यापार प्राप्य	1,28,052.90	38,353.94	5,637.60	196.53	671.57	1,031.73	1,73,944.27
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – उत्तम समझे जाते हैं	78,211.73	15,957.97	743.14	915.16	352.17	1063.68	97,243.85
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	120.20	120.20
(iv) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-उत्तम समझे जाते हैं	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-खराब क्रेडिट	-	-	-	-	22.31	115.37	137.68





बैंक का नाम	भुगतान की दे तिथि के बाद निम्न अवधि में बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
घटाया-क्रेडिट हानि छूट	-	-	-	-	(22.31)	(235.56)	(257.87)
कुल व्यापार प्राप्य	78,211.73	15,957.97	743.14	915.16	352.17	1,063.69	97,243.86

2. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए आई परेशानियों का सामना करेगी और जिनको नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निर्वहन किया जाता है। तरलता को प्रबंधित करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि, जहां तक संभव हो, कि अस्वीकार्य हानि या कंपनी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए बिना सामान्य और कठिन दोनों परिस्थितियों में, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता होगी।

वित्तपोषण व्यवस्था

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनाहरित निम्नलिखित उधार सुविधाएं उपलब्ध थीं : ₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अस्थायी दर ऋण		
ओवरड्राफ्ट / नकदी ऋण*	29,327.33	26,896.51
विश्व बैंक से सावधि ऋण**	65,471.37	-

* कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 100 लाख, (₹ 10,000 लाख की गैर-निधि आधारित सीमा के उपसीमा के रूप में), एक्सिस बैंक से ₹ 7,500 लाख; (₹ 17,499 लाख की गैर-निधि आधारित सीमा के उपसीमा के रूप में), एचडीएफसी बैंक से ₹ 25,500 लाख; (₹ 20,000 लाख गैर-निधि आधारित सीमा के साथ), यस बैंक से ₹ 1 लाख और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹ 2000 लाख स्वीकृति मिली हुई है। एक्सिस बैंक की ₹ 4,786.04 लाख की निधि आधारित सीमाएं और एचडीएफसी बैंक की ₹ 887.63 लाख की सीमा का उपयोग एसबीएलसी जारी करने के लिए 31.03.2023 तक किया जा चुका है।

** और तुलन पत्र की तारीख को उपर्युक्त राशि रुपए समतुल्य है और समापन विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर) पर गणना कर ली गई है।

व्यापार देय अवधि अनुसूची

₹ लाख

बैंक का नाम	भुगतान की दे तिथि के बाद निम्न अवधि में बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1—2 वर्ष	2—3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	
(ii) अन्य	44294.23	-	-	156.86	-	44,451.09
(iii) विवादित देय—एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय—अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापार देय	44,294.23	-	-	156.86	-	44,451.09
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	44193.09	-	156.86	-	-	44,349.95
(iii) विवादित देय—एमएसएमई	-	-	-	-	-	-





बैंक का नाम	भुगतान की दे तिथि के बाद निम्न अवधि में बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(iv) विवादित देय-अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापार देय	44,193.09	-	156.86	-	-	44,349.95

व्यापार देय अवधि अनुसूची

बैंक का नाम	बकाया नहीं	मांग पर	3 माह या कम	3-12 माह	1-5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएँ	-	2,13,858.10	1,09,358.29	6,011.01	50,782.62	55,480.81	4,35,490.83
कुल	-	2,13,858.10	1,09,358.29	6,011.01	50,782.62	55,480.81	4,35,490.83
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएँ	-	1,35,670.87	73,556.90	4,628.14	38,451.82	55,483.79	3,07,791.52
कुल	-	1,35,670.87	73,556.90	4,628.14	38,451.82	55,483.79	3,07,791.52

3. बाजार जोखिम

बाजार का जोखिम वह जोखिम है जो बाजार दरों में बदलता है, जैसे कि ब्याज दरें कंपनी की आय को प्रभावित कर सकती हैं। स्वीकार्य मापदंडों के भीतर, आय को बढ़ाने का प्रयास करते हुए बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। वर्तमान में कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है। कोई बाजार जोखिम नहीं है।

52. इंड एस 108 'आपरेटिंग सेगमेंट' के अनुसार प्रकटीकरण :

क. सामान्य जानकारी

'कंपनी के रिपोर्ट करने योग्य दो खंड हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो कि इसकी रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयां हैं। रणनीतिक व्यापार इकाइयां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं, और अलग-अलग प्रबंधित की जाती हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सारांश कंपनी के प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट में संचालन का वर्णन करता है:

क.1. पावर ट्रेडिंग एंड जेनरेशन: कंपनी के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और इसके द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सौर/पवन ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है। इसके अलावा कंपनी बिजली उत्पादन के व्यवसाय में भी है।

क.2. परामर्श और परियोजना प्रबंधन: इसमें परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाएं आदि प्रदान करना शामिल है। प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खंड के परिणामों के बारे में जानकारी नीचे शामिल है। निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाने वाली आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों में शामिल आयकर से पहले खंड लाभ के आधार पर निष्पादन को मापा जाता है। सेगमेंट प्रॉफिट का उपयोग निष्पादन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि ऐसी जानकारी इन उद्योगों के भीतर काम करने वाली अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ सेगमेंट के परिणामों का मूल्यांकन करने में सबसे अधिक प्रासंगिक है। ऑपरेटिंग सेगमेंट के बीच स्थानांतरण मूल्य एक हाथ की लंबाई के आधार पर तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन के समान हैं।





ख. रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के समाधान के बारे में जानकारी:

₹ लाख

विवरण	व्यावसायिक क्षेत्र					
	पावर ट्रेडिंग और जनरेशन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
सेगमेंट राजस्व						
प्रचालनों से राजस्व	10,73,040.46	7,14,616.36	6,263.76	11,093.62	10,79,304.22	7,25,709.98
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय	-	-	-	-	7,138.76	5,327.69
कुल	10,73,040.46	7,14,616.36	6,263.76	11,093.62	10,86,442.98	7,31,037.67
सेगमेंट परिणाम	37,083.60	22,606.93	5,858.03	10,604.26	42,941.63	33,211.19
अनाबंटित व्यय, ब्याज और वित्त प्रभार	-	-	-	-	7,720.36	6,546.67
कर देने से पूर्व लाभ	-	-	-	-	42,360.03	31,992.21
करों के लिए प्रावधान	-	-	-	-	10,795.07	7,960.05
कर अदायगी के उपरांत लाभ	-	-	-	-	31,564.96	24,032.16
मूल्यहास और परिशोधन	601.38	604.87	390.28	381.44	991.66	986.31
आवंटित मूल्यहास . .	-	-	-	-	758.61	696.78
आवंटित मूल्यहास के अलावा गैर नकद व्यय	-	-	1.91	1.41	1.91	1.41
पूंजीगत व्यय	-	-	83.09	76.93	83.09	76.93
अनाबंटित पूंजीगत व्यय	-	-	-	-	-	-

₹ लाख

विवरण	व्यावसायिक क्षेत्र					
	पावर ट्रेडिंग और जनरेशन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
अन्य सूचनाएं						
सेगमेंट संपत्ति	6,14,122.15	5,22,509.44	3,046.57	4,864.67	6,17,168.71	5,27,374.11
अनाबंटित संपत्ति	-	-	-	-	1,32,471.85	77,211.98
कुल संपत्ति	6,14,122.15	5,22,509.44	3,046.57	4,864.67	7,49,640.56	6,04,586.09
सेगमेंट देयताएं	4,61,074.06	3,50,862.31	46,631.27	15,211.63	5,07,705.33	3,66,073.94
अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	4,303.82	32,466.16
कुल परिव्यय	4,61,074.06	3,50,862.31	46,631.27	15,211.63	5,12,009.15	3,98,540.10





ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक प्रमुख ग्राहकों से राजस्व

₹ लाख

देनदार का नाम	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	2022-23	प्रतिशतता	2021-22	प्रतिशतता
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,37,688.12	12.75	1,12,201.74	15.40
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1,32,382.79	12.26	89,959.80	12.35
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	93,282.45	8.64	77,404.59	10.63

53. इंड एस 113 के अनुसार प्रकटीकरण – उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 तक			31 मार्च 2022 तक		
	एफवीटी पीएल	एफवीटीओ सीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटीओ सीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
— इक्विटी इंस्ट्रूमेंट*	-	-	-	-	-	-
— बॉण्ड	-	-	86,482.28	-	-	-
ऋण	-	-	1,727.38	-	-	1,729.02
व्यापार प्राप्तियां	-	-	1,73,944.27	-	-	97,243.86
नकद और नकदी के समतुल्य	-	-	1,32,321.32	-	-	1,30,262.23
अन्य बैंक शेष	-	-	80,995.13	-	-	1,21,926.45
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	2,10,030.79	-	-	2,08,355.97
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	6,85,501.17	-	-	5,59,517.53
वित्तीय देयताएं						
ऋण	-	-	301.86	-	-	-
पट्टा देयताएं			176.86			173.24
देय व्यापार	-	-	44,451.09	-	-	44,349.95
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	4,35,313.97	-	-	3,07,618.28
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	4,80,243.78	-	-	3,52,141.47

*संयुक्त उद्यमों में ₹ 476 लाख के निवेश का ऊपर प्रकटीकरण नहीं किया गया है।





54. इंडस्ट्रीज एस 115 के अनुसार प्रकटीकरण – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

I. माल और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में बिजली की बिक्री, व्यापार, परामर्श और अन्य सेवाओं के माध्यम बिजली की बिक्री से आय शामिल है। प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:

(क) बिजली की बिक्री से राजस्व (स्वयं का उत्पादन)

कंपनी का राजस्व अपने संयंत्रों से बिजली की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली बिजली सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ राज्यों में संचालित निजी डिस्कॉम। बिजली की बिक्री आम तौर पर ग्राहकों के साथ किए गए दीर्घकालिक बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के अनुसार की जाती है।

बिजली बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
बिजली की बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	कंपनी समय के साथ बिजली की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। बिजली की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के संदर्भ में किया जाता है। राशियों के बिल मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं और अनुबंधित सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होते हैं।

(ख) बिजली व्यापार से राजस्व

(i) व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री

कंपनी डिवेलपर्स से बिजली खरीद रही है और इसे डिस्कॉम्स को प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर बेच रही है।

व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	कंपनी समय के साथ बिजली की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। बिजली की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के संदर्भ में किया जाता है। राशियों के बिल मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं और अनुबंधित सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होते हैं।

(ग) सेवा प्रदान करने से राजस्व

(i) सेवाओं प्रदान करने से राजस्व

कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य परामर्श अनुबंधों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध करती है।

परामर्श और अन्य सेवाओं के अनुबंधों के तहत प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परियोजना निगरानी शुल्क	कंपनी परियोजना निगरानी शुल्क के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को एक निश्चित समय/उपलब्धि मील के पथर के आधार पर पहचानती है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना निगरानी शुल्क से राजस्व निर्धारित किया जाता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जो कि कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुमानित है। राशियों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर देय होता है।





उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शदात्री सेवाएं	कंपनी समय-समय पर प्राप्त मील के पथर के आधार पर परामर्श सेवाओं के लिए अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। परामर्श सेवाओं से राजस्व अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। द. मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जो कि कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुमानित है। राशियों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर देय होता है।

II. राजस्व का पृथक्करण

निम्न तालिका में, राजस्व को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व पहचान के समय के आधार पर अलग-अलग किया गया है:

₹ लाख

विवरण	बिजली की बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शदात्री सेवाएं	अन्य	कुल
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए						
राजस्व मान्यता का समय						
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	2,006.11	10,70,238.45	4,589.86	435.67	371.99	10,77,642.08
एक समय में स्थानांतरित किए गए उत्पाद और सेवाएं	-	-	0.19	-	864.27	864.46
	2,006.11	10,70,238.45	4,590.05	435.67	1,236.26	10,78,506.54

₹ लाख

विवरण	बिजली की बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शदात्री सेवाएं	अन्य	कुल
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए						
राजस्व मान्यता का समय						
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	2,086.77	7,11,728.10	8,617.83	1,481.08	403.61	7,24,317.39
एक समय में स्थानांतरित किए गए उत्पाद और सेवाएं	-	-	276.70	-	313.09	589.79
	2,086.77	7,11,728.10	8,894.53	1,481.08	716.70	7,24,907.18

III. अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अनुबंध की कीमत	10,78,481.54	7,27,742.26
के लिए समायोजन:		
छूट	25.00	(2,835.08)
राजस्व मान्यता प्राप्त	10,78,506.54	7,24,907.18





IV. अनुबंध शेष

अनुबंध संपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब अनुबंधों पर बिलिंग से अर्जित राजस्व की अधिकता होती है। जब नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है, तो अनुबंध की संपत्ति को बिना बिल वाले राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अनुबंध देयताएं मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित होती हैं जिन्हें 'ग्राहकों से अग्रिम' कहा जाता है।

निम्नलिखित तालिका व्यापार प्राप्तियों, बिल न किए गए राजस्व और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान
व्यापार प्राप्तियां	1,73,944.27	-	97,243.86	-
बिल न किया गया राजस्व	1,00,308.22	-	74,136.34	-
ग्राहकों से अग्रिम	1,620.51	229.21	4,513.70	681.00

55. हाल की लेखांकन घोषणाएँ

नए भारतीय लेखांकन मानकों का आवेदन – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी किए गए सभी भारतीय लेखांकन मानकों और कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत, 2015 (यथासंशोधित) जब तक वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी जाती है, तब तक इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में विचार नहीं किया गया है।

मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

एमसीए ने 23 मार्च, 2022 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक/इंड एसएस) संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू किए गए हैं। विभिन्न मानकों के संबंध में इन नियमों के अनुसार संशोधित आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:

इंड एसएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति :

संशोधनों में कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीति की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। कंपनी ने संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

इंड एस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन: लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा के साथ बदल दिया गया है। संशोधनों से संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इंड एस 12 – आय कर : संशोधनों ने मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह अब लेन –देन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता को जन्म देता है। कंपनी ने संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्य भारतीय लेखा मानकों में विशेष रूप से इंड एसएस 101– भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना, इंड एसएस 102–शेयर आधारित भुगतान, इंड एसएस 103–व्यापार संयोजन, इंड एसएस 107–वित्तीय उपकरण–प्रकटीकरण, इंड एसएस 109–वित्तीय उपकरण, और इंड एसएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग या तो उपरोक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप होती है या प्रकृति में लिपिकीय होती है। कंपनी ने संशोधनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।





56. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सूचना

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
मूल राशि	-	-
उस पर लगने वाला ब्याज	-	-
ख) एमएसएमडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) उपार्जित और शेष अदत्त ब्याज की राशि	-	-
ड) एमएसएमडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, उस तिथि तक, जब तक ऊपर देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बकाया ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी देय है।	-	-

57. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय-समय पर अल्पावधि जमा में रखा जाता है।
58. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है कि बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन 01.04.2022 से 27.04.2022 तक की अवधि के लिए केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था और 28.04.2022 से 31.03.2023 तक दो स्वतंत्र निदेशक थे तदनुसार कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2022 से 27.07.2022 तक निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति अपेक्षित संरचना नहीं थी। इसके अलावा, सुश्री रश्मि सिंह (स्वतंत्र निदेशक) का कार्यकाल 7 मई, 2023 को पूरा हो गया और वर्तमान कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के बोर्ड में एक अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए एमएनआरई को अनुरोध किया गया है।
59. चालू वर्ष में निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए निवल ₹ 411.79 लाख (पिछले वर्ष ₹ 327.89 लाख) का प्रावधान किया गया है। इसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा।
60. 31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्य और देय बकाया क्रमशः ₹ 1,73,944.27 लाख और ₹ 44,451.09 लाख है। आवश्यकता के अनुसार, सभी पक्षों को पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। व्यापार देय बकाया के प्रति ₹ 29,742.06 लाख की राशि की पुष्टि की गई है। ₹ 2,253.62 लाख की बकाया व्यापार प्राप्य राशि की पुष्टि की गई है और राशि की पुष्टि की गई है और व्यापार प्राप्य बकाया के प्रति डिस्कॉम और अन्य पार्टियों से 30.06.2023 तक ₹ 1,53,956.41 लाख प्राप्त हो चुके हैं।
61. 'चालू संपत्ति' के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य शेष और 'वर्तमान देनदारियों' के तहत दिखाए गए व्यापार और अन्य देय राशि में पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष राशि शामिल है। सुलह निरंतर आधार पर की जाती है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, प्रावधान किए गए हैं। समायोजन, यदि कोई हो, संबंधित पक्षों के साथ उसकी पुष्टि/समाधान पर हिसाब लगाया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।





- 62.** व्यापार प्राप्य और व्यापार देय में शामिल हैं ₹ 14.12 लाख (31.03.2022 को ₹ 5.92 लाख) बेंगलूर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (बेसकॉम) द्वारा कटौती की गई और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ केवीएआरएच शुल्क (किलो वोल्ट एम्पर्स रिएक्टिव चार्ज) के लिए समायोजित किया गया। मीटर रीडिंग शुल्क और बेची गई ऊर्जा पर छूट, जो पीएसए/पीपीए की शर्तों के अनुसार नहीं है।
- 63.** वर्ष के दौरान सेकी को आवंटित क्षमता के प्रति गैर-निष्पादन के कारण रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से परिनिर्धारित नुकसान के रूप में ₹ 2.15 लाख (विविक्त वर्ष ₹ 460.26) की राशि प्राप्त हुई है। कुछ डेवलपर्स ने दिनांक 25-03-2022 को अपनी सिफारिश में डीआरसी से संपर्क किया था। एमएनआरई ने इन डेवलपर्स पर परिसमापन क्षति की वसूली के लिए एक पद्धति का सुझाव दिया था। तदनुसार, सेकी ने उन डेवलपर्स से संबंधित बीजी के आह्वान का सहारा नहीं लिया है जिन्होंने डीआरसी से संपर्क किया था। डीआरसी के आदेश जिसके आधार पर सिफारिश पर दिनांक 25-03-2022 आज तक एसईसीआई को एमएनआरई से कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। आगे इस मामले को दिनांक 03-06-2022 एवं 06.04.23 के पत्रों के माध्यम से एमएनआरई के साथ उठाया गया है। C & AG ऑडिट ने रूफटॉप स्कीम के तहत एलडी पर आय मान्यता के संबंध में अतीत में ऑडिट अवलोकन भी उठाया है (नोट संख्या 50.2.4 देखें)। तदनुसार, सेकी ने डेवलपर्स के परिनिर्धारित हर्जाने 500 मेगावाट रूफटॉप योजना के तहत वेंडर से प्राप्त आय के रूप में ₹ 462.41 लाख पर विचार नहीं किया है, एमएनआरई के निर्देश लंबित हैं।
- 64.** एमएनआरई ने दिनांक 04 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पीएसएम दिशानिर्देश जारी किए। तदनुसार, एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसएम निधि का संचालन किया जा रहा है। भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में एमएनआरई से प्राप्त ₹ 50,000.00 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 50,000.00 लाख) शामिल हैं। ₹ 1,50,013.49 लाख की कुल पीएसएम निधि में बीजी नकदीकरण, विस्तार राशि, टैरिफ में कमी के कारण राशि आदि शामिल हैं। 31.03.2023 तक निकाली गई राशि और उपयोग की गई राशि ₹ 37,038.34 लाख बिजली बिलों के प्रति डिस्कॉम से अतिदेय और ₹ 16,364.65 लाख है, कानून में बदलाव (जीएसटी/एसजीडी) के दावों के प्रति डिस्कॉम पर बकाया है।
- 65.** सेकी 160 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस (बीईएसएस) के साथ एक बड़े पैमाने पर सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया में था, जिसमें आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में सौर 120 मेगावाट और पवन 40 मेगावाट है। परियोजना की स्थापना के लिए नियोजित कुल भूमि लगभग 889.90 एकड़ है, जिसमें से 690.68 एकड़ भूमि के लिए अग्रिम कब्जा प्राप्त किया गया है। वित्त वर्ष के दौरान आवंटित भूमि के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर को कुल अनुग्रह राशि ₹ 2,120.71 लाख का भुगतान किया गया था। 2018-19 और उसी को पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) ने दिनांक 11.08.2020 और 30.09.2020 के पत्रों के माध्यम से सेकी को नई निर्यात नीति के बारे में सूचित किया है और कहा है कि भूमि अब केवल पट्टे के आधार पर सेकी को आवंटित की जाएगी और पट्टा किराया अग्रिम कब्जे की तारीख से शुरू होगा। सेकी द्वारा भुगतान की गई अनुग्रह राशि को पट्टे के किराये में समायोजित किया जाएगा और सेकी को अग्रिम अनुग्रह राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकी ने अपने पत्र दिनांक 28.09.2020, 14.06.2021, 21.06.2021 और 05.04.2022 के माध्यम से एनआरईडीसीएपी को बताया है कि प्रस्तावित लीज रेंटल प्रारंभ तिथि अग्रिम कब्जे की तिथि से सेकी के लिए अस्वीकार्य है। चूंकि पूर्ण और सन्निहित भूमि आज तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी नहीं गई है, इसलिए अग्रिम कब्जे की तारीख से पट्टा शुरू करना सही नहीं है और आंध्र प्रदेश सरकार के पट्टे के किराए को पूर्ण और सन्निहित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना परियोजना गतिविधियों को शुरू करने के लिए एसईसीआई को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा नई भूमि नीति की अधिसूचना प्रमुख भूमि पार्सल की अग्रिम कब्जे की तारीख से बहुत बाद में है, इस मामले में नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मामला आंध्र प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। तदनुसार आईएनडी एस-116 के अनुसार 200 मेगावाट परियोजना पर आरओयू संपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता नहीं दी गई है। इंड एस-116 के अनुसार एमएनआरई ने पत्र दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से 160 मेगावाट सौर पार्क योजना को रद्द कर दिया, आगे एमएनआरई ने दिनांक 11.11.2021 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड पार्क की स्थापना के लिए सेकी को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। एमएनआरई ने पत्र दिनांक 22.11.2022 के माध्यम से परियोजना की अवधि को 200 मेगावाट सौर/विंड बेस हाइब्रिड पार्क से 200 मेगावाट सौर पार्क में बदल दिया। आगे एमएनआरई ने पत्र दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से रामगिरि सौर पार्क की क्षमता को 200 मेगावाट से 300 मेगावाट तक बढ़ाया। तदनुसार, सेकी, अब, सीपीएसयू योजना के तहत उक्त परियोजना को 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड योजना के तहत स्थापित करेगा स्थापित करेगा।



66. वर्ष 2019-20 में, कंपनी ने किदवई नगर कॉम्प्लेक्स में एनबीसीसी द्वारा आवंटित 6 रिहायशी फ्लैटों को सेकी द्वारा किए गए पिछले भुगतानों के विरुद्ध भौतिक कब्जे में ले लिया है। ऐसे फ्लैटों की लागत ₹ 1,734.06 लाख है। फ्लैट 30 साल की अवधि के लिए लीज होल्ड के आधार पर हैं और इसे खाली की किताबों में राइट ऑफ यूज एसेट के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने किदवई नगर स्थित एनबीसीसी ब्लॉक के कार्यालय स्थान का भौतिक कब्जा भी ले लिया है। कार्यालय स्थान 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज होल्ड आधार पर है और ₹ 19,181.48 लाख की राशि का भुगतान किया गया है। खाली की पुस्तकों में आरओयू संपत्ति के रूप में व्यवहार किया गया है। आवासीय और वाणिज्यिक कार्यालय स्थान दोनों का लीज समझौता अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है।

वर्ष के दौरान एनबीसीसी ने पत्र दिनांक 19.07.2022 के माध्यम से सूचित किया कि पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार, पट्टे की अवधि कब्जे के ऑफर की तारीख से शुरू होगी यानी वाणिज्यिक भवन के मामले में 10-08-2018, 11-08-2018 (टाइप-V) और 25-09-2019 (टाइप-VI) 12-02-2021 (वाणिज्यिक भवन) से पट्टा समाप्त होगा आवासीय फ्लेट्स के मामले में, 11-10-2018 (टाइप-V) और 25-09-2019 (टाइप-VI), और आवासीय फ्लेट्स के मामले में वाणिज्यिक भवन, 10-08-2048 (टाइप-V) और 24-09-2049 (टाइप-VI) के मामले में 09-08-2048 को। तदनुसार, पट्टे के समझौते के अनुसार, पट्टे की शेष अवधि के लिए आवासीय और वाणिज्यिक कार्यालय स्थल पर पर मूल्यवृद्धि की गणना की गई है। इसके अलावा आवासीय और वाणिज्यिक कार्यालय स्थल दोनों के पट्टे समझौते को 07-07-2023 को निष्पादित किया जाएगा है।

67. सीईआरसी ने सेकी के खिलाफ मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के मामले में 17 दिसंबर, 2018 को एक आदेश पारित किया है, जो बाद की शर्तों को पूरा करने में देरी को माफ करने और अन्य बातों के अलावा पीपीए को फिर से बहाल करने के लिए सेकी को निर्देश देता है। पीपीए स्थापित करना और उसका वित्तीय निहितार्थ डिस्कॉम के साथ बैंक-टू-बैंक आधार पर है। अतः पुस्तकों में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹ 648.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया है, जिसे विवाद के तहत प्राप्त धन के रूप में दर्ज किया गया है और वर्तमान देनदारियों के तहत अन्य देय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उक्त राशि को ब्याज वाली राशि में रखा गया है खाता और उस पर 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज ₹ 120.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 89.75 लाख) है। वर्ष के दौरान एपीटीईएल ने दिनांक 28.10.2022 के आदेश के माध्यम से मामले का फैसला मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया और उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 03.02.2023 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा। तदनुसार, 28.02.2023 को मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को राशि ₹ 648.00 लाख का भुगतान किया गया। अर्जित ब्याज पार्टी को ₹ 120.88 लाख वापस नहीं किए गए क्योंकि एपीटीईएल आदेश ब्याज के भुगतान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया।

68. रूफटॉप – अन्य परिचालन आय के तहत अन्य प्राप्तियों में आरएफएस के अनुसार एलडी/जुर्माना/सीयूएफ आवश्यकताओं को पूरा न करने के लिए वसूले गए ₹ 1.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1.31 लाख) शामिल हैं। आय निर्धारण पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सी एंड एजी की ऑडिट टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इसे एमएनआरई को पत्र दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019 के माध्यम से संदर्भित किया गया है। आगे के निर्देशों/सलाह के लिए 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022, 6 जून, 2022 और 22 नवंबर, 2022। एमएनआरई से लंबित निर्देश/सलाह को लेखांकन नीति संख्या 1.सी.9.2 के अनुसार एसईसीआई की आय माना गया है।

69. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)

69.1. कंपनी को अपनी सीएसआर नीति के अनुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तीन तत्काल वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। उपरोक्त के आधार पर, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली सीएसआर राशि ₹ 499.35 लाख (पिछले वर्ष ₹ 424.86 लाख) है। तदनुसार सीएसआर व्यय के लिए राशि खर्च की गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:





₹ लाख

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1.	स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को बढ़ावा देना		
	ओडिशा के जूनागढ़ जिले में कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता	-	30.00
	उत्तराखंड में द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ चिकित्सा औषधालय का उन्नयन	-	125.00
	जिला प्रशासन, गुरुग्राम को कोविड देखभाल के लिए सीएसआर सहायता	-	30.00
	कोविड देखभाल के लिए एसएनआर अस्पताल, कोलार को सीएसआर सहायता।	-	50.00
2.	भूख, गरीबी और कुपोषण, गंदगी का उन्मूलन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना		
	शारदा बालाग्राम, ग्वालियर, एम.पी कैंपस में अजा ध्वजजाधपिछड़ा वर्ग समुदाय के 100 छात्रों के लिए भोजनध्वैतिक आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए सीएसआर सहयोग	25.00	-
	दिल्ली के अस्पताल यानी ऐम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया और कलावती अस्पताल, दिल्ली में 44 एनओएस सेनेटरी नैपकिन इंकनेटर्स, वैंडिंग मशीनों और नैपकिन्स की स्थापना के लिए सीएसआर समर्थन।	33.66	-
3	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना		
	विष्णुपुर शंकुल, गुमला, झारखंड में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि के लिए सुधार कार्यक्रम में सीएसआर सहयोग	76.90	-
	महाराष्ट्र में नाशिक जिले में सुरागना ब्लॉक में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि के लिए सुधार कार्यक्रम सीएसआर सहयोग	27.48	-
	लेह में सौर वॉटर हीटर के वितरण के लिए सरकारी संस्थानों/एजेंसियों को सीएसआर सहयोग	25.08	-
4	विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनक्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान		
	बैंगलोर, कर्नाटक में स्थापित किए जा रहे परम सेंटर की स्थापना के लिए सीएसआर सहयोग	70.83	-
5	शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना		
	ओडिशा के डेंकनाल जिले में स्मार्ट क्लास का कार्यान्वयन।	-	12.03
	लेह के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी का कार्यान्वयन।	88.60	172.00
	लेह में अध्यापक प्रशिक्षण	32.15	-
	लेह में डिजिटल इंडिया से संबंधित गतिविधियों के लिए 2 नग मोबाइल वैन के लिए सीएसआर समर्थन	-	28.01
	मोंगोड, हुबली, कर्नाटक में आवासीय लामा शिविर में छात्रावास के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए सीएसआर समर्थन	49.70	-
6	पीएम केयर्स फंड	4.48	-
7	विकास परियोजनाएँ		
	शारदा बालाग्राम, ग्वालियर, एम.पी में सौर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर सहयोग	7.98	-
	अमेठी में गरीब परिवारों के यहाँ लगाने के लिए 125 सोलर स्ट्रीट लाइट्स वितरण हेतु सीएसआर सहयोग	35.50	-
	कुल	477.35	447.04



विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	499.35	424.86
ख. पिछले वर्ष की कमी राशि	(22.00)	0.18
ग. कुल (एबी)	477.35	425.04
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	477.35	447.04
कमी राशि *	-	-

*वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि में कोई कमी नहीं है।

- 70.** सेकी ने विभिन्न डेवलपर्स से प्राप्त बिजली की बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति (APPC) के साथ PSA पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च 2023 तक एपीपीसीसी के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 28,222.21 लाख (पिछले वर्ष ₹ 18,131.22 लाख) है। हालांकि, उपरोक्त बकाया राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि शेष राशि छह महीने से कम पुरानी है और आरबीआई, एपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के तहत कवर की गई है। इसके अलावा 30.06.2023 तक ₹ 16,537.98 प्राप्त किया जा चुका है।
- 71.** एमएनआरई ने एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुपालन में, डेवलपर्स (एसपीडी/डब्ल्यूपीडी/रूफटॉप डेवलपर्स) ने डीआरसी से संपर्क किया है और 31 मार्च, 2023 तक ₹ 679.32 लाख (पिछले वर्ष ₹ 480.15 लाख) जमा किए हैं, जिनमें से संबंधित राशि गैर वीजीएफ योजना के लिए ₹ 117.92 लाख है, इसे एक अलग ब्याज वाले बैंक खाते में रखा गया है और 31 मार्च 2023 तक अर्जित ब्याज ₹ 57.53 लाख (पिछले वर्ष ₹ 46.45 लाख) है। दिशानिर्देशों के अनुसार विवाद समाधान समिति की सिफारिशों के अनुसार उस आशय का आदेश पारित होने पर राशि पार्टी को वापस करने योग्य है। कोई भी निर्णय डेवलपर के पक्ष में नहीं है, तो डेवलपर्स द्वारा जमा की गई फीस को एसईसीआई द्वारा बनाए गए अलग फंड में डीआरसी दिनांक 18.06.2019 के दिशानिर्देशों और उसके सभी प्रासंगिक संशोधन के अनुसार जमा किया जाएगा।
- 72.** वर्ष के दौरान बीजी का नकदीकरण/विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गई पवन ऊर्जा परियोजना/फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की देरी-स्थापना के लिए जमा की गई धनराशि सेकी को बीजी/जमा की गई धनराशि के नकदीकरण के कारण ₹ 28,791.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2267.06 लाख) प्राप्त हुए हैं। विकासकर्ताओं द्वारा पवन ऊर्जा और फ्लोटिंग सौर परियोजना के विलम्बित/असंचालित होने के कारण आरएफएस/पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, पवन ऊर्जा के विलम्बित/असंस्थापित होने तथा फ्लोटिंग सौर परियोजना के पीएसएफनिर्माण के लिए प्राप्त राशि को अलग से रखा जाना है। हालांकि, पवन ऊर्जा परियोजनाओं/फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए पीएसएफ के निर्माण/प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों का मुद्दा लंबित है, आय को एक अलग ब्याज वाले खाते में रखा जाता है। इसके अलावा 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज ₹ 969.92 लाख है (पिछला वर्ष ₹ 237.62 लाख)।
- 73.** केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने कानून में बदलाव के कारण जीएसटीधुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए एसपीडी को भुगतान करने के लिए एसईसीआई को निर्देशित करने वाले विभिन्न आदेश पारित किए हैं। आगे पीपीए की शर्तों के अनुसार, संबंधित खरीद उपयोगिताओं से बैंक टू बैंक आधार पर वसूली योग्य होगी, इसकी पुष्टि सीईआरसी ने अपने आदेश में भी की है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 'असाधारण मदों' के तहत "कानून में बदलाव के कारण एसपीडी के मुआवजे" के रूप में ब्याज राशि (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) सहित ₹ 25,600.53 लाख का खर्च दर्ज किया है। इसके अलावा, CERC के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूला जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 25,600.53 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) की राशि "डिस्कॉम से मुआवजे" के तहत आय के रूप में दर्ज की है। "व्यय और आय बिजली की खरीद और बिक्री के कारण हैं क्योंकि मुआवजा सीधे टैरिफ से संबंधित है। एसपीडी द्वारा किए गए दावों के रूप में इसे असाधारण मद माना गया है और 'असाधारण मदों' के तहत कानून में बदलाव के कारण डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि महत्वपूर्ण है और व्यापार के सामान्य चक्र के दौरान असामान्य है।





वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी आदेश के अनुसार कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को ₹ 21,132.74 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 24,519.57 लाख) का भुगतान किया है और तदनुसार सीईआरसी आदेश के अनुसार डिस्कॉम से बैंक टू बैंक आधार पर इसकी मांग की है। डिस्कॉम को किए गए कुल दावों में से, वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि ₹ 37,627.07 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 4,938.86 लाख) है।

चूंकि कंपनी ने एकमुश्त भुगतान के बजाय वार्षिकी आधारित भुगतान तंत्र के लिए आवेदन किया है, बारह महीने की अवधि के दौरान देय और वसूली योग्य को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष राशि को गैर-चालू के रूप में दिखाया गया है। तदनुसार, ₹ 97,800.89 लाख की राशि “एसपीडी को देय” के रूप में दिखाई गई है, वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 6,904.23 लाख और 31 मार्च, 2023 को गैर-वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 90,896.66 लाख (पिछले वर्ष की वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 5,496.11 लाख और गैर-वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 87,836.99 लाख)।

इस तरह के दावे के खिलाफ डिस्कॉम से वसूली योग्य ₹ 1,09,347.25 लाख की राशि को “डिस्कॉम से वसूली योग्य” के रूप में 31 मार्च 2023 तक वर्तमान वित्तीय संपत्ति ₹ 18,450.59 लाख और गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति ₹ 90,896.66 लाख (पिछले वर्ष की वर्तमान वित्तीय संपत्ति ₹ 33,537.14 लाख और गैर-वित्तीय संपत्ति ₹ 87,836.99) के रूप में दिखाया गया है। डिस्कॉम से वसूली योग्य एवं विद्युत डेवलपर्स को देय राशि का अंतर ₹ 11,546.36 लाख है।

- 74.** सेकी ने 14 दिसंबर, 2022 को विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है जिसमें 178 मिलियन अमेरिकी डॉलर (इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (सीटीएफ) से 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लेने के जिसे घटाकर 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है (आईबीआरडी ऋण 67 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सीटीएफ ऋण 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिनांक 14 फरवरी, 2023 के पत्र के माध्यम से आईबीआरडी ऋण आईडी 8944-आईएन और सीटीएफ ऋण संख्या टीएफ0ए9875 के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) या फ्लोटिंग सोलर पीवी पावर प्लांट के साथ सोलर पीवी पावर प्रोजेक्ट की स्थापना के प्रयोजनों के लिए ऋण का उपयोग किया जाना है। ऋण की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच 15 दिसंबर, 2022 को हस्ताक्षरित गारंटी समझौते के माध्यम से भारत सरकार (जीओआई) द्वारा संप्रभु गारंटी द्वारा ऋण सुरक्षित किया गया है। एमएनआरई और एसईसीआई के बीच बैंक-टू-बैंक गारंटी समझौते पर हस्ताक्षर होना बाकी है। हालाँकि, सेकी ने भारत सरकार को ₹ 521.53 लाख का गारंटी शुल्क भुगतान किया है। सरकारी गारंटी नीति, 2022 के अनुसार 1.2% की दर से गणना की गई। आईबीआरडी ऋण पर फ्रंट-एंड शुल्क के रूप में \$ 167,500 (ऋण राशि का 0.25%) की राशि देय थी। सेकी ऋण आय से फ्रंट एंड शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है और तदनुसार, विश्व बैंक ने ऋण खाते से पैसा निकाल लिया है और शुल्क का भुगतान स्वयं कर लिया है। इसके अलावा, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक से आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण प्रत्येक से \$ 100,000 की राशि का वितरण किया गया है।

आईबीआरडी ऋण 15 जून, 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2043 तक अर्धवार्षिक समान किस्तों में चुकाया जाएगा। आईबीआरडी ऋण पर ब्याज दर एसओएफआर प्लस परिवर्तनीय प्रसार 0.86% (31.03.2023 तक) है। सीटीएफ ऋण 15 जून, 2029 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2058 तक अर्धवार्षिक समान किस्तों में चुकाया जा सकता है और इसमें 0.25% प्रति वर्ष सेवा शुल्क (यानी ब्याज) लगता है। इसके अलावा, आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण पर ऋण की अनाहरित राशि पर क्रमशः 0.25% और 0.18% की दर से प्रतिबद्धता शुल्क लगता है, जो ब्याज के साथ देय होता है।

वर्ष के दौरान ऋण या उस पर ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है।

- 75.** सेकी ने विनिर्माण सुविधा के साथ जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए 12000 मेगावाट के लिए एक निविदा जारी किया। सेकी द्वारा वर्ष 2021-22 में ₹ 9600 लाख पर ₹ 80000/- प्रति मेगावाट की सफलता शुल्क वित्त प्राप्त की गई थी। 31.03.2023 तक 12000 मेगावाट क्षमता में से 31.03.2023 तक 9000 मेगावाट (31.03.2022 तक 8900 मेगावाट) के विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। लेखांकन नीति सं. ग9.2.1 के अनुसार ₹ 792.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2848.00 लाख) की सफलता शुल्क का भुगतान किया गया है जो शेष ₹ 5960.00 लाख को अनुपार्जित सफलता शुल्क के रूप में दिखाया गया है। (देखें नोट नंबर 26.2 और 32.5)।



76. कंपनी के नाम पर नहीं रखी गई अचल संपत्तियों के शीर्षक विलेख: सभी अचल संपत्तियों का विवरण (उन संपत्तियों के अलावा जहां कंपनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते को पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किया गया है) जिनके शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर नहीं हैं और जहां ऐसी अचल संपत्ति अन्य के साथ संयुक्त रूप से धारित है, विवरण निम्नानुसार हैं

₹ लाख

तुलन पत्र में प्रासंगिक लाइन आइटम	संपत्ति की वस्तु का विवरण	सकल वहन मूल्य	के नाम पर स्वामित्व विलेख	शीर्षक विलेख धारक प्रमोटर, निदेशक या प्रमोटर/निदेशक का रिश्तेदार है या प्रमोटर/निदेशक का कर्मचारी है या नहीं,	किस तारीख से धारित संपत्ति	कंपनी के नाम पर न होने का कारण
31 मार्च, 2023 को						
अन्य (संपत्ति के उपयोग का अधिकार)						
(क) आवासीय प्लेट-एनबीसीसी	लीजहोल्ड संपत्ति	1,734.06	आवास एवं शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए)	नहीं	11-08-2018 और 25-09-2019	आवास एवं शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ 07.07.2020 के साथ पट्टा समझौता किया गया है)
(ख) व्यावसायिक-एनबीसीसी	लीजहोल्ड संपत्ति	19,181.48	आवास एवं शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए)	नहीं	10-08-2018	आवास एवं शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए) के साथ 07.07.2020 के साथ पट्टा समझौता किया गया है)
31 मार्च, 2022 को						
अन्य (संपत्ति के उपयोग का अधिकार)						
(क) आवासीय प्लेट-एनबीसीसी	लीजहोल्ड संपत्ति	1,734.06	आवास एवं शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए)	नहीं	11-08-2018 और 25-09-2019	लीज समझौते का निष्पादन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के पास लंबित है।
(ख) व्यावसायिक-एनबीसीसी	लीजहोल्ड संपत्ति	19,181.48	आवास एवं शहरी मंत्रालय (एमओएचयूए)	नहीं	10-08-2018	लीज समझौते का निष्पादन आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) के पास लंबित है।

77. स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेन-देन के संबंध में प्रकटीकरण:-

₹ लाख

बंद कंपनी का नाम	बंद कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	वर्तमान अवधि में बकाया राशि	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है	वर्तमान अवधि में बकाया राशि	बंद कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है
31 मार्च, 2023 को					
शून्य					
31 मार्च, 2022 को					
शून्य					





78. महत्वपूर्ण अनुपातों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	न्यूमेरेटर	डिनोमीनेटर	31 मार्च 2023, को	31 मार्च, 2022 को	प्रतिशतता में परिवर्तन	टिप्पणी
1	वर्तमान अनुपात	कुल मौजूदा संपत्तियाँ	कुल मौजूदा देनदारियाँ	1.31	1.76	-25.72%	वर्ष के दौरान ₹ 86,482.48 लाख की राशि का निवेश किया गया है लंबे समय तक में जो पहले अल्पावधि बचत खाते में निवेश किया गया था।
2	ऋण इक्विटी अनुपात	कुल ऋण (1)	नेट वर्थ (2)	0.00	0.00	0.00%	-
3	कर्ज सेवा कवरेज अनुपात	ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय(3)	ब्याज और लीज भुगतान	41.27	62.41	-33.87%	वर्ष के दौरान विश्व बैंक ऋण के लाभ के कारण ₹ 419.85 लाख से ₹ 827.22 लाख से वित्त लागत में वृद्धि हुई है।
4	इक्विटी अनुपात पर लौटें	कर के बाद शुद्ध लाभ – वरीयता। लाभांश	मूल चुकौती	0.14	0.25	-42.10%	वर्ष के दौरान औसत शेयर धारकों इक्विटी 1000 प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयरों के मुद्दे के कारण बढ़ा है
5	इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	COGS या बिक्री	औसत शेयरधारक की इक्विटी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट बिक्री	औसत सूची	7.96	7.98	-0.21%	-
7	व्यापार देय टर्नओवर अनुपात	नेट क्रेडिट खरीदारी	औसत व्यापार प्राप्य	23.30	15.65	48.87%	खरीद में वृद्धि 49.76% यानी ₹ 6,90,665.87 लाख से ₹ 10,34,325.70 लाख तक।
8	नेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर अनुपात	कुल बिक्री	औसत व्यापार देय	9.07	3.57	154.09%	बिक्री में ₹ 48.19 की वृद्धि यानी ₹ 7,28,484.79 लाख तक लंबी अवधि के CPSU बॉन्ड में ₹ 86,482.48 लाख के निवेश के कारण ₹ 10,79,507.14 लाख और कार्यशील पूंजी में कमी जो पहले अल्पावधि एफडी/एफडी/बचत खाता। ऑटोसवीप में निवेश किया गया था
9	शुद्ध लाभ अनुपात	कर पश्चात निवल लाभ	औसत कार्यशील पूंजी(4)	0.03	0.03	-11.36%	-
10	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	ब्याज, कर, असाधारण मदों और अन्य व्यापक आय से पहले कमाई	कुल बिक्री	0.18	0.16	15.22%	-
11	निवेश पर प्रतिफल	निवेश से उत्पन्न आय	नियोजित पूंजी(5)	1.99	1.85	7.64%	-

(1) **कुल ऋण** : दीर्घावधि उधार, अल्पावधि उधार, पट्टा देयताएं

(2) **नेट वर्थ**: इक्विटी शेयर कैपिटल, अन्य इक्विटी

(3) **ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय**: करों के बाद शुद्ध लाभ, गैर-नकद परिचालन व्यय जैसे मूल्यहास और अन्य परिशोधन, संदिग्ध ऋण आदि के लिए प्रावधान, ब्याज अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर हानि, उचित मूल्य लाभ/हानि आदि—

(4) **औसत कार्यशील पूंजी** : कुल चालू परिसंपत्तियाँ – कुल चालू देयताएं

(5) **नियोजित पूंजी** : मूल निवल मूल्य, कुल ऋण, आस्थगित कर देयताएं





79. इंडस्ट्रीज एस 7-कैश फ्लो के अनुसार वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान कंपनी की लीज देनदारियों में परिवर्तन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल 2022	नकद प्रवाही	गैर नकदी परिवर्तन			31 मार्च, 2023
			पट्टे की देनदारियों में शुद्ध वृद्धि	विदेशी मुद्रा आंदोलन	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	173.24	(12.06)	15.68	-	-	176.86

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल 2021	नकद प्रवाही	गैर नकदी परिवर्तन			31 मार्च, 2022
			पट्टे की देनदारियों में शुद्ध वृद्धि	विदेशी मुद्रा आंदोलन	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	169.40	(11.49)	15.33	-	-	173.24

80. कंपनी के पास चालू संपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से उधार लिया गया है, कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दायर की गई मौजूदा परिसंपत्तियों के त्रैमासिक विवरण/रिटर्न खातों की बहियों के अनुसार हैं और कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं हैं।
81. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II के सामान्य निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना/प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक प्रकट किए जाते हैं।
82. ऐसी कोई घटना नहीं है जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद हुई हो, जिसका 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो।

परिचालन चक्र

83. कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति और संपत्ति के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने ऑपरेटिंग चक्र को 12 महीने के रूप में वर्तमान और गैर-वर्तमान निर्धारित किया है।
84. पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित या पुनर्समूहित किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्तियां			
गैर-वर्तमान परिसंपत्ति			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	2	8,013.68	8,632.71
उपयोग का अधिकार	3	19,585.35	20,356.91
पूँजीगत कार्य प्रगति पर	4	25,344.78	1,941.37
अमूर्त परिसंपत्ति	5	790.46	1,072.39
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्ति	6	-	-
संयुक्त उद्यमों में निवेश	7	34,321.92	28,223.07
वित्तीय परिसंपत्तियां			
ऋण और अग्रिम	8	69.54	79.23
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय परिसंपत्तियां	9	90,904.04	87,842.98
बांड में निवेश	10	86,482.28	-
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	11	9,166.30	10,716.35
कुल गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां		2,74,678.35	1,58,865.01
वर्तमान परिसंपत्तियां			
वित्तीय परिसंपत्तियां			
व्यापार प्राप्त	12	1,73,944.27	97,243.86
नकद और नकदी समतुल्य	13	1,32,321.32	1,30,262.23
नकद और नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	14	80,995.13	1,21,926.45
ऋण एवं अग्रिम	15	1,657.84	1,649.79
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	16	1,19,126.75	1,20,512.99
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां	17	731.53	1,414.99
वर्तमान कर परिसंपत्तियां (निवल)	18	31.29	457.84
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां		5,08,808.13	4,73,468.15
कुल परिसंपत्तियां		7,83,486.48	6,32,333.16
इक्विटी और देयताएं			
इक्विटी			
शेयर पूँजी इक्विटी	19	1,35,400.00	35,400.00
अन्य इक्विटी	20	1,36,077.33	1,98,393.06
कुल इक्विटी		2,71,477.33	2,33,793.06
देयताएं			
गैर-वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	21	301.86	-
पट्टे की देनदारियाँ	22	164.20	161.18
अन्य वित्तीय देयताएं	23	98,980.13	91,551.66



₹ लाख

विवरण	टिप्पणी सं.	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रावधान	24	1,004.79	910.55
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	25	416.85	418.00
अन्य गैर-वर्तमान देयताएं	26	5,287.96	7,236.50
कुल गैर-वर्तमान देयताएं		1,06,155.79	1,00,277.89
वर्तमान देयताएं			
वित्तीय देयताएं			
उधार	27	-	-
पट्टे की देनदारियाँ	28	12.66	12.06
व्यापार देयताएं	29		
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के कुल बकाया देय		-	-
माइक्रो उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा ऋणदाताओं के कुल बकाया देय		44,451.09	44,349.95
अन्य वित्तीय देयताएं	30	3,36,333.84	2,16,066.62
प्रावधान	31	872.53	802.36
अन्य वर्तमान देयताएं	32	8,161.55	8,227.86
वर्तमान कर देयताएं (निवल)	33	-	-
कुल वर्तमान देयताएं		3,89,831.67	2,69,458.85
आस्थगित राजस्व	34	16,021.69	28,803.36
कुल इक्विटी और देयताएं		7,83,486.48	6,32,333.16
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1		

टिप्पणी 1 से 82 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

₹ लाख

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय			
प्रचालनों से राजस्व	35	10,79,507.14	7,28,484.79
अन्य आय	36	5,987.09	1,671.43
कुल आय		10,85,494.23	7,30,156.22
व्यय			
सौर विद्युत की खरीद	37	10,34,325.70	6,90,665.87
कर्मचारी हितलाभ व्यय	38	3,196.87	2,853.56
वित्तीय लागत	39	815.16	408.36
मूल्यहास एवं परिशोधन	40	1,750.27	1,683.09
अन्य व्यय	41	3,994.95	3,434.58
कुल व्यय		10,44,082.95	6,99,045.46
कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ		41,411.28	31,110.76
असाधारण मदें			
कानून में परिवर्तन के कारण एसपीडी को मुआवजा (संदर्भ टिप्पणी सं. 72)		25,600.53	64,196.25
कानून में परिवर्तन के कारण डिस्काम को मुआवजा (संदर्भ टिप्पणी सं. 72)		(25,600.53)	(64,196.25)
जोड़े: इक्विटी विधि से लेखे में लिया संयुक्त उद्यमों के निवल लाभ का शेयर		6,971.56	6,835.29
कर पूर्व लाभ		48,382.84	37,946.05
कर पूर्व लाभ व्यय			
वर्तमान कर			
वर्तमान वर्ष		10,796.21	7,899.69
पिछले वर्ष		6.89	18.74
आस्थगित कर		(8.03)	41.62
कुल कर व्यय		10,795.07	7,960.05
वर्ष हेतु लाभ/(हानि)		37,587.76	29,986.00



₹ लाख

विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य सम्पूर्ण आय			
वे मर्दे जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (निवल कर)			
ओसीआई को अंतरित परिभाषित हितलाभ योजनाओं पर लाभ (हानि) का पुनः हिसाब लगाना		27.34	(17.73)
आयकर सम्बंधित वे मर्दे जिन्हें लाभ या हानि हेतु पुनः वर्गीकृत किया जाएगा		(6.88)	4.46
वर्ष हेतु कुल सम्पूर्ण आय वर्ष हेतु लाभ (हानि) एवं अन्य सम्पूर्ण आय शामिल)		37,608.22	29,972.73
प्रति इक्विटी शेयर आय			
मूल (₹)		277.61	821.63
तनुकृत (₹)		277.61	821.63
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां	1		

टिप्पणी 1 से 82 इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग है।

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से
हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व निवल लाभ	48,382.84	37,946.05
जोड़े : अन्य सम्पूर्ण आय / (व्यय)	27.34	(17.73)
	48,410.18	37,928.32
निम्न के लिए समायोजन		
संयुक्त उद्यमों के लाभ का हिस्सा	(6,971.56)	(6,835.29)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	1,750.27	1,683.09
वित्तीय लागत – पट्टा देयताएं	15.68	15.33
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के निपटान पर हानि	0.83	(7.93)
बढ़े खाते डाले खर्च	2.83	34.34
वित्त लागत – ऋण पर ब्याज	359.06	8.11
दूसरों को प्रावधान करें	3.47	3.47
हानि हेतु प्रावधान	8.18	85.60
निष्पादन गारंटी जमा पर डिस्काउंट की अनवाइंडिंग और धारण राशि	342.90	321.98
आस्थगित राजस्व व्यय प्रतिभूति जमा प्राप्तियों की अभिस्वीकृति	0.76	0.76
आस्थगित राजस्व आय निष्पादन गारंटी जमा की अभिस्वीकृति	(759.88)	(760.94)
प्रतिभूति जमा प्राप्तियों पर डिस्काउंट की अनवाइंडिंग	(0.39)	(0.35)
आस्थगित पेट्रोल व्यय	3.10	2.66
आस्थगित आय से अभिज्ञात सरकारी अनुदान	(17.99)	(17.99)
ब्याज आय	(5,186.19)	(859.96)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व प्रचालन लाभ	37,961.25	31,601.20





₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
समायोजन हेतु :		
व्यापार प्राप्यों में (वृद्धि)/कमी	(76,708.59)	(11,947.92)
नकद एवं नकदी समतुल्य, ऋण एवं अग्रिम एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	1,20,212.47	(93,369.76)
परिसंपत्तियों के अलावा बैंक शेष में (वृद्धि)/कमी	13.51	12.78
अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में (वृद्धि)/कमी	683.46	(955.63)
व्यापार देयताओं, प्रावधानों एवं अन्य देयताओं में (वृद्धि)/कमी	1,13,596.22	89,189.85
प्रचालनों से सृजित/(उपयोग) नकदी	1,95,758.32	14,530.52
अदा किया गया प्रत्यक्ष कर	(10,376.55)	(7,764.06)
परिचालन गतिविधियों से/में निवल नकदी प्रवाह – क	1,85,381.77	6,766.46
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
पूंजीगत अग्रिमों में(वृद्धि)/कमी	1,536.54	(8,201.50)
मियादी जमाओं में निवेश	(80,957.80)	(1,00,031.64)
संयुक्त उद्यमों के बॉण्ड में निवेश	(86,482.28)	-
लाभांश आय	948.75	881.45
ब्याज की आय	5,186.19	859.96
पूंजीगत निर्माणाधीन कार्यों में निवेश	(23,406.24)	(1,639.62)
विकासाधीन अमूर्त आस्तियों में निवेश	-	-
मियादी आस्तियों का निस्तारण	4.51	15.50
मियादी आस्तियों की खरीद	(83.09)	(75.04)
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह दृख	(1,83,253.42)	(1,08,190.89)
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
शेयर पूंजी इक्विटी जारी करने से राशि	1,00,000.00	-
लंबित आवंटन शेयर आवेदन राशि	(1,00,000.00)	1,00,000.00





₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
दीर्घावधि ऋणों की प्राप्ति	301.86	-
प्रदत्त पट्टा देयता	(12.06)	(11.49)
प्रदत्त ब्याज	(359.06)	(8.11)
प्रदत्त लाभांश —	-	(5,331.24)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह —ग	(69.26)	94,649.16
नकदी और नकदी समकक्षों में निवल (कमी/वृद्धि) (क+ख+ग)	2,059.09	(6,775.27)
वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समकक्ष (अधोलिखित नोट सं. 1 एवं 2 देखें)	1,30,262.23	1,37,037.50
वर्षांत में नकदी और नकदी समकक्ष (अधोलिखित नोट सं. 1 एवं 2 देखें)	1,32,321.32	1,30,262.23

टिप्पणी :

- नकद और नकद समकक्षों में चालू खातों, बचत खातों, ऑटो-स्वीप सावधि जमा, 3 महीने तक की मूल परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा और उस पर अर्जित ब्याज में बैंकों के साथ शेष राशि शामिल है।
- नोट 13 के अनुसार नकद और नकद समकक्षों का समाधान।
- जहां भी आवश्यक समझा गया पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।
- उधार सुविधाओं के लिए नोट संख्या 50 देखें।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधिभूल से इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में पुनःकथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 को शेष
35,400	-	35,400	1,00,000	1,35,400

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

01 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्वावधिभूल से इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्ट अवधि के प्रारंभ में पुनःकथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 को शेष
35,400	-	35,400		35,400

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	आवंटन हेतु लंबित शेयर राशि	रिजर्व और अधिशेष प्रतिधारित आय	कुल
01 अप्रैल, 2022 को शेष	1,00,000.00	98,393.06	1,98,393.06
पिछली अवधि की त्रुटियाँ			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई			
वर्ष के लिए लाभ		37,587.76	37,587.76
जोड़ें: संयुक्त उद्यम के इंड एस 116 के अनुसार		120.12	120.12
घटाएं: इंड एस 116 के आस्थगित कर का प्रभाव		(30.23)	(30.23)
घटाएं: वर्ष के दौरान सीएसआर के लिए किया व्यय		(13.84)	(13.84)
अन्य विस्तृत आय		20.46	20.46
वर्ष के दौरान आवंटित शेयर	(1,00,000.00)		(1,00,000.00)
कुल सम्पूर्ण आय	-	1,36,077.33	1,36,077.33
प्रतिधारित आय को/ से अंतरण			
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	1,00,000.00	-	1,00,000.00
अंतिम लाभांश-वित्तीय वर्ष 2018-19 (संदर्भ टिप्पणी सं. 18)	-	(5,331.24)	(5,331.24)
31 मार्च 2023 को शेष	-	1,36,077.33	1,36,077.33





31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	आवंटन हेतु लंबित शेयर राशि	रिजर्व और अधिशेष	कुल
		प्रतिधारित आय	
01 अप्रैल, 2021 को शेष	-	74,019.20	74,019.20
वर्ष के लिए लाभ			
वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि की शुरुआत में शेष राशि पुनः निर्धारित की गई			
वर्ष के लिए लाभ	-	29,986.00	29,986.00
जोड़ें: संयुक्त उद्यम के इंड एस 116 के अनुसार		(323.07)	(323.07)
घटाएं: इंड एस 116 के आस्थगित कर का प्रभाव		81.31	81.31
घटाएं: वर्ष के दौरान सीएसआर के लिए किया व्यय		(25.87)	(25.87)
घटाएं: सीएसआर भंडार से उपयोग किया गया		-	-
अन्य सम्पूर्ण आय	-	(13.27)	(13.27)
कुल सम्पूर्ण आय	-	1,03,724.30	1,03,724.30
प्रतिधारित आय को/ से अंतरण		-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त शेयर आवेदन राशि	1,00,000.00	-	1,00,000.00
वित्तीय वर्ष 2020.21 का अंतिम लाभांश (संदर्भ टिप्पणी सं. 19)	-	(5,331.24)	(5,331.24)
31 मार्च 2022 को शेष	1,00,000.00	98,393.06	1,98,393.06

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

समूह सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स

नोट 1:

क. रिपोर्टिंग इकाई

सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में अधिवासित कंपनी है और शेयरों द्वारा सीमित है (सीआईएन : U40106DL2011GOI225263)। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता **6वीं मंजिल, प्लेट बी, एनबीसीसी कार्यालय ब्लॉक टॉवर -2, पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली-110023** है। इन समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी के वित्तीय विवरण और इसके संयुक्त उपक्रमों में इसके हित शामिल हैं (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में संदर्भित)। समूह मुख्य रूप से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) की कई योजनाओं के कार्यान्वयन में लगा हुआ है,

प्रमुख हैं जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत बड़े पैमाने पर ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण (वीजीएफ) योजनाएं। (जेएनएनएसएम), पवन ऊर्जा परियोजनाओं, सौर पार्क योजनाओं और ग्रिड से जुड़ी सौर रूफटॉप योजनाओं के साथ-साथ कई अन्य विशिष्ट योजनाएं। समूह सौर, पवन, हाइब्रिड और फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं की नीलामी में भी लगा हुआ है। द गुप के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और इसके द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सौर ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है। समूह सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवाएं प्रदान करने में भी शामिल है। समूह अक्षय ऊर्जा बिजली के उत्पादन और बिक्री में भी लगा हुआ है।

ख. तैयारी का आधार

1. अनुपालन का विवरण

ये स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित भारतीय लेखा मानक (इंड एस) और उसके बाद के संशोधन, कंपनी अधिनियम, 2013 (से हद तक अधिसूचित और लागू), विद्युत अधिनियम 2013 लागू हद तक।

इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक **10.08.2023** को आयोजित बोर्ड बैठक द्वारा अनुमोदित किया गया था।

2. मापन का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के जिन्हें उचित मूल्य पर मापा जाता है (लेखांकन नीति बिंदु संख्या 20 अर्थात् "वित्तीय उपकरण")। उचित मूल्यों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली विधियों पर आगे वित्तीय विवरणों के नोट्स में चर्चा की गई है।

3. कार्यात्मक और प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरण भारतीय रुपये (आईएनआर) में प्रस्तुत किए जाते हैं, जो कि कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा है। भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई सभी वित्तीय जानकारी को निकटतम लाख (दो दशमलव तक) में बदल दिया गया है, सिवाय इसके कि अन्यथा कहा गया है।

4. वर्तमान और गैर-वर्तमान वर्गीकरण

समूह के आधार पर बैलेंस शीट में संपत्ति और देनदारियों को प्रस्तुत करता है वर्तमान/गैर-वर्तमान वर्गीकरण।





एक संपत्ति वर्तमान है जब यह है:

- » व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य से आयोजित;
- » रिपोर्टिंग अवधि के बारह महीनों के भीतर वसूली की उम्मीद या
- » नकद या नकद समतुल्य जब तक कि रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए किसी देयता को निपटाने के लिए विनिमय या उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो। अन्य सभी संपत्तियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक दायित्व वर्तमान है जब:

- » इसके सामान्य परिचालन चक्र में तय होने की उम्मीद है
- » यह मुख्य रूप से व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में व्यापार के उद्देश्य के लिए देय है
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर इसका निपटान किया जाना है या
- » रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

आस्थगित कर संपत्तियां/देयताओं को गैर-वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ग. महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश नीचे दिया गया है। इन लेखांकन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए लगातार लागू किया गया है। समूह ने इंड एस 16 और इंड एस 38 के प्रावधानों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं करके इंड एस 101 के तहत विकल्प का उपयोग करने के लिए चुना है और पिछले जीएएपी का उपयोग करना जारी रखा है। इंड एस यानी 1 अप्रैल 2016 को संक्रमण की तिथि पर इंड एस के तहत मानी गई लागत के रूप में वहन राशि। इसलिए, 1 अप्रैल 2016 को पिछले जीएएपी के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति की अग्रणी राशि, यानी समूह की इंड एस में संक्रमण की तारीख, इंड एस में संक्रमण पर बनाए रखी गई थी।

1. समेजन का आधार

समेकन के उद्देश्य से संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण समूह के रूप में उसी रिपोर्टिंग तिथि तक तैयार किए जाते हैं।

1.1. संयुक्त व्यवस्था

इंड एस 111 'संयुक्त व्यवस्था' के तहत, संयुक्त व्यवस्था में निवेश को या तो संयुक्त संचालन या संयुक्त उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। वर्गीकरण संयुक्त व्यवस्था के कानूनी ढांचे के बजाय प्रत्येक निवेशक के संविदात्मक अधिकारों और दायित्व पर निर्भर करता है। समूह के छह संयुक्त उद्यम हैं।

संयुक्त उद्यम

संयुक्त उद्यम में ब्याज को इक्विटी पद्धति (नीचे 1.2 देखें) का उपयोग करने के लिए शुरू में समेकित तुलन पत्र में लागत पर मान्यता देने के बाद हिसाब लगाया जाता है।

1.2. इक्विटी पद्धति

लेखांकन की इक्विटी पद्धति के तहत, एक संयुक्त उद्यम में निवेश को शुरू में लागत पर मान्यता दी जाती है। अधिग्रहण तिथि के बाद से संयुक्त उद्यम की शुद्ध संपत्ति के समूह के हिस्से में परिवर्तन को पहचानने के लिए निवेश की अग्रणी राशि को समायोजित किया जाता है।

लाभ और हानि का विवरण सहयोगी या संयुक्त उद्यम के संचालन के परिणामों के समूह के हिस्से को दर्शाता है। उन निवेशियों के ओसीआई में कोई भी परिवर्तन समूह के ओसीआई के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया





जाता है। इसके अलावा, जब संयुक्त उद्यम की इक्विटी में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त परिवर्तन होता है, तो समूह इक्विटी में परिवर्तनों के विवरण में लागू होने पर किसी भी परिवर्तन के अपने हिस्से को मान्यता देता है। समूह और संयुक्त उद्यम के बीच लेन-देन से उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभ और हानि को संयुक्त उद्यम में ब्याज की सीमा तक समाप्त कर दिया जाता है। जब तक लेन-देन हस्तांतरित संपत्ति की हानि का प्रमाण नहीं देता तब तक अचेतन हानियों को भी समाप्त कर दिया जाता है। समूह द्वारा अपनाई गई नीतियों के साथ निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होने पर इक्विटी लेखा सामग्री निवेशियों की लेखांकन नीतियों को बदल दिया गया है।

संयुक्त उद्यम पर आंतरिक नियंत्रण के नुकसान पर, समूह लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि में परिवर्तन के साथ किसी भी बनाए रखा निवेश को उसके उचित मूल्य पर मापता है और पहचानता है। इसके अलावा, उस इकाई के संबंध में अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त किसी भी राशि का हिसाब इस तरह लगाया जाता है जैसे कि समूह ने सीधे संबंधित संपत्ति या देनदारियों का निपटान किया हो। इसका मतलब यह हो सकता है कि अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

यदि एक संयुक्त उद्यम में स्वामित्व हित कम हो जाता है लेकिन संयुक्त नियंत्रण बरकरार रहता है, तो अन्य व्यापक आय में पहले से मान्यता प्राप्त राशियों का केवल एक आनुपातिक हिस्सा लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है जहां उपयुक्त हो।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

2.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक वस्तु को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभव है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की वस्तुओं को शुरू में लागत पर पहचाना जाता है। बाद में माप संचित मूल्यह्रास/परिशोधन और संचित हानि हानियों को घटाकर लागत पर किया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो संपत्ति को उस स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है और इसके लिए प्रबंधन द्वारा निर्धारित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक स्थिति।

जब संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के अलग-अलग उपयोगी जीवन होते हैं, तो उन्हें अलग से पहचाना जाता है। मुआवजे, पुनर्वास और कब्जे वाली भूमि से संबंधित अन्य खर्चों के लिए अनंतिम रूप से किए गए जमा, भुगतान/देयताओं को भूमि की लागत के रूप में माना जाता है।

उपयोग में लाई गई संपत्तियों के मामले में, जहां ठेकेदारों के साथ बिलों का अंतिम निपटान अभी तक प्रभावित नहीं हुआ है, अंतिम निपटान के वर्ष में आवश्यक समायोजन के अधीन अनंतिम आधार पर पूंजीकरण किया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करने वाले स्पेयर पार्ट्स, स्टैंड-बाय उपकरण और सर्विसिंग उपकरण की वस्तुओं को अधिग्रहण पर पूंजीकृत किया जाता है। अन्य स्पेयर पार्ट्स को इन्वेंट्री के रूप में ले जाया जाता है और खपत पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

लीजहोल्ड भूमि पर परिसंपत्तियों के निर्माण को भवन/सुधार के रूप में तब पूंजीकृत किया जाता है जब निर्माण वास्तविक लागत पर पूरा किया जाता है और लीज की अवधि में मूल्यह्रास किया जाता है।

2.2. बाद की लागत

बाद के व्यय को परिसंपत्ति की वहन राशि में वृद्धि के रूप में पहचाना जाता है जब यह संभव है कि लागत से प्राप्त होने वाले भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम को प्रवाहित होंगे और मद की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के किसी मद के हिस्से को बदलने की लागत को मद की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है यदि यह संभव है कि भाग के भीतर सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित





होंगे और इसकी लागत को मजबूती से मापा जा सकता है। बदले गए हिस्से की वहन राशि की पहचान रद्द कर दी गई है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों की दिन-प्रतिदिन की सर्विसिंग की लागत को लाभ या हानि में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.3. मान्यता समाप्त

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मान्यता तब रद्द कर दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित नहीं होता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के एक मद के निपटान पर लाभ और हानि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है, और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

2.4. अवमूल्यन और परिशोधन

समूह की बिजली उत्पादन इकाइयों के संपत्ति संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास स्ट्रेट-लाइन पद्धति पर लाभ और हानि के विवरण के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए सीईआरसी द्वारा अधिसूचित दरों और पद्धति के अनुसार और कंपनी अधिनियम की अनुसूची II के अनुसार लगाया जाता है। सीईआरसी टैरिफ विनियमों द्वारा अधिसूचित दरों और कार्यप्रणाली के बाद बिजली व्यवसाय के उत्पादन से संबंधित भवनों का मूल्यह्रास किया जाता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उपयोगी जीवन के बाद ऊपर निर्दिष्ट संपत्तियों के अलावा अन्य संपत्तियों पर मूल्यह्रास सीधी रेखा पद्धति पर प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्र और उपकरण में वृद्धि/विलोपन पर मूल्यह्रास यथानुपात आधार पर उस तिथि से/उस तिथि तक प्रभारित किया जाता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध हो जाती है धनिपटान कर दी जाती है।

आरओयू संपत्तियों को लीज अवधि में परिशोधित किया जाता है जहां विनियम में उतार-चढ़ाव, मूल्य समायोजन, कर्तव्यों में परिवर्तन या इसी तरह के कारकों के कारण लंबी अवधि की देनदारियों में वृद्धि/कमी के कारण वर्ष के दौरान मूल्यह्रास योग्य संपत्ति की लागत में बदलाव आया है, ऐसी संपत्ति की अपरिशोधित शेष राशि को मूल्यह्रास से संबंधित लागू लेखांकन नीतियों के बाद निर्धारित शेष उपयोगी जीवन संभावित रूप से चार्ज किया जाता है।

भौतिकता के कारण अधिग्रहण के वर्ष में व्यक्तिगत रूप से ₹ 5,000 या उससे कम की लागत वाली संपत्ति का पूरी तरह से मूल्यह्रास किया जाता है।

3. पट्टे

1) कंपनी पट्टेदार के रूप में

कंपनी के पट्टा परिसंपत्ति वर्ग में मुख्य रूप से बिजली खरीद समझौते (पीपीए) के तहत भूमि, भवन और सौर ऊर्जा संयंत्र के पट्टे शामिल हैं। कंपनी यह आकलन करती है कि अनुबंध की शुरुआत में अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। एक अनुबंध एक पट्टा है, या इसमें शामिल है, यदि अनुबंध प्रतिफल के बदले एक निश्चित अवधि के लिए किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या अनुबंध किसी पहचानी गई संपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार बताता है, कंपनी यह आकलन करती है कि: (i) अनुबंध में पहचान की गई संपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी के पास इसके उपयोग से सभी आर्थिक लाभ हैं। पट्टे की अवधि के माध्यम से संपत्ति और (iii) कंपनी को संपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

पट्टे के प्रारंभ होने की तिथि पर, कंपनी एक उपयोग के अधिकार ("आरओयू") और सभी पट्टे व्यवस्थाओं के लिए एक संबंधित पट्टा देयता को पहचानती है जिसमें यह एक पट्टेदार है, बारह महीने की अवधि के पट्टों को छोड़कर या कम (अल्पकालिक पट्टे) और कम मूल्य के पट्टे। इन अल्पकालिक और कम मूल्य के पट्टों के लिए, कंपनी पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर परिचालन व्यय के रूप में पट्टे के भुगतान को मान्यता देती है।

प्रारंभ तिथि पर, पट्टे की देनदारी के माप में शामिल पट्टे के भुगतान में निश्चित भुगतान शामिल होते हैं, जो किसी भी पट्टे के प्रोत्साहन को प्राप्त करने योग्य और चर पट्टे के भुगतान को शामिल करते हैं, जो एक





सूचकांक या दर पर निर्भर करते हैं, शुरु में सूचकांक या दर का उपयोग करके प्रारंभ तिथि पर मापा जाता है। पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत सोलर पावर प्लांट के मामले में, चर लीज भुगतान पूरी तरह से पहचानी गई संपत्ति से आउटपुट की मात्रा पर निर्भर है, इन भुगतानों को लीज देनदारी और उपयोग के अधिकार संपत्ति के निर्धारण में शामिल नहीं किया जाना है। कंपनी इन परिवर्ती पट्टा भुगतानों को लाभ या हानि में प्रभावित करेगी जब वे देय हो जाएंगे। (संदर्भ 12)

2) कंपनी पट्टेदार के रूप में

पट्टे जिसके लिए कंपनी पट्टेदार है को वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जब भी पट्टे की शर्तें पर्याप्त रूप से पट्टेदार को स्वामित्व के सभी जोखिम और पुरस्कार हस्तांतरित करती हैं, तो अनुबंध को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अन्य सभी पट्टे संचालनशील पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं।

जब कंपनी एक मध्यवर्ती पट्टादाता है, तो यह हेड लीज और सबलीज में अलग-अलग अपने हितों के लिए खाता है। उपठेके को मुख्य पट्टे से उत्पन्न होने वाली आरओयू संपत्ति के संदर्भ में वित्त या परिचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन पट्टों के लिए, प्रासंगिक पट्टे की अवधि के दौरान किराये की आय को सीधी रेखा के आधार पर मान्यता दी जाती है।

4. पूंजी कार्य प्रगतिशील

स्व-निर्मित संपत्ति की लागत में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, संपत्ति को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार कोई अन्य लागत और प्रबंधन और उधार लागत के अनुसार संचालन करने में सक्षम होने के लिए आवश्यक शर्तें शामिल हैं।

5. विकास के तहत अमूर्त संपत्ति और अमूर्त संपत्ति

5.1. प्रारंभिक मान्यता और माप

एक अमूर्त संपत्ति को मान्यता दी जाती है यदि और केवल अगर यह संभावित है कि संपत्ति के कारण होने वाले अपेक्षित भविष्य के आर्थिक लाभ समूह के लिए प्रवाहित होंगे और संपत्ति की लागत को मजबूती से मापा जा सकता है।

समूह द्वारा अधिग्रहित की जाने वाली अमूर्त संपत्तियां, जिनके सीमित उपयोगी जीवन हैं, लागत पर पहचानी जाती हैं। इसके बाद का माप लागत घटा संचित परिशोधन और संचित हानि हानियों पर किया जाता है। लागत में किसी प्रत्यक्ष रूप से आरोपणीय आकस्मिक खर्च शामिल है जो संपत्ति को इसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक है। किए गए व्यय जो अमूर्त संपत्ति के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को विकास के तहत अमूर्त संपत्ति के रूप में ले जाया जाता है जब तक कि वे अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार न हों।

5.2. मान्यता समाप्त

एक अमूर्त संपत्ति को तब मान्यता दी जाती है जब उनके उपयोग या उनके निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है। अमूर्त संपत्ति की एक मद के निपटान पर लाभ और हानि अमूर्त संपत्ति की अग्रणीत राशि के साथ निपटान से आय की तुलना करके निर्धारित की जाती है और लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

5.3. ऋणमुक्ति

उपयोग करने के कानूनी अधिकार की अवधि या 5 वर्ष, जो भी कम हो, पर अमूर्त संपत्ति को सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

6. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में (क) इंड एस 109 – 'वित्तीय उपकरण' में वर्णित प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके गणना की गई ब्याज व्यय (ख) इंड एस 116 – 'लीज' और (ग) विनिमय के अनुसार मान्यता प्राप्त पट्टा देयता के संबंध में वित्त शुल्क विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले अंतर इस हद तक कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।





अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण/विकास या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार उधार लागत को ऐसी संपत्ति की लागत के हिस्से के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक संपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं हो जाती। अर्हक संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जो अपने इच्छित उपयोग या बिक्री के लिए तैयार होने में काफी समय लेती हैं।

जब समूह विशेष रूप से योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से धन उधार लेता है, तो उधार लेने की लागत को पूंजीकृत किया जाता है। जब समूह आम तौर पर धनराशि उधार लेता है और एक योग्य संपत्ति प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करता है, तो उधार लेने की लागत का पूंजीकरण सामान्य उधार की भांति औसत लागत के आधार पर गणना की जाती है जो अवधि के दौरान बकाया हैं और योग्य संपत्ति के अधिग्रहण, निर्माण/अन्वेषण या निर्माण के लिए उपयोग की जाती हैं।

उधार लेने की लागत का पूंजीकरण तब समाप्त हो जाता है जब पात्र संपत्तियों को उनके इच्छित उपयोगों के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियां पूरी हो जाती हैं। उधार लेने की लागत में ब्याज और अन्य लागतें शामिल होती हैं जो एक इकाई धन उधार लेने के संबंध में खर्च करती हैं।

उधार लेने की लागत में विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जो कि उन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है।

अन्य उधार लागतों को उस वर्ष में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें वे खर्च किए गए हैं।

7. सूची

इन्वेंटरी का मूल्य कम लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर होता है। लागत में खरीद की लागत, रूपांतरण की लागत और इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में होने वाली अन्य लागतें शामिल हैं। खरीदी गई वस्तु-सूची की लागत छूट और छूट घटाकर निर्धारित की जाती है। शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यापार के सामान्य पाठ्यक्रम में अनुमानित बिक्री मूल्य, पूरा होने की अनुमानित लागत और बिक्री करने के लिए आवश्यक अनुमानित लागत है।

8. नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में नकद और नकद समकक्षों में बैंकों में नकद और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को शुरू में आस्थगित आय के रूप में पहचाना जाता है जब प्राप्त होता है और ध्या इस बात का उचित आश्वासन होता है कि वे प्राप्त होंगे और समूह अनुदान से जुड़ी शर्तों का पालन करेगा। किसी परिसंपत्ति की लागत के लिए समूह को क्षतिपूर्ति करने वाले अनुदानों को संबंधित परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है। समूह को किए गए खर्चों की भरपाई करने वाले अनुदानों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें संबंधित लागतें खर्च की जाती हैं और संबंधित खर्चों से कटौती की जाती है।

अप्रयुक्त अनुदान में से निधि निवेश पर अर्जित ब्याज को अनुदान माना जाता है।

10. प्रावधान, आकस्मिक देनदारियां और आकस्मिक संपत्ति

एक प्रावधान को मान्यता दी जाती है, यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप, समूह के पास वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, जिसका अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी। यदि धन के समय मूल्य का प्रभाव भौतिक है, तो प्रावधानों को पूर्व-कर दर पर अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह में छूट देकर निर्धारित किया जाता है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और देयता के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है। जब छूट का उपयोग किया जाता है, तो समय बीतने के कारण प्रावधान में वृद्धि को वित्त लागत के रूप में मान्यता दी जाती है।

एक प्रावधान के रूप में मान्यता प्राप्त राशि दायित्व के आसपास के जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए रिपोर्टिंग तिथि पर वर्तमान दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक विचार का सबसे अच्छा अनुमान है।

जब किसी प्रावधान को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कुछ या सभी आर्थिक लाभों को किसी तीसरे पक्ष से पुनर्प्राप्त करने की उम्मीद की जाती है, तो प्राप्य को एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है यदि यह





वास्तव में निश्चित है कि प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी और प्राप्य की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है। किसी प्रावधान से संबंधित व्यय किसी भी प्रतिपूर्ति के शुद्ध लाभ और हानि विवरण में प्रस्तुत किया जाता है।

आकस्मिक देनदारियां संभावित दायित्व हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होती है जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं होती हैं। जहां यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी, या राशि का अनुमान मजबूती से नहीं लगाया जा सकता है, दायित्व को एक आकस्मिक देयता के रूप में प्रकट किया जाता है, जब तककि आर्थिक लाभों के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ न हो। प्रबंधन/स्वतंत्र विशेषज्ञों के निर्णय के आधार पर आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान प्रबंधन अनुमान को दर्शाने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां संभावित संपत्तियां हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से की जाएगी जो पूरी तरह से समूह के नियंत्रण में नहीं हैं। समेकित वित्तीय विवरणों में आकस्मिक संपत्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभों का प्रवाह संभव होता है। यह सुनिश्चित करने के लिए इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि समेकित वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित होता है।

11. राजस्व

समूह का राजस्व बिजली की बिक्री, परामर्श, परियोजना प्रबंधन और पर्यवेक्षण सेवाओं और अन्य आय से उत्पन्न होता है।

11.1. आउटपुट के आधार पर बिजली/वैरिबल लीज रसीदों की बिक्री से राजस्व

राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो एक ग्राहक के साथ एक अनुबंध में निर्दिष्ट है या उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। समूह राजस्व को पहचानता है जब (या के रूप में) उत्पादों या सेवाओं पर नियंत्रण एक ग्राहक को हस्तांतरित किया जाता है।

बिजली की बिक्री से होने वाले राजस्व को बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के नियमों और शर्तों के आधार पर और खरीद उपयोगिताओं के साथ सहमत दरों के अनुसार मान्यता दी जाती है। इकाइयों (किलोवाट हर्ट्ज़) की पहचान संयुक्त मीटर रीडिंग/स्टेट एनर्जी अकाउंटिंग (जेएमआर)/(एसईए) के आधार पर राज्य के अंदर बिजली की बिक्री और रीजनल एनर्जी अकाउंटिंग (आरईए) के आधार पर अंतर राज्य बिजली बिक्री के मामले में की जाती है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर बिजली की बिक्री/परिवर्तनीय पट्टे की प्राप्ति से प्राप्त राजस्व में लाभार्थियों को की गई बिक्री शामिल है लेकिन बिल नहीं किया गया अर्थात् बिल न किया गया राजस्व।

व्यापार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए बिक्री लेनदेन को नियमित अंतराल पर समेटा जाता है।

लाभार्थियों को छूट की अनुमति दी जाती है क्योंकि प्रारंभिक भुगतान प्रोत्साहनों को राजस्व की राशि से घटाया जाता है।

11.2. सेवाओं से राजस्व

परामर्श, परियोजना प्रबंधन, पर्यवेक्षण और प्रदान की गई अन्य सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उस विचार के आधार पर मापा जाता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट है या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने की उम्मीद है और इसमें तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशि शामिल नहीं है। समूह राजस्व को पहचानता है जब (या के रूप में) प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट होता है, जो आम तौर पर तब होता है जब (या के रूप में) सेवाओं पर नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित किया जाता है।

अनुबंध संशोधनों का हिसाब तब लगाया जाता है जब अनुबंध के दायरे या अनुबंध की कीमत में जोड़, विलोपन या परिवर्तन को मंजूरी दी जाती है। अनुबंधों के संशोधनों के लिए लेखांकन में यह आकलन करना शामिल है कि क्या मौजूदा अनुबंध में जोड़ी गई सेवाएं अलग हैं और क्या मूल्य निर्धारण स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर है। जोड़ी गई सेवाएं जो अलग नहीं हैं, उनका संचयी कैचअप आधार पर हिसाब लगाया जाता है, जबकि जो अलग हैं, उन्हें संभावित रूप से या तो एक अलग अनुबंध के रूप में, यदि अतिरिक्त सेवाओं की कीमत स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर तय की जाती है, या मौजूदा की समाप्ति के रूप में माना जाता है। स्टैंडअलोन बिक्री मूल्य पर कीमत न होने पर अनुबंध और नए अनुबंध का निर्माण।





11.2.1. ग्रिड/ऑफ ग्रिड – रूफटॉप प्रोजेक्ट्स/सौर ऊर्जा परियोजनाओं/पवन ऊर्जा परियोजनाओं/हाइब्रिड परियोजनाओं/फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं के मामले में राजस्व मान्यता

प्रचार, अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं, क्षेत्र के दौरे, निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन आदि के लिए छत परियोजनाओं के संबंध में एमएनआरई केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) का 3%/2% प्रदान करता है। छत परियोजनाओं के संबंध में परियोजना निगरानी और तकनीकी मार्गदर्शन से राजस्व – ग्रिड/ऑफ ग्रिड को प्रगति के चरण और परियोजनाओं/योजनाओं की संबंधित शर्तों से संबंधित व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है। विशेष योजना के मामले में, जहां राजस्व को मान्यता दी गई है और योजना को बंद कर दिया गया है/क्षमता को बाद में चालू कर दिया गया है, पहले मान्यता प्राप्त राजस्व के किसी भी प्रभाव को तदनुसार उलट दिया गया है।

प्रचार, अभिविन्यास, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाओं और फील्ड यात्राओं के लिए किए गए वास्तविक व्यय को ऊपर मान्यता प्राप्त राजस्व से घटा दिया जाता है और शुद्ध आय का खुलासा किया जाता है। यदि वर्ष के दौरान किया गया व्यय नीति के अनुरूप मान्यता प्राप्त राजस्व की तुलना में अधिक है, तो उसे बाद के वर्ष में मान्यता प्राप्त राजस्व में से समायोजित किया जाता है।

रूफटॉप प्रोजेक्ट्स के तहत डेवलपर से प्राप्त/प्राप्ति योग्य सेवा शुल्क (यदि कोई हो तो देय प्रोत्साहन का शुद्ध) को उस वर्ष की आय के रूप में माना जाता है जिसमें परियोजना क्षमता स्वीकृत की जाती है। हालांकि, सेवा शुल्क बेंचमार्क लागत में परिवर्तन के आधार पर समायोजित किए जाते हैं। कमीशनिंग/वास्तविक क्षमता कमीशन के समय लागू (यदि कोई हो)।

एमएनआरई द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की शर्तों के अनुसार विभिन्न एमएनआरई योजनाओं के तहत फंड हैंडलिंग शुल्क वितरित धन के अनुपात में आय के रूप में पहचाने जाते हैं।

सोलर/विंड/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर परियोजनाओं के संबंध में सफलता शुल्क सोलर/विंड/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर विकासकर्ताओं से ली जा रही है। तकनीकी अनुमानों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों/सेवाओं के पूरा होने के आधार पर एलओए/एलओआई जारी करने के समय प्रोद्भवन के आधार पर कुल सफलता शुल्क के 90% को आय के रूप में मान्यता दी जाती है और शेष 10% को सोलर/विंड/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट्स के चालू होने के समय मान्यता दी जाती है।

निर्माण सुविधा से जुड़े सोलर पीवी पावर प्लांट के संबंध में सफलता शुल्क सौर ऊर्जा डेवलपर्स से लिया जा रहा है।

तकनीकी अनुमान और परियोजना की लंबी अवधि के अनुसार, बिजली खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर करने के समय अर्जित आधार पर कुल सफलता शुल्क का 40%, वित्तीय समापन (एफसी) पर 50% और शेष 10% की आय को मान्यता दी गई है। सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के समय मान्यता प्राप्त है।

11.3. राजस्व मान्यता – अन्य परिचालन आय और अन्य आय

अन्य परिचालन आय और अन्य आय से राजस्व में बैंकों, कर्मचारियों, ठेकेदारों आदि से ब्याज, संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों में निवेश से लाभांश, म्यूचुअल फंड निवेश से लाभांश, विलंबित भुगतान के लिए ग्राहकों से प्राप्त अधिभार, निविदा शुल्क, स्क्रेप की बिक्री, अन्य विविध आय, आदि

प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का उपयोग करते हुए, बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए, समय अनुपात के आधार पर मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होने पर ब्याज आय को मान्यता दी जाती है।

स्क्रेप का हिसाब तब लगाया जाता है जब उसे बेचा जाता है। लाभ की हानि के लिए बीमा दावों को स्वीकृति के वर्ष में हिसाब में लिया जाता है। वसूली की निश्चितता के आधार पर अन्य बीमा दावों का हिसाब लगाया जाता है।

परिशोधित लागत पर या अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए ऋण उपकरणों के लिए, ईआईआर का उपयोग करके ब्याज आय दर्ज की जाती है। ईआईआर वह दर है जो वित्तीय साधन के अपेक्षित जीवन या वित्तीय परिसंपत्ति की सकल अग्रणीत राशि या वित्तीय दायित्व की परिशोधित लागत के लिए अनुमानित भविष्य के नकद भुगतान या प्राप्तियों को सटीक रूप से छूट देती





है। ईआईआर की गणना करते समय, समूह वित्तीय साधन की सभी संविदात्मक शर्तों (उदाहरण के लिए, पूर्व भुगतान, विस्तार, कॉल और इसी तरह के विकल्प) पर विचार करके अपेक्षित नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है, लेकिन अपेक्षित क्रेडिट हानियों पर विचार नहीं करता है।

लाभ-हानि विवरण में ब्याज आय को अन्य आय में शामिल किया जाता है। बिजली की बिक्री के लिए देर से भुगतान/अतिदेय विविध देनदारों पर ब्याज/अधिभार को तब मान्यता दी जाती है जब मापनीयता या संग्रहणीयता के रूप में कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद नहीं होती है।

आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिमों के साथ-साथ वारंटी दावों पर वसूली योग्य ब्याज/अधिभार, सेवा शुल्कों के देर से भुगतान पर ब्याज शुल्क, परिनिर्धारित नुकसान, प्रदर्शन बैंक गारंटी की जब्ती, देर से जमा करने पर देरी शुल्क, बैंक गारंटी और निविदा शुल्क जहां वसूली/स्वीकृति की अनिश्चितता है उपार्जित के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए, प्राप्ति/स्वीकृति पर हिसाब लगाया जाता है।

लाभांश आय को लाभ या हानि में तभी पहचाना जाता है जब प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है, यह संभव है कि लाभांश से जुड़े आर्थिक लाभ समूह को प्रवाहित होंगे और लाभांश की राशि को मजबूती से मापा जा सकता है।

12. आउटपुट के आधार पर बिजली की खरीद/परिवर्तनीय लीज भुगतान

सौर ऊर्जा के साथ निष्पादित बिजली खरीद समझौते (पीपीए) की शर्तों के अनुसार संयुक्त मीटर रीडिंग/राज्य ऊर्जा लेखा/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (जेएमआर/एसईए/आरईए) के आधार पर आउटपुट के आधार पर बिजली की खरीद/परिवर्तनीय लीज भुगतान का हिसाब लगाया जाता है। डेवलपर्स (एसपीडी)। खरीदी गई इकाइयों का व्यापार की गई इकाइयों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए नियमित अंतराल पर मिलान किया जाता है। डिस्कॉम को बिल की गई इकाइयों से अधिक खरीदी गई इकाइयों की वसूली एसपीडी से की जाती है। (बिंदु 3 देखें) शुरुआती भुगतान प्रोत्साहन के रूप में आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त छूट को खरीद की राशि से घटा दिया जाता है।

13. कर्मचारी लाभ

कर्मचारी लाभ, अन्य बातों के साथ-साथ भविष्य निधि, पेंशन, ग्रेच्युटी, अवकाश लाभ और सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ शामिल हैं।

13.1. अल्पावधि लाभ

जिस वर्ष संबंधित सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उस वर्ष के लिए लाभ और हानि के विवरण में बिना छूट वाली राशि पर अल्पावधि कर्मचारी लाभ को व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

यदि कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई पिछली सेवा के परिणामस्वरूप इस राशि का भुगतान करने के लिए समूह का वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व है, तो प्रदर्शन संबंधी वेतन के तहत भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि के लिए देयता को मान्यता दी जाती है और दायित्व का अनुमान मजबूती से लगाया जा सकता है।

13.2. परिभाषित योगदान योजना

परिभाषित योगदान योजनाएँ वे योजनाएँ हैं जिनमें एक इकाई अलग-अलग संस्थाओं में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। वर्ष के दौरान प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड में दिए गए/देय समूह के योगदान को अर्जित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है। ग्रुप की एक परिभाषित अंशदान पेंशन योजना है जिसे एक अलग ट्रस्ट के माध्यम से प्रशासित किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद अन्य सेवानिवृत्ति योजना:

मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 30% से अधिक नहीं की सीमा तक रोजगार के बाद के लाभों की ओर भुगतान करने का समूह का दायित्व है। तदनुसार, समूह भविष्य निधि, पेंशन फंड, ग्रेच्युटी, पोस्ट-पोस्ट के लिए नियोक्ता के योगदान पर विचार करने के बाद देयता प्रदान करता है। सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) या कोई अन्य सेवानिवृत्ति लाभ। उसी को लाभ और हानि के विवरण में आरोपित किया जाता है।





13.3. परिभाषित लाभ योजनाएँ

एक परिभाषित लाभ योजना परिभाषित योगदान योजना के अलावा एक पोस्ट-रोजगार लाभ योजना है।

ग्रेच्युटी, छुट्टी के लाभ, सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभों के प्रति समूह की देनदारी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में समूह के शुद्ध दायित्व की गणना प्रत्येक योजना के लिए अलग से भविष्य के लाभ की राशि का अनुमान लगाकर की जाती है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले में अर्जित की है उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य को निर्धारित करने के लिए छूट दी गई है। किसी भी अपरिचित पिछली सेवा लागत और किसी भी योजना संपत्ति का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथियां समूह के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती हैं और जो उसी मुद्रा में मूल्यवर्गित हैं जिसमें लाभों का भुगतान किए जाने की उम्मीद है।

अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके एक योग्य एक्युअरी द्वारा वार्षिक रूप से गणना की जाती है। जब गणना के परिणाम स्वरूप समूह के लिए देयता होती है, तो देयता के वर्तमान मूल्य को कर्मचारी लाभ के प्रावधान के रूप में मान्यता दी जाती है। किसी बीमांकिक लाभ या हानि को ओसीआई में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

13.4. दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

समूह के अवकाश नकदीकरण के तहत लाभ अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों का गठन करते हैं। अवकाश नकदीकरण का निर्धारण वर्ष के अंत में उपलब्ध अवकाश पात्रता और अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

छुट्टी नकदीकरण के संबंध में समूह का शुद्ध दायित्व भविष्य के लाभ की राशि है जो कर्मचारियों ने वर्तमान और पूर्व अवधि में उनकी सेवा के बदले में अर्जित किया है; उस लाभ को उसके वर्तमान मूल्य का निर्धारण करने के लिए छूट दी जाती है, और किसी भी संबंधित संपत्ति का उचित मूल्य घटाया जाता है। छूट की दर रिपोर्टिंग तिथि पर भारत सरकार की प्रतिभूतियों के प्रचलित बाजार प्रतिफल पर आधारित है, जिनकी परिपक्वता तिथि समूह के दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाती है। किसी बीमांकिक लाभ या हानि को लाभ या हानि में उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं।

दायित्वों को बैलेंस शीट में वर्तमान देनदारियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है यदि इकाई के पास रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार नहीं है, भले ही वास्तविक निपटान होने की उम्मीद हो।

13.5. प्रति नियुक्ति

समूह के साथ प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में देयता को मूल संगठनों की प्रतिनियुक्ति के नियमों और शर्तों के आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

14. विदेशी मुद्रा लेनदेन और परिवर्तन

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन शुरू में कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिस दिन लेन-देन पहली बार मान्यता के लिए योग्य होता है।

मौद्रिक आस्तियों और विदेशी मुद्राओं में निहित देनदारियों को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की कार्यात्मक मुद्रा हाजिर दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर को उस वर्ष के लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है जिसमें यह उत्पन्न होता है।

गैर-मौद्रिक वस्तुओं को लेनदेन की तारीख में विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के रूप में मापा जाता है।





15. आय कर

आयकर व्यय में वर्तमान और आस्थगित कर शामिल है। वर्तमान कर व्यय को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय (ओसीआई) या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त मदों से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय अपेक्षित कर है, कर दरों को अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किया गया है और जैसा कि रिपोर्टिंग तिथि पर लागू होता है, और पिछले वर्षों के संबंध में देय कर में कोई समायोजन।

आस्थगित कर को बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके पहचाना जाता है, वित्तीय रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों की अग्रणी राशि और कराधान उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली राशियों के बीच अस्थायी अंतर प्रदान करता है। आस्थगित कर को उन कर दरों पर मापा जाता है, जो रिपोर्टिंग तिथि द्वारा अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित किए गए कानूनों के आधार पर अस्थायी अंतरों पर लागू होने की उम्मीद की जाती हैं। आस्थगित कर संपत्ति और देनदारियां ऑफसेट हैं यदि वर्तमान कर देनदारियों और संपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आय करों से संबंधित हैं।

आस्थगित कर लाभ या हानि में पहचाना जाता है सिवाय इसके कि यह ओसीआई या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है, जिस स्थिति में इसे ओसीआई या इक्विटी में मान्यता प्राप्त है।

एक आस्थगित कर संपत्ति को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि यह संभावित है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर संपत्तियों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और इस हद तक कम किया जाता है कि अब यह संभव नहीं है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त हो जाएगा।

आस्थगित कर देनदारियों को संयुक्त व्यवस्थाओं में अग्रणी राशि और ब्याज के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है जहां समूह अस्थायी मतभेदों के उत्क्रमण के समय को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अंतर निकट भविष्य में उलट नहीं होगा भविष्य।

आस्थगित कर संपत्तियों को संयुक्त व्यवस्थाओं में ब्याज की अग्रणी राशि और कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है जहां यह संभावना नहीं है कि अंतर निकट भविष्य में उलट जाएगा और कर योग्य लाभ उपलब्ध नहीं होगा जिसके खिलाफ अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकता है।

16. गैर-वित्तीय संपत्तियों की क्षति

समूह की गैर-वित्तीय संपत्तियों की अग्रणी राशि की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इंडस्ट्रीज एएस 36 'परिसंपत्तियों की हानि' के प्रावधानों पर विचार करते हुए हानि का कोई संकेत है या नहीं। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य का आकलन करने में, अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को पूर्व-कर छूट दर का उपयोग करके उनके वर्तमान मूल्य पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य के वर्तमान बाजार आकलन और परिसंपत्ति के लिए विशिष्ट जोखिमों को दर्शाता है।

एक हानि क्षति को मान्यता दी जाती है यदि किसी परिसंपत्ति की अग्रणी राशि इसकी अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है। क्षति हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। किसी भी संकेत के लिए कि हानि कम हो गई है या अब मौजूद नहीं है, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर पूर्व की अवधि में मान्यता प्राप्त हानि नुकसान का आकलन किया जाता है।

यदि वसूली योग्य राशि निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमानों में कोई परिवर्तन हुआ है, तो हानि हानि उलट दी जाती है। हानि क्षति को केवल उस सीमा तक उलट दिया जाता है कि परिसंपत्ति की अग्रणी राशि उस अग्रणी राशि से अधिक न हो जो मूल्यहास या परिशोधन को घटाकर निर्धारित की गई होती, यदि कोई क्षतिग्रस्तता हानि की पहचान नहीं की गई होती।





17. सामग्री पूर्व अवधि त्रुटियां

सामग्री की पिछली अवधि की त्रुटियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक मात्रा को पुनरु प्रस्तुत करके ठीक किया जाता है जिसमें त्रुटि हुई थी। यदि त्रुटि सबसे पहले प्रस्तुत की गई अवधि से पहले हुई है, तो पेश की गई शुरुआती अवधि के लिए संपत्ति, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती शेष को फिर से बताया गया है।

18. प्रति शेयर आय

वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा समूह के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर मूल आय की गणना की जाती है।

मिश्रित आय प्रति इक्विटी शेयर की गणना समूह के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है, जो इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या प्रति इक्विटी शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए माना जाता है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या भी हो सकती है। सभी मिश्रित संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किया गया।

19. कैश फ्लो स्टेटमेंट

कैश फ्लो स्टेटमेंट इंड एस 7 'कैश फ्लो स्टेटमेंट' में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार तैयार किया जाता है।

20. वित्तीय साधन

एक वित्तीय साधन कोई भी अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय संपत्ति और किसी अन्य इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी उपकरण को जन्म देता है।

20.1 वित्तीय संपत्ति

प्रारंभिक मान्यता और माप

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर दर्ज नहीं की गई वित्तीय संपत्तियों के मामले में सभी वित्तीय संपत्तियों को शुरू में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, लेन-देन की लागत जो वित्तीय संपत्ति के अधिग्रहण या मुद्दे के कारण होती है।

बाद का माप

परिशोधित लागत पर ऋण लिखत

एक 'ऋण लिखत' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं:

- (क) संपत्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए संपत्ति रखना है, और
- (ख) संपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का एकमात्र भुगतान बकाया मूल राशि पर होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय संपत्तियों को बाद में EIR पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल है। हानि से उत्पन्न होने वाली हानियों को लाभ या हानि में पहचाना जाता है। यह श्रेणी आम तौर पर व्यापार और अन्य प्राप्तियों पर लागू होती है।

एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन (ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य)

एक 'ऋण लिखत' को FVTOCI के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं:

- (क) व्यापार मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और वित्तीय संपत्तियों को बेचने, और दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है





(ख) संपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को शुरू में और प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, समूह लाभ और हानि में ब्याज आय, हानि नुकसान और रिवर्सल और विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पहचानता है। परिसंपत्ति की अमान्यता पर, पूर्व में ओसीआई में मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से लाभ और हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते हुए अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में सूचित किया जाता है।

एफवीटीपीएल पर ऋण साधन (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य)

एफवीटीपीएल ऋण लिखतों के लिए अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण लिखत, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंड को पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीपीएल हालांकि, इस तरह के चुनाव की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ऐसा करने से माप या मान्यता की असंगति कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है)। एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर लाभ और हानि में पहचाने गए सभी परिवर्तनों के साथ मापा जाता है।

इक्विटी निवेश

संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश को लागत पर मापा जाता है।

मान्यता समाप्त

एक वित्तीय संपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय संपत्तियों के समूह का हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (यानी समूह की बैलेंस शीट से हटा दिया जाता है):

- » संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- » समूह ने संपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष को भौतिक देरी के बिना प्राप्त नकदी प्रवाह का पूर्ण भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो

(क) समूह ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या

(ख) समूह ने संपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को न तो स्थानांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन संपत्ति का नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

वित्तीय संपत्तियों की हानि

इंडस्ट्रीज एस 109 के अनुसार, समूह निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों और क्रेडिट जोखिम जोखिम पर हानि हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करता है:

(क) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, उदाहरण के लिए, ऋण, ऋण प्रतिभूतियां, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

(ख) वित्तीय संपत्तियां जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के रूप में मापी जाती हैं।

(ग) इंड एस 116 के तहत लीज प्राप्य।

(घ) इंड एस 115 के तहत व्यापार प्राप्य।

(ड.) ऋण प्रतिबद्धताएं जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

(च) वित्तीय गारंटी अनुबंध जिन्हें एफवीटीपीएल के रूप में नहीं मापा जाता है।

अन्य वित्तीय संपत्तियों और जोखिम जोखिम पर हानि हानि की पहचान के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं। यदि क्रेडिट जोखिम महत्वपूर्ण रूप से नहीं बढ़ा है, तो 12 महीने की ईसीएल का उपयोग हानि हानि के लिए किया जाता है। हालांकि, यदि क्रेडिट जोखिम काफी बढ़ गया है, तो आजीवन ईसीएल का उपयोग किया जाता है। यदि, बाद की अवधि में, लिखत की क्रेडिट गुणवत्ता में इस तरह सुधार होता है कि आरंभिक मान्यता के बाद से





क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होती है, तो प्रतिष्ठान 12—महीने की ईसीएल के आधार पर हानि हानि भत्ता को पहचानने के लिए वापस लौट जाता है।

20.2. वित्तीय देनदारियों

प्रारंभिक मान्यता और माप

वित्तीय देनदारियों को प्रारंभिक मान्यता पर, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और उधार लेने के मामले में प्रत्यक्ष रूप से आरोपित लेनदेन लागतों को घटाकर पहचाना जाता है। समूह की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित उधार, वित्तीय गारंटी अनुबंध शामिल हैं।

बाद का माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

परिशोधित लागत पर वित्तीय देनदारियां

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय देनदारियों को बाद में ईआईआर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को ईआईआर परिशोधन प्रक्रिया के साथ-साथ अमान्य कर दिया जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और फीस या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो ईआईआर का एक अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन लाभ या हानि में वित्त लागत में शामिल है। यह श्रेणी आम तौर पर उधार, व्यापार देय और अन्य संविदात्मक देनदारियों पर लागू होती है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियां (एफवीटीपीएल)

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखी गई वित्तीय देनदारियां और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर नामित वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए आयोजित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से खर्च किए जाते हैं।

व्यापार के लिए रखी गई देनदारियों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि पर नामित किया जाता है, और केवल तभी जब भारतीय लेखा मानक 109 में मानदंड संतुष्ट होते हैं। एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट देनदारियों के लिए, उचित मूल्य लाभ/हानि जो स्वयं के क्रेडिट जोखिम में परिवर्तन के कारण होता है, ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। इन लाभ/हानि को बाद में लाभ और हानि में स्थानांतरित नहीं किया जाता है। हालाँकि, समूह इक्विटी के भीतर संचयी लाभ या हानि को स्थानांतरित कर सकता है। ऐसी देनदारी के उचित मूल्य में अन्य सभी परिवर्तनों को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है। समूह ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किसी भी वित्तीय दायित्व को नामित नहीं किया है।

मान्यता समाप्त

एक वित्तीय दायित्व को तब मान्यता दी जाती है जब दायित्व के तहत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से दूसरे द्वारा काफी अलग शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह के विनिमय या संशोधन को मूल देयता की अमान्यता और एक नई देयता की मान्यता के रूप में माना जाता है। संबंधित अग्रणीत राशियों के अंतर को लाभ या हानि के विवरण में पहचाना जाता है।

21. ऑपरेटिंग सेगमेंट

इंडस्ट्रीज एएस 108 के अनुसार, सेगमेंट की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उपयोग किए जाने वाले ऑपरेटिंग सेगमेंट की पहचान समूह के प्रबंधन द्वारा उपयोग की जाने वाली आंतरिक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है ताकि सेगमेंट को संसाधनों का आवंटन किया जा सके और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जा सके। निदेशक मंडल सामूहिक रूप से इंड एएस 108 के अर्थ के भीतर समूह का 'मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता' या 'सीओडीएम' है।





आंतरिक रिपोर्टिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले संकेतक प्रदर्शन मूल्यांकन उपायों के संबंध में विकसित हो सकते हैं। सीओडीएम को रिपोर्ट किए जाने वाले सेगमेंट परिणामों में सीधे सेगमेंट के साथ-साथ उचित आधार पर आवंटित किए जा सकने वाले आइटम शामिल हैं। अनाबंटित मदों में मुख्य रूप से कॉर्पोरेट व्यय, वित्त व्यय और आयकर व्यय शामिल हैं।

सेगमेंट के लिए सीधे जिम्मेदार आय को सेगमेंट रेवेन्यू माना जाता है। खंडों के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय और उचित आधार पर आवंटित सामान्य व्यय को खंड व्यय के रूप में माना जाता है।

खंड पूंजीगत व्यय संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, और सद्भावना के अलावा अन्य अमूर्त संपत्तियों को प्राप्त करने की अवधि के दौरान की गई कुल लागत है। सेगमेंट संपत्ति में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण, अमूर्त संपत्ति, व्यापार और अन्य प्राप्य, इन्वेंट्री और अन्य परिसंपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सीधे या यथोचित रूप से खंडों में आवंटित किया जा सकता है। वर्ष के लिए सेगमेंट रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण संबंधित सेगमेंट के संचालन के लिए संपत्ति के उपयोग की सीमा के आधार पर सेगमेंट को आवंटित किए गए हैं। सेगमेंट एसेट्स में निवेश, इनकम टैक्स एसेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल एडवांस, कॉर्पोरेट एसेट्स और अन्य मौजूदा एसेट्स शामिल नहीं हैं जिन्हें यथोचित रूप से सेगमेंट में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

खंड की देनदारियों में एक खंड के संबंध में सभी परिचालन देनदारियां शामिल हैं और इसमें मुख्य रूप से व्यापार और अन्य देय, कर्मचारी लाभ और प्रावधान शामिल हैं। सेगमेंट देनदारियों में इक्विटी, आयकर देनदारियां, ऋण और उधार और अन्य देनदारियां और प्रावधान शामिल नहीं हैं जिन्हें उचित रूप से सेगमेंट में आवंटित नहीं किया जा सकता है।

22. लाभांश

समूह के शेयरधारकों को प्रदत्तध्वेय लाभांश और अंतरिम लाभांश को उस अवधि में इक्विटी में परिवर्तन के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें उन्हें शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

23. संवितरण के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)।

सेकी एमएनआरई की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में काम कर रहा है और संबंधित स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के तहत सीएफए के संवितरण में शामिल है।

एमएनआरई से प्राप्त सीएफए को अन्य वित्तीय चालू देयता के तहत दिखाया जाता है और इन निधियों पर अर्जित ब्याज भी संबंधित सीएफए में जमा किया जाता है।

सीएफए का संवितरण संबंधित पक्षों को प्राप्त मील के पथर के अनुसार और संबंधित स्वीकृति आदेशों की शर्तों के अनुसार भी किया जाता है।

24. भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ)

750 मेगावाट, 2000 मेगावाट और 5000 मेगावाट के संबंध में सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, डेवलपर्स को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) की स्थापना की गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने दिनांक 4 फरवरी 2019 के अपने आदेश द्वारा वीजीएफ योजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा तंत्र दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बैंक गारंटी (बीजी) के नकदीकरण से प्राप्त धन, इस कोष पर अर्जित ब्याज, शीघ्र भुगतान के लिए प्रोत्साहन (यदि पूर्वभुगतान के लिए उपयोग की गई राशि का पीएसएफ से भुगतान किया गया है) और सरकार से अनुदान इस निधि में जमा किया जाएगा और लगाया जाएगा विकासकर्ताओं/विद्युत उत्पादकों द्वारा देय प्रति इकाई शुल्क (यदि कोई हो) भी इस कोष में जमा किया जायेगा।

आदेश के अनुसार निधि का उपयोग किया जाएगा:

(क) खरीद उपयोगिताओं से भुगतान प्राप्त करने में देरी के मामले में सौर परियोजना डेवलपर्स को समय पर भुगतान करने के लिए।

(ख) पीएसए/पीपीए पर हस्ताक्षर करने के समय परिकल्पित लंबी अवधि की खुली पहुंच, पारेषण शुल्क आदि प्राप्त करने के उद्देश्य से साख पत्रध्वं बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में सुरक्षा प्रदान करने के लिए और बल्क के





अनुसार लागू शुल्क लागू विनियमों के अनुरूप सीटीयू/एसटीयू के साथ पावर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट (बीपीटीए) पर हस्ताक्षर किए गए।

- (ग) नीतिधनियामक मुद्दों/निर्णयों और पारेषण-निकासी/ओपन एक्सेस बाधाओं आदि के कारण खरीदार से टैरिफ की कम वसूली के मामले में सहमत पीपीए दर से डेवलपर्स को अंतर भुगतान करना।
- (घ) लागू विनियमों के अनुसार, अल्पावधि ओपन एक्सेस शुल्क के कारण भुगतान करने के लिए।
- (ङ) पीपीए/पीएसए/वीजीएफ प्रतिभूतिकरण की परिचालन संबंधी कठिनाइयों से उत्पन्न मुद्दों सहित योजना के कार्यान्वयन से संबंधित मुकदमेबाजी और मध्यस्थता पुरस्कार आदि के कारण किसी भी शुल्क के लिए।

विभिन्न एसपीडी के साथ हस्ताक्षरित पीपीए की शर्तों के अनुसार ऐसे कुछ मामले हैं जिनमें विभिन्न योजनाओं के तहत देय टैरिफ को हस्ताक्षरित पीपीए से कम कर दिया गया है। टैरिफ में कमी के कारण सौर ऊर्जा की खरीद में कमी की कोई भी राशि सीधे पीएसएफ में जमा की जा रही है।

राज्य ऊर्जा लेखा (एसईए)/क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा (आरईए)/संयुक्त मीटर रीडिंग (जेएमआर) के कारण बिजली की बिक्री और खरीद की इकाइयों में उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को खातों में ठीक से निपटाया जाता है। खरीदी गई इकाइयों की तुलना में बेची गई इकाइयों की अधिकता के मामले में, अंतर को भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में जमा किया जाता है।

ट्रांसमिशन कंपनियों को किए गए भुगतान और एसईसीआई द्वारा डिस्काम/खरीद उपयोगिताओं से ट्रांसमिशन शुल्क के लिए प्राप्त भुगतान के कारण उत्पन्न होने वाले किसी भी अंतर को PSF में स्थानांतरित कर दिया जाता है।

2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ योजनाओं पर एमएनआरई के दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार निष्पादन गारंटी जमा पर प्राप्त विस्तार राशि/अर्जित ब्याज भी जमा किया जाएगा।

सोलर पार्क कार्यान्वयन एजेंसियों (एसपीआईए) से प्राप्त विलंब शुल्क भी 2000 मेगावाट/5000 मेगावाट वीजीएफ योजनाओं पर एमएनआरई दिशानिर्देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार जमा किया जाएगा।

पीएसएफ खाते में पड़े फंड को चालू देनदारियों के तहत वित्तीय देनदारियों के रूप में दिखाया जाता है।

25. बैंक गारंटी नकदीकरण/विकासकर्ता द्वारा बीजी नकदीकरण (विंड/हाइब्रिड/सोलर/फ्लोटिंग सोलर) के एवज में जमा की गई धनराशि (मानक बोली दिशानिर्देश-गैर वीजीएफ योजनाएं)

विंड/हाइब्रिड/सोलर/फ्लोटिंग सोलर (स्टैंडर्ड बिडिंग गाइडलाइंस- नॉन वीजीएफ स्कीम्स) के तहत बैंक गारंटी के नकदीकरण/विकासकर्ता द्वारा बीजी नकदीकरण के एवज में जमा की गई धनराशि को ब्याज वाले खाते में अलग से रखा जा रहा है। इसके अलावा, इन निधियों पर अर्जित ब्याज भी उसी खाते में जमा किया जाता है, जो एमएनआरई के निर्देशों/दिशानिर्देशों के लंबित होने के कारण होता है।

26. ट्रांसमिशन प्रभार

बिजली की खरीद/बिक्री के एक हिस्से के रूप में, पारेषण शुल्क प्रकृति में प्रतिपूर्ति योग्य हैं जो कि खरीद उपयोगिता से वसूल किए जाते हैं और कंपनी की ओर से कोई देयता नहीं होने पर एसएलडीसी को देय होते हैं। बायिंग यूटिलिटीज से वसूली योग्य बिल न किए गए पारेषण शुल्कों के लिए प्रावधान को मान्यता दी गई है और अन्य चालू वित्तीय संपत्तियों के तहत दिखाया गया है और एसएलडीसी को देय तदनुरूपी अन्य मौजूदा वित्तीय देनदारियों के तहत दिखाया गया है।

घ. अनुमानों और प्रबंधन निर्णयों का उपयोग

समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय, अनुमान और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन को प्रभावित कर सकते हैं और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय, व्यय और संबंधित प्रकटीकरणों के साथ-साथ आकस्मिक संपत्तियों और देनदारियों के संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित कर सकते हैं।

बैलेंस शीट की तारीख। अनुमान और प्रबंधन के निर्णय पिछले अनुभव और परिस्थितियों में उचित और विवेकपूर्ण माने जाने वाले अन्य कारकों पर आधारित होते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं।





अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों के संशोधनों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें अनुमानों को संशोधित किया जाता है और भविष्य की किसी भी अवधि में प्रभावित होता है। समेकित वित्तीय विवरणों की समझ बढ़ाने के लिए, लेखांकन नीतियों को लागू करने में अनुमान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों, अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में जानकारी, जिनका समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नानुसार है

1. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का उपयोगी जीवन

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अनुमानित उपयोगी जीवन अप्रचलन, मांग, प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों (जैसे उद्योग की स्थिरता और ज्ञात तकनीकी विकास और आवश्यक रखरखाव व्यय के स्तर) के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। संपत्ति से अपेक्षित भविष्य के नकदी प्रवाह प्राप्त करें प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में समूह संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन की समीक्षा करता है और यदि उपयुक्त हो तो संभावित रूप से समायोजित किया जाता है।

2. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वसूली योग्य राशि

संयंत्र और उपकरणों की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से अपेक्षित बाजार दृष्टिकोण और बिजली संयंत्रों से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के संबंध में अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।

3. पोस्ट-रोजगार लाभ योजनाएँ

कर्मचारी लाभ दायित्वों को बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापा जाता है जिसमें मृत्यु दर और वापसी दर के साथ-साथ छूट दरों में भविष्य के विकास से संबंधित धारणाएँ, वेतन वृद्धि दर और मुद्रास्फीति दर शामिल हैं। समूह मानता है कि इसके दायित्वों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली धारणाएँ उचित और प्रलेखित हैं। हालाँकि, इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का परिणामी गणनाओं पर भौतिक प्रभाव पड़ सकता है।

4. राजस्व

समूह संबंधित समझौतों में निर्दिष्ट टैरिफ दरों के आधार पर और इंड एस 115 के तहत निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार बिजली की बिक्री से राजस्व रिकॉर्ड करता है। ऐसे मामलों में जहां इकाइयों का पता लगाया जाना बाकी है, अनंतिम इकाइयों को मान्यता के उद्देश्य से माना जाना है। आय।

5. बिक्री के लिए धारित संपत्ति

इंड एस 105 'बिक्री और बंद संचालन के लिए गैर-वर्तमान संपत्तियाँ' के तहत बिक्री के लिए रखी गई गैर-वर्तमान संपत्तियों के लेखांकन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय की आवश्यकता है। प्रयोज्यता का आकलन करने में, प्रबंधन ने तत्काल बिक्री के लिए संपत्ति की उपलब्धता, बिक्री के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता और बिक्री की संभावना का मूल्यांकन करने के लिए एक वर्ष के भीतर यह निष्कर्ष निकालने के लिए निर्णय लिया है कि क्या उनकी अग्रणी राशि मुख्य रूप से उपयोग जारी रखने के बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से वसूल की जाएगी।

6. प्रावधान और आकस्मिकताएं

प्रावधानों और आकस्मिकताओं को पहचानने में किए गए आकलन इंड एस 37, 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' के अनुसार किए गए हैं। आकस्मिक घटनाओं की संभावना के मूल्यांकन के लिए संभावित नुकसान के जोखिम की संभावना के संबंध में प्रबंधन द्वारा सर्वोत्तम निर्णय की आवश्यकता है। गौरतलब है कि अगर हालात अप्रत्याशित विकास को बदलते हैं, तो यह संभावना बदल सकती है।

7. गैर-वित्तीय संपत्तियों की हानि परीक्षण

संयुक्त उद्यमों में निवेश की वसूली योग्य राशि विशेष रूप से निवेश प्राप्तकर्ता समूह के संचालन से जुड़े भविष्य के नकदी प्रवाह के अनुमानों और मान्यताओं पर आधारित है। इन धारणाओं में किसी भी परिवर्तन का वसूली योग्य राशि के माप पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है और इसके परिणामस्वरूप हानि हो सकती है।





टिप्पणी 2 : गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	परि-वर्धन	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2023 को	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इमारतें	81.31			81.31	28.44	4.74		33.18	48.13	52.87
संयंत्र एवं मशीनरी	10,786.37			10,786.37	2,590.27	583.35		3,173.62	7,612.75	8,196.10
कम्प्यूटर एंडयूजर डिवाइस	168.90	43.82	(6.66)	206.06	107.62	36.73	(4.05)	140.30	65.76	61.28
कम्प्यूटर सर्वर एवं नेटवर्क	10.64			10.64	6.66	0.81		7.47	3.17	3.98
फर्निचर एवं फिक्सचर-ऑफिस	153.91	8.28	(2.48)	159.71	21.13	15.41	(0.93)	35.61	124.10	132.78
मोटर कार	51.61		(15.66)	35.95	17.12	4.80	(14.88)	7.04	28.91	34.49
कार्यालय उपकरण	260.98	24.10	(1.94)	283.14	109.77	44.05	(1.54)	152.28	130.86	151.21
कुल	11,513.72	76.20	(26.74)	11,563.18	2,881.01	689.89	(21.40)	3,549.50	8,013.68	8,632.71

31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2021 को	परि-वर्धन	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2022 को	1 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
इमारतें	81.31			81.31	23.70	4.74		28.44	52.87	57.61
संयंत्र एवं मशीनरी	10,763.05		23.32	10,786.37	2,006.47	583.80		2,590.27	8,196.10	8,756.58
कम्प्यूटर एंडयूजर डिवाइस	144.24	27.83	(3.17)	168.90	76.80	32.48	(1.66)	107.62	61.28	67.44
कम्प्यूटर सर्वर एवं नेटवर्क	10.64			10.64	5.49	1.17		6.66	3.98	5.15
फर्निचर एवं फिक्सचर-ऑफिस	154.97	0.37	(1.43)	153.91	6.56	14.70	(0.13)	21.13	132.78	148.41
मोटर कार	93.25		(41.64)	51.61	49.83	5.78	(38.49)	17.12	34.49	43.42
कार्यालय उपकरण	236.90	26.02	(1.94)	260.98	69.32	40.78	(0.33)	109.77	151.21	167.58
कुल	11,484.36	54.22	(24.86)	11,513.72	2,238.17	683.45	(40.61)	2,881.01	8,632.71	9,246.19

टिप्पणियां : 2.1 लीज़होल्ड भूमि पर ₹ 81.31 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 81.31 लाख) का भवन निर्माण किया जाता है।





टिप्पणी 3: गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां-उपयोग का अधिकार

31 मार्च, 2023 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	पुनः वर्गीकरण	परि-वर्धन	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
उपयोग का अधिकार —आवासीय फ्लैट	1,734.06	-		-	1,734.06	134.13	58.65	-	192.78	1,541.28	1,599.93
उपयोग का अधिकार — भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (परिवर्तन) (ट्रांजिशन) पर	332.17	-		-	332.17	38.88	12.95	-	51.83	280.34	293.29
उपयोग का अधिकार — एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,181.48	-		-	19,181.48	717.79	699.96	-	1,417.75	17,763.73	18,463.69
कुल	21,247.71	-	-	-	21,247.71	890.80	771.56	-	1,662.36	19,585.35	20,356.91

31 मार्च, 2022 समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक					मूल्यहास, परिशोधन और क्षति				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2021 को	पुनः वर्गीकरण	परि-वर्धन	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समा-योजन	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
उपयोग का अधिकार —आवासीय फ्लैट	1,734.06	-		-	1,734.06	76.36	57.77	-	134.13	1,599.93	1,657.70
उपयोग का अधिकार — भूमि 10 मेगावाट राजस्थान (परिवर्तन) (ट्रांजिशन) पर	332.17	-		-	332.17	25.93	12.95	-	38.88	293.29	306.24
उपयोग का अधिकार — एनबीसीसी वाणिज्यिक भवन	19,223.03	-		(41.55)	19,181.48	78.78	639.01	-	717.79	18,463.69	19,144.25
कुल	21,289.26	-	-	(41.55)	21,247.71	181.07	709.73	-	890.80	20,356.91	21,108.19





टिप्पणी 4: गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियां-प्रगति अधीन कार्यशील पूंजी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 के दिन					31 मार्च, 2022 के दिन				
	1 अप्रैल, 2022 को	परिवर्धन (एडीशन)	कटौती (समा-योजन)	पूँजीगत	31 मार्च, 2023 तक	1 अप्रैल, 2021 को	परिवर्धन (एडीशन)	कटौती (समा-योजन)	पूँजीगत	31 मार्च, 2022 तक
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब सीपीएसयू के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना)										
पंजीकरण प्रभार	139.24		(2.83)		136.41	132.16	7.08			139.24
विज्ञापन	-				-	-				-
अन्य पेशेवर प्रभार	79.91				79.91	79.91				79.91
लक्षद्वीप										
अन्य पेशेवर प्रभार	118.20				118.20	82.74	35.46			118.20
उप संविदा व्यय	133.03	1,411.64			1,544.67		133.03			133.03
100 मेगावाट छत्तीसगढ़										
अन्य पेशेवर प्रभार	6.53				6.53	6.23	0.30			6.53
पंजीकरण प्रभार	47.20				47.20	-	47.20			47.20
साइट व्यय	1.26	9.27			10.53	0.71	0.55			1.26
उप संविदा व्यय		21,556.03			21,556.03					
ऋण संबंधी व्यय		230.95			230.95					
1200 मेगावाट सीपीएसयू फेज II सरकारी उत्पादक योजना										
अन्य पेशेवर प्रभार	1,416.00				1,416.00		1,416.00			1,416.00
50 मेगावाट लेह										
साइट व्यय		35.69			35.69					
100 मेगावाट झारखंड										
ऋण संबंधी व्यय		162.66			162.66					
कुल	1,941.37	23,406.24	(2.83)		- 25,344.78	301.75	1,639.62	-	-	1,941.37

नोट:

- लक्षद्वीप परियोजना के तहत ₹ 1411.64 लाख (विगत वर्ष ₹ 133.03 लाख) की वृद्धि उप-अनुबंध व्यय के कारण है।
- 100 मेगावाट छत्तीसगढ़ परियोजना के तहत ₹ 21,556 लाख (विगत वर्ष ₹ शून्य) की वृद्धि उप-अनुबंध व्यय के कारण है।
- 100 मेगावाट झारखंड परियोजना के तहत ₹ 230.95 लाख (विगत वर्ष ₹ शून्य) की वृद्धि ऋण पूंजीकरण लागत के कारण है।
- 100 मेगावाट झारखंड परियोजना के तहत ₹ 162.66 लाख (विगत वर्ष ₹ शून्य) की वृद्धि ऋण पूंजीकरण लागत के कारण है।
- कैपिटल डब्ल्यूआईपी के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धता के लिए नोट संख्या 49.3 (प्रतिबद्धताएं) देखें।





कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस एजिंग शेड्यूल।

(क) प्रगतिशील परियोजनाएं

₹ लाख

विवरण	कैपिटल वर्क-इन-प्रोग्रेस में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023					
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब 300 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत सौर परियोजना)	-	4.25	-	212.07	216.32
100 मेगावाट छत्तीसगढ़	21,796.25	48.05	6.37	0.57	21,851.24
लक्षद्वीप परियोजना	1,411.64	168.49	35.46	47.28	1,662.87
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना	-	1,416.00	-	-	1,416.00
100 मेगावाट झारखंड	162.66	-	-	-	162.66
50 मेगावाट लेह	35.69	-	-	-	35.69
कुल					25,344.78
31 मार्च, 2022					
160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब 200 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत पवन सौर परियोजना)	7.08	-	-	212.07	219.15
100 मेगावाट छत्तीसगढ़	48.05	6.37	0.57	-	54.99
लक्षद्वीप परियोजना	168.49	35.46	47.28	-	251.23
1200 मेगावाट सीपीएसयू चरण II सरकारी उत्पादक योजना	1,416.00	-	-	-	1,416.00
कुल					1,941.37

(ख) अस्थाई रूप में निलंबित परियोजनाएं

₹ लाख

विवरण	सीडब्ल्यूआईपी में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को					
शून्य	-	-	-	-	-





(ग) पूंजीगत कार्य—प्रगति के लिए, जिसका पूरा होना अतिदेय है या इसकी मूल योजना की तुलना में इसकी लागत से अधिक हो गया है, सीडब्ल्यूआईपी समापन अनुसूची निम्नानुसार है :

₹ लाख

विवरण	परियोजना की अनुमानित लागत	वास्तविक लागत	परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित तिथि	परियोजना के पूर्ण होने की अनुमानित संशोधित	पूर्ण होने की अवधि				जोड़
					1 वर्ष से काम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को									
लक्षद्वीप परियोजना	1,743.20	1,662.87	07-11-2021	30-09-2023	1,662.87	-	-	-	1662.87
50 मेगावाट लेह	37,200.00	35.69	09-02-2023	09-02-2024	35.69				35.69
31 मार्च, 2022 को									
लक्षद्वीप परियोजना	1,683.23	251.23	07-11-2021	30-11-2022	251.23	-	-	-	251.23

टिप्पणी 5 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां—अमूर्त परिसंपत्तियां

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2022 को	परिवर्धन	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 को	1 अप्रैल 2022 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,490.40	6.89	-	1,497.29	418.01	288.82		706.83	790.46	1,072.39
कुल	1,490.40	6.89	-	1,497.29	418.01	288.82	-	706.83	790.46	1,072.39

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए

₹ लाख

विवरण	सकल ब्लॉक				परिशोधन				निवल बही मूल्य	
	1 अप्रैल 2021 को	परिवर्धन	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2022 को	1 अप्रैल 2021 तक	वर्ष के लिए	कटौती/समायोजन	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2022 को	31 मार्च 2021 को
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	1,467.69	22.71	-	1,490.40	128.10	289.91		418.01	1,072.39	1,339.59
कुल	1,467.69	22.71	-	1,490.40	128.10	289.91	-	418.01	1,072.39	1,339.59





टिप्पणी 6 : गैर वर्तमान परिसंपत्तियां—विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को					31 मार्च 2022 को				
	1 अप्रैल 2022 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	पूँजीगत	31 मार्च 2023 तक	1 अप्रैल 2021 को	परिवर्धन	कटौती / समायोजन	पूँजीगत	31 मार्च 2022 तक
मोबाइल आधारित उपस्थिति तंत्र	-	-	-	-	-	1.89	-	-	(1.89)	-
कुल	-	-	-	-	-	1.89	-	-	(1.89)	-

विकास उम्र बढ़ने की अनुसूची के तहत अमूर्त संपत्ति

(क) प्रगति अधीन परियोजना

₹ लाख

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	2-3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को					
शून्य	-	-	-	-	-

(ख) अस्थाई रूप में निलंबित परियोजना

₹ लाख

विवरण	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों में राशि				जोड़
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	2-3 वर्ष से अधिक	
31 मार्च, 2023 को					
शून्य	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को					
शून्य	-	-	-	-	-

(ग) विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां, जिनके पूरे होने में देरी हुई है या मूल योजना से अधिक लागत हो गई है, विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां अनुसूची शून्य है





नोट 7: गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां—

संयुक्त उद्यमों में निवेश इक्विटी उपकरणों में निवेश (लागत पर)

संयुक्त उद्यम के इक्विटी शेयर (बिना उद्धृत)

विवरण	31 मार्च 2023 को			31 मार्च 2022 को		
	अंकित मूल्य (₹)	शेयरों की संख्या	मूल्य (₹ लाख)	अंकित मूल्य (₹)	शेयरों की संख्या	मूल्य (₹ लाख)
आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	50,000	10	18,922.62	50,000	10	14,328.81
हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड	22,100	1,000	233.63	22,100	1,000	229.63
कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,00,000	10	10,791.18	5,00,000	10	10,517.86
लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,00,000	10	3.68	5,00,000	10	0.0
रिन्युएबिल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	5,000	1,000	448.40	5,000	1,000	365.17
रीवा अल्ट्रा मेगा सॉलर लिमिटेड	10,000	1,000	3,922.41	10,000	1,000	2,781.60
कुल			34,321.92			28,223.07
उद्धृत निवेश की सकल राशि			शून्य			शून्य
गैर-उद्धृत निवेश की सकल राशि			34,321.92			28,223.07
निवेश पर हानि की सकल राशि			शून्य			शून्य

7.1. संयुक्त उद्यम (ओं) में निवेश का मूल्यांकन लेखांकन नीति संख्या के अनुसार किया जाता है। 1.ग.20.1

नोट 8: गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति – ऋण और अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम— सुरक्षित	69.54	79.23
जोड़	69.54	79.23

नोट 9: गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति – अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
डिस्कॉम से प्राप्य (देखें नोट 73)	90,896.66	87,836.99
सुरक्षा जमा प्राप्य	7.38	5.99
जोड़	90,904.04	87,842.98





नोट 10 : गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति – बॉण्ड में निवेश

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बॉण्ड में उद्धृत निवेश (परिशोधन लागत पर मान्य)		
सीपीएसयू बॉण्ड	86,482.28	-
कुल	86,482.28	-

10.1 सेकी की अनुमोदित नीति के अनुसार, ₹ 86,482.28 लाख की राशि (31.03.2022 को शून्य) 'AAA' मूल्यांकित बॉण्ड में निवेश किया जाता है। इस निधि में ₹ 19721.60 लाख निष्पादन गारंटी जमा (पीजीडी), ₹ 5701.50 लाख प्रतिभूति जमा भुगतान (पीएसडी) और ₹ 61059.18 लाख भुगतान प्रतिभूति निधि (पीएसएफ) शामिल हैं।

नोट 11 : अन्य गैर वर्तमान संपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम		
पूँजीगत अग्रिम	8,810.57	10,347.11
अन्य अग्रिम	324.67	337.32
अन्य		
आस्थगित राजस्व व्यय – सुरक्षा जमा	12.95	13.71
आस्थगित राजस्व व्यय – कर्मचारियों को वाहन अग्रिम	18.11	18.21
कुल	9,166.30	10,716.35

11.1 पूँजीगत अग्रिम में छत्तीसगढ़ में स्थित 100 मेगावाट परियोजना के लिए भुगतान किए गए ₹ 6196.30 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 8,215.36 लाख) और ₹ 2,120.71 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 2120.71 लाख) आंध्र प्रदेश में 160 मेगावाट हाइब्रिड परियोजना (अब सीपीएसयू योजना के तहत 300 मेगावाट सौर परियोजना) के लिए रामगिरी गांव और मुथुवाकुंटला गांव (नोट संख्या 65 देखें) भूमि अधिग्रहण के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर को भुगतान शामिल हैं।

नोट 12 : वर्तमान वित्तीय संपत्ति – व्यापार प्राप्य

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है – सुरक्षित	56,746.27	33,781.95
व्यापार प्राप्य अच्छा माना जाता है – असुरक्षित	1,17,198.00	63,461.91
	1,73,944.27	97,243.86
व्यापार प्राप्तियां जिनमें ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई हैय तथा	-	-
कम: अपेक्षित ऋण हानियों के लिए भत्ता (हानि)	-	-
व्यापार प्राप्य – क्रेडिट बिगड़ा हुआ	241.42	257.87
कम: अपेक्षित ऋण हानियों के लिए भत्ता (हानि)	(241.42)	(257.87)
कुल	1,73,944.27	97,243.86

12.1. व्यापार प्राप्य में संबंधित पक्षों से संबंधित ₹ 1,430.62 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 1,507.17 लाख) शामिल हैं





नोट 13 : वर्तमान वित्तीय संपत्ति – नकद और नकद समतुल्य

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक में शेष राशि (उपार्जित ब्याज सहित)		
चालू खाता	47,903.71	87,729.46
बचत खाता	71,715.99	8,207.67
सीसी/ओडी खाते	12,701.62	34,325.10
कुल	1,32,321.32	1,30,262.23

13.1 चालू खातों में ऑटो स्वीप फिक्स्ड डिपॉजिट और उस पर मिलने वाला ब्याज शामिल हैं:

13.2 वर्तमान वित्तीय संपत्ति – नकद और नकद समतुल्य में शामिल हैं :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सरकारी अनुदान / निधि	37,596.12	4,834.25
भुगतान सुरक्षा तंत्र (विस्तार राशि सहित) (देखें नोट 64)	28,098.12	78,632.18
निष्पादन गारंटी जमा	1,828.47	200.00
अन्य	64,798.61	46,595.80
जोड़	1,32,321.32	1,30,262.23

नोट 14: वर्तमान वित्तीय संपत्तियां – नकद और नकद समकक्षों के अलावा बैंक शेष

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बैंक के पास शेष राशि (उपार्जित ब्याज सहित)		
3 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा, 12 महीने के भीतर परिपक्व	80,957.80	1,21,889.18
गैर-चालू जमाओं के अलावा बैंक के साथ चिह्नित सावधि जमा	37.33	37.27
कुल	80,995.13	1,21,926.45

14.1. बैंक में शेष राशि (उपार्जित ब्याज सहित) में सावधि जमा शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सरकारी अनुदान/निधि	-	-
भुगतान सुरक्षा तंत्र (एक्सटेंशन धन शामिल है) (नोट 62 देखें)	37.33	544.81
निष्पादन गारंटी जमा	-	21,350.00
अन्य	80,957.80	1,00,031.64
कुल	80,995.13	1,21,926.45

14.1.1. पीजीडी जमा पर अर्जित ब्याज भुगतान सुरक्षा तंत्र में शामिल –





नोट-15. वर्तमान वित्तीय संपत्तियां – ऋण एवं अग्रिम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारियों को अग्रिम		
अग्रिम – सुरक्षित	29.66	30.95
अग्रिम – असुरक्षित	16.73	4.96
दूसरों को अग्रिम		
असुरक्षित	1,531.77	1,531.77
वसूली योग्य राशि		
सम्बन्धित दल	-	-
अन्य	79.68	82.11
कुल	1,657.84	1,649.79

नोट 16: वर्तमान संपत्तियां – अन्य वित्तीय वर्तमान संपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
बिल न किया गया राजस्व	1,00,308.22	74,136.34
अनबिल्ड ट्रांसमिशन चार्ज	365.72	334.65
डिस्कॉम से वसूली योग्य (नोट संख्या 73 देखें)	18,450.59	33,537.14
एमएनआरई से प्राप्य अनुदान (नोट संख्या 34.2 देखें)	-	12,500.00
सुरक्षा जमा प्राप्य	2.22	4.86
कुल	1,19,126.75	1,20,512.99

- 16.1. ₹ 1,00,308.22 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 74,136.34 लाख) के बिना बिल वाले राजस्व में बिजली की बिक्री के लिए ₹ 1,00,283.85 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 74,105.26 लाख) का राजस्व शामिल है, लेकिन पीएसए की शर्तों के अनुसार, 31 मार्च 2022 तक चालान नहीं जारी किए गए थे और राजस्व ₹ 24.37 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 31.08 लाख) ट्रेडिंग मार्जिन साझा करने के लिए लेकिन चालान 31 मार्च 2023 तक नहीं जारी किए गए थे।
- 16.2. अनबिल्ड ट्रांसमिशन चार्ज में ट्रांसमिशन चार्ज से संबंधित ₹ 365.72 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 334.65 लाख) शामिल हैं, जिसके लिए चालान 31 मार्च 2023 तक नहीं जारी किए गए थे।





नोट 17: वर्तमान संपत्तियां – अन्य वर्तमान संपत्तियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम		
सम्बन्धित दल		
असुरक्षित	4.71	4.71
कर्मचारी		
असुरक्षित	3.29	17.28
अन्य		
असुरक्षित	0.50	30.50
राजस्व/सरकारी प्राधिकरणों के पास शेष	20.47	19.05
इनकम टैक्स रिफंड	475.05	999.41
प्रीपेड खर्चे	34.13	31.96
अन्य	193.38	312.08
कुल	731.53	1,414.99

नोट 18: वर्तमान कर संपत्ति

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान कर देयताएं	(10,796.21)	(7,899.69)
एडवांस टैक्स	8,153.00	6,108.00
खरीद पर टीसीएस का भुगतान	-	188.44
टीडीएस प्राप्य	2,674.50	2,061.09
कुल	31.29	457.84

18.1 आयकर पर महत्वपूर्ण लेखा नीति के बिंदु संख्या 15 का संदर्भ लें।

नोट 19: इक्विटी शेयर कैपिटल

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
इक्विटी शेयर पूंजी		
अधिकार दिया गया		
₹ 1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2021 को ₹1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य के 2,00,00,000 इक्विटी शेयर) 200,000 200,000	2,00,000	2,00,000
जारी और सब्सक्राइब किया गया		
₹ 1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य के 1,35,40,000 इक्विटी शेयर (31 मार्च 2022 को प्रत्येक ₹1000 के बराबर मूल्य के 60,00,000 इक्विटी शेयर) 60,000 60,000	1,35,400	60,000
पूरा भुगतान किया		
1,35,40,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000 प्रत्येक (35,40,000 इक्विटी शेयर ₹ 1000 प्रत्येक के बराबर मूल्य 31 मार्च 2022 तक)	1,35,400	35,400





(क) वर्ष के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयर पूंजी का समाधान :

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
वर्ष की शुरुआत में बकाया शेयर	35,40,000	35,400	35,40,000	35,400
वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	1,00,00,000	1,00,000	-	-
वर्ष के अंत में बकाया शेयर	1,35,40,000	1,35,400	35,40,000	35,400

(ख) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम और अधिकार:

कंपनी ने शेयरधारकों की शेयरधारिता के अनुपात में वोटिंग अधिकारों के साथ केवल एक प्रकार के इक्विटी शेयर जारी किए हैं। ये मतदान अधिकार शेयरधारकों की बैठक में प्रयोग करने योग्य हैं। इक्विटी शेयरों के धारक भी उनके लिए समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं।

(ग) कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले शेयरधारकों का विवरण:

विवरण	31 मार्च 2023 को		31 मार्च 2022 को	
	शेयर की संख्या	प्रतिशत	शेयर की संख्या	प्रतिशत
भारत के राष्ट्रपति	1,35,40,000	100%	35,40,000	100%

(घ) प्रवर्तकों की शेयरधारिता का विवरणरू

वित्त वर्ष 2022-23 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
President of India and their Nominees*	1,35,40,000	100%	-

वित्त वर्ष 2021-22 के अंत में प्रमोटरों द्वारा रखे गए शेयर

प्रमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	कुल का प्रतिशत	वर्ष के दौरान परिवर्तन का %
भारत के राष्ट्रपति और उनके नामांकित व्यक्ति*	35,40,000	100%	-

* 6 शेयरों की संख्या भारत के राष्ट्रपति के नामितियों के पास है

(ङ) लाभांश

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
(i) इक्विटी शेयर – वर्ष के दौरान लाभांश का भुगतान 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए अंतिम लाभांश— ₹ शून्य (31 मार्च 2020: ₹ 150.60) प्रति पूर्ण प्रदत्त शेयर। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए डीआईपीएएम से प्राप्त लाभांश के भुगतान से प्राप्त छूट के मद्देनजर प्रस्तावित लाभांश ₹ 7209.09 लाख का भुगतान नहीं किया गया।	-	5,331.24
(ii) इक्विटी शेयर – रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लाभांश को मान्यता नहीं दी गई डीआईपीएएम से प्राप्त वित्त वर्ष 2022-23 के लाभांश के भुगतान से छूट प्राप्त होने के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 2022-23 के लिए लाभांश का भुगतान नहीं संस्तुत किया गया है।	-	7,209.65





टिप्पणियाँ :

- 19.1. कंपनी के निगमन के समय, मेमोरेण्डम और एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन के ग्राहकों ने प्रत्येक ₹ 1000 के 60,00,000 इक्विटी शेयरों की सदस्यता ली थी, जिनमें से वित्त वर्ष 2021-22 तक ₹ 35,40,000 के इक्विटी शेयर ₹ 1000 प्रत्येक शेयर का सब्सक्राइबर्स द्वारा आवंटित और भुगतान किया गया है। वित्त वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक कई चरणों में भारत सरकार द्वारा प्रत्येक को ₹ 1000 के अंकित मूल्य के 35,40,000 शेयर आवंटित और भुगतान किए गए थे। ₹ 24,600 लाख (प्रत्येक ₹ 1000 अंकित मूल्य के 24,60,000 इक्विटी शेयर) के इक्विटी शेयरों के संबंध में भुगतान न की गई शेष राशि से संबंधित मामलेको नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई के साथ उठाया जाएगा या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई, भारत सरकार के निर्देश के अनुसार) वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 1,00,000 लाख ₹ 28.03.2022 को प्राप्त राशि के इंप्यूजनके समायोजन के माध्यम से लिया जाएगा जिसके लिए शेयर 28.04.2023 को आवंटित कर दिए गए।
- 19.2. निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के दिनांक 27 मई, 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंपनी को 2022-23 वर्ष के लिए 31.03.23 को निवल मूल्य का 5% या कर पश्चात लाभ (पीएटी) का 30% जो भी अधिक हो भुगतान करना होगा।
- तदनुसार, निदेशकों ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 7,209.65 लाख लाभांश यानी टैक्स के बाद लाभ का 30% प्रस्तावित किया है। हालांकि, वर्ष 2022-23 डीआईपीएम के लाभांश के भुगतान की छोओट के कारण वर्ष 2022-23 के लाभांश के भुगतान की संस्तुति नहीं की है।

नोट 20: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिधारित आय	1,36,077.33	98,393.06
शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट	-	1,00,000.00
कुल	1,36,077.33	1,98,393.06

प्रतिधारित आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	98,393.06	74,019.20
जोड़ें: लाभ और हानि के विवरण के अनुसार वर्ष के लिए लाभ	120.12	(323.07)
कम: भुगतान किया गया अंतिम लाभांश	(30.23)	81.31
घटाएं: भुगतान किए गए अंतिम लाभांश पर कर	(13.84)	(25.87)
कम: भुगतान किया गया अंतरिम लाभांश	37,587.76	29,986.00
घटाएं: भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश पर कर		(5,331.24)
प्रतिधारित आय में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता प्राप्त अन्य व्यापक आय के संदर्भ में		
परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि), कर का शुद्ध	20.46	(13.27)
जमा शेष	1,36,077.33	98,393.06



नोट 21: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआरडी)—भारत सरकार द्वारा गारंटी दी हुई		
आईबीआरडी (देखें नोट सं. 74)	219.93	-
सीटीएफ (देखें नोट सं. 74)	81.93	-
कुल	301.86	-

नोट 22: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयता — (इंड एस 116 के रूप में इंडस्ट्रीज के लिए नोट संख्या 43 देखें)	164.20	161.18
कुल	164.20	161.18

नोट 23: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिधारण धन	4,023.14	14.16
निष्पादन गारंटी जमा	4,060.33	3,700.51
एसपीडी को देय — (नोट संख्या 73 देखें)	90,896.66	87,836.99
कुल	98,980.13	91,551.66

23.1 ₹ 4,060.33 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 3,700.51 लाख) की निष्पादन गारंटी जमा में आरएफएस की शर्तों के अनुसार सौर ऊर्जा डेवलपर्स (एसपीडी) द्वारा जमा की गई जमा राशि शामिल है।

23.2 ₹ 4,023.14 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 14.16 लाख) की प्रतिधारण राशि में सेकी द्वारा छत्तीसगढ़ और लक्षद्वीप परियोजनाओं के लिए क्रमशः ₹ 3,873.57 लाख और ₹ 149.57 लाख की प्रतिधारण राशि शामिल है।

नोट 24: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	1,004.79	910.55
कुल	1,004.79	910.55

24.1 आईएनडी एस 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण नोट संख्या 44 में किया गया है।

नोट 25: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित कर देयताएँ	416.85	418.00
कुल	416.85	418.00





नोट 25.1 गैर-वर्तमान देनदारियां – आस्थगित कर देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष की शुरुआत में आस्थगित कर देनदारियां	418.00	380.84
जोड़ा : पुस्तक मूल्यहास और कर मूल्यहास में अंतर	29.15	109.02
घटाया : कर्मचारी लाभ के कारण	33.62	52.38
घटाया : दूसरों के कारण	(3.32)	19.48
वर्ष के समापन पर आस्थगित कर देनदारियां	416.85	418.00

नोट 26: अन्य गैर-वर्तमान देयताएँ

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	229.21	681.00
अप्राप्त सफलता शुल्क	5,058.75	6,555.50
कुल	5,287.96	7,236.50

26.1. लेखांकन नीति (बिंदु संख्या 1.ग.9.2.1 देखें) के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क में ₹ 229.21 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 681.00 लाख) की अग्रिम राशि शामिल है।

26.2. लेखांकन नीति अनुसार, ग्राहकों से अग्रिम रूप से प्राप्त अघोषित सफलता शुल्क में ₹ 5,058.75 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 6,555.50 लाख) में ₹ 4,568.00 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 5,992.00 लाख) उत्पादन सुविधा निविदा के साथ सौर पीवी ऊर्जा संयंत्र लिंक की अग्रिम राशि शामिल हैं। (बिंदु संख्या 1.ग.9.2.1 देखें, नोट सं. 75 देखें)

नोट 27: वर्तमान वित्तीय देनदारियां—उधार

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
मांग पर चुकौती योग्य ऋण		
बैंकों से	-	-
सुरक्षित	-	-
कैश क्रेडिट/ओडी	-	-
असुरक्षित	-	-
कैश क्रेडिट/ओडी	-	-
कुल	-	-

27.1 बैंकों से नकद ऋण/ओडी, वर्तमान और भविष्य सहित कंपनी के प्राप्तियों/ध्वही ऋणों पर प्रथम पारी पासु प्रभार द्वारा सुरक्षित है। खातों में ₹ 12,701.62 लाख (31 मार्च 2022 को: ₹ 34,325.10 लाख) का डेबिट बैलेंस है। राशि को वर्तमान वित्तीय संपत्तियों – नकद और नकद समकक्षों में दिखाया गया है (नोट संख्या 13 देखें)। अनाहरित उधार सुविधाओं के लिए नोट संख्या 50 देखें।





नोट 28: अन्य इक्विटी

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
लीज लायबिलिटी-लैंड 10MW राजस्थान (नोट नंबर 43 देखें)	12.66	12.06
कुल	12.66	12.06

नोट 29: वर्तमान वित्तीय देनदारियां – व्यापार

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
व्यापार देनदारियां		
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि (नोट संख्या 56 देखें)	-	-
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	44,451.09	44,349.95
कुल	44,451.09	44,349.95

नोट 30: वर्तमान देनदारियां – अन्य वित्तीय देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
एमएनआरई से अनुदान प्राप्त हुआ	-	123.80
पूंजीगत व्यय के विरुद्ध देय	3,276.65	18.26
व्यय के विरुद्ध देय	350.70	313.28
भुगतान सुरक्षा निधि (नोट 64 देखें)	1,50,013.49	1,27,089.40
भुगतान सुरक्षा जमा – आईएसटीएस सोलर	6,917.61	1,773.89
बिल न किए गए देय – सौर/पवन/हाइब्रिड	97,987.49	71,829.42
बैंक गारंटी नकदीकरण – विंड/फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना (नोट संख्या 72 देखें)	33,210.52	3,919.72
सुरक्षा जमा देय	411.48	408.58
वितरण के लिए सब्सिडी	36,063.63	4,040.26
एसपीडी को देय (नोट संख्या 73 देखें)	6,904.23	5,496.11
प्रतिधारण धन	179.46	411.26
उपार्जित ब्याज लेकिन देय नहीं विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआर डी एवं सीटीएफ)	0.74	-
उपार्जित वायदा प्रभार लेकिन देय नहीं विदेशी मुद्रा ऋण (आईबीआर डी एवं सीटीएफ)	20.69	-
अन्य देय	997.15	642.64
कुल	3,36,333.84	2,16,066.62





- 30.1 कंपनी द्वारा जारी विभिन्न आरएफएस की शर्तों के अनुसार, देय प्रतिभूति जमा में पार्टियों द्वारा जमा की गई राशि के लिए ₹ 411.48 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 408.58 लाख) शामिल हैं।
- 30.2 सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हाइब्रिड बिजली में बिना बिल जारी किए देय में बिजली की खरीद के लिए ₹ 97,987.49 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 71,829.42 लाख) शामिल हैं, लेकिन आरएफएस की शर्तों के अनुसार 31 मार्च 2023 तक चालान नहीं जारी किए गए थे।
- 30.3 संवितरण के लिए सब्सिडी ₹ 36,063.63 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 4,040.26 लाख) आगे संवितरण के लिए एमएनआरई से प्राप्त केंद्रीय वित्तीय सहायता की प्रति है (लेखा नीति 1.ग.21 देखें)। इसमें ₹ 854.34 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 133.80 लाख) शुद्ध ब्याज (एमएनआरई को वापस लौटाया गया ब्याज घटाकर अर्जित ब्याज) शामिल है, जो एमएनआरई को देय है।
- 30.4 अन्य देयों में ₹ 362.62 लाख (विगत वर्ष ₹ 164.37 लाख) ब्याज सहित विवाद समाधान शुल्क (नोट 71 देखें) शामिल है।
- 30.5 अन्य देयों में संचरण प्रभार से संबंधित देय संचरण प्रभार ₹ 361.01 लाख (विगत वर्ष ₹ 330.92 लाख), जिसके इन्वॉइस 31.03.2023 प्राप्त नहीं हुए हैं।

नोट 31: वर्तमान देनदारियां – प्रावधान

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान	824.86	758.16
अन्य प्रावधान	47.67	44.20
कुल	872.53	802.36

31.1 आईएनडी एस 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण नोट संख्या 44 में किया गया है।

नोट 32: वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
ग्राहकों से अग्रिम	1,620.51	4,513.70
दूसरों से अग्रिम	41.25	637.81
सुरक्षा जमा राशि	76.24	76.24
वैधानिक बकाया	1,112.71	540.96
अप्राप्त फंड हैंडलिंग शुल्क – एमएनआरई	0.65	9.43
अप्राप्त सफलता शुल्क	1,835.50	773.50
अन्य देय	3,474.69	1,676.22
कुल	8,161.55	8,227.86





- 32.1 लेखांकन नीति के अनुसार ग्राहकों से अग्रिम में प्राप्त अग्रिम सफलता शुल्क के लिए ₹ 1,620.51 लाख (31 मार्च 2022 तक, ₹ 1,712.70 लाख) शामिल हैं (बिंदु संख्या 1.ग.9.2.1 देखें)।
- 32.2 अरुणाचल प्रदेश में गांवों के ग्रामीण विद्युतीकरण के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त अग्रिम धन के लिए दूसरों से प्राप्त अग्रिम में ₹ 41.25 लाख (31 मार्च 2021 तक ₹ 637.81) शामिल हैं।
- 32.3 अन्य देय में मैसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई शून्य (विगत वर्ष ₹ 648.00 लाख) राशि शामिल है, जिसे विवाद के तहत प्राप्त धन के रूप में दर्ज किया गया है, उक्त राशि को ब्याज वाले खाते में रखा गया है और उस पर 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज ₹120.88 लाख (विगत वर्ष 89.75 लाख) है। दोनों राशि को आस्थगित रखा गया है और न्यायालय के निर्देश के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी। (नोट संख्या 67 देखें)
- 32.4 अन्य देय में रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से प्राप्त ₹ 462.41 लाख की राशि शामिल है। (नोट संख्या 63 देखें)
- 32.5 लेखांकन नीति के अनुसार, अघोषित सफलता शुल्क में अग्रिम रूप से प्राप्त सफलता शुल्क के लिए ₹ 1,835.50 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 773.50) लाख शामिल हैं। (बिंदु संख्या 1. ग 9.2.1 देखें नोट सं. 75 देखें)

नोट 33: वर्तमान देनदारियां – अन्य वर्तमान देनदारियां

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान कर दयताएँ	-	-
अग्रिम कर	-	-
प्राप्य टीडीएस	-	-
कुल	-	-

नोट 34: आस्थगित राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
आस्थगित आय—रूफटॉप हेतु अनुदान	344.34	362.33
आस्थगित राजस्व आय—प्रतिधारित राशि	505.61	9.41
आस्थगित राजस्व आय—निष्पादन गारंटी जमा	15,171.74	15,931.62
आस्थगित आय—लेह परियोजना हेतु अनुदान	-	12,500.00
कुल	16,021.69	28,803.36

- 34.1 आस्थगित आय—एमएनआरई से रूफटॉप हेतु प्राप्त सरकारी अनुदान ₹ 344.34 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 362.33 लाख) का अनुदान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 1 मेगावाट के सौर पावर संयंत्र स्थापना के लिए है।
- 34.2 आस्थगित आय— एमएनआरई से लेह परियोजना हेतु प्राप्त सरकारी अनुदान ₹ शून्य (31 मार्च 2022 को ₹ 12,500 लाख) का अनुदान फियांग, लेह में 50 मेगावाट हर्टज़ के बैटरी स्टोरेज सहित 20 मेगावाट के सौर पावर संयंत्र स्थापना के लिए है। इसके अलावा 14.07.2022 को एमएनआरई से ₹ 12500 लाख मिले और यह राशि 26.09.2022 को एमएनआरई को वापिस कर दी गई क्योंकि अप्रत्याशित भूस्खलन के कारण वहां परियोजना में देरी हुई।





नोट 35: परिचालन से राजस्व

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली की बिक्री	7,03,077.94	6,19,945.74
बिजली की बिक्री (लीज रेंटल के रूप में प्राप्त)	3,69,166.62	93,869.13
सेवाओं की बिक्री	6,261.98	11,092.31
अन्य परिचालन आय	1,000.60	3,577.61
कुल	10,79,507.14	7,28,484.79

टिप्पणियाँ:

35.1 बिजली की बिक्री कुल ₹ 4,283.67 लाख की छूट है (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2,835.08 लाख)।

35.1.1. बिजली की बिक्री में ₹ 1,00,283.85 लाख (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 74,105.25 लाख) की अनंतिम बिना बिल वाली बिक्री शामिल है, जिसके लिए पीएसए की शर्तों के अनुसार बाद के महीने में बिल बनाए जा रहे हैं।

35.2. सेवाओं की बिक्री में निम्न शामिल हैं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्शी आय	435.67	1,481.08
परियोजना निगरानी शुल्क	4,590.05	8,894.53
अन्य	1,236.26	716.70
कुल	6,261.98	11,092.31

35.2.1 पीटीसी के साथ की अनुबंध के संबंध में ₹ 24.37 लाख (31 मार्च, 2022 को ₹ 31.08 लाख) 0.07 पैसा प्रति यूनिट व्यापार मार्जिन 25.50% (कर सहित) अन्य अस्थायी बिलरहित राजस्व की हिस्सेदारी, जिसके लिए आगामी माह में बिल जारी किया जा रहा है।

35.3. अन्य परिचालन आय में निम्न शामिल हैं

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निविदा शुल्क	644.16	1,656.61
रूफटॉप अन्य प्राप्तियां (नोट 68 देखें)	1.78	1.31
आस्थगित आय—सरकारी अनुदान	17.99	17.99
विभिन्न	336.67	1,901.70
कुल	1,000.60	3,577.61



नोट 36: अन्य आय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय	5,186.19	859.96
आस्थिगत राजस्व आय – निष्पादन गारंटी जमा	759.88	760.94
आस्थिगत राजस्व आय – देय प्रतिधारित राशि	18.03	22.56
प्राप्य जमा प्रतिभूति पर छूट त्यागना	0.39	0.35
अन्य – गैर परिचालन आय	22.60	27.62
कुल	5,987.09	1,671.43

36.1. ब्याज आय में मियादी जमा पर ब्याज/ऑटोस्वीप मियादी जमा संग्रहण एवं कर्मचारियों को वाहन अग्रिम ₹ 5186.19 लाख (31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 859.19 लाख)

नोट 37: सौर ऊर्जा की खरीद

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सौर ऊर्जा की खरीद	6,75,335.52	5,99,635.93
सौर ऊर्जा की खरीद (लीज रेंटल के रूप में भुगतान)	3,58,990.18	91,029.94
कुल	10,34,325.70	6,90,665.87

37.1 बिजली की खरीद में कुल ₹ 15,584.78 लाख की छूट है (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 8,694.24 लाख)।

37.2 बिजली की खरीद में ₹ 97,987.49 लाख (31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 71,829.42 लाख) की अनंतिम बिल न की गई खरीद शामिल है, जिसके लिए पीपीए की शर्तों के अनुसार अगले महीने में बिल प्राप्त किए जा रहे हैं।

नोट 38: कर्मचारी लाभ व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ	2,783.47	2,452.11
भविष्य और अन्य निधियों में योगदान	389.58	348.61
कर्मचारी कल्याण	23.82	52.84
कुल	3,196.87	2,853.56

38.1 वेतन, मजदूरी, भत्ते और लाभ और निधियों में योगदान में पीआरपी के लिए प्रावधान शामिल है। (नोट संख्या 59 देखें।)

38.2 आईएनडी एस 19 के अनुसार 'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण नोट संख्या 44 में किया गया है।





नोट 39: वित्त लागत

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋण पर ब्याज (सरकारी गारंटी शुल्क सहित)	359.06	8.11
निष्पादन गारंटी जमा पर छूट को समाप्त करना	324.39	299.32
देय प्रतिधारण धन पर छूट को समाप्त करना	18.51	22.66
लीज देयता पर वित्त लागत (आईएनडी एस 116)	15.68	15.33
बीजी/एलसी प्रभार	96.76	62.18
आस्थगित राजस्व व्यय सुरक्षा जमा प्राप्य से मान्यता प्राप्यताएँ	0.76	0.76
कुल	815.16	408.36

39.1 कंपनी ने आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 10,000 लाख की गैर निधि आधारित क्रेडिट सीमा स्वीकृत प्राप्त की है, येस बैंक से ₹ 15,000 लाख, एक्सिस बैंक से ₹ 17,499 लाख और एचडीएफसी बैंक से ₹ 50,000 लाख।

नोट 40: मूल्यहास, परिशोधन और क्षति व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर – (नोट 2 देखें)	689.89	683.45
उपयोग के अधिकार पर – (नोट 3 देखें)	771.56	709.73
अमूर्त संपत्ति पर – (नोट 5 देखें)	288.82	289.91
कुल	1,750.27	1,683.09

नोट 41: अन्य व्यय

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
विज्ञापन और प्रचार	553.84	236.18
लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक	8.57	7.87
बैंक प्रभार	0.99	1.20
बीमा व्यय	0.90	0.66
कानूनी और व्यावसायिक शुल्क	692.81	620.11
लाइसेंस शुल्क	40.00	40.00
संपत्ति की बिक्री पर हानि/बढ़े खाते में डाला गया	1.91	1.41
बैठक व्यय	171.62	28.91
सदस्यता शुल्क	16.82	6.30
विविध व्यय	91.26	103.96





विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कार्यालय की मरम्मत और रखरखाव	61.19	71.13
मुद्रण, डाक और स्टेशनरी	18.91	52.05
व्यावसायिक पुस्तकें और पत्रिकाएँ	0.60	7.16
किराया	7.44	27.29
भवन की मरम्मत और रखरखाव	196.65	163.49
सेकी स्थापना दिवस व्यय	227.87	142.69
सुरक्षा और जनशक्ति व्यय	506.85	555.82
प्रायोजन व्यय	37.88	1.18
समर्थन सेवा शुल्क	1.29	2.86
टेलीफोन, मोबाइल व्यय और इंटरनेट व्यय	74.56	67.98
प्रशिक्षण और भर्ती व्यय	3.08	52.36
यात्रा और परिवहन व्यय	231.06	153.49
पानी, बिजली और बिजली शुल्क	104.96	97.22
वाहन किराया/चलाना और रखरखाव व्यय	88.89	105.53
संचालन और रखरखाव खर्च	138.21	118.93
अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान (हानि)	8.18	85.60
दान	0.28	-
प्रावधान अन्य	3.47	3.47
एसएपी-ओ एंड एम लागत	227.51	232.69
उप जोड़	3,517.60	2,987.54
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नोट संख्या 68 देखें)	477.35	447.04
कुल	3,994.95	3,434.58

41.1 लेखापरीक्षकों को भुगतान के संबंध में विवरण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखा परीक्षकों के रूप में		
ऑडिट फीस	7.79	7.08
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.78	0.79
कुल	8.57	7.87





नोट 42: भारतीय लेखा मानक-12 आय कर के अनुसार प्रकटीकरण

क) आयकर व्यय

(i) लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वर्तमान कर व्यय		
वर्तमान वर्ष	10,796.21	7,899.69
चालू पिछले वर्ष के लिए समायोजन	6.89	18.74
कुल वर्तमानकर व्यय	10,803.10	7,918.43
आस्थगित कर व्यय		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और उत्क्रमण	(8.03)	41.62
कुल आस्थगित कर व्यय	(8.03)	41.62
कुल आस्थगित कर व्यय	10,795.07	7,960.05

(ii) अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवलकर	कर पूर्व	कर व्यय/(लाभ)	निवलकर
परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि)।	27.34	(6.88)	20.46	(17.73)	4.46	(13.27)

(iii) कर व्यय और लेखा लाभ का भारत की घरेलू कर दर से गुणा करने पर मिलान

₹ लाख

विवरण	को समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
कर पूर्व लाभ	48,382.84	37,946.05
कंपनी की घरेलू कर दर 25.168: (पीवाई 25.168%) का उपयोग कर कर	12,176.99	9,550.26
का कर प्रभाव:		
जोड़ें/(कम करें): पिछले वर्ष का कर	6.89	18.74
जोड़ें/(कम): आस्थगित कर व्यय	(8.03)	41.62
जोड़ें: आयकर में व्यय की अनुमति नहीं है (शुद्ध)	139.57	74.26
कम: छूट प्राप्त आय	234.25	(4.53)
लाभ और हानि के विवरण के अनुसार कर	10,795.07	7,960.05





43. भारतीय लेखा मानक-116 'लीज'के अनुसार प्रकटीकरण

1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इंडएएस 116 लीज को अपनाया और 1 अप्रैल, 2019 को संशोधित पूर्वव्यापी पद्धति का उपयोग करते हुए, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मौजूदा सभी लीज अनुबंधों के लिए मानक लागू किया।

संपत्ति उपयोग के अधिकार के वहन मूल्य में परिवर्तन

30 मार्च, 2023 तक:

₹ लाख

विवरण	संपत्ति उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	विद्युत खरीद अनुबंध	कुल
1 अप्रैल, 2022 तक शेष	20,063.62	293.29	-	20,356.91
पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
हटाए गए	-	-	-	-
ऋणमुक्ति	758.61	12.95	-	771.56
31 मार्च, 2023 तक शेष	19,305.01	280.34	-	19,585.35

30 मार्च, 2022 तक:

₹ लाख

विवरण	संपत्ति उपयोग का अधिकार			
	भवन	भूमि	विद्युत खरीद अनुबंध	कुल
1 अप्रैल, 2021 तक शेष	20,801.95	306.24	-	21,108.19
पुनर्वर्गीकरण	-	-	-	-
परिवर्धन	-	-	-	-
हटाए गए	(41.55)	-	-	(41.55)
ऋण मुक्ति	696.78	12.95	-	709.73
31 मार्च, 2022 तक शेष	20,063.62	293.29	-	20,356.91

लाभ और हानि के विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय के तहत उपयोग संपत्ति के अधिकार पर कुल मूल्यह्रास व्यय शामिल है।

वर्तमान और गैर-वर्तमान को निम्नलिखित दर्शाया गया है

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्ष के अंत में लीज देयता	176.86	173.24
वर्तमान पट्टा देयता	12.66	12.06
गैर-वर्तमान पट्टा देयता	164.20	161.18





31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टादेयता में निम्नलिखित उतार-चढ़ाव रहा:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	173.24	169.40
परिवर्धन:		
अवधि के दौरान अर्जित वित्त लागत	15.68	15.33
हटाना:		
लीज देयता का भुगतान	12.06	11.49
जमा शेष	176.86	173.24

पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिपक्वता विश्लेषण – संविदात्मक गैर-बढ़ागत नकदी प्रवाह		
एक वर्ष से कम	12.66	12.06
एक से पांच साल	73.47	69.98
पांच साल से ज्यादा	401.49	417.65
वर्ष के अंत में कुल बिना छूट वाली लीज देनदारी	487.62	499.69
वर्ष के अंत में वित्तीय स्थिति के विवरण में शामिल पट्टा देयताएं	176.86	173.24

लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त राशि

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
पट्टा देयताओं पर ब्याज	15.68	15.33
ऋणमुक्ति	771.56	709.73
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान पट्टे की देनदारियों के माप में शामिल नहीं है (पीपीए के तहत सौर/पवन/हाइब्रिड/फ्लोटिंग पावर प्लांट)	3,58,990.18	91,029.94
संपत्ति के उपयोग के उप-पट्टे के अधिकार से आय	-	-
अल्पावधि पट्टों से संबंधित व्यय	7.44	27.29
लघु अवधि के पट्टों को छोड़कर कम मूल्य की संपत्तियों के पट्टों से संबंधित व्यय	-	-

विभिन्न बिजली खरीद समझौतों/बिजली बिक्री समझौतों (पीपीए/पीएसए) के अनुसार व्यवस्था को पट्टे के रूप में माना जाता है जहां सौर ऊर्जा डेवलपर्स को भुगतान/डिस्कॉम से प्राप्तियां पूरी तरह से सौर ऊर्जा संयंत्रों द्वारा उत्पन्न उत्पादन पर निर्भर करती हैं। आईएनडी एस 116 की शुरुआत के दौरान कंपनी ने व्यावहारिक उपाय का विकल्प चुना है और तदनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को पट्टे के रूप में नहीं माना जाता है। 1 अप्रैल 2019 के बाद दर्ज किए गए पीपीए/पीएसए को लीज के रूप में माना जाता है और परिवर्तनीय भुगतान/रसीदों को लीज रेंटल के रूप में प्रकट किया जाता है (पीपीए को लीज के रूप में माना जाता है/पीएसए को लीज के रूप में माना जाता है)।

सेकी ने डीआरडीओ परिसर, कोलार कर्नाटक में 10 मेगावाट सौर परियोजना की स्थापना के लिए डीआरडीओ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उपरोक्त एमओयू के अनुसरण में, डीआरडीओ ने उपयोग के अधिकार के आधार पर लीज भूमि के लिए 11.02.2019 को लाइसेंस डीड/लैंड यूज परमिशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते की शर्तों के अनुसार, डीआरडीओ ने पीपीए की 25 वर्षों की पूरी अवधि के लिए निर्धारित ₹ 1 (प्रति माह) के मामूली पट्टे पर 50 एकड़ भूमि प्रदान की है, जिसे पारस्परिक रूप से तय की गई अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। लीज रेंट बिजली की आपूर्ति शुरू होने की तारीख से देय है। परियोजना 23.10.2020 को कमीशन की गई है। सेकी ने उपरोक्त लीज भुगतान को आरओयू एसेट के रूप में मान्यता नहीं दी है क्योंकि लीज भुगतान बहुत ही कम है।





44. इंडस्ट्रीज एस-19 के अनुसार प्रकटीकरण, कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजनाएँ:

भविष्य निधि में नियोक्ता का योगदान:

कंपनी पूर्व निर्धारित दरों पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को भविष्य निधि में योगदान का भुगतान करती है। मान्यता प्राप्त व्यय राशि (प्रशासन शुल्क सहित) और लाभ और हानि खाते पर प्रभारित शुल्क इस प्रकार है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ईपीएफओ को प्रदत्त/देय राशि	166.18	148.46
प्रतिनियुक्त अधिकारियों के मूल संगठन को प्रदत्त राशि	-	-
घटाया: अनुदान/पूँजीगत में अंतरित	-	-
लाभ और हानि खाते में व्यय के रूप में मान्य राशि	166.18	148.46

पेंशन योजना में नियोक्ता का योगदान:

अपने कर्मचारियों के लिए कंपनी की परिभाषित अंशदान पेंशन योजना जो 1 जून 2012 से प्रभावी है, को एमएनआरई द्वारा अनुमोदित किया गया है। योजना के अनुसार, सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन ट्रस्ट मासिक आधार पर एलआईसी को पूर्व निर्धारित दरों पर निश्चित अंशदान का भुगतान करता है।

परिभाषित लाभ योजना

उपदान:

कंपनी के पास परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है, सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) पर ग्रेच्युटी का हकदार है, जो अधिवर्षिता पर अधिकतम ₹ 20 लाख है। इस्तीफा, समाप्ति, अक्षमता या मृत्यु पर। उपदान के प्रति देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा योजना (पीआरएमएस):

कंपनी ने सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा योजना तैयार की है, जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसके पति या पत्नी को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वे कंपनी द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा खर्चों की देयता प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर शुद्ध परिभाषित संपत्ति/देयता की स्थिति निर्धारित करती है

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन:				
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष की शुरुआत	276.17	207.23	101.04	71.38
अधिग्रहण समायोजन	2.59	-	-	-
वर्तमान सेवा लागत	46.96	47.26	17.90	14.34
ब्याज लागत	19.33	14.34	7.07	4.93





विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(8.78)	-	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानिद्ध	(20.02)	7.34	(7.32)	10.39
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष के अंत	316.25	276.17	118.69	101.04

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	316.25	276.18	118.69	101.04
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
शुद्ध देयता	316.25	276.18	118.69	101.04
बैलेंस शीट में राशि:				
वर्तमान में देयता	26.27	12.58	0.79	1.16
गैर मौजूदा देनदारिया	289.98	263.59	117.90	99.88
शुद्ध देयता	316.25	276.18	118.69	101.04

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्तमान सेवा लागत	46.96	47.26	17.90	14.34
शुद्ध ब्याज	19.33	14.34	7.07	4.94
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	66.29	61.60	24.97	19.28

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ब्याज व्यय/(आय)	19.33	14.34	7.07	4.94
शुद्ध ब्याज	19.33	14.34	7.07	4.94



बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
बीमांकिक लाभ/(हानि) दायित्व पर	20.02	(7.34)	7.32	(10.39)
शुद्ध ब्याज को छोड़कर प्लान एसेट्स पर रिटर्न	-	-	-	-
(ओसीआई) में मान्यता प्राप्त कुल बीमांकिक लाभ/(हानि)	20.02	(7.34)	7.32	(10.39)

बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
बीमांकिक जनसांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली (लाभ)/हानि	-	-	-	-
बीमांकिक वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली (लाभ)/हानि	(16.40)	(2.94)	-	-
बीमांकिक अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न (लाभ)/हानि	(3.62)	10.28	(1.31)	29.15
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(20.02)	7.34	(1.31)	29.15

शुद्ध ब्याज को छोड़कर योजना परिसंपत्ति पर आय

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	-	-	-	-
शुद्ध ब्याज में शामिल ब्याज आय	-	-	-	-
शुद्ध ब्याज को छोड़कर योजना संपत्ति पर वास्तविक आय	-	-	-	-

योजना संपत्तियों से कम परिभाषित लाभ दायित्व के साथ वित्त पोषित योजनाओं की जानकारी:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्व	-	-	-	-
योजना की संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
शुद्ध देयता	-	-	-	-





बीमांकिक अनुमान:

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के लिए लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएँ नीचे दी गई हैं:

₹ लाख

विवरण	ग्रेच्युटी		पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (पीआरएमबी)	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
छूट की दर	7.38%	7.00%	7.38%	7.00%
मृत्यु दर	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)	100 % of IALM (2012-14)
अपेक्षित औसत शेष सेवाएं (वर्षों में)	24.40	24.97	24.40	24.97
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी संघर्षण दर: (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.95	19.23	18.95	19.23

संवेदनशीलता का विश्लेषण :

नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.50% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

मान्यता	धारणा में परिवर्तन	दायित्व ग्रेच्युटी के पीवी में परिवर्तन	धारणा में परिवर्तन	दायित्व पीआरएमबी के पीवी में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(19.84)	0.50% की वृद्धि	(9.89)
	0.50% की कमी	21.93	0.50% की कमी	10.10
पीआरएमबी के मामले में वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	14.56	0.50% की वृद्धि	10.14
	0.50% की कमी	(15.61)	0.50% की कमी	(9.99)

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

₹ लाख

वर्ष	राशि	
	ग्रेच्युटी	पीआरएमबी
0 से 1 वर्ष	26.27	0.79
1 से 2 वर्ष	5.60	2.90
1 से 2 वर्ष	19.38	2.32
3 से 4 वर्ष	16.08	1.11
4 से 5 वर्ष	4.97	1.24
5 से 6 वर्ष	20.92	3.26
6 वर्ष बाद	223.03	97.58





अर्जित अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ अवकाश नकदीकरण योजना बनाई है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्जित पत्तियों के नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

अर्ध-वेतन अवकाश नकदीकरण

कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए अर्ध-वेतन अवकाश नकदीकरण लाभ प्लान परिभाषित किया है। इस योजना के तहत वे कुछ सीमाओं और उसी के लिए निर्दिष्ट अन्य शर्तों के अधीन अर्धवेतन अवकाश के नकदीकरण के हकदार हैं। अवकाश नकदीकरण की देयता बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की गई है। इस देयता का निधियन नहीं किया जाता है।

निम्नलिखित तालिका तुलन पत्र की तिथि के अनुसार इस संबंध में प्राप्त बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर शुद्ध परिभाषित संपत्ति/देयता की स्थिति निर्धारित करती है:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्वों में परिवर्तन:				
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष की शुरुआत	373.54	304.24	146.11	109.35
अधिग्रहण समायोजन	-	-	0.52	-
वर्तमान सेवा लागत	65.48	63.74	26.49	27.08
ब्याज लागत	26.15	21.05	10.23	7.57
पिछली सेवा लागत	-	-	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(57.76)	(44.70)	-	-
बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.50	29.21	(17.49)	2.11
परिभाषित लाभ दायित्व, वर्ष के अंत	413.91	373.54	165.86	146.11

तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	413.91	373.54	165.86	146.11
योजना संपत्ति का उचित मूल्य	-	-	-	-
शुद्ध देयता	413.91	373.54	165.86	146.11
तुलन पत्र में राशि:				
वर्तमान में दायित्व	22.41	21.56	15.66	6.22
गैर मौजूदा देनदारियाँ	391.50	351.98	150.20	139.89
शुद्ध देयता	413.91	373.54	165.86	146.11





लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त कुल राशि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्तमान सेवा लागत	65.48	63.74	26.49	27.08
शुद्ध ब्याज	26.15	21.05	10.23	7.57
अवधि में मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ) या हानि	6.50	29.21	(17.49)	2.11
लाभ या हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त कुल व्यय	98.13	114.00	19.23	36.76

शुद्ध ब्याज में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
ब्याज व्यय/(ब्याज आय)	26.15	21.05	10.23	7.57
शुद्ध ब्याज	26.15	21.05	10.23	7.57

बीमांकिक (लाभ)/दायित्व पर हानि में शामिल हैं:

₹ लाख

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
बीमांकिक (लाभ)/जन सांख्यिकीय मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानि	0.16	-	0.06	-
बीमांकिक (लाभ)/वित्तीय धारणाओं में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियाँ	(22.62)	(4.17)	(8.48)	(1.54)
बीमांकिक (लाभ)/योजना देयताओं पर अनुभव समायोजन में परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली हानियाँ	28.96	33.38	(9.06)	3.65
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	6.50	29.21	(17.48)	2.11

अवकाश नकदीकरण के लिए लेखांकन में उपयोग की जाने वाली धारणाएँ नीचे दी गई हैं:

विवरण	अर्जित अवकाश देयता		आधा वेतन छुट्टी देयता	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
छूट की दर	7.38%	7.00%	7.38%	7.00%
नश्वरता	100% of IALM (2012-14)		100% of IALM (2012-14)	
अपेक्षित औसत शेष सेवाएं	24.40	24.97	24.39	24.97
सेवानिवृत्ति आयु	60.00	60.00	60.00	60.00
कर्मचारी संघर्षण दर: (% में)				
30 वर्ष तक	3.00	3.00	3.00	3.00
31 से 44 वर्ष तक	2.00	2.00	2.00	2.00
44 वर्ष से ऊपर	1.00	1.00	1.00	1.00
पीबीओ की भारित औसत अवधि	18.95	19.23	18.95	19.23





नीचे दी गई तालिका छूट दर की अनुमानित दर में 0.5% की कमी/वृद्धि की स्थिति में सेवा लागत, ब्याज लागत और परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव को रेखांकित करती है।

मान्यता	अवधारणा में परिवर्तन	दायित्व अर्जित अवकाश देयता के पीवी में परिवर्तन	अवधारणा में परिवर्तन	अर्ध वेतन अवकाश की पीवी दायित्व में परिवर्तन
छूट दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	(27.48)	0.50% की वृद्धि	(24.73)
	0.50% की कमी	29.92	0.50% की कमी	27.11
पीआरएमबी के मामले में वेतन वृद्धि दर/चिकित्सा लागत दर में परिवर्तन का प्रभाव	0.50% की वृद्धि	30.33	0.50% की वृद्धि	27.31
	0.50% की कमी	(27.69)	0.50% की कमी	(24.88)

परिभाषित लाभ दायित्व की परिपक्वता प्रोफाइल

₹ लाख

वर्ष	राशि	
	अर्जित अवकाश देयता	अर्ध वेतन छुट्टी देयताएं
0 से 1 वर्ष	22.41	15.67
1 से 2 वर्ष	8.33	3.42
से 3 वर्ष	24.14	10.41
3 से 4 वर्ष	26.49	9.17
4 से 5 वर्ष	6.63	2.53
5 से 6 वर्ष	32.97	11.61
6 वर्ष बाद	292.94	113.07

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

सेवानिवृत्ति के बाद अधिवर्षिता लाभ

कर्मचारियों के वेतनमान (औद्योगिक डीए पैटर्न) के संशोधन पर डीपीई दिशानिर्देशों में मूल वेतन और डीए के 30% तक सेवानिवृत्ति लाभ शामिल हैं जिसमें पीएफ, ग्रेच्युटी, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन शामिल हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, सीपीएसई को इस संबंध में अपनी स्वयं की योजनाएं बनानी हैं। ग्रेच्युटी और पीआरएमएस के लिए प्रावधान एक्चुरियल वैल्यूएशंस के आधार पर किया जाता है क्योंकि देयता का निधियन नहीं किया जाता है। हालांकि सभी कर्मचारियों को वास्तविक भुगतान कथित डीपीई सीमा तक ही सीमित होगा।

प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के लिए डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार किए गए प्रावधानों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	विवरण	2022 को समाप्त वर्ष के लिए	2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	परिभाषित अंशदान योजना – भविष्य निधि	157.56	139.93
2	परिभाषित अंशदान योजना – पेंशन	131.30	116.61
3	परिभाषित लाभ योजना- ग्रेच्युटी	46.28	69.28
4	परिभाषित लाभ योजना – पीआरएमएस	17.64	30.57
5	सेवानिवृत्ति के बाद अन्य लाभ	-	-
	कुल	352.77	356.39





जोखिम अनावरण

इसकी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से, यह कई जोखिमों के संपर्क में है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नीचे विस्तृत हैं:

(क) संपत्ति की अस्थिरता:

कंपनी के पास अपने दायित्वों के संबंध में कोई योजना संपत्ति नहीं है। इसलिए यह इस संबंध में किसी भी जोखिम के संपर्क में नहीं है।

(ख) छूट दर में परिवर्तन:

छूट दर में कमी से योजना देनदारियों में वृद्धि होगी, हालांकि यह आंशिक रूप से योजनाओं की बॉन्ड होल्डिंग्स के मूल्य में वृद्धि से ऑफसेट होगी।

(ग) मुद्रास्फीति जोखिम:

पेंशन योजनाओं में पेंशनों को भुगतान मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं है, इसलिए यह कम भौतिक जोखिम है।

(घ) जीवन प्रत्याशा:

पेंशन योजना के दायित्व सदस्य के जीवन के लिए लाभ प्रदान करने के लिए हैं, इसलिए जीवन प्रत्याशा में वृद्धि से योजनाओं की देनदारियों में वृद्धि होगी। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुद्रास्फीति बढ़ने से जीवन प्रत्याशा में परिवर्तन के प्रति उच्च संवेदनशीलता होती है। कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि निवेश की स्थिति एक परिसंपत्ति-देयता मिलान (एएलएम) ढांचे के भीतर प्रबंधित की जाती है जिसे कर्मचारी लाभ योजनाओं के तहत दायित्वों के अनुरूप दीर्घकालिक निवेश प्राप्त करने के लिए विकसित किया गया है। इस ढांचे के भीतर, कंपनी का एएलएम उद्देश्य परिपक्वता के साथ लंबी अवधि की निश्चित ब्याज प्रतिभूतियों में निवेश करके पेंशन दायित्वों के लिए संपत्ति का मिलान करना है जो कि देय होने पर और उपयुक्त मुद्रा में लाभ भुगतान से मेल खाती है। कंपनी सक्रिय रूप से निगरानी करती है कि निवेश की अवधि और अपेक्षित प्रतिफल कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले अपेक्षित नकदी बहिर्वाह से कैसे मेल खाते हैं। कंपनी ने पिछली अवधियों से अपने जोखिमों को प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं को नहीं बदला है। निवेश अच्छी तरह से विविध हैं, जैसे कि किसी एकल निवेश की विफलता का संपत्ति के समग्र स्तर पर भौतिक प्रभाव नहीं होगा।

45. सरकारी अनुदान के लिए इंडस्ट्रीज एस 20 लेखांकन के अनुसार प्रकटीकरण और सरकारी सहायता का प्रकटीकरण:

उपलब्धि से जुड़ी प्रोत्साहन/पुरस्कार योजना के तहत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इमारतें विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 1 मेगावाट पी क्षमता के ग्रिड से जुड़े छत सौर ऊर्जा संयंत्रों की कुल क्षमता के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान एमएनआरई से ₹ 450 लाख प्राप्त हुए थे। ₹ 450 लाख में से ₹ 105.66 लाख का परिशोधन 31 मार्च 2023 तक किया जा चुका है। (लेखा नीति संख्या 1.ग.9 देखें।)

46. इंड एस 21 के तहत प्रकटीकरण 'विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव'

लाभ/(हानि) में मान्यता प्राप्त विनिमय अंतर की राशि ₹ 0.40 लाख है (31 मार्च 2022 ₹ 0.10 लाख)।





47. लेखा मानक 24 के अनुसार प्रकटीकरण 'संबद्ध पक्षकारों का प्रकटीकरण'

क) संबंधित पक्षकारों की सूची

i) संयुक्त उद्यम:

1. आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
2. हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड
3. कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
4. लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
5. रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड
6. रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड

ii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

श्रीमती सुमन शर्मा	प्रबंध निदेशक
श्री सी. कन्नन	निदेशक (वित्त)
श्री शैलेश कुमार मिश्रा*	निदेशक (विद्युत प्रणाली)
श्री संजय शर्मा	निदेशक (सौर)
श्री इंदु शेखर चतुर्वेदी**	अध्यक्ष
श्री भूपिंदर सिंह भल्ला***	अध्यक्ष
श्री विमलेंद्र आनंद पटवर्धन****	सरकार नामांकित निदेशक
श्री पदम लाल नेगी*****	सरकार नामांकित निदेशक
श्रीमती रश्मि सिंह	स्वतंत्र निदेशक
श्री राजकुमार सुदाम बड़ोले*****	स्वतंत्र निदेशक
श्री सुनील कुमार	कंपनी सचिव

* 5 फरवरी, 2023

** 31 अक्टूबर, 2022 तक

*** 01 नवंबर, 2022 से

**** 27 फरवरी, 2023 तक

***** 27 फरवरी, 2023 से

***** 28 अप्रैल, 2022 से

iii) रोजगार पश्चात हित लाभ योजना:

1. सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना

iv) एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

कंपनी एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सीपीएसयू) है जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकांश शेयरों को धारण करके नियंत्रित किया जाता है (नोट संख्या 18 देखें)। इंड एस 24 के अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, जिन संस्थाओं पर एक ही सरकार का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है, या महत्वपूर्ण





प्रभाव है, तो रिपोर्टिंग इकाई और अन्य संस्थाओं को संबंधित पक्षों के रूप में माना जाएगा। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणों में सीमित खुलासे किए हैं। ऐसी संस्थाएं जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेन-देन शामिल हैं, लेकिन एनटीपीसी लिमिटेड, आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड आदि तक सीमित नहीं हैं।

ख. संबंधित पार्टियों के साथ लेनदेन इस प्रकार हैं:

संयुक्त उपक्रम

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
i) वर्ष के दौरान वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री/खरीद		
कंपनी द्वारा प्राप्त सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए अनुबंध	-	-
कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए कार्यों/सेवाओं के लिए अनुबंध	-	-
माल की बिक्री/खरीद	-	-
ii) कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति	-	-
iii) प्राप्त लाभांश	948.75	881.45
iv) किए गए इक्विटी अंशदान	-	-
v) दिए गए ऋण	-	-
vi) प्राप्त गारंटी	-	-

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सेकी परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना		
वर्ष के दौरान किया गया योगदान	131.30	116.61
प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को मुआवजा		
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	336.84	270.44
पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अन्य लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स	36.80	28.94
अन्य लाभ	18.85	41.40
कुल	523.79	457.39





एक ही सरकार के नियंत्रण में संबंधित पार्टियों के साथ लेन-देन

₹ लाख

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
1	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड	बिजली, पानी और रखरखाव शुल्क	268.66	241.47
2	एनटीपीसी लिमिटेड	1000 मेगावाट सीपीएसयू योजना के तहत जारी अनुदान	3,225.00	-
		निविदा शुल्क प्राप्त हुआ	-	18.00
		सौर ऊर्जा की खरीद	8,033.26	794.34
		सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	-	40.26
		परियोजना निगरानी शुल्क प्राप्त हुआ	-	18.88
3	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	निविदा शुल्क प्राप्त	18.00	53.99
		परियोजना निगरानी शुल्क प्राप्त	767.00	1,121.00
		सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	35,976.40	-
4	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	सौर ऊर्जा की बिक्री-स्वयं की परियोजना	1,243.19	1,333.32
5	पॉवर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ	-	16.99
		सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान जारी	-	12,800.00
		चिकित्सा पश्चात लाभ न्यास	2.19	2.17
6	सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड	परामर्श आय	80.04	1,071.05
		अनुदान - सीपीएसयू - सरकार निर्माता योजना	-	2,737.00
7	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	डीडीयूजीजेवाई के तहत भुगतान जारी	757.82	-
8	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड	निविदा दस्तावेज व्यय	-	5.90
		सफलता शुल्क प्राप्त	-	1,416.00
9	मुख्य निर्माण अभियंता (आर एंड डी)(पीटी-डीआरडीओ)	बिजली की बिक्री - खुद की परियोजनाएं डीआरडीओ	717.79	697.93
		ऊर्जा शुल्क	-	15.06
		एसएलडीसी प्रभार	5.68	1.26
10	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	सोलर पार्क योजना के तहत अनुदान	10,935.50	5,083.98
			62,030.53	27,468.60





ग. संबंधित पक्षों के पास बकाया राशि

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
वसूली योग्य राशि		
संयुक्त उद्यमों से	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	709.63	1,539.49
संबंधित पक्षों के संदिग्ध ऋणों के संबंध में प्रावधान		
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	207.84	232.06
देय राशि		
संयुक्त उद्यमों के लिए .	-	-
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को .	-	-
एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं से	271.84	283.68

घ. व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण लेनदेन

₹ लाख

विवरण	रिश्ते की प्रकृति	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
सोलर पार्क के लिए ग्रांट जारी			
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	252.00	-
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	संयुक्त उद्यम	10,935.50	5,083.98

इ प्रवर्तकों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पार्टियों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को या तो अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण या अग्रिम के संबंध में प्रकटीकरण दिया जाता है:

(क) मांग पर प्रतिदेय;

(ख) निर्दिष्ट किए बिना चुकौती की कोई शर्तें या अवधि

विवरण	वर्तमान अवधि		पिछली अवधि	
	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण की राशि या अग्रिम	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत	बकाया ऋण की प्रकृति में ऋण की राशि या अग्रिम	ऋण की प्रकृति में कुल ऋण और अग्रिम का प्रतिशत
प्रमोटर	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
निदेशक	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
केएमपी	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
सम्बन्धित दल	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं
कुल	शून्य	नहीं	शून्य	नहीं





48. भारतीय लेखा मानक 33 'प्रति शेयर आय' के अनुसार

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) मूल और मिश्रित आय प्रति शेयर (₹ में)	277.61	821.63
प्रति शेयर नाममात्र मूल्य	1,000.00	1,000.00
(ii) इक्विटी शेयरधारकों के कारण लाभ (अंश के रूप में प्रयुक्त) (₹ लाख)		
संचालन से	37,587.76	29,986.00
(iii) इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (हर के रूप में प्रयुक्त) (संख्या)	1,35,40,000	36,49,589

49. भारतीय लेखा मानक 37 'प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति' प्रावधानों में बदलाव के अनुसार प्रकटीकरण

49.1 प्रावधानों में बदलाव

विवरण	संदिग्ध ऋणों और अन्य के लिए प्रावधान	
	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष की शुरुआत में राशि	302.07	213.75
वर्ष के दौरान परिवर्धन	11.65	89.07
वर्ष के दौरान उपयोग की जाने वाली राशि	(16.38)	-
वर्ष के दौरान उत्क्रमण/समायोजन	(8.26)	(0.75)
वर्ष के अंत में राशि	289.08	302.07

49.2 आकस्मिक देयताएं

- 49.2.1 वाणिज्यिक और आवासीय स्थान के लिए एनबीसीसी के साथ कंपनी की बुकिंग के संबंध में, एनबीसीसी ने 31 मार्च 2023 तक कंपनी द्वारा भुगतान की गई दस किस्तों पर ₹ 518.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 518.64 लाख) की राशि के भुगतान अनुसूची में सेवा कर का उल्लेख किया है। हालांकि, एनबीसीसी द्वारा अभी तक इसकी मांग नहीं की गई है। जब भी एनबीसीसी द्वारा इसकी मांग की जाएगी लागू सेवा कर ध्वीएसटी दरों पर इसका भुगतान एनबीसीसी को किया जाएगा, । इसके अलावा, एनबीसीसी को 31.03.2023 तक भुगतान की गई राशि को खातों की बहियों में आवासीय इकाई और वाणिज्यिक इकाई के लिए आरओयू संपत्ति के रूप में दिखाया गया है। तदनुसार, लेखा पुस्तकों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 49.2.2 31 मार्च 2022 तक, सौर ऊर्जा डेवलपर्स की कानून के दावों में बदलाव से संबंधित 2 याचिकाएं माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष लंबित हैं। इसके अलावा कुछ डेवलपर्स (10) ने समीक्षा के लिए माननीय एपीटीईएल के समक्ष कानून के दावों में बदलाव के संबंध में सीईआरसी के आदेश को चुनौती दी है। दावे की राशि आकस्मिक है क्योंकि दावा राशि विभिन्न दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर निर्भर करती है जो अभी तक डेवलपर्स द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और माननीय सीईआरसी/एपीटीईएल के आदेश पर निर्भर करते हैं। इसके अलावा, यह संबंधित खरीद उपयोगिताओं से बैंक टू बैंक आधार पर वसूली योग्य होगा। इसके अलावा कुछ डिस्कॉम ने कानून के दावों में बदलाव के संबंध में माननीय एपीटीईएल के समक्ष याचिका दायर की है लेकिन इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। माननीय एपीटीईएल द्वारा सेकी द्वारा बताई गई समाधान राशि पर कोई विपरीत निर्णय भविष्य की वार्षिकियों से तुरंत समायोजित किया जाएगा और अतिरिक्त राशि (यदि कोई हो) को इस निमित्त संबंधित एसपीडी SPD द्वारा प्रस्तुत उपक्रम के आधार पर 10.41% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित सेकी द्वारा वसूल किया जाएगा। (नोट संख्या 73 देखें)।
- 49.2.3 कंपनी ने पारेषण कंपनियों, वेट प्राधिकरणों, परियोजना विकासकर्ता(ओं) और पीपीए धारक के पक्ष में विभिन्न बैंक गारंटी/साख पत्र जारी करने के विरुद्ध बैंक(रों) के पक्ष में प्रति क्षतिपूर्ति प्रदान की है। ₹ 1,05,567.64 लाख (पिछले वर्ष ₹ 72.283.39 लाख) की संचयी राशि के लिए उपलब्ध सीमाओं का बैंकवार विवरण और गैर निधि आधारित सीमा का उपयोग नीचे दिया गया है:





₹ लाख

बैंक का नाम	गैर निधि आधारित स्वीकृत सीमा*	31.03.2023 को उपयोग की गई सीमा
एचडीएफसी बैंक	50,000.00	30,887.63
आईसीआईसीआई बैंक	10,000.00	9,449.19
यस बैंक	15,000.00	14,340.64
ऐक्सिस बैंक	17,499.00	14,785.04
भारतीय स्टेट बैंक	50,000.00	36,105.14
कुल	1,42,499.00	1,05,567.64

*फंड आधारित क्रेडिट सुविधा के साथ विनिमेय सीमाएँ शामिल हैं।

- 49.2.4 कंपनी ने 31 मार्च, 2023 तक ₹ 1,578.37 लाख (31 मार्च, 2022 तक — ₹ 1,576.59 लाख) की राशि की वसूली एमएनआरई के तहत रूफटॉप योजनाओं के संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के गैर/आंशिक अनुपालन के लिए एलडी/जुर्माने के रूप में की है। कंपनी की लेखांकन नीति के अनुसार इन एलडी प्रभारों को लगातार सेकी की आय के रूप में मान्यता दी गई है। आय निर्धारण पर वित्त वर्ष 2017-18 और वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सी एंड एजी की लेखापरीक्षा टिप्पणियों के मद्देनजर, आगे के निर्देशों/सलाह के लिए दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019, 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022 और 6 जून, 2022 के पत्र के माध्यम से इसे एमएनआरई को भेजा गया है।
- 49.2.5 मैसर्स एमबीपी सोलर ने पीपीए में प्रदान किए गए मध्यस्थता खंड को लागू किया है और ₹ 13,381.93 लाख के दावे के साथ याचिका को मध्यस्थता पैनल में स्थानांतरित कर दिया है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना फैसला सुनाया है जिसके खिलाफ सेकी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील दायर की है और मामला विचाराधीन है। इसके अलावा, यदि कोई वित्तीय प्रभाव होता है तो उसे पीएसएम निधियों से दिनांक 4 फरवरी 2019 के पीएसएम दिशानिर्देशों के अनुसार पूरा किया जाएगा। इसलिए, खाते की बहियों में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- 49.2.6 सेकी ने 2000 मेगावाट योजना के तहत मैसर्स कृष्णा विंड फार्म डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित परियोजना को चालू करने में देरी के लिए ₹ 300 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का रद्द कर दिया है। एसपीडी द्वारा रद्द करनेकी कार्यवाहीको सीईआरसी में चुनौती दी गई है। हालांकि सीईआरसी ने बीजी को लागू करने के फैसले को बरकरार रखा है। कंपनी ने एपीटीईएल के पास इस आदेश को चुनौती दी है। रद्द करनेकी राशि को पीएसएम फंड में अलग से रखा गया है और एपीटीईएल के आदेश के परिणाम से सेकीपर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 49.2.7 सेकी ने 2000 मेगावाट योजना के तहत मैसर्स तलेटुटई सोलर पॉवर प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित परियोजना को चालू करने में देरी के लिए ₹ 1500 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का रद्द कर दिया है। एसपीडी द्वारा रद्द करनेकी कार्यवाहीको सीईआरसी में चुनौती दी गई है। हालांकि सीईआरसी ने बीजी को लागू करने के फैसले को बरकरार रखा है। कंपनी ने एपीटीईएल के पास इस आदेश को चुनौती दी है। रद्द करनेकी राशि को पीएसएम फंड में अलग से रखा गया है और एपीटीईएल के आदेश के परिणाम से सेकीपर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 49.2.8 सेकी ने 2000 मेगावाट योजना के तहत मैसर्स परमपूज्य सोलर एनर्जी को आवंटित परियोजना को चालू करने में देरी के लिए ₹ 600 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी का रद्द कर दिया है। एसपीडी द्वारा रद्द करनेकी कार्यवाहीको सीईआरसी में चुनौती दी गई है। सीईआरसी का आदेश अभी लंबित है। रद्द करनेकी राशि को पीएसएम फंड में अलग से रखा गया है और सीईआरसी के आदेश के परिणाम से सेकीपर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
- 49.2.9 सेकी ने 04.11.2016 और 01.12.2016 को महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल) के साथ 1000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए एक बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे विभिन्न डेवलपर्स से खरीदा जाना है। कमीशनिंग में देरी के मद्देनजर, एमएसईडीसीएल ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) में एक याचिका दायर की है जिसमें सेकी द्वारा कम आपूर्ति के कारण हुए नुकसान के रूप में ₹ 13,172 लाख के मुआवजे की है और सौर परियोजनाओं की दरके लिए सीओडी से 31.03.2019 ₹ 1,374 लाख की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है।

सेकी ने इस विषय पर एमईआरसी के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी लेकिन एमईआरसी ने 14.09.2020 को अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर अपना आदेश पारित किया, जहाँ इसने अपने अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा। सेकी ने इस आदेश को। एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी। इसके अलावा, एमईआरसी ने 12.02.2021 को गुण-दोष के आधार पर अपना अंतिम आदेश पारित किया, जिसे एसईसीआई द्वारा एपीटीईएल के समक्ष चुनौती दी गई। दोनों अपील एपीटीईएल के समक्ष लंबित हैं।





- 49.2.10 डीईआरसी ने माननीय एपीटीईएल के दिनांक 02.07.2021 के आदेश के खिलाफ 0.07 पैसे प्रति यूनिट के सेकी ट्रेडिंग मार्जिन के भुगतान के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल अपील दायर की है। एसईसीआई द्वारा जवाब दे दिया गया है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। यदि, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल आदेश पारित किया जाता है, तो 31 मार्च, 2023 को ₹ 2,535.43 लाख की आय उलट जाएगी।
- 49.2.11 सेकी ने आईएसटीएस सोलर ट्रेच-आई स्कीम के तहत मे.अरीना सौर प्रा.लि.को आवंटित परियोजनाओं के गैर-कमीशनिंग के कारण ₹ 5,000 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी को भुना लिया है। गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा एपीटीईएल में चुनौती दी गई है, एपीटीईएल का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को अलग रखा गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
- 49.2.12 सेकी ने विंड ट्रेच-II योजना के तहत मेसर्स हेरोडा विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, खातियू विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, विगोडी विंड विंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड एवं रवापर पवन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित परियोजनाओं के गैर-कमीशनिंग के कारण ₹ 3,718 लाख की निष्पादन बैंक गारंटी को भुना लिया है। गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है, सीईआरसी का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को अलग रखा गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
- 49.2.13 सेकी ने विंड ट्रेच-II योजना के तहत मेसर्स रिनयू पावर प्राइवेट लिमिटेड, को आवंटित परियोजना के गैर-कमीशनिंग के कारण ₹ 1,098.40 लाख की प्राप्ति की है गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है। सीईआरसी ने सेकी के पक्ष में आदेश कर दिया। आदेश को एसपीडी द्वारा एपीटीईएल में चुनौती दी गई है, एपीटीईएल का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को अलग रखा गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।
- 49.2.14 सेकी ने विंड ट्रेच-VII योजना के तहत पीपीए पर हस्ताक्षर न करने के कारण मेसर्स बेतम एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड से ₹ 1200 लाख की प्राप्ति की है। गारंटी को भुनाने को एसपीडी द्वारा सीईआरसी में चुनौती दी गई है। सीईआरसी ने सेकी के पक्ष में आदेश कर दिया। आदेश को एसपीडी द्वारा एपीटीईएल में चुनौती दी गई है, एपीटीईएल का आदेश अभी भी लंबित है। भुनाई राशि को आय में शामिल कर लिया गया है और सीईआरसी के आदेश का सेकी पर प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव होगा।
- 49.2.15 सेकी द्वारा निर्माण सुविधा से सम्बद्ध निविदा द्वारा आवंटित सौर पावर प्लांट को निरस्त करने और डिस्कॉम् द्वारा 7000 मेगावाट की बिजली खरीद को रद्द करने के लिए दूसरे वर्ष एक दौरान आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 2 जनहित याचिकाएं (पीआईएल) दायर की गई हैं। मामला सुनवाई के लिए आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय में लंबित है। यदि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा कोई प्रतिकूल निर्णय दे दिया गया तो यह निविदा रद्द करनी पड़ेगी और परिणामतः पीपीए और पीएसए रद्द हो जाएंगे। सेकी को योजना के लिए संग्रहीत रु.9600 वापिस करने होंगे।

49.3. प्रतिबद्धताएँ

- 49.3.1 पूंजी खाते (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति) पर निष्पादित किए जाने वाले शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि ₹ 98,527.04 लाख (पिछले वर्ष ₹ 1,14,456.76 लाख) है इसका विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
परिसंपत्ति संयंत्र उपकरण*	98,527.04	1,14,456.76
अमूर्त परिसंपत्ति	-	-

* पूंजीगत प्रतिबद्धता है 100 मेगावाट छत्तीसगढ़ परियोजना के लिए प्रदत्त ₹ 6,196.30 लाख निवल पूंजीगत अग्रिम।

- 49.3.2 कंपनी का 31 मार्च 2023 के लिए व्युत्पन्न अनुबंधों सहित, जिसके लिए किसी भी सामग्री के लिए नुकसान हुआ हो, कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है।





50. आईएनडी एस “वित्तीय लिखतों” के अनुसार प्रकटीकरण

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार भुगतान और अन्य भुगतान शामिल हैं। मुख्य इन वित्तीय देनदारियों का उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्त सुविधा प्रदान करना है। कंपनी के प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार और अन्य प्राप्य, नकद और नकद समकक्ष, निवेश, अपने संचालन से प्राप्त सीधे प्राप्त जमा शामिल हैं।

कंपनी अपने वित्तीय लिखतों के उपयोग से निम्नलिखित जोखिम का पालन करती है

1. क्रेडिट जोखिम
2. तरलता जोखिम
3. बाजार जोखिम

1. क्रेडिट जोखिम

क्रेडिट जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि कोई ग्राहक या वित्तीय साधन के प्रतिपक्षीय अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम मुख्य रूप से व्यापार प्राप्य, ऋण और अग्रिम, नकद और नकद समकक्षों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा से उत्पन्न होता है।

व्यापार प्राप्य

कंपनी का एक मजबूत भुगतान सुरक्षा तंत्र है। इन भुगतान सुरक्षा तंत्रों ने कंपनी को उस वर्ष अच्छी तरह से सहयोग दिया है। कंपनी ने पिछले वर्ष में व्यापार प्राप्तियों के संबंध में किसी भी विशेष हानि का अनुभव नहीं किया है क्योंकि क्रेडिट जोखिम की कोई एकाग्रता नहीं है।

अन्य वित्तीय साधन एवं नकद और नकद समकक्ष

कंपनी में ₹ 1,32,321.32 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 1,30,262.23 लाख) के नकद और नकद समकक्ष हैं। नकद और नकद समकक्षों को उच्च रेटिंग वाले बैंकों में रखा जाता है। कंपनी ने जोखिम प्रबंधन के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों में 80,995.13 लाख (31 मार्च 2022 को ₹ 1,21,926.45 लाख) जमा किए, कंपनी केवल उच्च रेटेड बैंकों/संस्थानों में जमा करती है।

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वित्तीय संपत्ति जिसके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है		
संयुक्त उपक्रमों में गैर-वर्तमान निवेश*	-	-
बॉण्ड में गैर-वर्तमान निवेश	86,482.28	
गैर-वर्तमान ऋण एवं अग्रिम	69.54	79.23
अन्य गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति	90,904.04	87,842.98
नकद और नकद समकक्ष	1,32,321.32	1,30,262.23
नकद और नकद समकक्ष के अलावा बैंक शेष	80,995.13	1,21,926.45
वर्तमान ऋण एवं अग्रिम	1,657.84	1,649.79
अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति	1,19,126.75	1,20,512.99
वित्तीय संपत्ति जिसके लिए जीवनकाल की अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है		
व्यापार प्राप्तियां	1,73,944.27	97,243.86
कुल	6,85,501.17	5,59,517.53

*यहां संयुक्त उपक्रमों में गैर-वर्तमान निवेशों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।





अपेक्षित ऋण या हानि के लिए प्रावधान

- (क) वित्तीय संपत्ति जिसके लिए हानि भत्ता 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके मापा जाता है
कंपनी की ऐसी संपत्ति है जहां काउंटर-पार्टियों में दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है और जहां डिफॉल्ट का जोखिम बहुत कम है। तदनुसार, हानि के लिए किसी हानि भत्ते मान्यता नहीं दी गई है।
- (ख) वित्तीय संपत्ति जिसके लिए जीवनकाल के अपेक्षित क्रेडिट का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है
हानि कंपनी जीवनकाल के अपेक्षित क्रेडिट हानि और सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुसार व्यापार प्राप्तियों पर हानि भत्ता प्रदान करती है।





व्यापार देय अवधि अनुसूची

₹ लाख

बैंक का नाम	भुगतान की दे तिथि के बाद निम्न अवधि में बकाया						
	देय नहीं	6 महीने से कम	6 महीने-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – उत्तम समझे जाते हैं	1,28,052.90	38,353.94	5,637.60	196.53	671.57	1031.33	1,73,943.87
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	104.14	104.14
(iv) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-उत्तम समझे जाते हैं	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	137.68	137.68
घटाया-क्रेडिट हानि छूट	-	-	-	-	-	(241.42)	(241.42)
कुल व्यापार प्राप्य	1,28,052.90	38,353.94	5,637.60	196.53	671.57	1,031.73	1,73,944.27
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष							
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – उत्तम समझे जाते हैं	78,211.73	15,957.97	743.14	915.16	352.17	1063.68	97,243.85
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य –जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य – खराब क्रेडिट	-	-	-	-	-	120.20	120.20
(iv) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-उत्तम समझे जाते हैं	-	-	-	-	-	-	-
(v) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-जिनसे क्रेडिट जोखिम में बहुत वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-	-
(vi) विवादग्रस्त व्यापार प्राप्य-खराब क्रेडिट	-	-	-	-	22.31	115.37	137.68
घटाया-क्रेडिट हानि छूट	-	-	-	-	(22.31)	(235.56)	(257.87)
कुल व्यापार प्राप्य	78,211.73	15,957.97	743.14	915.16	352.17	1,063.69	97,243.86





2. तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कंपनी अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने के लिए आई परेशानियों का सामना करेगी और जिनको नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति को वितरित करके निर्वहन किया जाता है।

तरलता को प्रबंधित करने के लिए कंपनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि, जहां तक संभव हो, कि अस्वीकार्य हानि या कंपनी की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाए बिना सामान्य और कठिन दोनों परिस्थितियों में, देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए हमेशा पर्याप्त तरलता होगी।

वित्तपोषण व्यवस्था

कंपनी के पास रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अनाहरित निम्नलिखित उधार सुविधाएं उपलब्ध थीं : ₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अस्थायी दर ऋण		
ओवरड्राफ्ट / नकदी ऋण*	29,327.33	26,896.51
विश्व बैंक से सावधि ऋण**	65,471.37	-

* कंपनी को आईसीआईसीआई बैंक से ₹ 100 लाख, ₹ 10,000 लाख की गैर-निधि आधारित सीमा के उपसीमा के रूप में एक्सिस बैंक से ₹ 7,500 लाख; ₹ 17,499 लाख की गैर-निधि आधारित सीमा के उपसीमा के रूप में, एचडीएफसी बैंक से ₹ 25,500 लाख; ₹ 20,000 लाख गैर-निधि आधारित सीमा के साथ एक्सिस बैंक से ₹ 1 लाख और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ₹ 2000 लाख स्वीकृति मिली हुई है। एक्सिस बैंक की ₹ 4,786.04 लाख की निधि आधारित सीमाएं और एचडीएफसी बैंक की ₹ 887.63 लाख की सीमा का उपयोग एसबीएलसी जारी करने के लिए 31.03.2023 तक किया जा चुका है।

** और तुलन पत्र की तारीख को उपर्युक्त राशि रुपए समतुल्य है और समापन विनिमय दर (आरबीआई संदर्भ दर) पर गणना कर ली गई है।





व्यापार देय अवधि अनुसूची

₹ लाख

बैंक का नाम	भुगतान की दे तिथि के बाद निम्न अवधि में बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	44294.23	-	-	156.86	-	44,451.09
(iii) विवादित देय-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय-अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापार देय	44,294.23	-	-	156.86	-	44,451.09
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष						
(i) एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(ii) अन्य	44193.09	-	156.86	-	-	44,349.95
(iii) विवादित देय-एमएसएमई	-	-	-	-	-	-
(iv) विवादित देय-अन्य	-	-	-	-	-	-
कुल व्यापार देय	44,193.09	-	156.86	-	-	44,349.95

व्यापार देय अवधि अनुसूची

बैंक का नाम	बकाया नहीं	मांग पर	3 माह या कम	3.12 माह	1.5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएँ	-	2,13,858.10	1,09,358.29	6,011.01	50,782.62	55,480.81	4,35,490.83
कुल	-	2,13,858.10	1,09,358.29	6,011.01	50,782.62	55,480.81	4,35,490.83
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष							
वित्तीय देयताएँ	-	1,35,670.87	73,556.90	4,628.14	38,451.82	55,483.79	3,07,791.52
कुल	-	1,35,670.87	73,556.90	4,628.14	38,451.82	55,483.79	3,07,791.52

3. बाजार जोखिम

बाजार का जोखिम वह जोखिम है जो बाजार दरों में बदलता है, जैसे कि ब्याज दरें कंपनी की आय को प्रभावित कर सकती हैं। स्वीकार्य मापदंडों के भीतर, आय को बढ़ाने का प्रयास करते हुए बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य बाजार जोखिम का प्रबंधन और नियंत्रण करना है। वर्तमान में कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है। कोई बाजार जोखिम जोखिम नहीं है।





52. इंड एस 108 'आपरेटिंग सेगमेंट' के अनुसार प्रकटीकरण :

क. सामान्य जानकारी

'कंपनी के रिपोर्ट करने योग्य दो खंड हैं, जैसा कि नीचे वर्णित है, जो कि इसकी रणनीतिक व्यावसायिक इकाइयां हैं। रणनीतिक व्यापार इकाइयां विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करती हैं, और अलग-अलग प्रबंधित की जाती हैं क्योंकि उन्हें अलग-अलग प्रौद्योगिकी और विपणन रणनीतियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित सारांश कंपनी के प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट में संचालन का वर्णन करता है:

क.1. पावर ट्रेडिंग एंड जेनरेशन: कंपनी के पास पावर ट्रेडिंग लाइसेंस है और इसके द्वारा लागू की जा रही योजनाओं के तहत स्थापित परियोजनाओं से सौरध्वन ऊर्जा के व्यापार के माध्यम से इस डोमेन में सक्रिय है। इसके अलावा कंपनी बिजली उत्पादन के व्यवसाय में भी है।

क.2. परामर्श और परियोजना प्रबंधन: इसमें परामर्श और परियोजना प्रबंधन सेवाएं आदि प्रदान करना शामिल है। प्रत्येक रिपोर्ट करने योग्य खंड के परिणामों के बारे में जानकारी नीचे शामिल है। निदेशक मंडल द्वारा समीक्षा की जाने वाली आंतरिक प्रबंधन रिपोर्टों में शामिल आयकर से पहले खंड लाभ के आधार पर निष्पादन को मापा जाता है। सेगमेंट प्रॉफिट का उपयोग निष्पादन को मापने के लिए किया जाता है क्योंकि प्रबंधन का मानना है कि ऐसी जानकारी इन उद्योगों के भीतर काम करने वाली अन्य संस्थाओं के सापेक्ष कुछ सेगमेंट के परिणामों का मूल्यांकन करने में सबसे अधिक प्रासंगिक है। ऑपरेटिंग सेगमेंट के बीच स्थानांतरण मूल्य एक हाथ की लंबाई के आधार पर तीसरे पक्ष के साथ लेन-देन के समान हैं।

ख. रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट और वित्तीय विवरणों में परिलक्षित राशियों के समाधान के बारे में जानकारी:

₹ लाख						
विवरण	व्यावसायिक क्षेत्र					
	पावर ट्रेडिंग और जनरेशन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
सेगमेंट राजस्व						
प्रचालनों से राजस्व	10,73,040.46	7,14,616.36	6,263.76	11,093.62	10,79,304.22	7,25,709.98
अनाबंटित ब्याज और अन्य आय	-	-	-	-	6,190.01	4,446.24
कुल	10,73,040.46	7,14,616.36	6,263.76	11,093.62	10,85,494.23	7,30,156.22
सेगमेंट परिणाम						
अनाबंटित व्यय, ब्याज और वित्त प्रभार	-	-	-	-	7,720.36	6,546.67
कर देने से पूर्व लाभ	-	-	-	-	41,411.28	31,110.76
जोड़ें: संयुक्त उद्यमों के शुद्ध लाभ का हिस्सा इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है	-	-	-	-	6,971.56	6,835.29
कर अदायगी के उपरांत लाभ	-	-	-	-	48,382.84	37,946.05
करों का प्रावधान	-	-	-	-	10,795.07	7,960.05





₹ लाख						
विवरण	व्यावसायिक क्षेत्र					
	पावर ट्रेडिंग और जनरेशन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
कर के बाद लाभ	-	-	-	-	37,587.77	29,986.00
मूल्यहास और परिशोधन	601.38	604.87	390.28	381.44	991.66	986.31
आवंटित मूल्यहास	-	-	-	-	758.61	696.78
आवंटित मूल्यहास के अलावा गैर नकद व्यय	-	-	1.91	1.41	1.91	1.41
पूँजीगत व्यय	-	-	83.09	76.93	83.09	76.93
अनाबंटित पूँजीगत व्यय					-	-

₹ लाख

विवरण	व्यावसायिक क्षेत्र					
	पावर ट्रेडिंग और जनरेशन		परामर्श और परियोजना प्रबंधन		कुल	
	समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु		समाप्त वर्ष हेतु	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
अन्य सूचनाएं						
सेगमेंट संपत्ति	6,20,764.21	5,22,509.44	3,046.57	4,864.67	6,23,810.78	5,27,374.11
अनाबंटित संपत्ति	-	-	-	-	1,59,675.70	77,211.98
कुल संपत्ति	6,20,764.21	5,22,509.44	3,046.57	4,864.67	7,83,486.48	6,32,333.16
सेगमेंट देयताएं	4,42,973.14	3,50,862.31	45,262.66	15,211.63	4,88,235.81	3,66,073.94
अनाबंटित देयताएं	-	-	-	-	23,773.34	32,466.16
कुल परिव्यय	4,42,973.14	3,50,862.31	45,262.66	15,211.63	5,12,009.15	3,98,540.10

ग. प्रमुख ग्राहकों के बारे में जानकारी

कंपनी के कुल राजस्व का 10% से अधिक प्रमुख ग्राहकों से राजस्व

₹ लाख

देनदार का नाम	समाप्त वर्ष के लिए		समाप्त वर्ष के लिए	
	2022-23	प्रतिशतता	2021-22	प्रतिशतता
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,37,688.12	12.75	1,12,201.74	15.40
राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	1,32,382.79	12.26	89,959.80	12.35
महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	93,282.45	8.64	77,404.59	10.63





52. इंड एस 112 के अनुसार प्रकटीकरण 'अन्य संस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण

52.1. संयुक्त उद्यमों में रुचि

52.1.1 संयुक्त उद्यमों के संबंध में जानकारी जो इकाई के लिए महत्वपूर्ण हैं

क. नीचे दिए गए 31 मार्च 2023 तक कंपनी के संयुक्त उद्यम हैं, जो प्रबंधन की राय में कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं। नीचे सूचीबद्ध संस्थाओं के पास शेयर पूंजी है जिसमें केवल इक्विटी शेयर शामिल हैं।

कंपनी का नाम	व्यवसाय का स्थान	को शेअरधारिता का समानुपात (%)		को राशि		गतिविधि की प्रकृति	लेखांकन पद्धति
		31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022		
आंध्र प्रदेश सौर पावर निगम प्रा. लि.	भारत	50%	50%	5.00	5.00	सौर पार्क का विकास	इक्विटी पद्धति
कर्नाटक सौर पावर विकास निगम लि.	भारत	50%	50%	50.00	50.00	सौर पार्क का विकास	इक्विटी पद्धति

ख. संयुक्त उद्यम के संबंध में प्रतिबद्धताएँ और आकस्मिक देनदारियाँ:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023	31 मार्च, 2022
संयुक्त उद्यमों की हिस्सेदारी		
प्रतिबद्धताएँ	5,299.91	4,046.30
आकस्मिक देनदारियाँ:	9,088.44	7,413.06
कुल प्रतिबद्धताएँ आकस्मिक देनदारियाँ:	14,388.35	11,459.36

ग. संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित वित्तीय जानकारी

नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए संक्षिप्त वित्तीय जानकारी प्रदान करती है जो कंपनी के लिए महत्वपूर्ण हैं।

प्रकट की गई जानकारी संबंधित संयुक्त उद्यम के वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि को दर्शाती है, न कि उन राशियों में समूह के हिस्से को।

सारांशित बैलेंस शीट

₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्तमान संपत्ति				
नकद एवं नकद समतुल्य	1,451.47	1,015.99	40,377.05	37,474.81
अन्य परिसंपत्तियाँ	45,690.44	44,132.01	5,592.59	5,968.26
कुल मौजूदा संपत्तियाँ	47,141.91	45,148.00	45,969.64	43,443.07
कुल गैर – मौजूदा संपत्तियाँ	2,10,947.86	2,08,120.80	90,432.55	94,229.36





₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्तमान देनदारियां				
वित्तीय देनदारियों	17,673.97	17,920.56	10,183.63	8,445.95
अन्य देनदारियां	7,139.45	7,059.23	3,779.52	3,838.68
कुल वर्तमान दायित्व	24,813.42	24,979.79	13,963.15	12,284.64
गैर मौजूदा देनदारियां				
वित्तीय देनदारियों	40,165.68	37,426.05	-	-
अन्य देनदारियां	1,55,265.44	1,62,205.71	1,00,856.68	1,04,352.08
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ	1,95,431.12	1,99,631.76	1,00,856.68	1,04,352.08
निवल संपत्ति	37,845.23	28,657.25	21,582.36	21,035.71

रकम ले जाने के लिए समाधान

₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
शुद्ध संपत्ति खोलना	28,657.65	21,511.65	21,035.72	17,890.31
जेबी पार्टनर्स द्वारा निवेश	-	-	-	-
इस साल का मुनाफा	9,215.30	7,197.70	1,864.36	4,991.83
इंडस्ट्रीज एएस 116 को अपनाने के कारण संक्रमण प्रभाव	-	-	-	-
आईएनडी एएस 116 के अनुसार उप-पट्टे के कारण शेरर			240.24	-646.14
इंडस्ट्रीज एएस 116 पर आस्थगित कर प्रभाव	-	-	(60.46)	162.62
अन्य व्यापक आय	-	-		-
लाभांश एवं लाभांश वितरण कर का भुगतान	-	-	(1,497.50)	(1,362.90)
वर्ष के दौरान किया गया सीएसआर व्यय	-	-		
सीएसआर रिजर्व से उपयोग किया गया	(27.72)	(51.74)		
अन्य समायोजन	-	-	-	-
समापन शुद्ध संपत्ति	37,845.23	28,657.65	21,582.36	21,035.72
समूह की हिस्सेदारी % में	50%	50%	50%	50%
फ्ल्ट में समूह का हिस्सा	18,922.62	14,328.83	10,791.18	10,517.86
पेसा ले जाने	18,922.62	14,328.83	10,791.18	10,517.86





लाभ और हानि का सारांशित विवरण

₹ लाख

विवरण	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड		कर्नाटक सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
संचालन से राजस्व	15,860.45	15,265.31	12,493.89	12,203.60
अन्य कमाई	4,517.53	3,909.24	3,008.43	3,399.58
कुल आय	20,377.98	19,174.55	15,502.32	15,603.17
प्रयुक्त सामग्री की लागत	44.28	34.49		
संचालन एवं रखरखाव व्यय	901.06	1,020.91		
कर्मचारी लाभ व्यय	1,091.50	1,045.07	297.63	316.25
वित्त लागत	4,418.40	2,059.11	3,225.14	3,225.82
अन्य खर्च	2,049.34	847.66	5,109.33	1,024.53
मूल्यहास और परिशोधन व्यय	1,307.34	4,408.82	4,337.04	4,321.55
कुल खर्च	9,811.92	9,416.05	12,969.14	8,888.15
कर व्यय	1,350.76	2,560.80	668.82	1,723.19
इस साल का मुनाफा	9,215.30	7,197.70	1,864.36	4,991.83
अन्य व्यापक आय	-	-	-	
कुल व्यापक आय	9,215.30	7,197.70	1,864.36	4,991.83
लाभांश प्राप्त हुआ		-	748.75	681.45

52.1.2 संयुक्त उद्यमों से संबंधित जानकारी जो इकाई के लिए महत्वहीन है

क. नीचे दी गई तालिका इन संयुक्त उद्यमों के लिए सारांशित जानकारी प्रदान करती है जो कंपनी के लिए महत्वहीन हैं।

सारांशित वित्तीय जानकारी

₹ लाख

कंपनी का नाम	व्यवसाय स्थल	शेयरधारिता का अनुपात (%)		पेसा ले जाने		गतिविधि की प्रकृति
		31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	
लखनऊ सौर ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	भारत	50%	50%	3.68	0.0	सौर पार्कों का विकास
रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरला लिमिटेड	भारत	50%	50%	448.40	365.17	सौर पार्कों का विकास
हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	भारत	50%	50%	233.63	229.63	सौर पार्कों का विकास और अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की स्थापना
रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड	भारत	50%	50%	3922.41	2781.60	सौर पार्कों का विकास





₹ लाख

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
निरंतर परिचालन से लाभ या हानि	2881.84	1608.87
अन्य व्यापक आय	-	-
कुल व्यापक आय	2,881.84	1,608.87

52.1.3 सभी संयुक्त उद्यम कंपनियाँ असूचीबद्ध संस्थाएँ हैं।

52.1.4 5 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय लेखापरीक्षा की जाती है और 1 संयुक्त उद्यम यानी लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एलएसपीडीसीएल) प्रबंधन द्वारा अनऑडिटेड और प्रमाणित है और समूह के समेकित वित्तीय विवरण के लिए विचार किया गया है। एलएसपीडीसीएल के वित्तीय विवरण में दिखाई देने वाले आंकड़े इसके ऑडिट के पूरा होने पर बदल सकते हैं।



53. इंड एस 112 के अनुसार प्रकटीकरण – उचित मूल्य माप

श्रेणी के अनुसार वित्तीय साधन

₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023 तक			31 मार्च 2022 तक		
	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत	एफवीटी पीएल	एफवीटी ओसीआई	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां						
निवेश						
— इक्विटी इंस्ट्रुमेंट*	-	-	-	-	-	-
बॉण्ड	-	-	86,482.28	-	-	-
ऋण	-	-	1,727.38	-	-	1,729.02
व्यापार प्राप्तियां	-	-	1,73,944.27	-	-	97,243.86
नकद और नकदी के समतुल्य	-	-	1,32,321.32	-	-	1,30,262.23
अन्य बैंक शेष	-	-	80,995.13	-	-	1,21,926.45
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	2,10,030.79	-	-	2,08,355.97
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	-	-	6,85,501.17	-	-	5,59,517.53
वित्तीय देयताएं						
ऋण	-	-	301.86	-	-	-
पट्टा देयताएं			176.86			173.24
देय व्यापार	-	-	44,451.09	-	-	44,349.95
अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	4,35,313.97	-	-	3,07,618.28
कुल वित्तीय देयताएं	-	-	4,80,243.78	-	-	3,52,141.47

*संयुक्त उद्यमों में ₹ 476 लाख के निवेश का ऊपर प्रकटीकरण नहीं किया गया है।





54. इंडस्ट्रीज एस 115 के अनुसार प्रकटीकरण – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

I. माल और सेवाओं की प्रकृति

कंपनी के राजस्व में बिजली की बिक्री, व्यापार, परामर्श और अन्य सेवाओं के माध्यम बिजली की बिक्री से आय शामिल है। प्रमुख गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित है:

(क) बिजली की बिक्री से राजस्व (स्वयं का उत्पादन)

कंपनी का राजस्व अपने संयंत्रों से बिजली की बिक्री से आता है। कंपनी थोक ग्राहकों को बिजली बेचती है, मुख्य रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली बिजली सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ राज्यों में संचालित निजी डिस्कॉम। बिजली की बिक्री आम तौर पर ग्राहकों के साथ किए गए दीर्घकालिक बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के अनुसार की जाती है।

बिजली बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
बिजली की बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	कंपनी समय के साथ बिजली की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। बिजली की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के संदर्भ में किया जाता है। राशियों के बिल मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं और अनुबंधित सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होते हैं।

(ख) बिजली व्यापार से राजस्व

(i) व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री

कंपनी डिवेलपर्स से बिजली खरीद रही है और इसे डिस्कॉम्स को प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर बेच रही है।

व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री के अनुबंधों के तहत प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	कंपनी समय के साथ बिजली की बिक्री के अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उपभोग करते हैं। बिजली की बिक्री से राजस्व की गणना के लिए टैरिफ का निर्धारण बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) के संदर्भ में किया जाता है। राशियों के बिल मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं और अनुबंधित सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर देय होते हैं।

(ग) सेवा प्रदान करने से राजस्व

कंपनी सौर ऊर्जा परियोजनाओं और अन्य परामर्श अनुबंधों के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श अनुबंध करती है।

परामर्श और अन्य सेवाओं के अनुबंधों के तहत प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तों का विवरण नीचे दिया गया है:

उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परियोजना निगरानी शुल्क	कंपनी परियोजना निगरानी शुल्क के लिए अनुबंधों से प्राप्त राजस्व को एक निश्चित समय/उपलब्धि मील के पथर के आधार पर पहचानती है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार परियोजना निगरानी शुल्क से राजस्व निर्धारित किया जाता है। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जो कि कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुमानित है। राशियों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर देय होता है।





उत्पाद/सेवा	प्रकृति, निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि का समय और महत्वपूर्ण भुगतान शर्तें
परामर्शदात्री सेवाएं	कंपनी समय-समय पर प्राप्त मील के पथर के आधार पर परामर्श सेवाओं के लिए अनुबंधों से राजस्व की पहचान करती है क्योंकि ग्राहक एक साथ कंपनी द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करते हैं और उनका उपभोग करते हैं। परामर्श सेवाओं से राजस्व अनुबंध की शर्तों के अनुसार निर्धारित किया जाता है। द. मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि को परिवर्तनीय विचार के लिए समायोजित किया जाता है, जहां भी लागू हो, जो कि कंपनी के पास उपलब्ध ऐतिहासिक डेटा के आधार पर अनुमानित है। राशियों को अनुबंध की शर्तों के अनुसार बिल किया जाता है और अनुबंधित क्रेडिट अवधि के भीतर देय होता है।

II. राजस्व का पृथक्करण

निम्न तालिका में, राजस्व को उत्पाद और सेवाओं के प्रकार, भौगोलिक बाजार और राजस्व पहचान के समय के आधार पर अलग-अलग किया गया है:

₹ लाख

विवरण	बिजली की बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शदात्री सेवाएं	अन्य	कुल
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए						
राजस्व मान्यता का समय						
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	2,006.11	10,70,238.45	4,589.86	435.67	371.99	10,77,642.08
एक समय में स्थानांतरित किए गए उत्पाद और सेवाएं	-	-	0.19	-	864.27	864.46
	2,006.11	10,70,238.45	4,590.05	435.67	1,236.26	10,78,506.54

₹ लाख

विवरण	बिजली की बिक्री (स्वयं का उत्पादन)	व्यापार के माध्यम से बिजली की बिक्री	परियोजना निगरानी शुल्क	परामर्शदात्री सेवाएं	अन्य	कुल
31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए						
राजस्व मान्यता का समय						
समय के साथ हस्तांतरित उत्पाद और सेवाएं	2,086.77	7,11,728.10	8,617.83	1,481.08	403.61	7,24,317.39
एक समय में स्थानांतरित किए गए उत्पाद और सेवाएं	-	-	276.70	-	313.09	589.79
	2,086.77	7,11,728.10	8,894.53	1,481.08	716.70	7,24,907.18

III. अनुबंध मूल्य के साथ मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अनुबंध की कीमत	10,82,790.21	7,27,742.26
के लिए समायोजन:		
छूट	(4,283.67)	(2,835.08)
राजस्व मान्यता प्राप्त	10,78,506.54	7,24,907.18





IV. अनुबंध शेष

अनुबंध संपत्तियों की पहचान तब की जाती है जब अनुबंधों पर बिलिंग से अर्जित राजस्व की अधिकता होती है। जब नकद प्राप्त करने का बिना शर्त अधिकार होता है और अनुबंध की शर्तों के अनुसार केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है, तो अनुबंध की संपत्ति को बिना बिल वाले राजस्व में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अनुबंध देयताएं मुख्य रूप से ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम प्रतिफल से संबंधित होती हैं जिन्हें 'ग्राहकों से अग्रिम' कहा जाता है।

निम्नलिखित तालिका व्यापार प्राप्तियों, बिल न किए गए राजस्व और ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	वर्तमान	गैर-वर्तमान	वर्तमान	गैर-वर्तमान
व्यापार प्राप्तियां	1,73,944.27	-	97,243.86	-
बिल न किया गया राजस्व	1,00,308.22	-	74,136.34	-
ग्राहकों से अग्रिम	1,620.51	229.21	4,513.70	681.00

55. हाल की लेखांकन घोषणाएँ

नए भारतीय लेखांकन मानकों का आवेदन – कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत जारी किए गए सभी भारतीय लेखांकन मानकों और कॉरपोरेट मंत्रालय (एमसीए) द्वारा अधिसूचित कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) नियमों के तहत, 2015 (यथासंशोधित) जब तक वित्तीय विवरणों को मंजूरी दी जाती है, तब तक इन वित्तीय विवरणों की तैयारी में विचार नहीं किया गया है।

मानक जारी किए गए लेकिन अभी तक प्रभावी नहीं हैं

एमसीए ने 23 मार्च, 2022 को कंपनी (भारतीय लेखा मानक/इंड एसएस) संशोधन नियम, 2022 को अधिसूचित किया है, जिसके तहत विभिन्न भारतीय लेखा मानकों में संशोधन 1 अप्रैल, 2023 से लागू किए गए हैं। विभिन्न मानकों के संबंध में इन नियमों के अनुसार संशोधित आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:

इंड एसएस 1 – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति :

संशोधनों में कंपनियों को अपनी महत्वपूर्ण अकाउंटिंग नीतियों के बजाय अपनी सामग्री लेखांकन नीति की जानकारी का खुलासा करने की आवश्यकता होती है। कंपनी ने संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और वित्तीय विवरणों पर इसका प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

इंड एस 8 – लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन: लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन की परिभाषा को लेखांकन अनुमानों की परिभाषा के साथ बदल दिया गया है। संशोधनों से संस्थाओं को लेखांकन नीतियों और लेखांकन अनुमानों के बीच अंतर करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इंड एस 12 – आय कर : संशोधनों ने मान्यता छूट के दायरे को सीमित कर दिया ताकि यह अब लेन –देन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक मान्यता पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी भिन्नता को जन्म देता है। कंपनी ने संशोधन की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अन्य भारतीय लेखा मानकों में विशेष रूप से इंड एसएस 101– भारतीय लेखा मानकों को पहली बार अपनाना, इंड एसएस 102–शेयर आधारित भुगतान, इंड एसएस 103–व्यापार संयोजन, इंड एसएस 107–वित्तीय उपकरण–प्रकटीकरण, इंड एसएस 109–वित्तीय उपकरण, और इंड एसएस 34 अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग या तो उपरोक्त संशोधनों के परिणामस्वरूप होती है या प्रकृति में लिपिकीय होती है। कंपनी ने संशोधनों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन किया है और इसके वित्तीय विवरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।





56. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संबंध में सूचना

₹ लाख

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क) किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई शेष राशि:		
मूल राशि	-	-
उस पर लगने वाला ब्याज	-	-
ख) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के अनुसार नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि के साथ भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) उपार्जित और शेष अदत्त ब्याज की राशि	-	-
ड) एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में अस्वीकृति के उद्देश्य के लिए, उस तिथि तक, जब तक ऊपर देय ब्याज वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक बकाया ब्याज की राशि और बाद के वर्षों में भी देय है।	-	-

57. निदेशक मंडल के अनुमोदन के अनुसार, इस प्रयोजन के लिए जारी किए गए सरकारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष निधियों को समय-समय पर अल्पावधि जमा में रखा जाता है।
58. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) और कॉर्पोरेट अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के तहत आवश्यक है कि बोर्ड के कम से कम एक-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए, लेकिन 01.04.2022 से 27.04.2022 तक की अवधि के लिए केवल एक ही स्वतंत्र निदेशक था और 28.04.2022 से 31.03.2023 तक दो स्वतंत्र निदेशक थे तदनुसार कंपनी में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 178 और कॉर्पोरेट प्रशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार 01.04.2022 से 27.07.2022 तक निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति अपेक्षित संरचना नहीं थी। इसके अलावा, सुश्री रश्मि सिंह (स्वतंत्र निदेशक) का कार्यकाल 7 मई, 2023 को पूरा हो गया और वर्तमान कंपनी के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी के बोर्ड में एक अन्य स्वतंत्र निदेशक और एक महिला निदेशक की नियुक्ति के लिए एमएनआरई को अनुरोध किया गया है।
59. चालू वर्ष में निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) के लिए निवल ₹ 411.79 लाख (पिछले वर्ष ₹ 327.89 लाख) का प्रावधान किया गया है। इसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर जारी किया जाएगा।
60. 31 मार्च 2023 को व्यापार प्राप्य और देय बकाया क्रमशः ₹ 1,73,944.27 लाख और ₹ 44,451.09 लाख है। आवश्यकता के अनुसार, सभी पक्षों को पुष्टिकरण पत्र भेजे गए थे। व्यापार देय बकाया के प्रति ₹ 29,742.06 लाख की राशि की पुष्टि की गई है। ₹ 2,253.62 लाख की बकाया व्यापार प्राप्य राशि की पुष्टि की गई है और राशि की पुष्टि की गई है और व्यापार प्राप्य बकाया के प्रति डिस्कॉम और अन्य पार्टियों से 30.06.2023 तक ₹ 1,53,956.41 लाख प्राप्त हो चुके हैं।
61. 'चालू संपत्ति' के तहत दिखाए गए व्यापार प्राप्य और वसूली योग्य शेष और 'वर्तमान देनदारियों' के तहत दिखाए गए व्यापार और अन्य देय राशि में पुष्टि/समाधान और परिणामी समायोजन, यदि कोई हो, के अधीन शेष राशि शामिल है। सुलह निरंतर आधार पर की जाती है। जहां कहीं आवश्यक समझा गया, प्रावधान किए गए हैं। समायोजन, यदि कोई हो, संबंधित पक्षों के साथ उसकी पुष्टि/समाधान पर हिसाब लगाया जाएगा, जिसका प्रबंधन की राय में कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा।





- 62.** व्यापार प्राप्य और व्यापार देय में शामिल हैं ₹ 14.12 लाख (31.03.2022 को ₹ 5.92 लाख) बेंगलूर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (बेसकॉम) द्वारा कटौती की गई और कर्नाटक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के खिलाफ केवीएआरएच शुल्क (किलो वोल्ट एम्प्स रिएक्टिव चार्ज) के लिए समायोजित किया गया। मीटर रीडिंग शुल्क और बेची गई ऊर्जा पर छूट, जो पीएसए/पीपीए की शर्तों के अनुसार नहीं है।
- 63.** वर्ष के दौरान सेकी को आवंटित क्षमता के प्रति गैर-निष्पादन के कारण रूफटॉप 500 मेगावाट योजना के तहत विभिन्न डेवलपर्स से परिनिर्धारित नुकसान के रूप में ₹ 2.15 लाख (विविक्त वर्ष ₹ 460.26) की राशि प्राप्त हुई है। कुछ डेवलपर्स ने दिनांक 25-03-2022 को अपनी सिफारिश में डीआरसी से संपर्क किया था। एमएनआरई ने इन डेवलपर्स पर परिसमापन क्षति की वसूली के लिए एक पद्धति का सुझाव दिया था। तदनुसार, सेकी ने उन डेवलपर्स से संबंधित बीजी के आह्वान का सहारा नहीं लिया है जिन्होंने डीआरसी से संपर्क किया था। डीआरसी के आदेश जिसके आधार पर सिफारिश पर दिनांक 25-03-2022 आज तक एसईसीआई को एमएनआरई से कोई आदेश/निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। आगे इस मामले को दिनांक 03-06-2022 एवं 06.04.23 के पत्रों के माध्यम से एमएनआरई के साथ उठाया गया है। C & AG ऑडिट ने रूफटॉप स्कीम के तहत एलडी पर आय मान्यता के संबंध में अतीत में ऑडिट अवलोकन भी उठाया है (नोट संख्या 50.2.4 देखें)। तदनुसार, सेकी ने डेवलपर्स के परिनिर्धारित हर्जाने 500 मेगावाट रूफटॉप योजना के तहत वेंडर से प्राप्त आय के रूप में ₹ 462.41 लाख पर विचार नहीं किया है, एमएनआरई के निर्देश लंबित हैं।
- 64.** एमएनआरई ने दिनांक 04 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा पीएसएम दिशानिर्देश जारी किए। तदनुसार, एमएनआरई दिशानिर्देशों के अनुसार पीएसएम निधि का संचालन किया जा रहा है। भुगतान सुरक्षा निधि (पीएसएफ) में एमएनआरई से प्राप्त ₹ 50,000.00 लाख (31 मार्च 2022 तक ₹ 50,000.00 लाख) शामिल हैं। ₹ 1,50,013.49 लाख की कुल पीएसएम निधि में बीजी नकदीकरण, विस्तार राशि, टैरिफ में कमी के कारण राशि आदि शामिल हैं। 31.03.2023 तक निकाली गई राशि और उपयोग की गई राशि ₹ 37,038.34 लाख बिजली बिलों के प्रति डिस्कॉम से अतिदेय और ₹ 16,364.65 लाख है, कानून में बदलाव (जीएसटी/एसजीडी) के दावों के प्रति डिस्कॉम पर बकाया है।
- 65.** सेकी 160 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस (बीईएसएस) के साथ एक बड़े पैमाने पर सौर-पवन हाइब्रिड परियोजना विकसित करने की प्रक्रिया में था, जिसमें आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में सौर 120 मेगावाट और पवन 40 मेगावाट है। परियोजना की स्थापना के लिए नियोजित कुल भूमि लगभग 889.90 एकड़ है, जिसमें से 690.68 एकड़ भूमि के लिए अग्रिम कब्जा प्राप्त किया गया है। वित्त वर्ष के दौरान आवंटित भूमि के लिए जिला कलेक्टर, अनंतपुर को कुल अनुग्रह राशि ₹ 2,120.71 लाख का भुगतान किया गया था। 2018-19 और उसी को पूंजीगत अग्रिम के रूप में दिखाया गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में आंध्र प्रदेश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम (एनआरईडीसीएपी) ने दिनांक 11.08.2020 और 30.09.2020 के पत्रों के माध्यम से सेकी को नई निर्यात नीति के बारे में सूचित किया है और कहा है कि भूमि अब केवल पट्टे के आधार पर सेकी को आवंटित की जाएगी और पट्टा किराया अग्रिम कब्जे की तारीख से शुरू होगा। सेकी द्वारा भुगतान की गई अनुग्रह राशि को पट्टे के किराये में समायोजित किया जाएगा और सेकी को अग्रिम अनुग्रह राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सेकी ने अपने पत्र दिनांक 28.09.2020, 14.06.2021, 21.06.2021 और 05.04.2022 के माध्यम से एनआरईडीसीएपी को बताया है कि प्रस्तावित लीज रेंटल प्रारंभ तिथि अग्रिम कब्जे की तिथि से सेकी के लिए अस्वीकार्य है। चूंकि पूर्ण और सन्निहित भूमि आज तक आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सौंपी नहीं गई है, इसलिए अग्रिम कब्जे की तारीख से पट्टा शुरू करना सही नहीं है और आंध्र प्रदेश सरकार के पट्टे के किराए को पूर्ण और सन्निहित करने के निर्णय पर पुनर्विचार करना परियोजना गतिविधियों को शुरू करने के लिए एसईसीआई को जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा नई भूमि नीति की अधिसूचना प्रमुख भूमि पार्सल की अग्रिम कब्जे की तारीख से बहुत बाद में है, इस मामले में नीति को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। मामला आंध्र प्रदेश सरकार के विचाराधीन है। तदनुसार आईएनडी एस-116 के अनुसार 200 मेगावाट परियोजना पर आरओयू संपत्ति और पट्टा देयता को मान्यता नहीं दी गई है। इंड एस-116 के अनुसार एमएनआरई ने पत्र दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से 160 मेगावाट सौर पार्क योजना को रद्द कर दिया, आगे एमएनआरई ने दिनांक 11.11.2021 के पत्र के माध्यम से आंध्र प्रदेश के रामगिरी जिले में 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड पार्क की स्थापना के लिए सेकी को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की है। एमएनआरई ने पत्र दिनांक 22.11.2022 के माध्यम से परियोजना की अवधि को 200 मेगावाट सौर/विंड बेस हाइब्रिड पार्क से 200 मेगावाट सौर पार्क में बदल दिया। आगे एमएनआरई ने पत्र दिनांक 28.04.2023 के माध्यम से रामगिरि सौर पार्क की क्षमता को 200 मेगावाट से 300 मेगावाट तक बढ़ाया। तदनुसार, सेकी, अब, सीपीएसयू योजना के तहत उक्त परियोजना को 200 मेगावाट सौर पवन हाइब्रिड योजना के तहत स्थापित करेगा स्थापित करेगा।





- 66.** वर्ष 2019-20 में, कंपनी ने किदवई नगर कॉम्प्लेक्स में एनबीसीसी द्वारा आवंटित 6 रिहायशी फ्लैटों को सेकी द्वारा किए गए पिछले भुगतानों के विरुद्ध भौतिक कब्जे में ले लिया है। ऐसे फ्लैटों की लागत ₹ 1,734.06 लाख है। फ्लैट 30 साल की अवधि के लिए लीज होल्ड के आधार पर हैं और इसे खाली की किताबों में राइट ऑफ यूज एसेट के रूप में माना जाता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने किदवई नगर स्थित एनबीसीसी ब्लॉक के कार्यालय स्थान का भौतिक कब्जा भी ले लिया है। कार्यालय स्थान 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज होल्ड आधार पर है और ₹ 19,181.48 लाख की राशि का भुगतान किया गया है। खाली की पुस्तकों में आरओयू संपत्ति के रूप में व्यवहार किया गया है। आवासीय और वाणिज्यिक कार्यालय स्थान दोनों का लीज समझौता अभी तक निष्पादित नहीं किया गया है। वर्ष के दौरान एनबीसीसी ने पत्र दिनांक 19.07.2022 के माध्यम से सूचित किया कि पट्टे के नियमों और शर्तों के अनुसार, पट्टे की अवधि कब्जे के ऑफर की तारीख से शुरू होगी यानी वाणिज्यिक भवन के मामले में 10-08-2018, 11-08-2018 (टाइप-V) और 25-09-2019 (टाइप-VI) 12-02-2021 (वाणिज्यिक भवन) से पट्टा समाप्त होगा आवासीय फ्लेट्स के मामले में, 11-10-2018 (टाइप-V) और 25-09-2019 (टाइप-VI), और आवासीय फ्लेट्स के मामले में वाणिज्यिक भवन, 10-08-2048 (टाइप-V) और 24-09-2049 (टाइप-VI) के मामले में 09-08-2048 को। तदनुसार, पट्टे के समझौते के अनुसार, पट्टे की शेष अवधि के लिए आवासीय और वाणिज्यिक कार्यालय स्थल पर पर मूल्यहास की गणना की गई है। इसके अलावा आवासीय और वाणिज्यिक कार्यालय स्थल दोनों के पट्टे समझौते को 07-07-2023 को निष्पादित किया जाएगा है।
- 67.** सीईआरसी ने सेकी के खिलाफ मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका के मामले में 17 दिसंबर, 2018 को एक आदेश पारित किया है, जो बाद की शर्तों को पूरा करने में देरी को माफ करने और अन्य बातों के अलावा पीपीए को फिर से बहाल करने के लिए सेकी को निर्देश देता है। पीपीए स्थापित करना और उसका वित्तीय निहितार्थ डिस्कॉम के साथ बैंक-टू-बैंक आधार पर है। अतः पुस्तकों में कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ₹ 648.00 लाख की राशि का भुगतान किया गया है, जिसे विवाद के तहत प्राप्त धन के रूप में दर्ज किया गया है और वर्तमान देनदारियों के तहत अन्य देय के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उक्त राशि को ब्याज वाली राशि में रखा गया है खाता और उस पर 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज ₹ 120.88 लाख (पिछले वर्ष ₹ 89.75 लाख) है। वर्ष के दौरान एपीटीईएल ने दिनांक 28.10.2022 के आदेश के माध्यम से मामले का फैसला मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में किया और उसी आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 03.02.2023 के आदेश के माध्यम से बरकरार रखा। तदनुसार, 28.02.2023 को मेसर्स वेलस्पन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को राशि ₹ 648.00 लाख का भुगतान किया गया। अर्जित ब्याज पार्टी को ₹ 120.88 लाख वापस नहीं किए गए क्योंकि एपीटीईएल आदेश ब्याज के भुगतान के संबंध में कुछ नहीं कहा गया।
- 68.** द रुफटॉप – अन्य परिचालन आय के तहत अन्य प्राप्तियों में ₹ 1.78 लाख शामिल हैं (पिछले वर्ष ₹ 1.31 लाख) आरएफएस के अनुसार एलडी/जुर्माना/सीयूएफ आवश्यकताओं को पूरा न करने के लिए वसूल किया गया। आय निर्धारण पर वित्त वर्ष 2017-18 के लिए सी एंड एजी की ऑडिट टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, इसे एमएनआरई को पत्र दिनांक 20 मार्च 2019, 14 मई 2019, 18 जून 2019, 30 अक्टूबर 2019, 25 नवंबर 2019 के माध्यम से संदर्भित किया गया है। आगे के निर्देशों/सलाह के लिए 11 फरवरी 2020, 30 जुलाई 2020, 22 अक्टूबर, 2020, 7 जून, 2021, 24 जनवरी, 2022, 6 जून, 2022 और 22 नवंबर, 2022। एमएनआरई से लंबित निर्देश/सलाह को लेखांकन नीति संख्या 1.सी.9.2 के अनुसार एसईसीआई की आय माना गया है।
- 69. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (सीएसआर)**
- कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, अपनी सीएसआर नीति के अनुसार तत्काल तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम दो प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है। उपरोक्त के आधार पर, कंपनी द्वारा 2022-23 के दौरान खर्च की जाने वाली ₹ 499.35 लाख (पिछले वर्ष ₹ 424.86 लाख) सीएसआर राशि है। तदनुसार सीएसआर व्यय के लिए राशि खर्च की गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है:





₹ लाख

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
1.	स्वास्थ्य देखभाल गतिविधियों को बढ़ावा देना		
	ओडिशा के जूनागढ़ जिले में कोविड देखभाल केंद्र की स्थापना के लिए सीएसआर सहायता	-	30.00
	उत्तराखंड में द्वाराहाट (अल्मोड़ा) में ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ चिकित्सा औषधालय का उन्नयन	-	125.00
	जिला प्रशासन, गुरुग्राम को कोविड देखभाल के लिए सीएसआर सहायता	-	30.00
	कोविड देखभाल के लिए एसएनआर अस्पताल, कोलार को सीएसआर सहायता।	-	50.00
2.	भूख, गरीबी और कुपोषण, गंदगी का उन्मूलन और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना		
	शारदा बालाग्राम, ग्वालियर, एम.पी. कैम्पस में अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग समुदाय के 100 छात्रों के लिए भोजन/दैनिक आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए सीएसआर सहयोग	25.00	-
	दिल्ली के अस्पताल यानी ऐम्स, सफदरजंग, लेडी हार्डिंग, राम मनोहर लोहिया और कलावती अस्पताल, दिल्ली में 44 एनओएस सेनेटरी नैपकिन इंकनेटर्स, वैंडिंग मशीनों और नैपकिन्स की स्थापना के लिए सीएसआर समर्थन।	33.66	-
3	पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना		
	विष्णुपुर शंकुल, गुमला, झारखंड में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि के लिए सुधार कार्यक्रम में सीएसआर सहयोग	76.90	-
	महाराष्ट्र में नाशिक जिले में सुरागना ब्लॉक में सौर आधारित सिंचाई प्रणालियों और कृषि के लिए सुधार कार्यक्रम सीएसआर सहयोग	27.48	-
	लेह में सौर वॉटर हीटर के वितरण के लिए सरकारी संस्थानों/एजेंसियों को सीएसआर सहयोग	25.08	-
4	विज्ञान, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इनक्यूबेटर्स या अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में योगदान		
	बैंगलोर, कर्नाटक में स्थापित किए जा रहे परम सेंटर की स्थापना के लिए सीएसआर सहयोग	70.83	-
5	शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना		
	ओडिशा के डेंकनाल जिले में स्मार्ट क्लास का कार्यान्वयन।	-	12.03
	लेह के सरकारी स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी का कार्यान्वयन।	88.60	172.00
	लेह में अध्यापक प्रशिक्षण	32.15	-
	लेह में डिजिटल इंडिया से संबंधित गतिविधियों के लिए 2 नग मोबाइल वैन के लिए सीएसआर समर्थन	-	28.01
	मोंगोड, हुबली, कर्नाटक में आवासीय लामा शिविर में छात्रावास के उन्नयन और नवीनीकरण के लिए सीएसआर समर्थन	49.70	-
6	पीएम केयर्स फंड	4.48	-
7	विकास परियोजनाएँ		
	शारदा बालाग्राम, ग्वालियर, एम.पी. में सौर स्ट्रीट लाइट उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर सहयोग	7.98	-
	अमेठी में गरीब परिवारों के यहाँ लगाने के लिए 125 सोलर स्ट्रीट लाइट्स वितरण हेतु सीएसआर सहयोग	35.50	-
	कुल	477.35	447.04



₹ लाख

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
क. वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली राशि	499.35	424.86
ख. पिछले वर्ष की कमी राशि	(22.00)	0.18
ग. कुल (एबी)	477.35	425.04
घ. वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	477.35	447.04
कमी राशि *	-	-

*वित्त वर्ष 2022-23 के लिए खर्च की गई सीएसआर राशि में कोई कमी नहीं है।

- 70.** सेकी ने विभिन्न डेवलपर्स से प्राप्त बिजली की बिक्री के लिए आंध्र प्रदेश विद्युत समन्वय समिति (एपीपीसीसी) के साथ पीएसए पर हस्ताक्षर किए हैं। 31 मार्च 2023 तक एपीपीसीसी के विरुद्ध बकाया राशि ₹ 28,222.21 लाख (पिछले वर्ष ₹ 18,131.22 लाख) है। हालांकि, उपरोक्त बकाया राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि शेष राशि छह महीने से कम पुरानी है और आरबीआई, एपी सरकार और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के तहत कवर की गई है। इसके अलावा 30.06.2023 तक ₹ 16,537.98 प्राप्त किया जा चुका है।
- 71.** एमएनआरई ने एक विवाद समाधान तंत्र की स्थापना के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुपालन में, डेवलपर्स (एसपीडी/डब्ल्यूपीडी/रूफटॉप डेवलपर्स) ने डीआरसी से संपर्क किया है और 31 मार्च, 2023 तक ₹ 679.32 लाख (पिछले वर्ष ₹ 480.15 लाख) जमा किए हैं, जिनमें से संबंधित राशि गैर वीजीएफ योजना के लिए ₹ 316.09 लाख (पिछले वर्ष ₹ 117.92 लाख) है, इसे एक अलग ब्याज वाले बैंक खाते में रखा गया है और 31 मार्च 2023 तक अर्जित ब्याज ₹ 57.53 लाख (पिछले वर्ष ₹ 46.45 लाख) है। दिशानिर्देशों के अनुसार विवाद समाधान समिति की सिफारिशों के अनुसार उस आशय का आदेश पारित होने पर राशि पार्टी को वापस करने योग्य है। कोई भी निर्णय डेवलपर के पक्ष में नहीं है, तो डेवलपर्स द्वारा जमा की गई फीस को एसईसीआई द्वारा बनाए गए अलग फंड में डीआरसी दिनांक 18.06.2019 के दिशानिर्देशों और उसके सभी प्रासंगिक संशोधन के अनुसार जमा किया जाएगा।
- 72.** वर्ष के दौरान बीजी का नकदीकरण/विकासकर्ताओं द्वारा जमा की गई पवन ऊर्जा परियोजना/फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की देरी/गैर-स्थापना के लिए जमा की गई धनराशि सेकी को बीजी/जमा की गई धनराशि के नकदीकरण के कारण ₹ 28,791.05 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2267.06 लाख) प्राप्त हुए हैं। विकासकर्ताओं द्वारा पवन ऊर्जा और फ्लोटिंग सौर परियोजना के विलम्बित/असंचालित होने के कारण आरएफएस/पीपीए के प्रावधानों के अनुसार, पवन ऊर्जा के विलम्बित/असंस्थापित होने तथा फ्लोटिंग सौर परियोजना के पीएसएफनिर्माण के लिए प्राप्त राशि को अलग से रखा जाना है। हालांकि, पवन ऊर्जा परियोजनाओं/फ्लोटिंग सौर परियोजना के लिए पीएसएफ के निर्माण/प्रशासन के लिए दिशानिर्देशों का मुद्दा लंबित है, आय को एक अलग ब्याज वाले खाते में रखा जाता है। इसके अलावा 31 मार्च, 2023 तक अर्जित ब्याज ₹ 969.92 लाख है (पिछला वर्ष ₹ 237.62 लाख)।
- 73.** केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (सीईआरसी) ने कानून में बदलाव के कारण जीएसटी/सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए एसपीडी को भुगतान करने के लिए सेकी को निर्देशित करने वाले विभिन्न आदेश पारित किए हैं। आगे पीपीए की शर्तों के अनुसार, संबंधित खरीद उपयोगिताओं से बैंक टू बैंक आधार पर वसूली योग्य होगी, इसकी पुष्टि सीईआरसी ने अपने आदेश में भी की है।

तदनुसार, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में 'असाधारण मदों' के तहत "कानून में बदलाव के कारण एसपीडी के मुआवजे" के रूप में ब्याज राशि (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) सहित ₹ 25,600.53 लाख का खर्च दर्ज किया है। इसके अलावा, सीईआरसी के आदेशों के अनुसार, इसे डिस्कॉम से वसूला जाना है, इसलिए कंपनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 25,600.53 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 64,196.25 लाख) की राशि "डिस्कॉम से मुआवजे" के तहत आय के रूप में दर्ज की है। "व्यय और आय बिजली की खरीद और बिक्री के कारण हैं क्योंकि मुआवजा सीधे टैरिफ से संबंधित है। एसपीडी द्वारा किए गए दावों के रूप में इसे असाधारण मद माना गया है और 'असाधारण मदों' के तहत कानून में बदलाव के कारण डिस्कॉम से वसूली योग्य राशि महत्वपूर्ण है और व्यापार के सामान्य चक्र के दौरान असामान्य है।





वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सीईआरसी आदेश के अनुसार कानून में बदलाव के कारण एसपीडी को ₹ 21,132.74 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 24,519.57 लाख) का भुगतान किया है और तदनुसार सीईआरसी आदेश के अनुसार डिस्कॉम से बैंक टू बैंक आधार पर इसकी मांग की है। डिस्कॉम को किए गए कुल दावों में से, वित्त वर्ष 2022-23 में प्राप्त राशि ₹ 37,627.07 लाख (पिछले वर्ष की राशि ₹ 4,938.86 लाख) है।

चूंकि कंपनी ने एकमुश्त भुगतान के बजाय वार्षिकी आधारित भुगतान तंत्र के लिए आवेदन किया है, बारह महीने की अवधि के दौरान देय और वसूली योग्य को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत किया गया है और शेष राशि को गैर-चालू के रूप में दिखाया गया है। तदनुसार, ₹ 97,800.89 लाख की राशि “एसपीडी को देय” के रूप में दिखाई गई है, वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 6,904.23 लाख और 31 मार्च, 2023 को गैर-वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 90,896.66 लाख (पिछले वर्ष की वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 5,496.11 लाख और गैर-वर्तमान वित्तीय देयता ₹ 87,836.99 लाख)।

इस तरह के दावे के खिलाफ डिस्कॉम से वसूली योग्य ₹ 1,09,347.25 लाख की राशि को “डिस्कॉम से वसूली योग्य” के रूप में 31 मार्च 2023 तक वर्तमान वित्तीय संपत्ति ₹ 18,450.59 लाख और गैर-वर्तमान वित्तीय संपत्ति ₹ 90,896.66 लाख (पिछले वर्ष की वर्तमान वित्तीय संपत्ति ₹ 33,537.14 लाख और गैर-वित्तीय संपत्ति ₹ 87,836.99) के रूप में दिखाया गया है। डिस्कॉम से वसूली योग्य एवं विद्युत डेवलपर्स को देय राशि का अंतर ₹ 11,546.36 लाख है।

- 74.** सेकी ने 14 दिसंबर, 2022 को विश्व बैंक के साथ एक ऋण समझौता किया है, जिसमें 178 मिलियन अमरीकी डालर (अंतर्राष्ट्रीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) का ऋण अमेरिकन डॉलर 150 मिलियन और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड (सीटीएफ) अमेरिकन डॉलर 28 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण) जो पत्र दिनांकित 14 फरवरी, 2023 के साथ आईबीआरडी ऋण आईडी 8944-IN और सीटीएफ ऋण संख्या TF0A 9875 के साथ 80 मिलियन अमरीकी डालर (67 मिलियन अमरीकी डालर का आईबीआरडी ऋण और 13 मिलियन अमरीकी डालर का सीटीएफ ऋण) तक कम हो गया है। ऋण का उपयोग के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) या फ्लोटिंग सौर पीवी पावर प्लांट साथ सौर पीवी पावर प्रोजेक्ट (एस) की स्थापना के प्रयोजनों के लिए किया जाना है। ऋण की समापन तिथि 31 दिसंबर, 2024 है। यह ऋण भारत सरकार (जीओआई) द्वारा 15 दिसंबर, 2022 को विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित गारंटी समझौते के माध्यम से संप्रभु गारंटी द्वारा सुरक्षित किया गया है। एमएनआरई और सेकी के बीच बैंक गारंटी समझौते पर अभी भी हस्ताक्षर किए जाने हैं। हालांकि, सेकी ने सरकार गारंटी नीति, 2022 के अनुसार भारत सरकार के लिए 1.2% की दर से गणना कर ₹ 521.53 लाख की गारंटी शुल्क का भुगतान किया है। \$167,500 (ऋण राशि का 0.25%) की राशि आईबीआरडी ऋण पर फ्रंट-एंड फीस के रूप में देय थी। सेकी ने ऋण आय से फ्रंट एंड फीस का भुगतान करने के लिए सहमति व्यक्त की है और तदनुसार, विश्व बैंक ने ऋण खाते से वापस ले लिया है और खुद को फीस का भुगतान किया है। इसके अलावा, आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण से प्रत्येक \$100,000 की मात्रा का संवितरण 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के दौरान विश्व बैंक से लिया गया है।

आईबीआरडी ऋण 15 जून, 2024 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2043 तक अर्धवार्षिक समान किस्तों में चुकाया जाएगा। आईबीआरडी ऋण पर ब्याज दर एसओएफआर प्लस परिवर्तनीय प्रसार 0.86% (31.03.2023 तक) है। सीटीएफ ऋण 15 जून, 2029 से शुरू होकर 15 दिसंबर, 2058 तक अर्धवार्षिक समान किस्तों में चुकाया जा सकता है और इसमें 0.25% प्रति वर्ष सेवा शुल्क (यानी ब्याज) लगता है। इसके अलावा, आईबीआरडी ऋण और सीटीएफ ऋण पर ऋण की अनाहरित राशि पर क्रमशः 0.25% और 0.18% की दर से प्रतिबद्धता शुल्क लगता है, जो ब्याज के साथ देय होता है।

वर्ष के दौरान ऋण या उस पर ब्याज की अदायगी में कोई चूक नहीं हुई है।

- 75.** सेकी ने विनिर्माण सुविधा के साथ जुड़े सौर पीवी पावर प्लांट के लिए 12000 मेगावाट के लिए एक निविदा जारी किया। सेकी द्वारा वर्ष 2021-22 में ₹ 9600 लाख पर ₹ 80000/- प्रति मेगावाट की सफलता शुल्क वित्त प्राप्त की गई थी। 31.03.2023 तक 12000 मेगावाट क्षमता में से 31.03.2023 तक 9000 मेगावाट (31.03.2022 तक 8900 मेगावाट) के विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए गए। लेखांकन नीति सं. ग 9.2.1 के





अनुसार ₹ 792.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 2848.00 लाख) की सफलता शुल्क का भुगतान किया गया है को शेष ₹ 5960.00 लाख को अनुपार्जित सफलता शुल्क के रूप में दिखाया गया है। (देखें नोट नंबर 26.2 और 32.5)।

76. स्ट्रक ऑफ कंपनियों के साथ संबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ लेन-देन के संबंध में प्रकटीकरण:-

₹ लाख

बंद कंपनी का नाम	स्ट्रकऑफ कंपनी के साथ लेन-देन की प्रकृति	वर्तमान अवधि में बकाया राशि	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है	वर्तमान अवधि में बकाया राशि	स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ संबंध, यदि कोई हो, का खुलासा किया जाना है
31 मार्च, 2023 को					
शून्य					
31 मार्च, 2022 को					
शून्य					

77. इंडस्ट्रीज एस 7-कैश फ्लो के अनुसार वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देनदारियों का समाधान

कंपनी की लीज देनदारियों में परिवर्तन को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल 2022	नकद प्रवाही	गैर नकदी परिवर्तन			31 मार्च, 2023
			पट्टे की देनदारियों में शुद्ध वृद्धि	विदेशी मुद्रा आंदोलन	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	173.24	(12.06)	15.68	-	-	176.86

₹ लाख

विवरण	1 अप्रैल 2021	नकद प्रवाही	गैर नकदी परिवर्तन			31 मार्च, 2022
			पट्टे की देनदारियों में शुद्ध वृद्धि	विदेशी मुद्रा आंदोलन	उचित मूल्य परिवर्तन	
पट्टा देयताएं	169.40	(11.49)	15.33	-	-	173.24

78. कंपनी के पास चालू संपत्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों से उधार लिया गया है, कंपनी द्वारा बैंकों के साथ दायर की गई मौजूदा परिसंपत्तियों के त्रैमासिक विवरण/रिटर्न खातों की बहियों के अनुसार हैं और कोई वास्तविक विसंगतियां नहीं हैं।

79. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के खंड II के सामान्य निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त विनियामक सूचना/प्रकटीकरण कंपनी पर लागू सीमा तक प्रकट किए जाते हैं।

80. ऐसी कोई घटना नहीं है जो बैलेंस शीट की तारीख के बाद हुई हो, जिसका 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा हो।



- 81.** कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति और संपत्ति के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्ति और देनदारियों के वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपने ऑपरेटिंग चक्र को 12 महीने के रूप में वर्तमान और गैर-वर्तमान निर्धारित किया है।
- 82.** पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहां आवश्यक हो, पुनर्व्यवस्थित या पुनर्समूहित किया गया है।

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

समसंख्यक तारीख को हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संदर्भ में
कृते एस आर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन. 001537C

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023

हस्ता./—
(सी.ए. ए.के. अटोलिया)
साक्षेदार
सदस्यता संख्या: 077201



फॉर्म एओसी-1

(कंपनी लेखा नियम 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के प्रथम परंतुक का अनुसरण)

विवरण में सहायक कंपनियों/सहयोगी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों की वित्तीय विवरण की मुख्य विशेषताएं सम्मिलित हैं)

भाग "क" सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी के संबंध में रुपए में राशि सहित सूचना)

क्र. सं.	विवरण	ब्यौरे
1.	सहायक कंपनी का नाम	
2.	संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि यदि कंपनी की रिपोर्टिंग अवधि अलग से हो	
3.	विदेशी सहायक कंपनी के संबंधित वित्त वर्ष की अंतिम तिथि को रिपोर्टिंग मुद्रा एवं विनिमय दर	
4.	शेयर पूंजी	
5.	रिजर्व एवं अधिशेष	
6.	कुल परिसंपत्ति	
7.	कुल देयताएं	
8.	निवेश	
9.	टर्नओवर	
10.	कर पूर्व लाभ	
11.	कर हेतु प्रावधान	
12.	कर परचात लाभ	
13.	प्रस्तावित लाभांश	
14.	शेयर धारिता का प्रतिशत	

टिप्पणी : विवरण के अंत में जानकारी अवश्य दें

- उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अभी प्रचालन शुरू किया है।
- उन सहायक कंपनियों के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान समापन अथवा बेच दिया गया हो।





भाग "ख" एसोसिएट्स एवं संयुक्त उद्यम

सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में

संयुक्त उद्यम का नाम	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड	कर्नाटक सोलर पावर डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	लखनऊ सोलर पावर डवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लि.	रिन्युएबल पावर कॉरपोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	हिमाचल रिन्युएबल्स लिमिटेड
1. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट तिथि	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2022	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023
2. वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा रखे गए संयुक्त उद्यमों के शेयर	50%	50%	50%	50%	50%	50%
संख्या	50,000	5,00,000	5,00,000	10,000	5,000	22,100
संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	₹ 5,00,000	₹ 50,00,000	₹ 50,00,000	₹ 1,00,00,000	₹ 50,00,000	₹ 2,21,00,000
होलिंग का विस्तार (%)	50%	50%	50%	50%	50%	50%
3. महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे पड़ता है इसका विवरण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण	संयुक्त उद्यम में कुल शेयर पूंजी के 20% से अधिक का नियंत्रण
4. संयुक्त उद्यम के समेकित न होने का कारण	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है	लागू नहीं है
5. नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार शेयरधारिता के कारण निवल मूल्य (लाख)	37,845.23	21,582.36	(18.40)	7,844.80	896.78	467.26
6. वर्ष के लिए लाभ/हानि हैं						
i. समेकन में विचार किया गया	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया						



1. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है।
लागू नहीं
2. सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के नाम जो वर्ष के दौरान परिसमाप्त या बेचे गए हैं।
लागू नहीं

हस्ता./—
(सुनील कुमार)
कंपनी सचिव
सदस्यता संख्या: 17693

हस्ता./—
(संजय शर्मा)
निदेशक
डीआईएन 08177362

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता./—
(रामेश्वर प्रसाद गुप्ता)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन 03388822

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 10.08.2023





बैंकों, लेखापरीक्षकों, कंपनी सचिव के ब्यौरे तथा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के निगमित कार्यालय के पते के ब्यौरे

बैंकर :

एक्सिस
बैंक ऑफ इंडिया
केनरा बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
आईडीफासी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
भारतीय स्टेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
बैंक ऑफ बड़ोदा
यस बैंक
बंधन बैंक
बैंक ऑफ महाराष्ट्र

वैधानिक लेखा परीक्षक :

एसआर गोयल एंड कं.
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एसआरजी हाउस, प्लॉट सं. 2, एम.आई. रोड
जयपुर 302 001

कंपनी सचिव :

श्री सुनील कुमार मेहलावत

निगमित कार्यालय

सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
छठवीं मंजिल, प्लेट "बी" एनबीसीसी कार्यालय,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110023







टिप्पणियाँ





सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

छठवीं मंजिल, प्लेट "बी" एनबीसीसी कार्यालय,
पूर्वी किदवई नगर, नई दिल्ली 110 023

Visit us at : seci.co.in

